माला, खंड 3, अंक 1

बुधवार, 10 जुलाई, 1996
19 आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

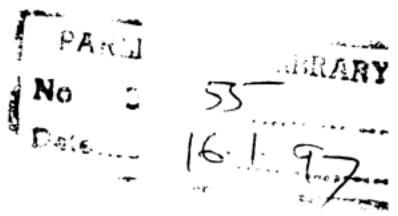

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा के दिनांक 10 जुलाई, 1996 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूवो (i)	नोवे से 10	वम्बल डल	वम्बलडाल
विषय सूवो (i)	नोवे से 8	अमरनाथ जोने वाले	अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले
विषय सूवो (i)	अंतिम	श्री कृष्णा दत्त सुल्तानपुरो	श्री के॰डो॰ सुल्तानपुरो
विषय सूवो (ii)	पंक्ति 2 में आये शब्द "रेल" के स्थान पर "रेत" पढ़िए ।		
विषय सूवो (iii)	1	लोक सभा के सदस्यों	लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों
	7	(बुनठाना)	बुलढाना
	13	कठोरिया, श्री विनय	कठेरिया, श्री विनय
	14	कठेरिया, डा॰ बल्लभ भाई	कठोरिया, डा बल्लभ भाई
(IX)	5	राजाराम परशराम से पहले "श्री" पढ़िए ।	
(V)	7	तसलोममुद्दोन, श्री	तलसोमुद्दोन , श्री
(XI)	4	परांजये, श्री दादाबाबूराव	परांजपे, श्री दादा बाबुराम
(IX)	6	राव, श्री पी॰वी॰ नरसिम्हा	राव, श्री पा॰वो॰ नरसिंह
(XI)	नोवे से 3	सौम्य रंजनए, श्री	सौम्य रंजन, श्री
(XV)	अंतिम	कैप्टन	कैप्टन
(XVI)	12	"विकास मंत्रालय में"	"विकास मंत्रालय के"
2	नोवे से 13	श्री एस॰आर॰ बालसुब्रह्मण्यन	श्री एस॰आर॰ ~~[illegible]~~ बालसुब्रमण्यन
62	7	(क) से (ग)	(क) से (ङ)
67	नोवे से 8	पानोपन	पानापत
111	3	पतंगों	पलंगों
149	14	श्री रूप वन्द्र पाल	रूप वन्द पाल
194	5	पांववों पंक्ति के आरंभ में (ख) जोड़िए ।	
237	नोवे से 9	डा॰ रमेश वन्द्र तोमर	डा॰ रमेश वन्द तोमर
328	नोवे से 3	(ख) से (व)	(ख) से (घ)

355	15	श्री एस॰डो॰एम॰आर वाडियार	श्री एस॰डो॰एन॰आर॰वाडियार
387	7	श्री ललित उरांव	श्री ललित उरांव
405	13	श्री एस॰डो॰एम॰आर वाडियार	श्री एस॰डो॰एन॰आर॰वाडियार
410	13	श्री प्रियरंजन दास मंशी	श्री पो॰आर॰दासमुंशी
426	1	श्री अन्नत कुमार	श्री अनंत कुमार
440	5 तथा 7	श्री थावरवन्द गहलोत	श्री थावरचन्द गेहलोत
448	22	श्री वो॰के॰गवो	श्री बा॰के॰गढ़वो
451	4	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल
453	नीचे से 6	कपड़ा मिल	कपडा मिलों

सम्पादक मण्डल

श्री सुरेन्द्र मिश्र
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 1, बुधवार, 10 जुलाई, 1996/19 आषाढ़, 1918 (शक)

विषय		कालम
ग्यारहवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची		(iii)—(xi)
लोक सभा के पदाधिकारी		(xiii)
मंत्रिपरिषद्		(xv)—(xvi)
राष्ट्रगान		1
मंत्रियों का परिचय		1—2
निधन संबंधी उल्लेख		3—4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	2 और 3	7—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	1 और 4 से 20	29—96
अतारांकित प्रश्न संख्या	1, 2, 4 से 10, 12 से 89, 91 से 135 137 से 165, 167 से 187 और 189 से 200	97—410
सभा पटल पर रखे गए पत्र		411—412
समितियों के लिए निर्वाचन		412—414
(एक) केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड		412—413
(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड		413
(तीन) हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए समिति		413—414
सत्र आरंभ होने से पूर्व पेट्रोलियम पदार्थों के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि करने के औचित्य के प्रश्न के बारे में		414—432, 435—453, 468—471
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		432—433
नियम 377 के अधीन मामले		434—435, 453—456
(एक) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में चम्बल डल परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता		
श्री प्रभू दयाल कठेरिया		434—435
(दो) अमरनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता		
श्री रामेश्वर पाटीदार		453
(तीन) अहमदाबाद की रूग्ण कपड़ा मिलों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष में से पर्याप्त धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता		
श्री हरिन पाठक		453—454
(चार) हिमाचल प्रदेश को विद्युत पर दी जाने वाली रायल्टी की बकाया राशि का भुगतान किये जाने की आवश्यकता		
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी		454

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(पांच)	उड़ीसा में मंदिरा बांध के निर्माण के कारण जिन लोगों की भूमि से रेल निकली गई है उन्हें मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता	
	कुमारी फ्रिडा तोपनो	454—455
(छः)	बिहार में नवीनगर ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता	
	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	455
(सात)	जलपाईगुड़ी अथवा सिलीगुड़ी में रसोई गैस भरने के संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता	
	श्री जितेन्द्र नाथ दास	455
(आठ)	मद्रास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.एस.वी. चितयन	455—456

जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

श्री एच.डी. देवेगौड़ा	456—465
श्री जगमोहन	465—468

ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र (चतरा)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक-दिल्ली)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अठावले, श्री नारायण (मुंबई उत्तर मध्य)

अडईकलराज, श्री एल. (तरुचिरापल्ली)

अडसूल श्री आनन्दराव विठोबा (बुनढाना)

अन्तुले, श्री अब्दुल रहमान (कुलाबा)

अन्नाय्यागरी, श्री साई प्रताप (राजमपेट)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनन्था, श्री वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर)

अनवर, श्री तारीक (कटिहार)

अनीस, श्री मुखतार (सीतापुर)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अराकल, श्री जेवियर (एरणाकुलम)

अरुणाचलम, श्री एम. (टेंकासी)

अलागिरी, श्री सामी वी. (शिवकाशी)

अली, श्री मोहम्मद इदरीस (जंगीपुर)

अलीवाल, श्री अमरीक सिंह (लुधियाना)

अलेमाओ, श्री चर्चिल (मारमागाओ)

अवैद्यनाथ, श्री (गोरखपुर)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद श्री एम. कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहीर, श्री हंस राज (चन्द्रपुर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहबाद)

आदित्यन, श्री आर. धनुषकोडी (तिरूचेंदूर)

आवाडे, श्री कल्लप्पा (इचलकरांजी)

इ

इमचा, श्री (नागालैण्ड)

इस्लाम, श्री कमारुल (गुलबर्गा)

इस्लाम, श्री नुरुल (धूबरी)

इस्लेरी, श्री लुईस (कोकराझार)

उ

उदयप्पन, श्री एस.पी. (रामानाथपुरम)

उपेन्द्र, श्री पी. (विजयवाड़ा)

उबोक, श्री मेजर सिंह (तरनतारन)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कंडासामी, श्री के. (रसिपुरम)

कंडासामी, श्री वी. (पोल्लाची)

कटियार, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कठीरिया, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, डा. बल्लभ भाई (राजकोट)

कनोडिया, श्री महेश कुमार एम. (पाटन)

कनौजिया, श्री जी.एल. (खीरी)

कमल रानी, श्रीमती (घाटमपुर)

कर्मा, श्री महेन्द्र (बस्तर)

कलमाड़ी, श्री सुरेश (पुणे)

कांशी राम, श्री (होशियारपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विठ्ठल राव (उस्मानाबाद)

कामसन, प्रो. एम. (बाह्य मणिपुर)

कार, श्री गुलाम रसूल (बारामूला)

कारवींधन, श्री एस.के. (पलानी)

कुंटूरकर, श्री जी.एम. (नांदेड़)

कुमार, श्री एम.पी. वीरेन्द्र (कालीकट)

कुमार, श्रीमती मीरा (करोलबाग-दिल्ली)

कुमार, श्री वी. धनन्जय (मंगलौर)

कुमारास्वामी, श्री एच.डी. (कनकपुरा)

कुरियन, प्रो. पी.जे. (मवेलीकारा)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुशवाहा, श्री सुखलाल (सतना)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृष्णा, श्री (माण्डया)

कृष्णादास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कोंडय्या, श्री के.सी. (बेल्लारी)

कोटा, श्री सईदा (नरसारावपेट)

कोली, श्री गंगा राम (बयाना)

कौजलगी, श्री शिवानंद एच. (बेलगाम)

कौर, श्रीमती सुखवंश (गुरुदासपुर)

कैकाला, श्री सत्यनारायण (मछलीपट्टनम)

ख

खण्डेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतुल)

खल्लप, श्री रमाकान्त डी. (पणजी)

खरवार, श्री घनश्याम चन्द्र (अकबरपुर)

खान, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खालसा, श्री बसन्त सिंह (रोपड़)

खालसा, श्री हरिन्दर सिंह (भटिंडा)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गढ़वी, श्री बी.के. (बनसकांठा)

गणेशन, श्री वी. (चिदंबरम)

गंमाग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवाली, श्री पुण्डलिक राव रामजी (वाशिम)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गामीत, श्री छीतुभाई (माण्डवी)

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गायकवाड़, श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह (बड़ौदा)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कन्टाई)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गुप्त, श्री चमन लाल (ऊधमपुर)

गेहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोडसे, राजाराम परशराम (नासिक)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

गोयल, श्री विजय (सदर-दिल्ली)

गोविन्दन, श्री टी. केसरगोड़ा)

गौड़ा, श्री वाई.एन. रुद्रेश (हसन)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्दूमाजरा, प्रो. प्रेम सिंह (पटियाला)

चन्दूलाल, श्री अजमीरा (वारंगल)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा. (कराड़)

चाक्को, श्री पी.सी. (मुकुन्दपुरम)

चारी, डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आणद)

चिखलिया, श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई (जूनागढ़)

चित्तूरी, श्री रविन्द्र (राजामुन्दरी)

चित्यन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (मालदा)

चौहान, श्री जयसिंह (कपड़बंज)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्री गंगानगर)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री परागी लाल (मिश्रिख)

चौधरी, श्री बादल (त्रिपुरा पश्चिम)

चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्रीमती निशा ए. (साबरकांठा)

चौबे, श्री लालमुनी (बक्सर)

ज

जगन्नाथ, डा. एम. (नागरकुरन्नूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जादव, श्री सुरेश आर. (परभनी)

जायसवाल, डा. एम.पी. (बेतिया)

जायसवाल, श्री एस.पी. (वाराणसी)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावीया, श्री गोरधन भाई (पोरबन्दर)

जिन्दल, श्री ओ.पी. (कुरूक्षेत्र)

जेना, श्री मुरलीधर (भद्रक)

जेना, श्री श्रीकान्त (केन्द्रपाड़ा)

जैन, श्री सत्य पाल (चंडीगढ़)

जैसवाल, श्री प्रदीप (औरंगाबाद)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, वैद्य दाऊ दयाल (कोटा)

जोस, श्री ए.सी. (इदुक्की)

ज्ञ

ज्ञानगुरुस्वामी, श्री आर. (परियाकुलम)

ट

टंडेल, श्री गोपाल (दमन और दीव)

टाडीपारथी, श्रीमती शारदा (तैनाली)

टिंडिवनाम, श्री जी. वेंकटरामन (टिंडिवनाम)

टी. गोपाल कृष्ण, श्री (काकीनाड़ा)

ठ

ठाकरे, श्री राजाभाऊ (यवतमाल)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डार, श्री मोहम्मद मकबूल (अनन्तनाग)

डेनिस, श्री एन. (नगरकोइल)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

त

तसलीममुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री बृज भूषण (डुमरियागंज)

तीर्थरामन, श्री पी. (धर्मपुरी)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, डा. रमेश चन्द्र (हापुड़)

त्रिपाठी, लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

थ

थाम्मीनेनी, श्री वीरभद्रम, (खम्माम)

थामस, प्रो. पी.सी. (मुवतुपुजा)

थोरात, श्री संदीपान (पंढरपुर)

द

दरबार, श्री छतर सिंह (धार)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री अंचल (जाजपुर)

दास, श्री द्वारका नाथ (करीमगंज)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दासमुंशी, श्री पी.आर. (हावड़ा)

दाहाल, श्री भीम प्रसाद (सिक्किम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव (चिमूर)

दीवान, श्री पवन (महासमुंद)

देव, श्री वी. प्रदीप (पार्वतीपुरम)
देव़, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवदास, श्री आर. (सेलम)
देवी, श्रीमती सुभावती (बांसगांव)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (बरौच)
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)
नटरायन, श्री के. (करुर)
नरसिम्हन, श्री सी. (कृष्णागिरि)
नाईक, श्री राम (मुम्बई-उत्तर)
नागरत्नम, श्री टी. (श्रीपेरुम्बुदुर)
नाथ, श्रीमती अल्का (छिंदवाड़ा)
नामग्याल, श्री पी. (लद्दाख)
नायक, श्री मृत्युन्जय (फूलबनी)
नायक, श्री राजा रंगप्पा (रायचूर)
नायडू, श्री के.पी. (बोबीली)
'निडर', प्रो. ओ़मपाल सिंह (जलेसर)
निम्बालकर, श्री हिन्दूराव नाईक (सतारा)
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)
निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद (फतेहपुर)
नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)
नेताम, श्रीमती छबिला अरविन्द (कांकेर)
नेलावाला, श्री सुब्रह्मण्यम (तिरुपति)

प

पटनायक, श्री बीजू (आस्का)
पटनायक, श्री शरत (बोलंगीर)
पटरुधु, श्री अय्यन्ना, (अन्नाकापल्ली)
पटेल, डा. ए.के. (मेहसाना)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह (फूलपुर)
पटेल, श्री दिनशा (खेड़ा)
पटेल, श्री प्रफुल्ल (भंडारा)
पटेल, श्री बुद्धसेन (रीवा)
पटेल, श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास (गोधरा)
पनबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नैल्लौर)
परसुरामन, श्री के. (चेंगलपट्टू)
परांजये, श्री दादा बाबूराव (जबलपुर)
परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ (ठाणे)
पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजाबूर)
पवार, श्री उत्तम सिंह (जालना)
पवार श्री शरद (बारामती)
पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पांडेय, डा. लंक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पांडेय, श्री मनहरण लाल (जांजगीर)
पांडेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरडीह)
पाटिल, श्री अन्नासाहिब एम.के. (इरन्दोल)
पाटिल, श्री बी.आर. (बीजापुर)
पाटिल, श्री मदन (सांगली)
पाटिल, श्री शिवराज वी. (लाटूर)
पाटिल, श्रीमती रजनी (बीड)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पाल, डा. देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
पाल, श्री रूप चन्द (हुगली)
पार्वती, श्रीमती एम. (ओंगोले)
पासवान, श्री कामेश्वर (नवादा)
पासवान, श्री पीताम्बर (रोसेड़ा)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपूर)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)
प्रधानी, श्री के. (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)
प्रामानिक, प्रो. आर.आर. (मथुरापुर)
प्रेम, श्री बी.एल. शर्मा (पूर्वी दिल्ली)
प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के. (क्विलोन)
प्रेमी, श्री मंगल राम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ऑस्कर (उदीपी)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फारुख, श्री एम.ओ.एच. (पाण्डिचेरी)

फुंडकर, श्री भाऊसाहिब पुंडलिक (अकोला)

फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंशीलाल, श्री श्याम लाल (टोंक)

बक्सला, श्री जोआचिम (अलीपुरद्वार)

बर्क, श्री शफीकुर रहमान (मुरादाबाद)

बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बडाडे, श्री भीमराव विष्णु जी (कोपरगांव)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी.एम. (पून्नानी)

बर्मन, श्री उधव (बारपेटा)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह (संगरूर)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसु, श्री अनिल (आराम बाग)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बागूल, डा. साहेबराव सुकराम (धुले)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

बाला, डा. असीम (नवद्वीप)

बालारमन, श्री एल. (वंडावासी)

बालासुब्रहमण्यन, एस.आर. (नीलगिरि)

बालु, श्री टी.आर. (मद्रास-दक्षिण)

बिसवाल, श्री रनजीब (जगतसिंह पुर)

बुडानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)

बेगम नूर बानो (रामपुर)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बेंदा, चौधरी रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)

भगवती देवी, श्रीमती (गया)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भट्टाचार्य, श्री जयन्त (तामलुक)

भट्टाचार्य, श्री प्रदीप (सेरमपुर)

भस्करप्पा, श्री सी.एन. (तुमकूर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भाटिया, श्री रघुनंदन लाल (अमृतसर)

भाटी, श्री महेन्द्र सिंह (बीकानेर)

भारती, डा. अमृत लाल (चैल)

भारथन, श्री ओ. (बडागरा)

भारद्वाज, श्री नीतीश (जमशेदपुर)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)

भिक्षम, श्री बी. धर्म (नालगोंडा)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोई, डा. कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मगानी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर (श्रीनगर)

मल्लिकार्जुन, डा. (महबूब नगर)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महन्त, श्री केशव (कलियाबोर)

महाजन, श्री प्रमोद (मुम्बई-उत्तर पूर्व)

महाजन, श्री सत (कांगड़ा)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)

महापात्र, श्री कार्तिक (बालासोर)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माने, श्री शिवाजी गयानोबाराऊ (हिंगोली)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)

मिश्र, श्री चतुरानन (मधुबनी)

मिश्र, श्री पिनाकी (पुरी)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र. श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मीणा, श्री भेरुलाल (सलूम्बर)
मीणा, श्रीमती उषा (सवाई माधोपुर)
मुखर्जी. श्री प्रमथेस (बरहामपुर) (प. बं.)
मुखर्जी, श्री सुब्रता (रायगंज)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्नगर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
मुडे, श्री विजय अन्नाजी (वर्धा)
मुनिलाल, श्री (सासाराम)
मुर्मू, श्री रूप चन्द (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री के.एस.आर. (अमलापुरम)
मेघवाल, श्री परसराम (जालोर)
मेघे, श्री दत्ता (रामटेक)
मेती, श्री एच.वाई. (बागलकोट)
मेहता, प्रो. अजित कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, श्री सनत (सुरेन्द्र नगर)
मेहता, श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र (मुम्बई दक्षिण)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)
मोहन, श्री आनन्द (शिवहर)
मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अनिल कुमार (खगरिया)
यादव, श्री गिरधारी (बांका)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोंडा)
यादव, श्री डी.पी. (सम्भल)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री लाल बाबू प्रसाद (गोपालगंज)
यादव, श्री शरद (माधेपुरा)
यादव, श्री सुरेन्द्र (खलीलाबाद)
येरानायडू, श्री किन्जारापू (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी-जिला) (असम)
रमना, श्री एल. (करीमनगर)
रमेन्द्र कुमार, श्री (बेगूसराय)
रमैया, श्री पी. कोदंडा (चित्रदुर्ग)
रमैया, डा. बोल्ला बुल्ली (एलरु)
रमैय्या, श्री सोडे (भद्राचलम)
राई, श्री आर.बी. (दार्जिलिंग)
राउत, श्री कचरु भाऊ (मालेगांव)
राघवन, श्री वी.वी. (त्रिचूर)
राजकुमार, श्री वांगवा (अरुणाचल पूर्व)
राजपूत, श्री गंगा चरण (हमीरपुर) (उ.प्र.)
राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रन, श्री पी.वी. (मईलादुतुराई)
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)
राठवा, श्री एन.जे. (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राणा, श्री राजू (भावनगर)
राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामालिंग, डा. के.पी. (तिरुचेंगोडे)
रामनाथन, श्री एम. (कोयम्बटूर)
रामसजीवन, श्री (बांदा)
रामसागर, श्री (बाराबंकी)
रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)
राम बाबू, श्री ए.जी.एस. (मदुरै)
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)
राय, श्री देवेन्द्र बहादुर (सुल्तानपुर)
राय श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री बलाई चन्द्र (बर्दवान)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
रायारेड्डी, श्री बासवाराज (कोप्पल)
रायुडु, श्री के.एस. (नरसापुर)
राव, श्री आर. साम्बासिवा (गुंटूर)
राव, श्री पी.वी. नरसिम्हा (बरहामपुर)
राव, श्री पी.वी. राजेश्वर (सिकंदराबाद)
रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)
रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)
रिबा, श्री तोमो (अरुणाचल-पश्चिम)
रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा-पूर्व)
रुडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)
रेड्डी, डा. बी.एन. (मिरयालगुडा)
रेड्डी, डा. टी. सुब्बारामी (विशाखापत्तनम)
रेड्डी, डा. वाई.एस. राजशेखर (कुडप्पा)
रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर (कुरुनूल)
रेड्डी, श्री जी.ए. चरण (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री एन. रामकृष्ण (चित्तूर)
रेड्डी, श्री एम. बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री एस. रामचन्द्र (हिन्दूपुर)

ल

लहिरी, श्री समीक (डाइमंड हार्बर)
लाखा, श्री हरभजन (पिल्लौर)
लोढा, जस्टिस गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)
वर्मा, श्री आर.एल.पी. (कोडरमा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (केसरगंज)
वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री राममूर्ति सिंह (शाहजहांपुर)
वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा (मोहनलाल गंज)
वल्याल, श्री लिंगराज (शेलापुर)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर. (मैसूर)
वानगा, श्री चिन्तामन (दहानू)
विश्वकर्मा, श्री महाबीर लाल (हजारीबाग)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)
वेंकटेशन, श्री पी.आर.एस. (कुड्डालोर)
वेंकटेस्वरलु, डा. उम्मारेड्डी (बापतला)
वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपत्तूर)
वेदान्ती, डा. राम विलास (मछलीशहर)
वेलु, श्री ए.एम. (अर्कोनम)
वैश्य, श्री बीरेन्द्र प्रसाद (मंगल डोई)
व्यास डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकर, श्री बी.एल. (चिकमंगलूर)
शर्मा, कैप्टन सतीश (अमेठी)
शर्मा, डा अरविन्द (सोनीपत)
शर्मा, डा. अरुण कुमार (लखीमपुर)
शर्मा, डा. प्रवीन चंद्र (गुवाहाटी)
शर्मा, श्री अशोक (राजनंदगांव)
शर्मा, श्री कृष्ण लाल (बाहरी दिल्ली)
शर्मा, श्री नवल किशोर (अलवर)
शर्मा, श्री मंगत राम (जम्मू)
शिवप्रकाशम, श्री डी.एस.ए. (तिरूनेलवेली)
शिवा, श्री तिरूची (पुडक्कोट्टई)
शेरकर, श्री निवृत्ती सेठ नामदेव (खेड)
शेरवानी, श्री सलीम इकबाल (बदायूं)
शेल्के, श्री मारुति देवराम (अहमदनगर)
शहाबुद्दीन, मुहम्मद (सिवान)
शाक्य, डा. महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)

ष

षण्मुगम, श्री पी. (वैल्लौर)

षणमुगा सुन्दरम, श्री वी.पी. (गोबिचेट्टिपालयम)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़-उत्तर)

सांगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

संघानी, श्री दिलीप (अमरोली)

सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)

सनदी, प्रो. आई.जी. (धारवाड़-दक्षिण)

सम्पथ, श्री ए. (चिरायिकिल)

सर्पोतदार, श्री मधुकर (मुम्बई उत्तर-दक्षिण)

सरदार, श्री माधव (क्योंझर)

सरोदे, डा. जी.आर. (जलगांव)

सवान्नूर, श्रीमती रत्नमाला डी. (चिक्कोडी)

सहाय, श्री हरवंश (सलेमपुर)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

साक्षी, स्वामी सच्चिदानन्द (फर्रुखाबाद)

साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)

साहू, श्री ताराचन्द (दुर्ग)

सिंकु, श्री चित्रसेन (सिंहभूम)

सिंह, कर्नल राव राम (महेन्द्रगढ़)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. राम लखन (भिंड)

सिंह, डा. हरि (सीकर)

सिंह, महारानी दिव्या (भरतपुर)

सिंह, मेजर जनरल बिक्रम (हमीरपुर)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री अमर पाल (मेरठ)

सिंह, श्री अशोक (रायबेरली)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (कन्नौज)

सिंह, श्री जान (शहडोल)

सिंह, श्री जसवंत (चित्तौड़गढ़)

सिंह, श्री तिलक राज (सिधी)

सिंह, श्री थ. चौबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री दरबारा (जालंधर)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, श्री नकली (सहारनपुर)

सिंह, श्री प्रहलाद (सिवनी)

सिंह, श्री मोहन (फिरोजपुर)

सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री राजकेशर (जौनपुर)

सिंह, श्री राधा मोहन (मोतीहरी)

सिंह, श्री रामबहादुर (महाराजगंज)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार (औरगांबाद)

सिंह, श्री शत्रुध्न प्रसाद (बलिया) (बिहार)

सिंह, श्री शिवराज (बिदिशा)

सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सुरेन्द्र (भिवानी)

सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती केतकी देवी (गोण्डा)

सिंह देव, श्री के.पी. (ढेंकानाल)

सिद्धराजु, श्री ए. (चमराजनगर)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिन्हा, श्री मनोज कुमार (गाजीपुर)

सिल्वेरा, डा.सी. (मिजोरम)

सुख राम, श्री (मंडी)

सुधीरन, श्री वी.एम. (अलेप्पी)

सुभाष, चन्द्र, श्री (भीलवाड़ा)

सुरेन्द्रनाथ, श्री के.वी. (त्रिवेन्द्रम)

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सुल्तानपुरी, श्री के.डी. (शिमला)

सुशील चन्द्र, श्री (भोपाल)

सूरजभान, श्री (अम्बाला)

सोनकर, श्री विद्यासागर (सैदपुर)

सोमू श्री एन.वी.एन. (मद्रास उत्तर)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोहन बीर, श्री (मुज्जफरनगर)

सैल्वारासु, श्री एम. (नागापट्टीनम)

सैकिया, श्री मुही राम (नागोंग)

सैनी, श्री प्रताप सिंह (अमरोहा)

सौम्य रंजनए श्री (भुवनेश्वर)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (दक्षिण दिल्ली)

स्वामी, श्री आई.डी. (करनाल)

स्वामी, श्री जी. वेंकट (पेद्दापल्ली)

स्वामी, श्री सी. नारायण (बंगलौर उत्तर)

स्वैल, श्री जी.जी. (शिलांग)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना (तेजपुर)

हसन, श्री मुनव्वर (कैराना)

हाण्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुडा, श्री भूपिन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

हेगड़े, श्री अनन्त कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री पूर्णो ए. संगमा

उपाध्यक्ष

श्री सूरजभान*

सभापति तालिका

श्रीमती विजयराजे सिंधिया

श्री चित्त बसु

श्री पी.एम. सईद

श्री नीतीश कुमार

श्रीमती गीता मुखर्जी

प्रो. रीता वर्मा

महासचिव

श्री सुरेन्द्र मिश्र

---

* 12-7-96 को निर्वाचित

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री

प्रधान मंत्री तथा निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी परमाणु ऊर्जा; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; तथा शहरी कार्य और रोजगार; तथा अन्य मंत्रालय/विभाग जो किसी अन्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को आंबटित नहीं किये गए हैं, अर्थात अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; विद्युत; इलैक्ट्रानिकी; जम्मू और कश्मीर मामले; महासागर विकास; अंतरिक्ष	श्री एच.डी. देवेगौड़ा
कल्याण मंत्री	श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
संचार मंत्री	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री	श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री सी.एम. इब्राहिम
कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर)	श्री चतुरानन मिश्रा
खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
विदेश मंत्री	श्री इन्द्र कुमार गुजराल
गृह मंत्री	श्री इन्द्रजीत गुप्त
जल संसाधन मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र
श्रम मंत्री	श्री एम. अरूणाचलम
रक्षा मंत्री	श्री मुलायम सिंह यादव
उद्योग मंत्री	श्री मुरासोली मारन
वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री	श्री, पी.चिदम्बरम
वस्त्र मंत्री	श्री आर.एल. जालप्पा
रेल मंत्री	श्री राम विलास पासवान
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री एस.आर. बोम्मई
संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री	श्री श्रीकान्त जेना
जल-भूतल परिवहन मंत्री	श्री टी.जी. वेंकटरामन
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री	श्री किंजारप्पू येरननायडू

राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बोला बुल्ली रमैया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री दिलीप कुमार राय
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद

कायेला मंत्रालय की राज्य मंत्री	श्रीमती कांति सिंह
कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री	श्री रमाकांत डी. खलप
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सलीम इकबाल शेरवानी
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री शीश राम ओला
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र कुमार अलघ

राज्य मंत्री

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री	श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहम्मद मकबूल डार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री मुही राम सैकिया
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एन.वी.एन.सोमू
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतपाल महाराज
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस.आर.बालासुब्रह्मण्यन
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा.एस. वेणुगोपालचारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री टी.आर. बालू
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा. यू. वेंकटस्वरलू

1	2	3	4
32.	किरीबुरू मेघाहेतूबूनी-मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि.	मार्च, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतिक्षा है।
33.	बोकारो खुली खदान परियोजना-मैसर्स सैंट्रल कोल फील्ड्स लि.	मई, 1996	-वही-
34.	तपीन खुली खदान परियोजना-मैसर्स सैंट्रल कोलफील्ड्स लि.	जून, 1996	-वही-
35.	मैसर्स दामोदर घाटी निगम द्वारा 4x250 मेगावाट मैथम राइट बैंक टी.पी.एस.	जून, 1996	कार्यवाही चल रही है।
दीव और दमन			
36.	मैसर्स ख्याति होटल्स प्रा. लि. द्वारा ख्याति होटल्स एवं जल क्रीड़ा परिसर का निर्माण	अप्रैल, 1995	आंच की अंतिम चरण में
गोवा			
37.	स्टार बीच रिसोर्ट द्वारा कोलवा में सर्वे नं. 24, 26 व 16 पर पर्यटक कुटीर एवं होटल भवन का प्रस्तावित निर्माण	दिसंबर, 1994	-वही-
38.	मार्मुगाओ पत्तन, गोवा में बहुद्देशीय बल्क कारगो बर्थ का निर्माण	फरवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
39.	मैसर्स मार्मन इंजिनियरिंग और शिप बिल्डिंग प्रा. लि. द्वारा गोवा में जौरी नदी पर संकोल में वर्तमान शिपयार्ड को बढ़ाना	जून, 1995	जांच के अंतिम चरण में
40.	मि. गार्थ डी. सोजा द्वारा बीच रिसोर्ट का संशोधित प्रस्ताव	अगस्त, 1995	-वही-
41.	मैसर्स रिजबी इस्टेट एंड होटल्स प्रा. लि. द्वारा प्रस्तावित मिनी रिसोर्ट	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
42.	सेलकेट तालुका, गोवा में उतोरदा गांव के सर्वे नं. 41/1, 2, 3 और 42/2 में महारानी गेस्ट हाऊस का प्रस्तावित निर्माण	सितम्बर, 1995	जांच के अंतिम चरण में
43.	मैसर्स बेनिटो रिसोर्टस प्रा. लि. का अरासिया गांव, मोरमुगांव, सर्वे नं. 72/2 और 74/3 तथा 74/1 में होटल परियोजना	जनवरी, 1996	-वही-
44.	अगरसेम कानाकोना तालुक, गोवा का सर्वे नं.28/1, 29, 33/1 और 2 में गोवा रिसोर्ट्स होटल का प्रस्तावित निर्माण	अप्रैल, 1996	कार्रवाई चल रही है।
गुजरात			
45.	बंबई से बडोदरा तक एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
46.	मंगरोल फिशिंग हार्बर चरण-II का विस्तार	जुलाई, 1994	-वही-
47.	मैसर्स वेस्टर्न पेट्रो डायमंड प्रा. लि. का प्रस्ताव गैस सी.आर.जैड. अधिसूचना के तहत गुजरात में ओखा पत्तन पर भंडारण टैंकों के निर्माण की अनुमति	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
48.	तालुक महल, जाफराबाद, जिला-अमरेली, गुजरात में सी.आर.जैड. क्षेत्र में चुना और मार्ल के उत्खनन को जारी रखने की अनुमति	सितंबर, 1995	-वही-
49.	आई पी सी एल के गंधार पेट्रोकेमिकल्स कम्पलैक्स के लिए नर्मदा नदी पर कैप्टिव जैट्टी सुविधाओं की स्थापना	अक्टूबर, 1995	-वही-
50.	एच पी सी एल द्वारा कांडला पत्तन पर प्रस्तावित वरचुअल जैट्टी पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में	अक्टूबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
51.	कोवाया गांव, राजुका तालुक, अमरेली में मैसर्स लार्सन एंड टोब्रो की सीमेंट परियोजना के लिए कैप्टिव जैट्टी	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
52.	आई पी सी एल का दहेज-गंधार वड़ौदा पाइप लाइन परियोजना	मई, 1995	जांच के अंतिम चरण में
53.	मैसर्स मेट्रोकेम इंडस्ट्रीज लि. वड़ोदा का रंग और रंग पदार्थों का विनिर्माण	जुलाई, 1995	-वही-
54.	मैसर्स एशियन पेंट्स का जी आई डी सी इंडस्ट्रीयल इस्टेट अंकलेश्वर गुजरात में रंग संयंत्र का विस्तार	जुलाई, 1995	-वही-
55.	मैसर्स बिरला सेल्युलोज, वड़ोदरा का कराच, जिला-भरूच में 60000 टी पी ए क्षमता का विसकोस स्टेपल फाइवर संयंत्र	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
56.	मैसर्स मेडीज इंडस्ट्रीज लि. का तांबा प्रागालक और तेल शोधक परिसर तथा कैप्टिव पार्ट सुविधाएं	नवंबर, 1995	कार्रवाई चल रही है।
57.	मैसर्स सियले इंडिया लि. का जी आई डी सी पनौली जिला के लिए एग्रो कैमिकल्स परियोजना	जनवरी, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
58.	मैसर्स राजारामबाबू पाटी सहकारी सकर कारखान्न लि. का राजारम्म नगर वाल्दा, जिला, सांगली में 75,000 एल पी डी के मौजूदा इकाई के आधुनिकीकरण हेतु डिस्टीलरी यूनिट	जून, 1996	कार्रवाई चल रही है।
59.	सीता गांव, सुन्दर नगर में कास्टिक सोडा संयंत्र	जून, 1996	कार्रवाई चल रही है।
60.	चुने की खाने-मैसर्स संघी सीमेंट	जनवरी, 1996	-वही-
61.	घटवाड उत्खनन परियोजना-मैसर्स अंबुज सीमेंट	फवरी, 1996	-वही-
62.	मैसर्स गुजरात खनिज विकास निगम लि. का लिग्नाइट उत्खनन परियोजना (अकरी-मोटा)	अप्रैल, 1996	-वही-
63.	मैसर्स जी एम डी सी का लिग्नाइट उत्खनन परियोजना (माटा-नोमथ)	अप्रैल, 1996	-वही-
64.	मैसर्स जी एम डी सी का लिग्नाइट उत्खनन परियोजना (उमारसर)	अप्रैल, 1996	-वही-
65.	मैसर्स डी एल एफ गुजरात लि. का कैप्टिव उत्खनन परियोजना	अप्रैल, 1996	-वही-
66.	मैसर्स गुजरात पावर कारपोरेशन लि. का सुरका लिग्नाइट खुली खदान परियोजना	अप्रैल, 1996	-वही-
67.	कवस कम्बाइंड साइकिल पावर परियोजना चरण-II (650 मे.वा.)	जुलाई, 1995	-वही-
68.	जामनगर के मोतीखवेड़ी में 4×250 मे.वा. रिलायंस टी पी पी	सितंबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
69.	मैसर्स गुजरात विद्युत निगम लि. द्वारा 2×120 मे.वा. घोघा टी पी पी	अक्टूबर, 1995	-वही-
70.	मैसर्स गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल्स लि. द्वारा केप्टिव कम्बाइंड साईकिल को-जेनेरेशन भाप और विद्युत संयंत्र (90 मे.वा.)	नवम्बर, 1995	कार्रवाई चल रही है।
हरियाणा			
71.	राष्ट्रीय उर्वरक लि. का पानीपत में उर्वरक परियोजना की स्थापना	अक्टूबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
हिमाचल प्रदेश			
72.	मैसर्स मरकरी हिमालयन एक्सप्लोरेशन द्वारा कुल्लू क्षेत्र में हेलिसकिंग गतिविधियां	फरवरी, 1995	कार्रवाई चल रही है।
73.	शाहनेहर नहर सिंचाई परियोजना	दिसंबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
74.	मैसर्स हरिश चन्द्र प्रा. लि. का गांव मलौन, तहसील-सुन्दर नगर जिला-मंडी में 1.0 एम टी पी ए सीमेंट संयंत्र	मार्च, 1996	-वही-

1	2	3	4
कर्नाटक			
75.	मैसर्स कल्याणी फेरस इंडस्ट्रीज लि. पुणे रायचुर में हौटमेटल बिग आयरन संयंत्र	जून, 1995	कार्रवाई चल रही है।
76.	मैसर्स कल्याणी स्टील्स लि. रायचुर जिला में स्टील प्लांट	जुलाई, 1995	-वही-
77.	मैसर्स तिरूमलाइ कैमिकल्स लि. का रानीपेट में कैमिकल्स प्लांट परियोजना	अक्टूबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
78.	मैसर्स रिकॉन लि. कोरामंगलम् कर्नाटक का बल्क ड्रग्स यूनिट	अक्टूबर, 1995	-वही-
79.	मैसर्स किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लि. का पिग आयरन एंड फाउन्डरी यूनिट	अगस्त, 1994	जांच के अंतिम चरण में
80.	वेंकटेश्वर डिस्टीलरी, बिदर	दिसंबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
81.	एच पी सी एल का मंगलौर रिफायनरी का 3 से 9 एम एम टी पी ए तक विस्तार	जनवरी, 1996	-वही-
82.	मैसर्स सिंदल लेदर लिमिटेड का जिला-बिदर में वेटब्लू और पिकल स्किन से सुसज्जित एअर लाइन और अर्द्ध एअर लाइन तथा रेसिन नप्पा ग्रेड चमड़े का विनिर्माण	जून, 1996	कार्रवाई चल रही है।
83.	मैसर्स इंडियन अल्यूमिनियम कं. लि. द्वारा बेलगाम में 100 मे.वा. कैप्टिव विद्युत संयंत्र	अक्टूबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
84.	मैसर्स इंडिया पावर पार्टनर्स 145 मे.वा. मंडया कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट	फरवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
85.	मैसर्स टी पी एस पावर कं. द्वारा तांडवपुरा में 100 मे.वा. काम्बाइंड साइकिल टी पी एस	अप्रैल, 1996	-वही-
86.	46.80 मे.वा. येलाहंका डिजल विद्युत केन्द्र (विस्तार)	मई, 1996	-वही-
87.	मैसर्स पीन्या पावर कम्पनी द्वारा कानिमिनिके बंगलौर में 100 मे.वा. संयुक्त विद्युत परियोजना	अप्रैल, 1996	-वही-
88.	मैसर्स नागार्जुन पावर कार्पोरेशन द्वारा पादुबिंडी, मंगलौर में 1000 मे.वा. विद्युत संयंत्र	जून, 1996	-वही-
89.	मैसर्स टाटा लौह और इस्पात कम्पनी लि. की डोडकान्या मैगनेसाइट एंड डुनाईट खान	जून, 1995	-वही-
90.	मैगनीज अयस्क परियोजना, मैसर्स उधा इस्पात	फरवरी, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
91.	मैसर्स इन्डो एल पी जी वाट्लिंग प्लांट लि. कारवाड़ में बल्क एल पी जी भंडारण तथा वितरण सुविधाएं तथा जेटी का निर्माण	अगस्त, 1995	-वही-
केरल			
92.	मैसर्स वी पी एल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. द्वारा कसारगाग में 500 मे.वा. गैस टर्बाइन कम्बाइन्ड साइकल टीपीजी	सितंबर, 1995	-वही-
93.	मैसर्स के पी पी नाम्बलार एंड एसोशिएट्स द्वारा 500 मे.वा. कन्नूर टी पी पी	मार्च, 1996	-वही-
94.	मैसर्स फिनोलेक्स एनर्जी कार्पोरेशन लि. द्वारा जिला कासरगाड में 500 मे.वा. कम्बाइन्ड साइकल पावर स्टेशन	जून, 1996	-वही-

1	2	3	4
95.	(1) कयामकुलम केरल में फिशारी हार्बर प्रोजेक्ट	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	(2) मुथालोपेगजी में फिशारी हार्बर प्रोजेक्ट	नवम्बर, 1995	-वही-
96.	एफ ए सी टी लि. का 900 टी पी डी सल्फ्यूरिक एसिड	नवम्बर, 1995	-वही-
97.	मैसर्स एफ ए सी टी इंजीनियरिंग एंड डिजाइन आर्गेनाइजेशन का उद्योग मंडल में 100000 टी पी ए मैथनोल संयंत्र	मार्च, 1996	-वही-
98.	बी पी सी एल का कोचीन-कारपुर प्रोडक्ट्स पाइपलाइन बिछाना	मार्च, 1996	-वही-
लक्षद्वीप			
99.	इन्डरोथ द्वीप में विमानपत्तन का निर्माण	दिसंबर, 1995	-वही-
100.	पाइकाला द्वारा टिनाकारा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री किनारा सैरगाहों का निर्माण	मई, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
101.	कवारत्ती द्वीप के उत्तर दिशा में ब्रेकवाटर और जेट्टी का निर्माण	मई, 1996	-वही-
मध्य प्रदेश			
102.	मैसर्स देवू पावर लि. का विलासपुर जिले के कोरबा में 2x500 में.वा. ताप विद्युत परियोजना	जून, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
103.	ग्लोबल बोर्ड्स लि. का नरसिंहपुर में 125 मे.वा. डी जी पी पी	अगस्त, 1995	-वही-
104.	मैसर्स जिन्दल पावर कम्पनी द्वारा 1000 मे.वा. रामगढ़ टी पी एस	फरवरी, 1996	-वही-
105.	एन टी पी सी द्वारा सिपत में 2000 मे.वा. टी पी पी	अप्रैल, 1996	-वही-
106.	मैसर्स मध्य भारत कार्पोरेशन लि. द्वारा 150 मे.वा. खंडावा सी सी पी पी	अप्रैल, 1996	-वही-
107.	मैसर्स नोवोपान इन्डस्ट्रीज लि. द्वारा रतलाम में 120 मे.वा. डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्र	जून, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
108.	मैसर्स एस ई सी एल द्वारा न्यू कुमदा भूमिगत खनन	अप्रैल, 1996	-वही-
109.	मैसर्स एस.ई.सी.एल. द्वारा बलरामपुर भूमिगत खनन परियोजना	जून, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
110.	मैसर्स एस.ई.सी.एल. द्वारा कपिलधारा भूमिगत खनन परियोजना	अप्रैल, 1996	-वही-
111.	मैसर्स ग्रासिम सीमेंट द्वारा कैप्टिव चूना पत्थर खनन परियोजना	मई,	-वही-
112.	मैसर्स डब्ल्यू.सी.एल. की तावा-2 भूमिगत परियोजना	मई, 1996	कार्यवाही की जा रही है।
113.	डोलोमाइट प्रिसम सीमेंट लि. का खनन	मई, 1996	-वही-
114.	नागपुर कास्टिंग लि., के लिए कोयला भट्टी प्लांट, जिला रायपुर, औद्योगिक केन्द्र में स्टील परियोजना	जनवरी, 1996	-वही-
115.	अम्लाई गांव में 36680 से 77930 टीपीए तक कास्टिक सोडा यूनिट	अप्रैल, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
116.	मैसर्स बायोफिल कैमिकल्स एवं फार्मासिटुकल्स लि. का खेदर में थोक औषधि प्लांट	अप्रैल, 1996	-वही-
117.	मैसर्स फोइनिक्स सीमेंट लि. का सतना पर 2.2 एम.टी.पी.ए. सीमेंट प्लांट	अप्रैल	-वही-
महाराष्ट्र			
118.	जे.एन.पी.टी. पर मैरीन कैमिकल टर्मिनल	जून, 1995	-वही-

1	2	3	4
119.	मैसर्स सूरज एस्टेट्स डेवलपर्स प्रा. लि. द्वारा सम्पति जिसका फाइनल प्लाट नं. 766, टाउन प्लानिंग स्कीम-4, महिम डिवीजन, दादर, बम्बई, का विकास	मई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
120.	मैसर्स मिराज रिसोर्ट्स प्रा. लि. बम्बई का न्हावा में रिसोर्ट व मनोरंजन पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव	जून, 1995	-वही-
121.	श्री नरेन कुवाडकर द्वारा गोरेगांव पश्चिमी बम्बई में गोलफलिंक और अनुसंगिक कार्य के लिए प्रस्ताव-पर्यावरणीय मंजूरी के बारे में	जुलाई, 1995	जांच के अंतिम चरण में
122.	एक होलीडे रिसार्ट खोलने के लिए कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करने हेतु अनुमति-महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के श्री पी.वी. महात्रे का अनुरोध	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना अपेक्षित
123.	दक्षिणी बम्बई और नई बम्बई के बीच यात्री जल परिवहन सीटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कार्पो. ऑफ महाराष्ट्र लि. का एक प्रस्ताव	अगस्त, 1995	-वही-
124.	काडबरी हाउस भूलाभाई देसाई रोड, बम्बई में वर्तमान कार्यालय भवन के विकास (पुनर्निर्माण) के लिए अनुमति	अगस्त, 1995	-वही-
125.	बम्बई के श्री नारायन भेजवानी द्वारा तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना के तहत निम्नलिखित के लिए अनुमति मांगी गई 1. अप्सरा कोआपरेटिव सोसाइटी लि. के सदस्यों के लिए 7 फ्लैटों का निर्माण 2. भंडारा पश्चिम में सी 117 प्लाट में वर्तमान भवन में 2/3 मंजिलों का निर्माण	अगस्त, 1995	-वही-
126.	ग्रेटर बम्बई नगर निगम का फ्लाईओवर ब्रिज से बस स्टैंड तक मेरीन ड्राइव के साथ-साथ जी.आर.पी. वाटरमेन बिछाने का प्रस्ताव	अगस्त, 1995	-वही-
127.	ग्रेटर बम्बई नगर निगम के जी/उत्तरी वार्ड में माहिम प्रभात के सी.एस. न. 1024, 1/1024, 1021, 1026, 1029, 1030, 1031, 1032 की भूमि का पुनः विकास - मैसर्स एम.जे. बिल्डर्स का विकास	अगस्त, 1995	जांच के अंतिम चरण में
128.	आई बी.पी. कम्पनी लि. द्वारा वादला/सेवारी बम्बई में पेट्रोलियम इंस्टालेशन सी आर जेड के तहत पर्यावरणीय मंजूरी	सितम्बर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
129.	धर्मतार, महाराष्ट्र में एक सीपयार्ड खोलने के लिए मैसर्स बीएचपी इंजीनियर लि. का प्रस्ताव	अक्तूबर, 1995	जांच के अंतिम चरण में
130.	मैसर्स परसराम कुरिया प्लांटेशन लि. का बम्बई और मंडवा के बीच पूल सुरंग के निर्माण का प्रस्ताव	दिसम्बर, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
131.	मेरीन ड्राइव प्रोमेनडेस, दक्षिण मुम्बई को सजाना	फरवरी, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
132.	माल्लाबार हिल, मुम्बई के सीएस न. 258 में सयाद्रि गैस्टहाउस और सम्मेलन केन्द्र का निर्माण	अप्रैल, 1996	जांच के अंतिम चरण में
133.	मैसर्स परसुरामपुरिया रिसार्ट्स लि. द्वारा अलीबाग तालुक रायगढ़ जिले में किहीम गांव में होलीडे रिसोर्ट्स का निर्माण	मई, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
134.	रायगढ़ जिले के मांकुले में धर्मतार में शाहीशिपींग लि. का ड्राइ डॉक एवं शिप प्रिपेयर यूनटि का निर्माण	मई, 1996	कार्यवाही चल रही है।

1	2	3	4
135.	चन्द्रपुर में मानिकगढ़ सिमेंट परियोजना	अक्तूबर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
136.	मैसर्स गार्धा कैमिकल्स प्रा. लि. का बम्बई में आक्सीक्लो-जेनाइड इनमोपरट्रोन साइकरमैट्रिक एसिड आदि का विनिर्माण	जुलाई, 1995	जांच के अंतिम चरण में।
137.	मैसर्स क्रासलैंड रिसर्च लैबरोटरीज लि. का कोलविहायर, पुणे में औषधि और फार्मास्यूटिकल का विनिर्माण	अगस्त, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
138.	मैसर्स टैलको का मावलतालुका, पुणे का मावलफाउन्ड्री का आधुनिकीकरण-व-विस्तार	सितम्बर, 1995	कार्रवाई चल रही है।
139.	मैसर्स पूसा इस्पात लि. का रेडी गांव में वर्तमान पिग में सिन्टर प्लांट प्रोजेक्ट	नवम्बर, 95	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
140.	मैट्रोपोलेटन इक्जिमकैम प्रा. लि. का एसआईडीसी थाणे में डाई इंटरमिडिएट्स	जनवरी, 1996	-वही-
141.	मैसर्स हिकल कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि. का फंगीसाइड स्पक्टम	जनवरी, 1996	कार्रवाई चल रही है।
142.	मैसर्स निपोन डेनरो इस्पात लि. का रायगढ़ जिले के पैनतालुका में 3.0 मिल पीपीए समन्वित इस्पात संयंत्र	जनवरी, 1996	-वही-
143.	मैसर्स विधि डाइस्टेफ मैन्यूफक्चरिंग लि. का महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कैमिकल जोन में खाद्य रंग तथा इंटरमिडियट का विनिर्माण	मार्च, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
144.	मैसर्स कोप्राण लि. का महद में बल्क ड्रग यूनिट	जनवरी, 1996	-वही-
145.	मैसर्स टाइटन अलाए लि. का नासिक जिले के गोंडिया में अलाइस स्टील बार्स का विनिर्माण	अप्रैल, 1996	-वही-
146.	मैसर्स सुदर्शन कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि. का तहसील रोना जिले में नए उत्पादों का विनिर्माण	अप्रैल, 1996	कार्रवाई चल रही है।
147.	मैसर्स गावरे पोलियस्टर लि. का वालुज ओरंगाबाद में डीएमटी प्लांट	मई, 1996	-वही-
148.	मैसर्स हिंदुकलो इंडस्ट्री का रेनूकूट में एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता को 2,10,000 एमटी प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,44,000 एमटी करना	जून, 1996	-वही-
149.	मैसर्स शामरोक इन्डस्ट्रीयल कं. लि. का खोपाली जिला रायगढ़ पर फार्मासिटुकल्स और थोक औषध	जून, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
150.	मैसर्स रत्ना ड्रग्स लि. का तालखेड रत्नागिरी, एन माईडी सी लोट परसुराम पर थोक औषध	जून, 1996	-वही-
151.	कुम्भकरनी भूमिगत, डब्ल्यू.सी.एल.	जुलाई, 1995	-वही-
152.	मैसर्स इन्डिवन एल्यूमिनियम क.लि. का मोगालाइट बाक्साइट खनन	अक्तूबर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
153.	मैसर्स ए.सी.सी.एल. लोहरा पूर्व कोयला खनन परियोजना	जनवरी, 1996	-वही-
154.	मैसर्स निप्पन डैनरो इस्पात लि. लोहारा पश्चिमी कोयला खनन	फरवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
155.	मैसर्स रिलायन्स ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीस द्वारा पटलगंगा पर 820 एम.डब्ल्यू गैस टरबाइन, सीसीपीपी	अप्रैल, 1996	-वही-
156.	मैसर्स इन्डोमा सिन्थैटिक्स इंडिया लि. द्वारा बूटीबोरी, नागपुर पर 40.62 एम.डब्ल्यू कैप्टिव पावर प्लांट	जून, 1996	-वही-

1	2	3	4
	मिजोरम		
157.	मिजोरम में लैंगपुर पर एक एयरोड्रोम का पर्यावरणीय समाशोधन के लिए प्रस्तावित निर्माण	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	मेघालय		
158.	उमियम स्टे. I और 2 पावर स्टेशन का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण	मई, 1996	कार्यवाही की जा रही है।
	उड़ीसा		
159.	मै. इन्डैक बोमलाई एनर्जी सेंटर लि. द्वारा सबलपुर जिले में 2×250 मेगावाट बोमलाइ टीपीएस	अप्रैल, 1995	जांच अंतिम चरण पर।
160.	पारादीप, उड़ीसा में टैंक फार्म परियोजना मैसर्स एजीआईओ काउंटर ट्रेड प्रा. लि.	अगस्त, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
161.	मैसर्स नीलांचल इस्पात लि. का दैत्री के निकट एक मिलियन टन इस्पात संयंत्र	दिसम्बर, 1994	–वही–
162.	मै. जाजपुर में मैस्को कालिंगा पर मिड ईस्ट का 1.0 एम टी पी ए सम्बन्धित स्टील संयंत्र तथा 2.5 एम टी पी ए स्टील संयंत्र	फरवरी, 1996	जांच के अंतिम चरण में।
163.	मैं. जिन्दल फैरो एलॉय लि. का गांगुल जिले में 8 हाइ कार्बन फैरो क्रोम संयंत्र	मई, 1996	कार्यवाही की जा रही है।
164.	मैं. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि. का गोदालपुर पर 2.5 मिलियन कैपेसिटी का इन्टैग्रेटिड स्टील संयंत्र	मई, 1996	–वही–
165.	लार्सन एण्ड टयब्रो लि. द्वारा कुसुमरिला पर एक एन एन टी पी ए एल्यूमिनियम रिफाइनरी	मई, 1990	–वही–
166.	मै. मिसरी लाल जैन का सारौविल क्रोमाइट माइन	जुलाई, 1995	–वही–
167.	मै. स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लि. (सेल) का बालोनी लौह अयस्क खान	सितम्बर, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
168.	मै. जिन्दल स्ट्राइप लि. का लौह अयस्क खान तन्त्रा, रैकियल और बांथल	फरवरी, 1995	–वही–
169.	मै. एस ए आई एल (सेल) का वरसुआ कालस लौह अयस्क खान	दिसम्बर, 1994	–वही–
170.	मै. एम सी एल का बसुन्धरा वैस्ट ओपनकास्ट	जून, 1995	कार्यवाही की जा रही है।
171.	मै. रिफ्रैक्टर लि. का ताल बस्ता फायर क्ले माइन	दिसम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
172.	मै. टाटा स्टील, खांडवांड आयरन एंड मैगनीज माइन	अप्रैल, 1996	–वही–
173.	मै. महानदी कोल फील्ड्स लि. बेलपहर ओपनकास्ट (एक्सप) परियोजना	अप्रैल, 1996	–वही–
174.	मै. महानदी कोलफील्ड्स लि. की छैन्दीपज ओपनकास्ट माइन	सितम्बर, 1995	–वही–
175.	मै. महानदी कोलफील्ड्स लि. हिनगुला–I ओ सी पी	जून, 1996	–वही–
176.	मै. बी.सी. मोहन्ती एंड सन्स प्रा. लि. का कार्मादा क्रोमाइट माइन	जून, 1996	–वही–
177.	मै. फैरो एलॉय कार्पोरेशन लि. काठपाल क्रोमाइट माइनिंग परियोजना	जून, 1996	–वही–
178.	लक्नपुर ओपनकास्ट परियोजना (एक्सप)	जून, 1996	–वही–
179.	मै. एन सी एल भुवन्नेश्वरी ओ सी पी	जून, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
	पांडिचेरी		
180.	कराइकाल पर हाई स्टोरेज पम्प का लगाना सी आर जैड अधिसूचना के तहत पर्यावरणीय समारोधन	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
181.	जी.एन. राजेन्द्रन, छिनकालापेट, पांडिचेरी द्वारा सी आर जैड क्षेत्र में आर एस नं.149/92 पर एक मंजिली रिहायशी बिल्डिंग का निर्माण	अगस्त, 1995	–वही–
182.	मै. वैनटैक इन्डस्ट्रीज लि. का चनम, पांडिचेरी पर थोक औषध प्लांट	जुलाई, 1995	–वही–
183.	मै. के.सी.पी. वैनटैक इन्डस्ट्रीज लि. का अनम पांडिचेरी पर एग्रो कैमिकल यूनिट	जुलाई, 1995	–वही–
184.	मै. बर्गर पेंट्स इन्डियन लि. का नेतापक्कम मै. पान्डेसोजनलुर पर पेन्ट्स का विनिर्माण	फरवरी, 1996	–वही–
	पंजाब		
185.	मैं. माथरू डाइकैम इन्डस्ट्रीज का लालस पंजाब पर डाई इन्टरमीडियट प्लांट	मार्च, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
186.	मैं. इन्ड–स्विफ्ट लैबोटरी लि. का डेरावस्सी पर थोक औषध	अप्रैल, 1996	कार्यवाही चल रही है।
	राजस्थान		
187.	मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि. का निम्बाहेरा, राजस्थान में 1.4 एम टी पी एक सीमेंट संयंत्र	जून, 1995	–वही–
188.	मैसर्स केडिया डेलोन इन्डस्ट्रीज लि. का जिला अलवर में ग्रेन बेस्ड म्लूटेन स्टार्च एवं स्पिरिट काम्पलैक्स	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
189.	मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. द्वारा खतड़ी कापर काम्पलैक्स में 31000 से 100000 तक ताम्बा प्रगालक का विस्तार	जनवरी, 1996	जांच के अंतिम चरण में
190.	मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. का ग्रेडिपन, जिला कोटा में उर्वरक संयंत्र	फरवरी, 1996	–वही–
191.	मैसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रीवरीज लि. का ग्राम पनियाला तहसील कोटपुतली में डिस्टिलरी यूनिट	फरवरी, 1996	–वही–
192.	मैसर्स अल्ट्रोटक मैटल्स (इंडिया) प्रा. लि. का जयपुर में एलैक्ट्रिक वाइरिंग एक्ससरीज का विनिर्माण	मार्च, 1996	–वही–
193.	मैसर्स ग्रासिम इन्डस्ट्रीज लि. की कैप्टिव खनन परियोजना	अप्रैल, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
194.	बिसालपुर सिंचाई परियोजना	जनवरी, 1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	तमिलनाडु		
195.	उड्डीकाटू ग्राम कुड्डालोर दक्षिण अरकाट, वालर जिला, खुड्डालोर में रंजक और डाई इंटरमिडिएट का निर्माण–मैसर्स वनाथिल डाई एंड कैमिकल्स लिमिटेड	जनवरी, 1996	जांच के अंतिम चरण में
196.	मैसर्स आर्किड कैमिकल्स एंड फर्मा–स्यूटिकल्स लि. का चैमगाई, एमजीआर जिला अलातूर में बल्क ड्रग विस्तार यूनिट	फरवरी, 1996	–वही–
197.	मैसर्स लारेन्स बिल्डर्स हार्डवेयर प्रा. लि. का चैंगाई एमजीआर जिले में एलैक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट	फरवरी, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
198.	मैसर्स चैमप्लांट सनमेर लि. का मैट्टूर में क्लोरोमिथेनस (प्लांट-3) का विस्तार	मार्च, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
199.	मैसर्स चैमप्लांट सनमेर लि. का मैट्टूर में क्लोरामिथेनस प्लांट पीवीसी का विस्तार	मार्च, 1996	-वही-
200.	मैसर्स शिव इंडस्ट्रीज का रैंयड ग्रेड पल्प एवं विसकोश स्टेपल फाइबर संयंत्र का विस्तार	मार्च, 1996	जांच के अंतिम चरण में।
201.	मैसर्स बालमेर लोरिन एंड कम्पनी लि. का मनाली क्षेत्र में सथानपाडू गांव में स्नेटन विस्तार परियोजना में नया आओफा संयंत्र	अप्रैल, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
202.	मैसर्स अमेरिकन रेमिडिस का अलथूर में बल्क ड्रग परियोजना	अप्रैल, 1996	-वही-
203.	मैसर्स विस्ताका इंडस्ट्रीज लि. का सालेम जिले के मड्डकानथम गांव में एसबेस्टोस यूनिट	जून, 1996	कार्यवाही की जा रही है।
204.	मैसर्स नेलकास्ट लि. का एमजीआर जिले के तालुक चेंगाई के मधनारम गांव पौनेरी में डकटाइल आइरन कास्टिंग आटोपार्टस का विनिर्माण	मई, 1996	-वही-
205.	मैसर्स तूतीकोरीन अलकाली कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. का मद्रास के पास चैम्बरमकबम में बायो पेस्टीसाइड्स प्लांटस	मई, 1996	-वही-
206.	मैसर्स अम्बर कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि. का एमजीआर जिले में लो वाल्यूम बल्क फार्मास्यूटिकल्स का विनिर्माण	जून, 1996	-वही-
207.	मैसर्स तमिलनाडु लघु एवं टाइनी उद्योग संघ का तमिलनाडु में कास्टिंग आयरन का विनिर्माण	जून, 1996	-वही-
208.	इंडियन अर्थ लि. के कर्मचारियों के लिए मनावलाकूरिची, कन्याकुमारी में क्वाटरों का निर्माण	फरवरी, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
209.	नागापट्टनम में कावेरी बेसिन रिफायनरी की बहिस्राव निपटान पाइप लाइन	अगस्त, 1995	जांच के अंतिम चरण में
210.	मैसर्स कोठारी इंडस्ट्रीयल कार्पो. लि. द्वारा काठीवक्कम गांव, सैडापेट तालुक, चेंगलपट्टू, जिला एमजीआर में विद्यमान ग्रेनाइट संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार के लिए सी आर जेड के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
211.	एम्यूजमेंट एंड पिकनिक रिसोर्ट्स प्रा. लि. का एमजीआर जिले में एक खुला मनोरंजन पार्क एवं एम्यूजमेंट काम्पलैक्स की स्थापना का प्रस्ताव	जनवरी, 1996	जांच के अंतिम चरण में।
212.	मैसर्स कुड्डालोर पावर क. लि. द्वारा 2×660 मे.वा. कुड्डालोर टीपीपी	मार्च, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
213.	मैसर्स जीवीके जनरेशन लि. द्वारा कट्टूपली गांव में 1000 मे.वा. गैस टरबाइन टीपीपी	अप्रैल, 1996	-वही-
214.	मैसर्स इंडियन पावर प्रोजेक्ट द्वारा ग्राम वामबार जिला चिदमबरम में 1,000 मे.वा. गैस टरबाइन विद्युत परियोजना	जून, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
215.	मैसर्स जयकोंडम कम्पनी लि. का जयमकोंडम लिगनाइट खान	अप्रैल, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
216.	प्रस्तावित चूनापत्थर खान-मैसर्स मदुरई सिमेंट प्रा. लि.	जुलाई, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
217.	कुडीराईमोरही परियोजना-मैसर्स इंडियन रेयर अर्थ लि.	मार्च, 1996	-वही-
218.	अलिथियूर चूना पत्थर खनन परियोजना मैसर्स सिमेंट लि.	अप्रैल, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
219.	अदानाकुरीची चूना पत्थर खान मैसर्स इंडियन सिमेंट लि.	अप्रैल, 1996	-वही-

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
220.	पिथोरागढ़ जिले, उत्तर प्रदेश में सुखीडाग मेथियाबांग पुल मार्ग का निर्माण	जुलाई, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
221.	उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में बागेश्वर में कपकोट कार्मी मोटर मार्ग (8 कि.मी. से 19 कि.मी.) का निर्माण	अगस्त, 1995	-वही-
222.	उत्तर प्रदेश के पिथोरागढ़ में चोबटिया-कनालोखेत-बामसूम मोटर मार्ग का निर्माण (8 से 16 कि.मी.)	सितम्बर, 1995	-वही-
223.	जोशियारा की ओर रनारी गांव से एल वी मार्ग का निर्माण	दिसम्बर, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
224.	मैसर्स मालविका इस्पात लि. का जर्दाशपुर में 0.45 एमटीपीए कोक ओवन प्लांट	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
225.	मैसर्स सदउफ एंटरप्राइजिज प्रा. लि. द्वारा उन्नाव में प्रतिदिन 1400 खालों और 1500 जूतों के निर्माण के लिए निर्यातोन्मुख समेकित परियोजना	फरवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
226.	मैसर्स उप्पल स्टील एंड अलोए प्रा. लि. का सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर नौयडा में 15900 एमटी प्रतिवर्ष एमएस इनकौट्स स्थापित क्षमता का विनिर्माण	मार्च, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
227.	मैसर्स गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया का एलपीजी रिकवरी, यूपीपीसी पट्टा	अप्रैल, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
228.	मथुरा रिफायनरी में डिजल हाइड्रो डिसल्फ्यूरिकेशन यूनिट का निर्माण और प्रचालन, मैसर्स इंडिया ऑयल कार्पो.	जून, 1996	-वही-
229.	मैसर्स निधि स्टील लि. का गांव और पो. जन्दीह जिला मान में डिस्टलरी यूनिट	जून, 1996	-वही-
230.	मैसर्स भूषण कैमिकल्स, देहरादून द्वारा हाइड्रेटेड चूना संयंत्र का विस्तार	मई, 1996	जांच के अंतिम चरण में।
231.	मैसर्स धामपूर शूगर लि. का बिगनेर में डिस्टलरी यूनिट	जून, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
232.	पावर पेसीपिक इलैक्ट्रीक पावर डेवलपमेंट कार्पो. का उ.प्र. के इटावा जिले में जवाहरपुर टीपीपी (2×400 मे.वा.)	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
233.	उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 2×500 मे.वा. अन्नपाड़ा टीपीएस विस्तार (चरण-सी)	सितम्बर, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
234.	मैसर्स यू.पी. इंडिया पावर पार्टनर्स प्रा. लि. द्वारा चन्दौसी में 100 मे.वा. द्रव्य ईंधन टीपीपी	अप्रैल, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
235.	मैसर्स हिण्डालको इंडस्ट्रीज लि. द्वारा रेनूसागर में 1×170 मे.वा. टीपीपी विस्तार चरण-5	1996	
236.	गंगा बैराज परियोजना, कानपुर	मार्च, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
237.	आगरा बैराज परियोजना	अप्रैल, 1996	-वही-
238.	बाणसागर परियोजना	अप्रैल, 1996	-वही-
	पश्चिम बंगाल		
239.	सीआरजेड क्षेत्र, वृंदावनचौक, हल्दिया, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. का प्रस्तावित पीओएल टर्मिनल के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	अगस्त, 1995	जांच के अंतिम चरण में।
240.	हल्दिया, जिला मिदनापुर में सीआरजेड क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया जाने वाला भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. का प्रस्तावित पीओएल टर्मिनल	सितम्बर, 1995	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
241.	मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि. का दुर्गापुर में 0.5 एमटीपीए इस्पात उत्पाद	सितम्बर, 1994	जांच के अंतिम चरण में।
242.	मैसर्स चटर्जी ग्रुप का हल्दिया में 6 एमएमपीटीए रिफायनरी	जनवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
243.	मैसर्स आइओसी का हल्दिया रिफायनरी में 4.6 एमएमपीटीए का क्रुड प्रोसेसिंग लेबल में डिजल हाइड्रोडिसल्फ्यूरिकेशन	मई, 1996	-वही-
244.	मैसर्स गोरीपुर पावर कम्पनी द्वारा 150 मे.वा. गोरीपुर टीपीएस	फरवरी, 1996	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	अन्य (समुद्र तट से दूर)		
245.	मैसर्स एमओइएफ द्वारा कावेरी आफशोर बेसिन में पीवाई-3 तेल/गैस क्षेत्र की खोज	दिसम्बर, 1995	-वही-
	ख. वानिकी मंजूरी		
	आंध्र प्रदेश		
1.	आदिलाबाद में मैसर्स एस सी सी लि. द्वारा बल्लमपल्ली में कोल ओ सी प्रोजेक्ट-3 के लिए खनन पट्टे की मंजूरी	जून, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
2.	खमाम जिले में कोंडापुरम एक्सटेंशन-। परियोजना-2 चरण-3 का खनन पट्टा	जून 1996	-वही-
3.	कुड्डप्पा जिले में कुड्डप्पा से रेनीगुंटा तक 220 किवा पारेषण लाइन	जून, 1996	-वही-
4.	लानगोंडा जिले में आं.प्र.रा.वि. बोर्ड के पक्ष में टेलपोंग डैम	जून, 1996	-वही-
5.	करनूल में टीजीपी के तहत डिस्टीब्यूटरी का निर्माण	जून, 1996	-वही-
6.	निजामाबाद जिले में बिपनु में टैंक की बहाली	जून, 1996	-वही-
7.	विशाखापत्तनम् जिले में अंत:गिरि में दामुकु से निमनापद्दु तक सड़क का निर्माण	जून, 1996	-वही-
	अरूणाचल प्रदेश		
8.	कवांग जिले में जॉग से रामसागर तक सड़क का निर्माण	मई, 1996	-वही-
9.	देवांग जिले में अतिक्रमित क्षेत्रों का नियमितीकरण	मई, 1996	-वही-
	असम		
10.	गोलपाड़ा जिले में अशोक पेपर मिल्स लि. की बहाली	जनवरी, 1996	-वही-
	बिहार		
11.	पश्चिमी सिंहभूम जिले में मैसर्स ज्ञानचंद जैन को खनन पट्टे का नवीनीकरण	मई, 1996	-वही-
12.	पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारतीय स्टील प्राधिकरण लि. में किरीबुरू आयरन माइन्स को खनन पट्टे का नवीनीकरण	जून, 1996	-वही-
13.	पश्चिमी सिंहभूम जिले में बोसाबानी कापर माइन्स	फरवरी, 1996	-वही-
	गुजरात		
14.	जामनगर जिले में सिक्का में डीपीजी भंडारण	जनवरी, 1996	-वही-
15.	बनसकंठा में अंबाजी को पट्टे का नवीनीकरण	जून, 1996	-वही-

1	2	3	4
कर्नाटक			
16.	फारेस्ट इंप्लाइज हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि. सिरसी के पक्ष में वनभूमि का निवीनीकरण	जून, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
17.	मैसर्स ए एम मिनरल्स, होस्पेट द्वारा लौह अयस्क के लिए वन भूमि का उपयोग	जून, 1996	-वही-
18.	मैसर्स गोगा गुरूसकंठैया एंड ब्रदर्स, होस्पैट्स का खनन पट्टे का नवीनीकरण	जून, 1996	-वही-
19.	कादरा से कोडासल्ली तक 33 किवा लाइन के लिए जंगल की सफाई	अप्रैल, 1996	-वही-
20.	मैसर्स बिश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील मि., भद्रावती के खनन पट्टे का नवीनीकरण	मार्च, 1996	-वही-
केरल			
21.	कुटीयाडी विस्तार स्कीम के लिए वनभूमि का उपयोग	जून, 1996	-वही-
22.	इडुकी विकास प्राधिकरण को देने के लिए वनभूमि का उपयोग	मार्च, 1996	-वही-
मध्य प्रदेश			
23.	वन अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान के विकास के लिए वन भूमि का उपयोग	जून, 1996	-वही-
24.	कुनो-पालपुर अभयारण्य के ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए वन भूमि का उपयोग	मई, 1996	-वही-
25.	एस ई सी एल की राजनगर खुली खदान सैक्टर-ई कोयला परियोजना	अप्रैल, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
26.	औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वन भूमि का उपयोग	मार्च, 1996	-वही-
27.	खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए मैसर्स मेहर सीमेंट को वन भूमि का हस्तांतरण	मार्च, 1995	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
महाराष्ट्र			
28.	गोकी मध्यम सिंचाई परियोजना (जिला यवतमाल)	अगस्त, 1995	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
29.	जम्बुलखेड़ा एम.आई.टी. प्रोजेक्ट (गोंडचिरौली जिला)	जनवरी, 1995	-वही-
30.	हाथीगोटा मध्यम सिंचाई परियोजना (चंद्रपुर जिला)	फरवरी, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
31.	एन ओ सी आई एल और बी ए आई एफ द्वारा नुनर्वनीकरण	फरवरी, 1996	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
32.	कोयल उत्खनन के लिए बंदेर भूमिगत खनन-मैसर्स निपन देवरो इस्पात लि. (चन्द्रपुर जिला)	जून, 1996	कार्रवाई की जा रही है।
33.	गुलतारा-II परकुलेशन टैंक का निर्माण (धूले जिला)	जून, 1996	-वही-
34.	उमेंलानल-II परकुलेशन टैंक का निर्माण (धूले जिला)	जून, 1996	-वही-
35.	बागड़ा-I परकुलेशन टैंक का निर्माण	जून, 1996	-वही-

1	2	3	4
36.	उमरती में परकुलेशन टैंक का निर्माण (जलगांव जिला)	जून, 1996	कार्रवाही की जा रही है।
37.	राममोहनपुर लघु सिंचाई टैंक का निर्माण (गढ़चिरौली जिला)	जून, 1996	-वही-
मणिपुर			
38.	ऊखरूल जिले में थाऊगल बहुउद्देशीय परियोजना	जून, 1996	-वही-
मिजोरम			
39.	भारत-बांग्लादेश सड़क	अक्तूबर, 1995	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
उड़ीसा			
40.	सतभाया और कहानुपुर के ग्रामीणों का पुनर्वास	जून, 1994	कार्रवाई की जा रही है।
41.	बंगघव लघु सिंचाई टैंक चरण-II	जून, 1996	-वही-
42.	मैसर्स जिंदल स्ट्रिप्स लि. द्वारा लौह अयस्क खनन (सुन्दरगढ़ जिला)	जून, 1996	-वही-
43.	मैसर्स एफएसीओआर का कठपाल क्रोमाइट माइन्स (धनकनाल जिला)	जून, 1996	-वही-
44.	मैसर्स मिश्रीलाल माइन्स (प्रा.) लि. के पक्ष में सौरॉविल क्रोमाइट माइन्स	मई, 1996	-वही-
45.	मलकानल लघु सिंचाई परियोजना	जून, 1996	-वही-
उत्तर प्रदेश			
46.	सोनभद्र में रेणुसागर से हिंदाको तक 132 किवा पारेषण लाइन	जून, 1996	-वही-
47.	अल्मोड़ा में मैग्नेसाइट को पट्टे का नवीनीकरण	सितम्बर, 1995	-वही-
48.	चमोली में औली फील्ड फायरिंग रेंजिज	जून, 1996	-वही-
49.	अल्मोड़ा में चौखोटिया गढ़ीखेड़ा मोटर मार्ग	जून, 1996	-वही-
50.	टेहरी में तिलवाड़ा बैदु-सोमखेत	जून, 1996	-वही-
51.	निचली राजघाट नहर	जून, 1996	-वही-
52.	सिरीया नहर	जून, 1996	-वही-
53.	एनटीपीसी द्वारा फिरोज गांधी तापविद्युत परियोजना	जून, 1996	-वही-
54.	नालुपानी पतारा डांगसालना	जून, 1996	-वही-
55.	नेटवर भीतरी मोटर मार्ग	जून, 1996	-वही-
56.	मल्लाडाबर डवास	जून, 1996	-वही-
57.	गोगोई नहर	जून, 1996	-वही-
58.	चंदेक पापदेव एल वी आर	जून, 1996	-वही-
59.	सिमथेल बांदो-गोवारशा कनाली चाइना-पिपली मोटर मार्ग	जून, 1996	-वही-
60.	बहेड़ा डवास	जून, 1996	-वही-
61.	सुखदेव आश्रम को पट्टे का नवीनीकरण	फरवरी, 1996	-वही-
62.	आश्रम को पट्टे का नवीनीकरण	जनवरी, 1996	-वही-

[अनुवाद]

आधारभूत और सेल्यूलर परियोजनाओं का वित्तपोषण

*4. **डॉ. लक्ष्मोनारायण पाण्डेय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधारभूत और सेल्यूलर परियोजनाओं के वित्तपोषण के मुख्य प्रश्न पर चर्चा करने हेतु दूरसंचार उद्योग के प्रतिनिधि मई, 1996 में मिले थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(ग) इसमें क्या निर्णय किया गया;

(घ) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि देश के दूरसंचार आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र के प्रवेश हेतु अब तक उठाए गए कदमों से पीछे नहीं हटा जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग). संचार मंत्रालय ने संदर्भाधीन विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए दूरसंचार उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं की।

(घ) अब तक उठाए गए कदमों से पीछे हटने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) विभिन्न सेवाओं के लिए लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

एड्स

*5. **डा. एम.पी. जायसवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश श्रमिकों को एड्स की जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस घातक बीमारी के बारे में उनको आधिकाधिक जागरूक बनाने के लिये सरकार द्वारा क्यां कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से निवारक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). यद्यपि श्रमिकों में कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी कई सीमित अध्ययनों से पता चलता है कि श्रमिकों में एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने और रोग को रोकने के लिए उपलब्ध निवारक उपायों की अधकि व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

(ग) भारतीय उद्योग मंडल (सी.आई.आई.) को हाल ही में श्रमिकों के कार्य-स्थलों में एच आई वी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण पर व्यापक कार्यक्रम तैयार करने/कार्यान्वित करने की परियोजना दी गई है। एक पैकेज एवं अभियान सामग्री तैयार की गई है जिसके आधार पर विभिन्न उद्योगों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न प्रचार इकाइयों द्वारा एच.आई.वी./एड्स के बारे में सन्देशों का प्रसार किया जा रहा है जिसमें समाज के विभिन्न स्तरों पर इसकी रोकथाम और नियंत्रण करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

लोक पाल विधेयक

*6. **श्री ललित उरांव** :
श्री रूपचन्द पाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद में लोक पाल विधेयक प्रस्तुत करने का है ताकि प्रधान मंत्री सभी केन्द्रीय मंत्री, मंत्रियों तथा लोक प्रतिनिधियों को उसकी परिधि में लिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो कब तक; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालू सुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). लोक पाल विधेयक को शीघ्र प्रस्तुत करने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

[अनुवाद]

टिहरी जल विद्युत परियोजना

*7. **श्री आर. साम्बासिवा राव** :
श्री सुधीर गिरि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रख्यात पर्यावरणविद श्री सुन्दर लाल बहुगुणा का अनशन समाप्त करने हेतु सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास और भावी पर्यावरण संबंधी खतरों को ध्यान में रखते हुए टिहरी जल विद्युत परियोजना (उत्तर प्रदेश) को बन्द करने अथवा परियोजना नीति की समीक्षा करने के संबंध में उनके साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो गयी है;

(घ) क्या परियोजना को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार ने पर्यावरण संबंधी गैर-सरकारी संगठनों/अन्य एजेंसियों को विश्वास में नहीं लिया अथवा उनसे विचार-विमर्श नहीं किया; और

(ङ) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). सरकार ने मार्च, 1994 से टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I (1000 मे.वा.) के निष्पादनार्थ, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मे.वा.) के आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए अनुमोदन देने से पूर्व, टिहरी बांध जल-विद्युत परियोजना के सभी पहलुओं की जांच विभिन्न विशेषज्ञ समितियों से करवाई है। परियोजना स्थल पर निर्माण क्रिया-कलाप बिना अवरोध के सतत् रूप से चल रहे हैं तथा कॉफर बांध को ई.एल. 660 मीटर तक ऊंचा कर दिया गया है। जून, 1996 तक इस परियोजना पर 1066 करोड़ रुपये (अनंतिम) का खर्च किया जा चुका है।

श्री सुन्दर लाल बहुगुणा अप्रैल, 1996 में टिहरी बांध परियोजना की समीक्षा की मांग करते हुए अनशन पर बैठ गए। इस समस्या के उपयुक्त समाधान के लिए सरकार श्री बहुगुणा द्वारा सुझाए गए चार विशेषज्ञों के एक दल द्वारा संगत वैज्ञानिक एवं तकनीकी रिपोर्टों तथा टिहरी बांध की सुरक्षा से संबंधित अन्य सूचना की जांच हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं जुटाए जाने के लिए सहमत हो गए हैं। इन विशेषज्ञों से अब संगत रिपोर्टों की जांच किए जाने का अनुरोध किया गया है कि वे सरकार के विचारार्थ अपनी सिफारिशें दें ताकि इस बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों पर पारिस्थितिकीय प्रभावों और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापना समेत विशेषज्ञों के एक अन्य दल, जिसमें श्री सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा नामित विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, द्वारा पारिस्थितिकी पहलुओं की जांच करने की इच्छा भी व्यक्त की है। श्री बहुगुणा ने अपना अनशन 25 जून, 1996 को समाप्त कर दिया है, उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रयोजन के लिए 2-3 विशेषज्ञों को नामित करें।

नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन

***8. श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने देश की जल-विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार को कोई सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में कुल कितनी अनुमानित जल-विद्युत क्षमता है तथा इस क्षेत्र में वास्तविक विद्युत उत्पादन कितना है;

(घ) क्या सरकार ने जल-विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई दीर्घावधि/अल्पावधि नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). सरकार का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य में जल्दी से जल्दी सम्पूर्ण शांति और सामान्य स्थिति की बहाली और प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली सुनिश्चित करना है सरकार स्थिति पर निकट से नजर रख रही है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं तथा कई पहले की गई हैं। इनमें शामिल हैं : उग्रवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और बन्दूक का भय कम करने के लिए सतत् और लक्षित अभियान चलाना, राज्य में विकास की गति और आर्थिक गतिविधियों को तेज करना, ताकि युवकों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जा सकें और जनता को अपने सामान्य जीवन और गतिविधियों की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जा सके, नागरिक प्रशासन को पुनः सक्रिय करना तथा सामान्य गतिविधियों के प्रति इसके मनोबल की बहाली करना, प्रशासन में लोगों का विश्वास मजबूत करने और उसमें उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास सुनिश्चित करना, राज्य में राजनैतिक तत्वों और ताकतों को पुनः सक्रिय करना, तथा अन्य विश्वास पैदा करने वाले उपायों के द्वारा जिनमें बेहतर पारदर्शिता, बन्धकों की रिहाई, आदि शामिल हैं, के माध्यम से शांति प्रक्रिया मतबूत करने के लिए लोगों को प्रेरित करना आदि है। उन गुमराह हुए युवकों, जिन्होंने बन्दूक उठा ली थी, को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जिनमें उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए नीति की घोषणा और बातचीत, इत्यादि भी शामिल है।

2. सरकार, राज्य में विभिन्न राजनैतिक दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ इस उद्देश्य के साथ बातचीत करती आ रही है ताकि राजनैतिक प्रक्रिया को सक्रिय करने और हिंसा का समर्थन करने वाले तत्वों को अलग-थलग करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके।

3. सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप स्थिति और सम्पूर्ण वातावरण में और लोगों की मनःस्थिति में प्रत्यक्ष परिवर्तन और स्पष्ट और महत्वपूर्ण सुधार आया है।

4. इन सभी में राज्य में मई, 1996 में शांतिपूर्वक और सफलता-पूर्वक संसदीय चुनाव कराए जा सकें जिससे राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली करने के प्रयासों में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

5. सरकार की इच्छा अब राज्य में विधान सभा के लिए जल्द-से-जल्द चुनाव कराने की है ताकि राज्य में एक लोक-प्रतिनिधियों वाली सरकार स्थापित की जा सके। निर्वाचन आयोग के साथ विचार-विमर्श करके निश्चित तिथियां निर्धारित की जाएंगी।

दुर्लभ औषधीय पौधे

*9. **श्री आर.बी. राई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों के परिरक्षण की सीधे ही देख-भाल करने हेतु कोई एजेंसी/व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसी जिम्मेदार एजेंसियों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य वन और वन्यजीव विभाग वनों में पाए जाने वाले दुर्लभ औषधीय पौधों के परिरक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी औषधीय पौधों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों की सुरक्षा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता

*10. **डा. मुरली मनोहर जोशी** :
श्री जगमोहन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जून. 1996 को जम्मू और कश्मीर के कुछ आतंकवादियों ने प्रधान मंत्री से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या रक्षा मंत्री ने अपनी जम्मू और कश्मीर की यात्रा के दौरान राज्य को अधिकतम स्वायत्ता दिये जाने की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रधान मंत्री ने स्वायत्तता के मुद्दे पर राज्य के सभी वर्गों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). जम्मू एवं कश्मीर समस्या के स्थाई समाधान हेतु मंच का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व उग्रवादी नेताओं का एक ग्रुप 26 जून, 1996 को प्रधान मंत्री से मिला था। इससे पहले वे मार्च, 1996 में पूर्व गृह मंत्री से मिले थे और तभी से वे, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शांति बहाली का रास्ता तलाशने के लिए भारत सरकार के साथ संवाद सम्पर्क रखे हुए हैं। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने कुछ ऐसे विश्वासोत्पादक उपाय करने तथा अन्य कार्रवाई करने की जरूरत सुझाई है जिनसे कि राज्य में शांति एवं सामान्य स्थिति की बहाली में मदद मिल सके।

(ग) से (च). सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में एक विशिष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। इस अवस्था में इस बारे में ब्यौरे दे पाना संभव नहीं है। सरकार का मत है कि राज्य में एक चुनी हुई प्रतिनिधिक सरकार के साथ बातचीत के उपरांत ही इस संबंध में ब्यौरे तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

कुष्ठ रोग

*11. **श्री सत्यदेव सिंह** :
कुमारी उमा भारती :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग के उपचार के लिए देश में पहली बार कोई टीका विकसित किया गया है;

(ख) क्या इस टीके का अब तक परीक्षण किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस टीके का वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा तथा यह बाजार में बिक्री के लिए कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). देश में तैयार की गई दो वैक्सीनों अर्थात् आई सी आर सी और एम डब्ल्यू का मूल्यांकन किया जा रहा है। तीसरी वैक्सीन, एम. हबाना के सीमित नैदानिक परीक्षणों की भी अनुमति प्रदान की गई है। परीक्षण-मूल्यांकन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाएगा। वैक्सीनों की प्रभावकारिता और निरापदता निश्चित हो जाने पर ही वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो सकता है और इनका विपणन किया जा सकता है।

[अनुवाद]

चालू विद्युत परियोजनाएं

*12. **डा. टी. सुब्बा रामी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति ने वित्त निगम से चालू विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता देने

की सिफारिश की है ताकि उनके संपूर्ण हो जाने को सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समिति द्वारा दिए गए अन्य सुझाव क्या हैं;

(ग) विद्युत परियोजनाएं किस सीमा तक संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं;

(घ) इस समय कितनी विद्युत परियोजानएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं; और

(ङ) बिजली की वर्तमान कमी में कब तक सुधार होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) योजना आयोग की अध्यक्षता में किसी भी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). इस समय कार्य कर रही विद्युत परियोजनाएं तथा वर्ष 1995-96 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में उनका उत्पादन कार्य-निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) विद्युत उत्पादन हेतु आयोजना एक सतत् प्रक्रिया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) हेतु, सरकार द्वारा किए गए प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार, क्षमता-अभिवृद्धि कार्यक्रम का मूल्यांकन 56,783 मेगावाट के रूप में किया गया है, जो आवश्यक निवेशों, निधियों सहित, की उपलब्धता के तहत होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि 9वीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान, देश द्वारा ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी तथा अगर प्रणाली में 56783 मेगावाट जोड़े जाएं तो व्यस्ततमकालीन कमी लगभग 2 प्रतिशत होगी।

विवरण

वर्तमान में कार्य कर रही विद्युत परियोजनाओं तथा वर्ष 1995-96 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में उनके विद्युत उत्पादन कार्य-निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(मि.यू.)

राज्य/प्रणालियों/केन्द्र और और उत्पादन का प्रकार	कार्यक्रम 1995-96	वास्तविक 1995-96	कार्यक्रम का %
1	2	3	4
1. उत्तरी क्षेत्र			
1. बीबीएमबी			
भाखड़ा एल एंड आर	4788	5623	117.4
गंग एंड कोट	1166	1188	101.9
देहर	3020	3281	108.6
पौंग	1046	1886	180.3
बीबीएमबी जोड़	10020	11978	119.5
2. दिल्ली			
बदरपुर	4400	4036	91.7
डेसू			
आईपी स्टेशन	1312	1122	85.5
राजघाट	770	819	106.4
डेसू जीटी	1070	614	57.4
डेसू जोड़	3152	2555	81.1
दिल्ली जोड़	7552	6591	87.3

1	2	3	4
3. जम्मू और कश्मीर			
पंपोर जीटी	98	61	62.2
जम्मू और कश्मीर थर्मल	98	61	62.2
लोअर झेलम	576	506	87.8
अन्य	284	187	65.8
हाइड्रो जोड़	860	693	80.6
एनएचपीसी सलाल	2188	2127	97.2
जम्मू और कश्मीर थर्मल	98	61	62.2
जम्मू और कश्मीर हाइड्रो	3048	2820	92.5
जम्मू और कश्मीर जोड़	3146	2881	91.6
4. हिमाचल प्रदेश			
एचपीएसईबी			
बस्सी	310	292	94.2
गिरी बाटा	250	279	111.6
बिनवा	33	30	90.9
आंध्रा	87	72	82.8
संजय	475	584	122.9
स्माल हाइड्रो	145	0	0.0
एचपीएसईबी जोड़	1300	1257	96.7
बी स्यूल	750	816	108.8
चमेरा	1742	2229	128.0
हिमाचल प्रदेश जोड़ हाइड्रो	3792	4302	113.4
5. हरियाणा			
फरीदाबाद विस्तार	800	796	99.5
पानीपन	2850	2275	79.8
हरियाणा थर्मल	3650	3071	84.1
प. यमुना	250	230	92.0
हरियाणा जोड़	3900	3301	84.6
6. राजस्थान			
आरएसईबी			
कोटा	5500	5218	94.9
रामगढ़ जीटी	150	14	9.3

1	2	3	4
आरएसईबी थर्मल	5650	5232	92.6
आरपी सागर	500	629	125.8
जवाहर सागर	330	445	134.8
माही बजाज	320	329	102.8
स्माल हाइड्रो	25	6	24.0
आरएसईबी हाइड्रो	1175	1409	119.9
आरएसईबी जोड़	6825	6641	97.3
एनटीपीसी अंता.	2500	2604	104.2
आरएपीएस न्यूक्लियर	0	0	
राजस्थान थर्मल	8150	7836	96.1
राजस्थान न्यूक्लियर	0	0	
राजस्थान हाइड्रो	1175	1409	119.9
राजस्थान जोड़	9325	9245	99.1
7. पंजाब			
भटिंडा	2400	2057	85.7
रोपड़	6740	6154	91.3
पंजाब थर्मल	9140	8211	89.8
यूबीडीसी 1-3	300	272	90.7
शानन	540	585	108.3
मुकेरियन	1145	1326	115.8
आनंदपुर एस	800	966	120.7
पंजाब हाइड्रो	2785	3149	113.1
पंजाब जोड़	11925	11360	95.3
8. उत्तर प्रदेश			
यूपीएसईबी			
ओबीआरए 1-5	508	402	79.1
ओबीआरए 6-8	802	599	74.7
ओबीआरए 9-13	4990	3738	72.9
ओबीआरए 1-13	6300	4639	73.6
पंकी	900	562	62.4
एच गंज ए	0	0	
एच गंज बी एंड सी	1000	614	61.4
पारीचा	830	494	59.5
अनपाड़ा	10500	10431	99.3
टांडा	1280	1017	79.5

1	2	3	4
अन्य (यू.पी.)	0	0	
यूपीएस.ईबी थर्मल	20810	17757	85.3
रिहन्द	800	759	94.9
ओबीआरए हाइड्रो	280	283	101.1
माताटीला	120	107	89.2
गंगा कैनाल	170	146	85.9
खातिमा	230	211	91.7
राम गंगा	250	322	128.8
यमुना 1 और 4	540	542	100.4
यमुना 2	900	952	105.8
चिला	725	660	91.0
खोदरी	415	443	106.7
मनेरी बीएचए	430	200	46.5
खारा	360	373	103.6
यूपीएसईबी हाइड्रो	5220	4998	95.7
यूपीएसईबी जोड़	26030	22755	87.4
एनटीपीसी सिंगर	14500	14997	103.4
एनटीपीसी रिहंद	7000	7626	108.9
दादरी थर्मल	3000	4439	148.0
एनटीपीसी ऊंधा	2400	3105	129.4
एनटीपीसी एयूआरजोटी	3500	3509	100.3
दादरी जीटी	3000	3770	125.7
एनएचपीसी टी पुर	460	445	96.7
नरोरा एपीएस	2370	2731	115.2
यूपी थर्मल	54210	55203	101.8
यूपी न्यूक्लियर	2370	2731	115.2
यूपी हाइड्रो	5680	5443	95.8
यूपी जोड़	62260	63377	101.8

(2) पश्चिम क्षेत्र

9. गुजरात

जीईबी

धुवारन	2820	2922	103.6
उकाई	4480	4406	98.3
गांधीनगर	3900	4948	126.9
वानकबोरी	6900	6941	100.6
सिक्का	1300	1309	100.7

1	2	3	4
कच्छ लिग्नाइट	700	595	85.0
उत्तान	150	104	69.3
उत्तान जीटी	800	965	120.6
डी वरन जीटी	180	142	78.9
जीईबी थर्मल	21230	22332	105.2
उकाई हाइड्रो	925	463	50.1
उकाई एलबीसी	25	16	64.0
कदाना	275	289	105.1
जीईबी हाइड्रो	1225	768	62.7
जीईबी जोड़	22455	23100	102.9
एई को.	156	199	127.6
साबरमती	2125	2192	103.2
वात्मा जीटी	664	555	83.6
एई को.	2945	2946	100.0
जीआईपीसीएल	1000	1113	111.3
केएपीएस न्यूक्लियर	1930	2232	115.6
कवास जीटी	2100	1955	93.1
गंधार जीटी	600	2393	398.8
गुजरात थर्मल	27875	30739	110.3
गुजरात न्यूक्लियर	1930	2232	115,6
गुजरात हाइड्रो	1225	768	62.7
गुजरात जोड़	31030	33739	108.7
10. महाराष्ट्र			
एमएसईबी			
नासिक	5150	5047	98.0
कोराडी	6150	6267	101.9
पारस	180	202	112.2
भूसावल	3000	2595	86.5
पारली 1-2	230	302	131.3
पारली 3-5	3520	2961	84.1
पारली 1-5	3750	3263	87.0
चन्द्रपुर	11250	11290	100.4
के. खेड़ा-2	2850	2547	89.4
उरान जीटी	4220	4863	115.2
एमएसईबी थर्मल	36550	36074	98.7
कोयना	2748	2755	100.3

1	2	3	4
कोयना बांध	210	69	32.9
वैतरणा	159	114	71.7
पैथोन	25	3	12.0
पावाना	.22	9	40.9
तिल्लारी	150	77	51.3
भीरा टैल	95	73	76.8
बंदरधर	5	1	20.0
भातसा	54	28	51.9
के. वसाला	60	20	33.3
वीर एंड भाटगर	80	53	66.2
इल्दारी	45	6	13.3
उज्जेनी	22	0	0.0
धोम	2	0	0.0
स्माल हाइड्रो	43	12	27.9
एमएसईबी हाइड्रो	3720	3220	86.6
एमएसईबी जोड़	40270	39294	97.6
ट्राम्बे थर्मल	6100	7358	120.6
ट्राम्बे जीटी	775	1466	189.2
ट्राम्बे टी ओ	6875	8824	128.3
तारापुर न्यूक्लियर	1600	1548	96.7
तारा हाइड्रो	1400	1190	85.0
दहानु थर्मल	2000	1222	61.1
महाराष्ट्र थर्मल	45425	46120	101.5
महाराष्ट्र न्यूक्लियर	1600	1548	96.7
महाराष्ट्र हाइड्रो	5120	4410	86.1
महाराष्ट्र जोड़	52145	52078	99.9
11. मध्य प्रदेश			
एमपीईबी			
सतपुड़ा	5650	6022	106.6
कोरबा-2	750	1017	135.6
कोरबा-3	1160	1127	97.2
कोरबा-2-3	1910	2144	112.3
अमरकांतक	1400	1157	82.6
प. कोरबा	5050	4642	91.9
संजय जीएएन	2200	1991	90.5
एमपीईबी थर्मल	16210	15956	98.4
गांधी सागर	400	569	142.2

1	2	3	4
पेंच	450	407	90.4
बारगी	540	564	104.4
बानसागर	350	257	73.4
हसदेव बांगी	350	298	85.1
बीरसिंहपुर	30	43	143.3
एमपीईबी हाइड्रो	2120	2138	100.8
एमपीईबी जोड़	18330	18094	98.7
एनटीपीसी कोरबा	14500	15449	106.5
एनटीपीसी विंध्याचल	8300	9282	111.8
एमपी थर्मल	39010	40687	104.3
एमपी हाइड्रो	2120	2138	100.8
एमपी जोड़	41130	42825	104.1
(3) दक्षिणी क्षेत्र			
12. आंध्र प्रदेश			
के. गुडम ए	1300	1222	94.0
के. गुडम बी	1100	1122	102.0
के. गुडम सी	950	1082	113.9
के. गुडम ए-सी	3350	3426	102.3
विजयवाड़ा	8500	9878	116.2
आर गुडम बी	370	374	101.1
नेल्लौर	100	130	130.0
रोयलसेम	2000	1331	66.5
एपीएसईबी थर्मल	14320	15139	105.7
मचकुंड	785	847	107.9
टीबी बांध	200	163	81.5
अपर साइल	500	617	123.4
लोअर साइल	1200	1455	121.2
एन जुना सागर	3000	1084	36.1
एन सागर आरबीसी	230	50	21.7
एन सागर एलबीसी	100	9	9.0
सीरसेलम	3500	2671	76.3
निजाम सागर	5	16	320.0
पोजम्पड	45	100	222.2
डंकाराय	100	110	110.0
पेन्ना अहोब	25	15	60.0
एपीएसईबी हाइड्रो	9690	7137	73.7

1	2	3	4
एपीएसईबी जोड़	24010	22276	92.8
विज. स्वरम	500	538	107.6
एनटीपीसी आर. गन	14500	14747	101.7
एपी थर्मल	29320	30424	103.8
एपी हाइड्रो	9690	7137	73.7
एपी जोड़	39010	37561	96.3
13. कर्नाटक			
रायचूर	5200	4718	90.7
केपीसीएल थर्मल	5200	4718	90.7
शरावती	4590	4376	95.3
कालीनदी	2865	3180	111.0
सुपा बांध	500	502	100.4
भद्रा	55	25	45.5
लिंगानमक	250	201	80.4
वराही	1060	1111	104.8
घाटप्रभा	130	80	61.5
मल्लापर	30	25	83.3
मनी डीपीएच	40	18	45.0
के.पी.सी.एल जल	9520	9518	100.0
के.पी.सी.एल. हाइड्रो	14720	14238	96.7
जोग	366	315	86.1
शिवसपंद	91	131	144.0
शिमशोंपर	96	96	100.0
मुनिसाबाद	93	77	82.8
केब हाइड्रो	646	619	95.8
एस.पुरा पीबीटी	89	52	58.4
कर्नाटक ताप	5200	4718	90.7
कर्नाटक जल वि.	10255	10189	99.4
कर्नाटक जोड़	15455	14907	96.5
14. केरल			
इदुक्की	2549	3083	120.9
सबरीगिरि	1500	1675	111.7
कुट्टीआड़ी	270	284	105.2
नौलयार	245	206	84.1
सेंगलम	165	145	87.9
एन. मंगलम	285	286	100.4

1	2	3	4
पल्लीवसल	240	182	75.8
पोरींगल	210	191	91.0
पन्नियार	155	163	105.2
कल्लड़ा	60	61	101.7
काक्कड	20	0	0.0
एल. पेरियार	60	0	0.0
पेप्पारा	11	0	0.0
इडमलयार	400	390	97.5
हाइड्रो के.एस.ई.बी.	6170	6666	108.0
मनियार	50	34	68.0
केरला हाइड्रो	6220	6700	107.7
15. तमिलनाडु			
टी.एन.ई.बी.			
एन्नौर	1900	2106	110.8
तूतीकोरिन	6500	7787	119.8
मेत्तुर	5595	5940	106.2
उत्तरी मद्रास	750	1353	180.4
बी. ब्रिज	160	0	0.0
नरीमनस्	55	11	20.0
टीएनईबी ताप विद्युत	14960	17197	115.0
पाइकारा बांध	322	383	118.9
मोयार	138	140	101.4
कुंडा 1-5	1491	1704	114.3
सुरूलियर	65	97	149.3
अलियार	151	155	102.6
मेत्तुर	484	393	81.2
एल. मेत्तुर	276	355	128.6
पेरियार	435	429	98.6
पपानासम	106	111	104.7
सरकारपथ	156	159	101.9
शोलयार	295	368	124.7
कोड्डयार	201	239	118.9
सरवलार	31	28	90.3
कदमपराई	79	109	138.0
लघु जल वि.	70	56	80.0
टीएनईबी जलविद्युत	4300	4726	109.9

1	2	3	4
टीएनईबी जोड़	19260	21923	113.8
नैवेली-1	2600	3190	122.7
नैवेली-2	8100	9065	111.9
नैवेली जोड़	10700	12255	114.5
कल्पक्कम (एनयू)	1950	1412	72.4
तमिलनाडु तापविद्युत	25660	29452	114.8
तमिलनाडु न्यूक्लीयवि.	1950	1412	72.4
तमिलनाडु जलविद्युत	4300	4726	109.9
तमिलनाडु जोड़	31910	35590	111.5
(4) पूर्वी क्षेत्र			
16. बिहार			
पतरात	2245	1262	56.2
बरौनी	700	420	60.0
मुजफ्फरपुर	600	310	51.7
बीएसईबी थर्मल	3545	1992	56.2
कोसी	24	20	83.3
सुवर्णरेखा	196	261	133.2
सोन	40	10	25.0
उत्तरी कोयल	0	0	
ई.जी. कैनल	65	2	3.1
बिहार जलविद्युत	325	293	90.2
तेनु घाट	550	10	1.8
के. गांव एनटीपी	1600	2404	150.2
बिहार तापविद्युत	5695	4406	77.4
बिहार जोड़	6020	4699	78.1
17. उड़ीसा			
तलचेर	271	143	52.8
बांलीमेला	1184	1416	119.6
हीराकुंड	1164	1105	94.9
रेंगली	750	851	113.5
ऊपरी कोला	832	1017	122.2
ओइसईबी हाईड्रो	3930	4389	111.7
ओएसईबी ताप वि.	271	143	52.8
ओएसईबी जलविद्युत	3930	4389	111.7
ओएसईबी जोड़	4201	4532	107.9
आई बी वैली	1000	1235	123.5

1	2	3	4
तलचेर एसटीपी	1100	698	63.5
तलचेर ओल्ड	1329	992	74.6
तलचेर जोड़	2429	1690	69.6
उड़ीसा ताप वि.	3700	3068	82.9
उड़ीसा जल वि.	3930	4389	111.7
उड़ीसा जोड़	7630	7457	97.7
18. पश्चिम बंगाल			
डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी			
बांडेल	2400	1722	71.7
संथालडीह	1600	1349	84.3
गैस-टरबाईन	15	13	86.7
डब्ल्यूबीएसईबी			
तापविद्युत •	4015	3084	76.8
डब्ल्यूएसईबी जल वि.	125	83	66.4
डब्ल्यूएसईबी जोड़	4140	3167	76.5
डब्ल्यूबीपी डी-सी			
कोलाघाट	7200	6233	86.6
डी.पी.एल. ताप विद्युत	1000	909	90.9
मुलाजोर	270	326	120.7
एन. कोसिप	650	726	111.7
दक्षिणी	935	1028	109.9
तीतागढ़	1530	1744	114.0
कस्बा जी.टी	15	22	146.7
सीईएससी जोड़	3400	3846	113.1
एनटीपीसी फरक्का	6500	6457	99.3
प. बंगाल थर्मल	22115	20529	92.8
प. बंगाल जल वि.	125	83	66.4
प. बंगाल जोड़	22240	20612	92.7
19. डीवीसी			
चन्द्र पुर	2300	1764	76.7
दुर्गा पुर	1700	1826	107.4
बोकारो	3600	2785	77.4
मेजिया	0	0	
मेथॉन जीटी	20	44	220.0
डी.वी.सी. ताप विद्युत	7620	6419	84.2
डी.वी.सी. विद्युत	350	391	111.7
डी.वी.सी. जोड़ विद्युत	7970	6810	85.4

1	2	3	4
20. सिक्किम			
जल विद्युत	50	50	100.0
(5) उ. पूर्वी क्षेत्र			
21. असम			
चन्द्र पुर	225	188	83.6
नाम्रूप	393	327	83.2
बोंगईगांव	550	511	92.9
गैस-टरबाईन	500	410	82.0
असम ताप वि.	1668	1436	86.1
22. नीपको			
के.गुड्डी जी.टी.	700	344	49.1
खन-डोंग	248	254	102.4
कोपिली	602	450	74.8
कुल जल वि.	850	704	82.8
कुल नीपको	1550	1048	67.6
23. मेघालय			
किरदमकुला	137	162	118.2
उनियम-1	100	108	108.0
उनियम-2	50	44	88.0
उनियम-4	137	174	127.0
उमतरू	51	52	102.0
जोड़	475	540	113.7
24. त्रिपुरा			
बरनुरा जी	58	49	84.5
रोखिया जीटी	154	106	68.8
जोड़ जीटी	212	155	73.1
गुमती जल विद्युत	50	41	82.0
त्रिपुरा जोड़	262	196	74.8
25. मणिपुर			
लोकटक एनएचपी	450	479	106.4
26. अरूणाचल प्रदेश			
टैगो	15	14	93.3

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए आरक्षण

*13. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोक सभा, विधान सभाओं, राज्य सभा और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भी उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आगामी सत्र के दौरान इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बाला सुब्रहमण्यन) : (क) और (ख). सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

[अनुवाद]

यूरिया का उत्पादन

*14. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष देश में यूरिया का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में यूरिया की मांग कितनी रही?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में यूरिया का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :-

वर्ष	उत्पादन (लाख मी.टन में)
1993-94	131.48
1994-95	141.43
1995-96	158.20

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 के तहत किये गये फसल मौसमवार आबंटनों में दर्शाये गये अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया की कुल निर्धारित की गई मांग तथा यूरिया की तदनुरूपी उपलब्धता इस प्रकार है:-

(लाख मी. टन में)

वर्ष	खरीफ		रबी	
	मांग	उपलब्धता	मांग	उपलब्धता
1993-94	77.76	86.16	95.33	96.54
1994-95	83.8	84.42	101.09	102.75
1995-96 (अनुमानित)	96.61	97.27	107.83	112.99

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

*15. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में प्राकृतिक गैस का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में क्रमशः 50.23, 53.33 और 61.85 एम एम एस सी एम डी था।

(ख) और (ग). जी, नहीं। प्राकृतिक गैस का वर्तमान उत्पादन 63.34 एम एम एस सी एम डी है।

(घ) प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास, नए क्षेत्रों का विकास आदि शामिल है।

बैलाडिला लौह अयस्क भंडारों के खनन को पट्टे पर दिया जाना

*16. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैलाडिला लौह अयस्क भण्डार II-बी के खनन का पट्टा किसी संयुक्त उद्यम कम्पनी को हस्तांतरित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). सरकार को बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप-II बी के खनन पट्टे को संयुक्त उद्यम कम्पनी को हस्तांतरित करने के संबंध में माननीय संसद सदस्यों, कुछ व्यक्तियों और ट्रेड यूनियनों/संघों से उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

खनन पट्टे के तथाकथित हस्तांतरण के विरोध में यूनियनों से प्राप्त अभ्यावेदन में व्यक्त की गई महत्वपूर्ण आशंका यह है कि निजी क्षेत्र में नई संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना से स्थानीय लोगों, विशेष रूप से आदिवासियों के रोजगार के अवसर छिन जाएंगे। अभ्यावेदनों में अन्य अशंकाएं यह थीं कि निजी पार्टी स्थानीय क्षेत्र के विकास का कार्य न करें, इससे एन.एम.डी.सी. से उसके विस्तार का लाभ छिन जाएगा, बदले में ली जाने वाली प्रस्तावित राशि अपर्याप्त है और इससे विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उपयोग के बारे में संयुक्त उद्यम के भागीदारों के परस्पर हितों के बारे में टकराव हो सकता है। विभिन्न ट्रेड यूनियनों/संघों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता के बारे में इस्पात मंत्रालय में विचार किया गया। इन्हें मद्देनजर रखते हुए कतिपय उपचारात्मक व्यवस्था की गयी और इन्हें मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये मंत्रिमण्डल के लिए नोट में शामिल किया गया था और जिसे बाद में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। इसमें उल्लेख किया गया था कि :-

(1) एन.एम.डी.सी. खनन पट्टे के हस्तान्तरण के बदले में उतनी राशि ले सकती है जिससे निक्षेप-II बी पर इसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि की प्रतिपूर्ति हो सके जिसमें निक्षेप के गवेषण की लागत और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने (जो एन.एम.डी.सी. द्वारा आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई. जैसे व्यवसायिक संगठनों के परामर्श से उपयुक्त रूप से विद्यमान लागत पर अद्यतन की गई हो) और जिसमें खनन रियायत नियम, 1960 के तहत निर्धारित पट्टे के हस्तातंरण से संबंधित सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया हो;

(2) संयुक्त उद्यम कम्पनी सभी कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की भर्ती सिवाए ऐसे श्रमिकों के, जो स्थानीय रोजगार कार्यालय से उपलब्ध न हों और इस संबंध में संबंधित रोजगार कार्यालय इस आशय का प्रमाण पत्र दे दें, स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से करेगी; तथा

(3) यदि एन.एम.डी.सी. द्वारा पहले से सृजित की गई किसी अवसंरचना अथवा किसी अन्य सुविधा का संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा उपयोग करना अपेक्षित होगा तो एन. एम.डी.सी. ऐसी सुविधाओं के लिए वाणिज्यिक आधार पर प्रयोक्ता से लेवी प्रभार लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

इन शर्तों को एन.एम.डी.सी. और संयुक्त उद्यम भागीदार के बीच परस्पर हुए संयुक्त करार में शामिल कर लिया गया है।

बैलाडिला-II बी खनन पट्टे के हस्तातंरण के पक्ष में दिए गए अभ्यावेदनों में यह मत व्यक्त किया गया है कि इससे स्थानीय लोगों को और अधिक रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और इससे इस क्षेत्र का तीव्र विकास सुनिश्चित होगा।

अभ्यावेदनों के समुचित उत्तर इस्पात मंत्रालय द्वारा दे दिये गये हैं।

मत्स्यन पत्तन

*17. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मापिला खाड़ी में मत्स्यन पत्तनों के संबंध में पूर्ण किये गये निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या यह कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रहा है; और

(घ) परियोजना को पूरा करने का निर्धारित समय क्या है तथा इसमें यदि कोई विलंब हुआ है तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) मोपला खाड़ी में केवल एक मत्स्यन बंदरगाह स्वीकृत है तथा यह निर्माणाधीन है। मोपला खाड़ी में बंदरगाह के विकास के लिए औजारों, संयंत्र और मशीनरी की खरीद तथा तुलन सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ब्रेकवाटर का निर्माण तथा ग्रोयेन का विस्तार भी पूरा होने को है।

(ख) अप्रैल, 1996 तक इस परियोजना पर 281.21 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। भारत सरकार ने 564.00 लाख रु. की स्वीकृत लागत के 50% अंश के रूप में 240.00 लाख रुपये की राशि दे दी है। भारत सरकार ने केरल, जिसमें मोपला खाड़ी भी शामिल है, में मत्स्यन बंदरगाह परियोजना के निर्माण के लिए वर्तमान वर्ष 1996-97 में 450.00 लाख रुपये का अनंतिम आबंटन किया है।

(ग) और (घ). मोपला खाड़ी स्थित मात्स्यिकी बंदरगाह परियोजना को जनवरी, 1992 में प्रशासनिक मंजूरी दी गई। परियोजना को पूरा करने के लिये मंजूरी की तारीख से चार वर्ष का समय निर्धारित किया गया। उच्च न्यायालय में मुकदमा के कारण दिसम्बर, 1993 तक निर्माण शुरू नहीं हो सका तथा परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हो गया।

[हिन्दी]

गेहूं का उत्पादन

*18. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** :
जस्टिस गुमानमल लोढा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 21 मई, 1996 के "द आब्जर्वर" में गेहूं के उत्पादन में कमी के बारे में प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गत कई वर्षों से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केन्द्रीय खाद्यान्न भंडार में अधिकतम योगदान रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों में गेहूं के उत्पादन में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या देश के अन्य भागों में चालू वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन में कोई कमी आने की सम्भावना है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। वर्ष 1995-96 के दौरान पंजाब में गेहूं का उत्पादन कुछ कम होने की सूचना मिली है। इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 127.24 लाख मी. टन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 135.42 लाख मी. टन हुआ था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). वर्ष 1995-96 के दौरान पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, जबकि हरियाणा में कोई कमी नहीं आई है। वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान पंजाब और उत्तर प्रदेश में उत्पादन में क्रमशः 8.2 लाख मी. टन और 3.6 लाख मी. टन की कमी होने की संभावना है। वर्ष 1995-96 के दौरान गेहूं के उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण डी.ए.पी. तथा अन्य फास्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत में कमी, खासकर फरवरी और मार्च में मौसम की प्रतिकूल स्थिति, जिसके कारण फसल मुरझा गई तथा पीत किट्ट का आक्रमण बताये गए हैं।

(च) और (छ). पंजाब और उत्तर प्रदेश में उत्पादन में गिरावट के जो कारण बताए गए हैं उन्हीं कारणों से अधिकतर गेहूं उत्पादक राज्यों में वर्ष 1995-96 के दौरान सामान्यतया गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई।

(ज) देश में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं आधारित फसल प्रणाली में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार ने स्वदेशी डी. ए.पी. के लिए रियायत 1000/- रु. प्रति मी. टन से बढ़ाकर 3000/- रु. प्रति मी. टन कर दी है। सरकार ने आयातित डी.ए.पी. के लिए भी प्रति मी.टन 1500/- रु. तक रियायत दी है। म्यूरिएट ऑफ पोटास पर रियायत 1000/- रु. से बढ़ाकर 1500/- रुपये प्रति मी. टन कर दी है। आशा है कि फास्फेटयुक्त और पोटासयुक्त उर्वरकों पर रियायत देने से उर्वरकों का और अधिक संतुलित उपयोग किया जाएगा इस प्रकार उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शन

*19. **श्री रतिलाल वर्मा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने रसोई गैस कनेक्शन दिये गये;

(ख) 31 मई, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज रसोई गैस आवेदकों की संख्या कितनी है; और

(ग) शेष आवेदकों को रसोई गैस कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास एल पी जी की प्रतीक्षा सूचियों पर पंजीकृत आवेदकों की कुल संख्या 132.82 लाख थी।

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को एल पी जी के नये कनेक्शन पंजीकरण की क्रम संख्या के अनुसार, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आबंटित नये ग्राहक के भर्ती के आधार पर, प्रत्येक डिक्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूची तथा देश में उत्पाद की उपलब्धता पर आधारित कुल नामांकन योजना के आधार पर जारी किए जाते हैं। यथासंभव अधिकतम आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर तथा नयी एल पी जी आयात सुविधाओं को आरम्भ करके एल पी जी की उपलब्धता को बढ़ाने की योजना बनायी जा रही है। वर्ष 1996-97 के दौरान कांडला तथा मंगलौर में एल पी जी आयात सुविधाओं को आरम्भ किए जाने की आशा है तथा ऐसी और सुविधाओं की योजना बनाई जा रही है। यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2001 तक बकाया प्रतीक्षा सूचियों को निपटा दिया जाएगा तथा केवल चालू प्रतीक्षा सूचियां ही रह जाएंगी।

विवरण

एल पी जी कनेक्शन जारी करना

(आंकड़े हजार में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	100.8	176.1	131.3
अरूणाचल प्रदेश	5.4	7.1	5.2
असम	27.2	45.3	32.2
बिहार	48.5	105.0	46.1

1	2	3	4
गोआ	6.7	8.4	8.0
गुजरात	57.7	109.8	77.1
हरियाणा	44.4	65.1	47.2
हिमाचल प्रदेश	52.2	48.2	116.3
जम्मू और कश्मीर	32.3	37.4	79.8
कर्नाटक	88.0	119.8	102.5
केरल	65.0	104.2	75.8
मध्य प्रदेश	52.3	104.5	72.6
महाराष्ट्र	168.6	350.9	261.6
मणिपुर	4.2	6.1	6.5
मेघालय	3.4	5.7	7.2
मिजोरम	7.5	6.5	8.8
नागालैंड	3.3	3.7	4.2
उड़ीसा	23.0	60.4	29.6
पंजाब	52.4	100.0	79.1
राजस्थान	56.7	73.0	78.2
सिक्किम	1.0	3.3	8.8
तमिलनाडु	94.6	173.0	129.0
त्रिपुरा	2.9	5.4	2.2
उत्तर प्रदेश	185.3	281.0	430.4
पश्चिम बंगाल	72.2	140.6	106.7
संघ राज्य क्षेत्र :			
अंडमान और निकोबार	2.0	4.3	0.2
चंडीगढ़	7.4	13.8	6.5
दादर और नागर हवेली	0.2	0.6	0.2
दिल्ली	93.6	129.0	96.8
दमण और द्वीव	0.4	0.8	0.2
लक्ष्यद्वीप	0.2	0.3	0.5
पांडिचेरी	1.0	3.9	3.0

औषधियों के मूल्य

*20. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के लागू होने के पश्चात् आम औषधियों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या किसी एजेंसी द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इन एजेंसियों के अनुसार यह मूल्य वृद्धि कितनी अधिक है;

(घ) सरकार द्वारा इस मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लगाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत केन्द्र सरकार औषधियों के मूल्यों (थोक एवं खुदरा) को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है;

(च) क्या केन्द्र सरकार औषधियों के मूल्य निर्धारण की शक्ति औषधियों का निर्माण कर रहे राज्यों को प्रत्यायोजित करने जा रहे हैं; और

(छ) इस सबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) अध्ययन यह दर्शाते हैं कि डी.पी.सी.ओ., 1995 के बाद कुछ औषधों की कीमतों में वृद्धि दिखाई दी है जबकि कुछ आषधियों की कीमतों से कोई परिवर्तन नहीं आया है और अन्यों की कीमतों में कमी का रुख दिखाई दिया है।

(ख) और (ग). आपरेशन रिसर्च ग्रुप (ओ आर जी), जो कि एक बार बाजार अनुसंधान संगठन है, ने दिसम्बर, 1995 की तुलना में दिसम्बर, 1994 की अवधि के लिए हाल ही में 6495 सूत्रयोगों पर सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार दवाईयों की कीमतों में कुल मिलाकर अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है। इसने पाया है कि 53% दवाइयों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 24% दवाइयों की कीमतों में। से 25% वृद्धि हुई और 8% के मामले में 25% से अधिक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त इसने यह पाया कि 15% दवाइयों के मामले में कीमतें घटी हैं।

(घ) पर्याप्त दवाइयां कीमत नियंत्रण के अधीन हैं। कीमत नियंत्रण से बाहर दवाइयों के मामले में आम प्रयोग की औषधों की कीमतों में जब भी कोई असामान्य वृद्धि पाई जाती है और यदि ऐसी वृद्धि अनुचित है तो डी.पी.सी.ओ. के अंतर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है।

(ङ) औषधों, जो किसी आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती हैं, की कीमतें नियंत्रण करने का प्राधिकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 से प्राप्त होता है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

"क्रास बार" प्रणाली

1. **प्रो. रासा सिंह रावत : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अजमेर जिले में "क्रास बार" प्रणाली को पूरी तरह बदल कर इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली कब तक शुरू की जाएगी;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) अजमेर जिले में दूरसंचार व्यवस्था को चुस्त बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) दूरसंचार नेटवर्क में वृद्धि के बावजूद सेवाओं के स्तर में निरंतर गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू वर्ष में एक्सचेंजों की संख्या बढ़ाने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राजस्थान के अजमेर में वर्ष 1998 में क्रास बार प्रणाली के स्थान पर इलेक्ट्रानिक प्रणाली स्थापित करने की योजना बनायी गयी है।

(ख) दूरसंचार अयोग ने इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों के प्रतिस्थापन के लिए सर्किलों के प्रमुखों द्वारा जांच किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। अजमेर क्रास बार एक्सचेंज के प्रतिस्थापन की राजस्थान सर्किल के प्रमुख महा प्रबंधक द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) अजमेर जिला में दूरसंचार प्रणाली को और कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं :-

1. इलेक्ट्रो मेकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करना।
2. भूमिगत केबिलों की सुरक्षा के लिए केबिल नलिकाओं का निर्माण।
3. जेली से भरे केबिल का इस्तेमाल
4. बाह्य संयंत्र का उन्नयन
5. सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण
6. कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना
7. नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर केबिल का प्रावधान करना

(घ) सेवाओं के निष्पादन में गिरावट नहीं देखी गयी है बल्कि इसके विपरीत कई वर्षों से सुधार परिलक्षित होता आया है। पिछले दो वर्षों का तुलनात्मक निष्पादन नीचे दिया गया है:-

	मई, 95	मई, 96
शिकायतें (प्रति 100 टेलीफोन)	22.9	19.4
खराबियां (प्रति 100 टेलीफोन)	19.7	18.1

(ङ) इस वर्ष के लिए वित्तीय आवंटनों के सम्बन्ध में निर्णय, बजट के अन्तिम रूप दे दिये जाने के पश्चात् ही लिया जाएगा।

एड्स

2. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में एड्स की रोकथाम के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस भयानक बीमारी को रोकने में सफलता मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत सफलता मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) भारत में एच आई वी/एड्स के निवारण और नियन्त्रण के लिए इस समय देशभर में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यनीतियों में अत्यधिक जोखिम का आचरण करने वाले समूहों और आम जनता के बीच एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना; यौन संचारित रोगों का नियन्त्रण, रक्त निरापदता और रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, बेहतर निगरानी और निदान तथा एच आई वी/एड्स रोगियों का क्लिनिकल उपचार करना शामिल है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों की एड्स के कारण मृत्यु हुई उनकी संख्या और वर्षवार ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). देश में इस समय एच आई वी/एड्स के निवारण और नियन्त्रण की एक व्यापक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एच आई वी/एड्स के कारण हुई मौतें वर्षवार			
		1993	1994	1995	1996
1.	आंध्र प्रदेश	1	–	4	1
2.	असम	1	–	6	
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	
4.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	
5.	बिहार	–	–	–	
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–	–	
7.	पंजाब	30	–	30	
8.	दिल्ली	23	12	14	6
9.	दमण व दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–	–	
10.	दादरा व नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)				
11.	गोवा	8	1	–	
12.	गुजरात	3	–	4	
13.	हरियाणा	3	–	1	
14.	हिमाचल प्रदेश	–	1	4	
15.	जम्मू व कश्मीर	1	–	–	
16.	कर्नाटक	9	2	–	
17.	केरल	40	–	10	
18.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	–	–	–	
19.	मध्य प्रदेश	14	–	–	
20.	महाराष्ट्र	37	35	132	18
21.	मणिपुर	6	13	7	
22.	मिजोरम	–	–	–	
23.	मेघालय	–	–	–	
24.	नगालैंड	–	1	2	
25.	उड़ीसा	–	1	16	
26.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	6	–	40	
27.	राजस्थान	–	–	–	
28.	सिक्किम	–	–	–	
29.	तमिलनाडु	10	23	60	40
30.	त्रिपुरा	–	–	–	
31.	उत्तर प्रदेश	6	–	4	
32.	पश्चिम बंगाल	12	2	13	
	कुल	210	91	347	65

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

4. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के 1992 के सी.डब्ल्यू.पी. 153 पर दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों को अंतिम रूप से निपटाने के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होना और उनका निपटान करना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के दावों की जांच की जाती है और आवेदकों द्वारा अपने दावों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच और समीक्षा करने के बाद तुरन्त निर्णय लिए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार, सलाहकार समिति गठित करना आवश्यक नहीं समझती है।

[हिन्दी]

धूम्रपान की लत

5. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के लोगों में धूम्रपान की लत में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक स्थलों पर आम व्यक्तियों, रेलगाड़ियों तथा बसों में सहभागियों पर धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए इस संबंध में कोई कठोर कानून बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में और क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने उपलब्ध सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि पिछले 8-10 वर्षों के दौरान धूम्रपान में वृद्धि हुई है।

(ख) चूंकि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष का पता लगाया जा सकता है अतः तम्बाकू सेवन के विषय में बड़े पैमाने पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के सेवन को निरूत्साहित करने के लिए जिसमें तम्बाकू संबंधी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू के इस्तेमाल/सेवन पर प्रतिबंध शामिल है, एक व्यापक कानून बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस दौरान सरकार ने अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं जैसे सिगरेट के पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी यथा "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" देने के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान वर्जित करना और तम्बाकू के कुप्रभावों के विषय में जागरूकता पैदा करना।

रात्रि डाकघर

6. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक दिल्ली में कितने रात्रि डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में इस प्रकार के और भी डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन स्थानों को चुना गया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इस समय, दिल्ली में 13 रात्रिकालीन डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डेरी क्षमता

7. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डेरी क्षमता का पता लगाने हेतु क्या सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं; और

(ख) भारत विश्व में सर्वाधिक डेरी क्षमता वाला राष्ट्र कब तक बन जाएगा?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों अतिरिक्त, आठवीं योजना अवधि के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े

क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा पशु रोग नियंत्रण, चारा विकास तथा सांड प्रजनन और वीर्य उत्पादन जैसी अन्य केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और यदि दोनों देशों में उत्पादन की मौजूदा वृद्धि दर इसी स्तर पर बनी रही तो इस शताब्दी के अंत तक भारत डेयरी क्षेत्र में पहले स्थान पर आ जाएगा।

जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति

8. **श्री एस.डी.एम.आर. वाडियार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में उठाये गये विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बाला सुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). सरकार का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य में जल्दी से जल्दी सम्पूर्ण शांति और सामान्य स्थिति की बहाली और प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक संस्थानों की बहाली सुनिश्चित करना है। सरकार स्थिति पर निकट से नजर रख रही है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं तथा कई पहलें की गई हैं। इनमें शामिल हैं: उग्रवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और बन्दूक का भय कम करने के लिए सतत् और लक्षित अभियान चलाना, राज्य में विकास की गति और आर्थिक गतिविधियों को तेज करना, ताकि युवकों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जा सकें और जनता को अपने सामान्य जीवन और गतिविधियों की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जा सके, नागरिक प्रशासन को पुनः सक्रिय करना तथा सामान्य गतिविधियों के प्रति इसके मनोबल की बहाली करना, प्रशासन में लोगों का विश्वास मजबूत करने और उसमें उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास सुनिश्चित करना, राज्य में राजनैतिक तत्वों और ताकतों को पुनः सक्रिय करना, तथा अन्य विश्वास पैदा करने वाले उपायों के द्वारा जिनमें बेहतर पारदर्शिता, बन्धकों की रिहाई, आदि शामिल हैं, के माध्यम से शांति प्रक्रिया मजबूत करने के लिए लोगों को प्रेरित करना आदि है। उन गुमराह हुए युवकों, जिन्होंने बन्दूक उठा ली थी, को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जिनमें उग्रवादियों आत्मसमर्पण करने के लिए नीति की घोषणा और बातचीत, इत्यादि भी शामिल हैं।

सरकार, राज्य में विभिन्न राजनैतिक दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ इस उद्देश्य के साथ बातचीत करती आ रही है ताकि राजनैतिक प्रक्रिया को सक्रिय करने और हिंसा का समर्थन करने वाले तत्वों को अलग-थलग करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप स्थिति और सम्पूर्ण वातावरण में और लोगों की मनःस्थिति में प्रत्यक्ष परिवर्तन और स्पष्ट और महत्वपूर्ण सुधार आया है।

इन सभी से राज्य में मई, 1996 में शांतिपूर्वक और सफलता पूर्वक संसदीय चुनाव कराए जा सके जिससे राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली करने के प्रयासों में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

सरकार की इच्छा अब राज्य में विधान सभा के लिए जल्द-से-जल्द चुनाव कराने की है ताकि राज्य में एक लोक-प्रतिनिधियों वाली सरकार स्थापित की जा सके। निर्वाचन आयोग के साथ विचार-विमर्श करके निश्चित तिथियां निर्धारित की जाएंगी।

सुविधासम्पन्न शहर (मेगा सिटीज)

9. **श्री काशीराम राणा** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से शहर सुविधासम्पन्न शहर बनाए जाने का मानदण्ड पूरा करते हैं और उन्हें इस तरह का शहर घोषित किया जाना है;

(ख) क्या और शहरों को सुविधासम्पन्न शहर घोषित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) भारत सरकार ने देश में न तो किसी शहर को मेगा शहर घोषित किया था और न ही किसी शहर को मेगा शहर घोषित करने का मानदण्ड विकसित किया था। तथापि मेगा शहरों के संरचनात्मक विकास के लिए 1993-94 से शुरू की गई एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर शहरों को शामिल किया गया था।

(ख) और (ग). पुनःगठित योजना आयोग नवीं योजना में शहरीकरण नीतियों के प्रश्न की जांच करेगा।

कश्मीरी प्रवासी

10. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कश्मीरी प्रवासियों को उनके अपने घरों में वापस भेजने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तक सभी प्रवासियों को वापस भेज दिए जाने की संभावना है; और

(ग) इन प्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बाला सुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). जम्मू और कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति बहाली तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासियों को उनके घरों को वापस भेजने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार भी इस संबंध में राज्य सरकार तथा प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए है। यद्यपि, इस दिशा में प्रयास जारी हैं तथापि सभी प्रवासियों की वापसी की सही-सही तारीख नहीं बताई जा सकती है। जब प्रवासी लौटेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय किए जाएंगे।

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डी.पी.सी.ओ.) संबंधी समिति

12. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि मूल्य समीकरण खातों की देख-रेख हेतु औषधि आदेश, 1995 के अंतर्गत गठित समिति में कार्यरत अधिकारी भारत की समेकित निधि से अपना वेतन ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनके वेतन पर कितनी धनराशि का व्यय हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में व्यय का स्रोत क्या है;

(घ) क्या भारत की समेकित निधि से वेतन नहीं लेने वाले अधिकारी मांग नोटिस जारी करने में सक्षम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके अंतर्गत कार्यरत प्राधिकारी का नाम तथा पद क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) व्यय डी.पी.सी.ओ. 1987/1985 के संगत उपबन्ध के साथ डी.पी.सी.ओ., 1979 के पैरा 17 (2) (ख) के संबंध में औषध मूल्य समकरण खाते में उपलब्ध संचयनों से किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). वैधानिक शक्तियों का प्रयोग राशियों के स्रोतों पर निर्भर नहीं करता है।

रसोई गैस एजेंसियों का खोला जाना

13. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में रसोई गैस एजेंसियों के खोले जाने के संबंध में कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इनकी संख्या क्या है और यह कौन-कौन से स्थानों पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। उद्योग के व्यवहार्यता मानकों को पूरा करने वाले स्थानों को एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने के लिए विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है। तदनुसार, पश्चिम बंगाल की 1995-96 की एल पी जी विपणन योजना में 90 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शामिल कर लिया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन राज्य के तेल चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है।

विवरण

स्थान		जिला
1		2
अनदल यू ए (बहुला), दुर्गापुर, असानसोल यू ए (4), वर्दवान (2), कालना, मनारी और गुसकाड़ा	—	वर्दवान
निरगाला, आरामबाग, शेरापूर, मखला, पंडुआ	—	हुगली
कलकत्ता (16)	—	कलकत्ता
सिलीगुड़ी (2), दार्जिलिंग टाउन	—	दार्जिलिंग
सैनथिया, बोलपुर, दुबराजपुर, नालहटी	—	बीरभुम
बीरनगर (2), नाबादीप, रानघाट, चकदाह, अंदापुर	—	नाडिया
बैरागपुर, बांगाव, कंचरापाड़ा, बदूरिया, हावड़ा, गोबरडांगा, ताकी, जयागरा, सुल्तानपुर, कन्यानगर, गोपालपुर, हतियारा	—	24 परगना उ.

1		2
हावड़ा, उलूबेरिया, दियोजुर, सरेंगा	—	हावड़ा
जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, डाबाग्राम, भूपगुड़ी	—	जलपाईगुड़ी
इंग्लिश बाजार (3)	—	मालदा
लालगोला, दुलियान, जयगंज, देराहपुर, मुर्शिदाबाद, बेलडांगा	—	मुर्शिदाबाद
बलूरघाट	—	प. दीनाजपुर
खड़गपुर (3), मिदनापुर टाउन, हल्दिया	—	मिदनापुर
रायगंज, कालियागंज	—	उ. दीनाजपुर
कूच बिहार	—	कूच बिहार
परुलिया	—	परुलिया
बंकुरुआ, सोनोखी	—	बंकुरआ
पंसकुरा पंचायत, गोरा	—	मेदनीपुर
डैनहाट	—	वर्दमान
मजिलपुर	—	24 परगना द्व.

[हिन्दी]

राजस्थान में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

14. **श्री गंगा राम कोली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान धौलपुर (राजस्थान) में ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). धौलपुर में 2×389 मे.वा. का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिएं मैसर्स आर.पी.जी., धौलपुर पावर कंपनी को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 31.3.1996 को "सिद्धांत रूप में" स्वीकृति प्रदान कर दी थी, परियोजना को चालू करने के कार्यक्रम को संप्रवर्तक द्वारा सभी आवश्यक निवेश और स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् ही अंतिम रूप दिया जा सकता है।

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्तियों का कार्यकाल

15. **श्री शांतिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सरकार के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों और उस श्रेणी के अधिकारियों, जिनके मामले में ए.सी.सी. की सहमति अनिवार्य होती है, की प्रतिनियुक्ति, पद पर बने रहने, सेवा काल में वृद्धि और कार्यकाल से पूर्व प्रतिनियुक्ति की समाप्ति संबंधी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत सरकार ने कुछ विभागों में हाल ही में कुछ अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति के बढ़ाए गए कार्यकाल को समयपूर्व समाप्त करने का औचित्य क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बाला सुब्रह्मण्यन) : (क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सरकार के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर की जाने वाली नियुक्तियों, पद पर बने रहने देने, सेवाकाल बढ़ाने तथा कार्यकाल से पूर्व प्रतिनियुक्ति की समाप्ति संबंधी निर्णय, जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं, सैद्धान्तिक रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.96 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36/77/94 ई.ओ. (एस.एम.-I) में निहित केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किये जाते हैं। केन्द्रीय पुलिस-संगठनों के मामले में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश, गृह मंत्रालय द्वारा बनाये गये भारतीय पुलिस सेवा के कार्यावधि-नियमों द्वारा सम्पूरित किये जाते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारतीय वन-सेवा के अधिकारियों के लिये उद्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के पदों के संबंध में दिशा-निर्देश, पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 26.02.96 के संकल्प संख्या 12011/1/94-आई. एफ.एस.I के द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत तैयार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार में विभिन्न संवर्गों के संबंध में प्रतिनियुक्ति संबंधी तैनाती विनियमित करने हेतु संगत भर्ती-नियमों के उपबंध तथा संबंधित दिशा-निर्देश लागू होते हैं।

(ख) निम्नलिखित आधार पर, सरकार कार्यकाल से पूर्व ही प्रतिनियुक्ति समाप्ति करने की अनुमति दे सकती है :-

(i) संबंधित अधिकारी को अपने मूल संवर्ग में पदोन्नति का लाभ लेने में समर्थ बनाने हेतु।

(ii) अनुकम्पा/वैयक्तिक आधार पर।

वर्ष 1996 में तीन अधिकारी प्रतिनियुक्ति की बढ़ायी गई अवधि के दौरान समय-पूर्व उनके मूल संवर्ग में वापस भेज दिये गये हैं। इनमें से दो अधिकारियों को अपने मूल संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त करने हेतु उनके अनुरोध पर वापस भेजा गया है तथा तीसरे अधिकारी को अनुकम्पा के आधार पर वैयक्तिक कारणों से वापस भेजा गया है।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

16. **श्री टी. गोपाल कृष्ण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बागवानी उत्पाद और इनके उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए आंध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (कं) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

17. **श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विशेष रूप से करीम नगर और चित्तूर जिले में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं, क्योंकि करीमनगर और चित्तूर जिलों सहित आन्ध्र प्रदेश के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को पहले ही इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया जा चुका है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

बीमारियों का इलाज

18. **श्री सौम्य रंजन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यमान टी.बी., कैंसर, मलेरिया, कुष्ठ रोग, एड्स और पोलियो के विशेष इलाज हेतु सरकारी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1996-97 में इन बीमारियों हेतु नए अस्पताल खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बीमारियों पर नियंत्रण पाने हेतु 1995-96 के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी सहायता दी गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) (i) क्षयरोग :— राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में क्षयरोग अस्पतालों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ii) कैंसर :—विवरण-II संलग्न है।

(iii) मलेरिया :—समग्र देश में फील्ड स्टाफ व सामुदायिक स्वयंसेवकों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त मलेरिया उपचार सुविधाएं प्रत्येक सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों में पूरी तरह उपलब्ध हैं।

(iv) कुष्ठः राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के जरिए घर-घर जाकर उपचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुष्ठरोधी सेवाएं प्रदान कर रही कुष्ठ इकाइयों की राज्यवार सूचियां विवरण-III तथा IV संलग्न हैं।

(v) एड्स : एड्स रोगियों को बीच-बीच में होने वाले संक्रमणों का लाक्षणिक उपचार अस्पतालों में किया जाता है।

(vi) पोलियो : पोलियो के उपचारार्थ कोई विशिष्ट अस्पताल नहीं है।

(ख) वर्ष 1996-97 में इन रोगों के लिए अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्षय रोग : वर्ष 1995-96 के दौरान क्षयरोग कार्यक्रम के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन दर्शाने वाला विवरण-V संलग्न है।

(ii) कैंसर : विवरण-VI संलग्न है।

(iii) मलेरिया : विवरण-VII संलग्न है।

(iv) कुष्ठ : राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान प्रत्येक राज्य को प्राप्त कुल सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण VIII में दिया गया है।

(v) एड्स : सूचना विवरण IX में संलग्न है।

(vi) शून्य सूचना।

विवरण-I

क्षय रोग

पंतगों के साथ भारत के सरकारी क्षय रोग अस्पताल

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षयरोग अस्पतालों की संख्या	क्षयरोग पलंगों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	9	1874
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	50
3.	असम	4	392
4.	बिहार	6	852
5.	गोवा	5	374
6.	गुजरात	9	1119
7.	हरियाणा	1	75
8.	हिमाचल प्रदेश	3	650
9.	जम्मू व कश्मीर	2	600
10.	कर्नाटक	11	1860
11.	केरल	12	1763
12.	मध्य प्रदेश	9	1143
13.	महाराष्ट्र	12	1010
14.	मणिपुर	1	100
15.	मेघालय	2	242
16.	मिजोरम	1	65
17.	नगालैण्ड	2	100
18.	उड़ीसा	7	226
19.	पंजाब	4	695
20.	राजस्थान	12	1511
21.	सिक्किम	–	–
22.	तमिलनाडु	13	2023
23.	त्रिपुरा	1	50
24.	उत्तर प्रदेश	25	1893
25.	पश्चिम बंगाल	37	4750
26.	अडमान व निकोबार	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–
29.	दिल्ली	2	1115
30.	दमन व दीव	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	पांडिचेरी	2	238
		193	24770

विवरण-II

कैंसर

कैंसर उपचार के लिए रेडियोथिरेपी सुविधाओं वाली सरकारी संस्थाओं की सूची

1. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, गंटूर।
2. एम.एन.जे. कैंसर अस्पताल, हैदराबाद।
3. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, कुरनूल।
4. निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंज, हैदराबाद।
5. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, काकीनाड़ा।
6. किंग जार्ज अस्पताल, विशाखापत्तनम।
7. एम.जी.एम. अस्पताल, वारांगल।
8. असम मेडिकल कालेज अस्पताल, डिग्रुगढ़।
9. डा. बी. बरूआ कैंसर इंस्टीट्यूट, गुवाहटी।
10. पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना।
11. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आई.आर.सी.एच., नई दिल्ली।
12. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली।
13. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।
14. गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद।
15. एम.पी.शाह कालेज एंड इर्विन ग्रुप आफ अस्पताल, जामनगर।
16. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़।
17. मेडिकल कालेज अस्पताल, रोहतक।
18. इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल, शिमला।
19. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू।
20. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एंड एस.एम.एच.एस. अस्पताल, श्रीनगर।
21. शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कालेज, श्रीनगर।
22. किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आकोलॉजी, मंगलौर।
23. पेरीफेरल कैंसर सेंटर, मांड्या।
24. पेरीफेरल कैंसर सेंटर, गुलबर्गा।
25. मेडिकल कालेज अस्पताल, कालीकट।
26. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम।
27. मेडिकल कालेज अस्पताल, कोट्टायम।
28. क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, तिरूवनंतपुरम।
29. गांधी मेडिकल कालेज एंड हमिदिया अस्पताल, भोपाल।
30. कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर।
31. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एंड कैंसर अस्पताल, जबलपुर।

32. पं. जे.एन.एम. कालेज और अस्पताल, रायपुर।
33. संत तुकाराम अस्पताल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, अंकोला।
34. मेडिकल कालेज अस्पताल, औरंगाबाद।
35. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एंड अस्पताल, नागपुर।
36. आर.एस.टी. कैंसर अस्पताल, नागपुर।
37. सिविल अस्पताल, शिलांग।
38. एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज अस्पताल, बहरामपुर।
39. वी.एस.एस. मेडिकल कालेज अस्पताल, बुरला।
40. रीजनल सेंटर फार कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, कटक
41. जिपमेर, पांडिचेरी।
42. एस.जी.टी.बी. अस्पताल, लुधियाणा।
43. सी.एम.सी. अस्पताल, लुधियाना
44. एस.पी.एम.सी. एंड पी.बी.एन.बी. अस्पताल, बीकानेर।
45. एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर।
46. एस.एन.एन.सी. अस्पताल, जोधपुर।
47. आर.एन.टी.एम.सी. एंड ए.जी. अस्पताल, उदयपुर।
48. गवर्नमेंट अंग्यार अन्ना मैमोरियल अस्पताल, कांचीपुरम।
49. कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास।
50. गवर्नमेंट सैटनले अस्पताल, मद्रास।
51. गवर्नमेंट रापेट्टा अस्पताल, मद्रास।
52. कैंसर अस्पताल, अगरतलां।
53. एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा।
54. जे.एन. मेडिकल कालेज एंड अस्पताल, अलीगढ़।
55. के.एन. अस्पताल, इलाहाबाद।
56. जे.के. कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर।
57. के.जी. मेडिकल कालेज एंड अस्पताल, लखनऊ।
58. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ
59. लाला लाजपत राय मैमोरियल मेडिकल कालेज, मेरठ।
60. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी।
61. इंडियन रेलवे कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, वाराणसी।
62. बी.एस. मेडिकल कालेज एंड अस्पताल, बांकुरा।
63. एस.एस.के.एम. एंड पी.जी. इंस्टीट्यूट, कलकत्ता।
64. चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता।
65. मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता।
66. आर.जी.कार मेडिकल कालेज एंड अस्पताल, कलकत्ता।
67. एन.आर.एस. मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता।

विवरण–III

मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन भौतिक आधारभूत ढांचा

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एलसीयू/एससीयू	यूएलसी	एसईटी	डीएलओ	टीएचडब्ल्यू	एसएसएयू	वीओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	94	91	164	31	53	3	45
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	–	31	–	1	–	3
3.	असम	9	16	250	6	5	1	6
4.	बिहार	89	71	1044	22	29	3	22
5.	गोवा	1	2	31	1	1	–	–
6.	गुजरात	21	21	369	7	9	2	17
7.	हरियाणा	–	3	2	–	–	1	1
8.	हिमाचल प्रदेश	6	1	15	5	1	1	1
9.	जम्मू व कश्मीर	8	2	37	–	2	–	1
10.	कर्नाटक	41	50	673	20	22	3	22
11.	केरल	20	45	254	8	5	3	11
12.	मध्य प्रदेश	54	72	530	23	14	5	7
13.	महाराष्ट्र	42	258	970	24	23	1	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मणिपुर	4	1	17	4	1	–	2
15.	मेघालय	2	1	16	–	2	–	1
16.	मिजोरम	2	1	7	2	1	1	–
17.	नगालैंड	2	2	30	3	2	–	–
18.	उड़ीसा	55	16	140	10	11	1	17
19.	पंजाब	2	16	–	1	1	1	1
20.	राजस्थान	5	5	8	4	4	–	7
21.	सिक्किम	2	6	13	1	1	–	1
22.	तमिलनाडु	102	82	26	22	52	7	31
23.	त्रिपुरा	3	4	20	1	1	1	1
24.	उत्तर प्रदेश	122	60	1023	65	17	1	48
25.	पश्चिम बंगाल	91	71	35	15	30	1	14
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	3	10	1	1	4	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	1	–
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	2	–	–	–	–
29.	दमण व दीव	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	3	–	–	–	–	3
31.	लक्षद्वीप	–	–	3	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1	3	24	2	1	–	1
	कुल	780	906	5744	278	290	40	290

एलसीयू/एमसीयू – कुष्ठ नियंत्रण यूनिट/संशोधित नियंत्रण यूनिट
एसईटी – सर्वेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्र
टी एच डब्ल्यु – अस्थायी हास्पिटेलाइजेशन वार्ड
वी ओ – स्वैच्छिक संगठन
यूएलसी – शहरी कुष्ठ केन्द्र
डी एल ओ – जिला कुष्ठ कार्यालय
एस एस ए यू – नमूना सर्वेक्षण सह-मूल्यांकन यूनिट

विवरण-IV

कुष्ठ रोग

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल कुष्ठ उपचार यूनिटें

1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	8
3.	असम	22
4.	बिहार	36
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	13
7.	हरियाणा	14
8.	हिमाचल प्रदेश	15
9.	जम्मू व कश्मीर	14
10.	कर्नाटक	14
11.	केरल	10
12.	मध्य प्रदेश	40
13.	महाराष्ट्र	21
14.	मणिपुर	9
15.	मेघालय	10
16.	मिजोरम	3
17.	नगालैंड	6

18.	उड़ीसा	शून्य
19.	पंजाब	17
20.	राजस्थान	23
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	शून्य
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	44
25.	पश्चिम बंगाल	2
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
27.	चंडीगढ़	1
28.	दादरा व नगर हवेली	1
29.	दमण व दीव	3
30.	दिल्ली	2
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पांडिचेरी	1
	कुल	336

विवरण-V

क्षय रोग

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आबंटन 1995-96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995-96 आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	224.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	38.50
3.	असम	102.50
4.	बिहार	448.50
5.	गोवा	38.75
6.	गुजरात	193.75
7.	हरियाणा	82.00
8.	हिमाचल प्रदेश	66.00
9.	जम्मू व कश्मीर	53.00
10.	कर्नाटक	199.50
11.	केरल	123.00
12.	मध्य प्रदेश	273.50
13.	महाराष्ट्र	392.50
14.	मणिपुर	44.00
15.	मेघालय	40.50
16.	मिजोरम	36.25
17.	नगालैंड	37.25
18.	उड़ीसा	108.00
19.	पंजाब	99.00
20.	राजस्थान	130.00
21.	सिक्किम	37.00
22.	तमिलनाडु	276.50
23.	त्रिपुरा	41.25
24.	उत्तर प्रदेश	868.00
25.	पश्चिम बंगाल	190.00
26.	पांडिचेरी	37.75
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	35.25
28.	चंडीगढ़	26.25
29.	दादरा व नगर हवेली	34.50
30.	दिल्ली	52.00
31.	दमण व द्वीव	34.25
32.	लक्षद्वीप	34.25
		4398.00

विवरण-VI

कैंसर

1995-96 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भुगतान किया गया सहायता अनुदान

(1)	**योजना :**	
(क)	**क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान**	**लाख रुपये में**
(1)	चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	150.00
(2)	कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	55.00
(3)	गुजरात कैंसर एंड रिचर्स इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	50.00
(4)	किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आन्कोलाजी, बंगलौर	50.00
(5)	रिजनल सेन्टर फार कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेन्ट सोसाइटी, कटक	55.00
(6)	इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर होस्पीटल, (ए आई आई एम एस), नई दिल्ली	250.00
(7)	कैंसर होस्पीटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर	50.00

(8)	रिजनल कैंसर सेन्टर, त्रिवेन्द्रम	50.00
(9)	कमला नेहरू मेमोरियल होस्पीटल, इलाहाबाद	50.00
(10)	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ आन्कोलाजी, हैदराबाद	50.00
(ख)	**रेडियो थिरेपी यूनिटों के लिए सहायता**	
(1)	लायन्स जिला 324 सी-1 कैंसर ट्रीटमैन्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	100.00
(2)	एम बी एस होस्पीटल, कोटा राजस्थान	46.00
(3)	परवारा रूरल होस्पीटल, लोनी, महाराष्ट्र	50.00
(4)	पूना मेडिकल फाउडेंशन, रूबी हाल क्लिनिक, पुणे, महाराष्ट्र	75.00
(5)	संजीवन मेडीकल फाउंडेशन, मिराज, महाराष्ट्र	75.00
(6)	संधु वाशवानी मेडिकल काम्प्लेक्स, इनलाक्श एंड बुधरानी होस्पीटल, पुणे, महाराष्ट्र	75.00
(7)	एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश	75.00
(8)	तंजावर मेडिकल काम्प्लेक्स, तंजावर, तमिलनाडु	25.00
(ग)	**जिला परियोजनाओं के लिए सहायता**	
(1)	त्रिरूनेलवेली जिला, तमिलनाडु	15.00
(2)	रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र	15.00
(3)	महबूबनगर जिला, आंध्र-प्रदेश	15.00
(4)	पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	15.00
(5)	मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश	15.00
(6)	वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश	15.00
(घ)	**आन्कोलाजी स्कंधों का विकास**	
	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश	150.00
(ङ)	**स्वास्थ्य शिक्षा और रोगी का पता लगाने वाले स्वैच्छिक संगठन**	
(1)	श्री प्राननाथ मिशन जन कल्याण आश्रम, रायपुर, मध्य प्रदेश	2.50
(2)	मालाबार कैंसर फेयर सोसायटी, कन्नूर, केरल	5.00
(3)	पूना मेडिकल फाउंडेशन, पूणे, महाराष्ट्र	5.00
(4)	मीनाक्षी मिशन होस्पीटल एंड रिसर्च सेन्टर, मदुरई, तमिलनाडु	5.00
(5)	लोकमान्य मेडिकल फाउंडेशन, पुणे, महाराष्ट्र	5.00
(6)	संधु वासवानी मेडिकल काम्प्लैक्स, इनलाक्श एंड बुधरानी होस्पीटल, पुणे, महाराष्ट्र	5.00
	कुल (योजना) (क+ख+ग+घ+ङ)	1598.09 लाख रुपये
(II)	**योजनेत्तर**	
	चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	183.00 लाख रुपये

विवरण-VII

मलेरिया

1995-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता का राज्यवार अनन्तिम व्यय

रुपए लाख में

1.	आन्ध्र प्रदेश	336.34
2.	अरूणाचल प्रदेश	204.29
3.	असम	1485.46
4.	बिहार	129.91
5.	गोवा	4.79
6.	गुजरात	718.36
7.	हरियाणा	194.90
8.	हिमाचल प्रदेश	117.72
9.	जम्मू व कश्मीर	14.94
10.	कर्नाटक	429.50
11.	केरल	50.34
12.	मध्य प्रदेश	1227.28
13.	महाराष्ट्र	1345.81
14.	मणिपुर	346.78
15.	मेघालय	295.14
16.	मिजोरम	357.28
17.	नगालैंड	363.04
18.	उड़ीसा	350.87
19.	पंजाब	324.39
20.	राजस्थान	1195.51
21.	सिक्किम	14.25
22.	तमिलनाडु	111.82
23.	त्रिपुरा	401.52
24.	उत्तर प्रदेश	331.61
25.	पश्चिम बंगाल	547.53

26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	79.88
27.	चंडीगढ़	24.65
28.	दादरा व नगर हवेली	23.98
29.	दमण व दीव	5.16
30.	दिल्ली	359.52
31.	लक्षद्वीप	3.80
32.	पांडिचेरी	14.46
	कुल	11410.43
	प्रचार व अनुसंधान	360.77
	(ख) काला आजार (बिहार)	1112.32
	महायोग	12883.52
		यानि 128.8 करोड़

विवरण-VIII

कुष्ठ

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
1995-96 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता

(रुपए लाख में)

क्र.स.	राज्य/स.रा.क्षे	रिलीज-1995-96		
		नगद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	195.50	227.75	423.25
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.50	22.53	41.03
3.	असम	20.00	42.45	62.45
4.	बिहार	111.50	314.84	426.34
5.	गोवा	0.44	18.71	19.15
6.	गुजरात	16.00	124.18	140.18
7.	हरियाणा	7.00	51.07	58.07
8.	हिमाचल प्रदेश	7.00	46.60	53.60
9.	जम्मू व कश्मीर	4.45	53.84	58.29
10.	कर्नाटक	103.00	147.98	250.98
11.	केरल	76.00	89.35	165.35
12.	मध्य प्रदेश	129.75	242.95	372.70
13.	महाराष्ट्र	16.00	147.74	163.74
14.	मणिपुर	5.50	28.52	34.02
15.	मेघालय	7.93	22.61	30.54
16.	मिजोरम	18.00	1.60	19.60
17.	नगालैंड	7.00	16.44	23.44
18.	डड़ीसा	158.75	196.99	355.74
19.	पंजाब	21.00	32.14	53.14
20.	राजस्थान	29.00	66.78	95.78
21.	सिक्किम	20.00	2.30	22.30
22.	तमिलनाडु	114.00	268.88	382.88
23.	त्रिपुरा	19.00	14.52	33.52
24.	उत्तर प्रदेश	182.62	293.56	476.18
25.	पं बंगाल	95.00	185.44	280.44
26.	अ. व नि. द्वीपसमूह	7.00	0.37	7.37
27.	चंडीगढ़	0.50	27.33	27.83
28.	दा. व न. हवेली	1.00	2.89	3.89
29.	दमण व दीव	3.00	1.60	4.60
30.	दिल्ली	0.50	38.76	39.26
31.	लक्षद्वीप	2.00	1.02	3.02
32.	पांडिचेरी	2.50	9.42	11.92
	उपयोग	1399.44	2741.16	4140.60
	केन्द्रीय सैक्टर	2278.96	-	2278.96
	योग	3678.40	2741.16	6419.56

विवरण-IX

एड्स

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1995-96 के दौरान दिए गए अनुदान

(रुपए लाख में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिया गया अनुदान
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	432.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	65.81
3.	असम	92.76
4.	बिहार	शून्य
5.	गोवा	शून्य
6.	गुजरात	131.26
7.	हरियाणा	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	156.75
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य

1	2	3
10.	कर्नाटक	120.00
11.	केरल	172.62
12.	मध्य प्रदेश	137.00
13.	महाराष्ट्र	300.00
14.	मणिपुर	113.58
15.	मेघालय	18.00
16.	मिजोरम	36.00
17.	नगालैंड	107.00
18.	उड़ीसा	शून्य
19.	पंजाब	80.00
20.	राजस्थान	90.00
21.	सिक्किम	25.00
22.	तमिलनाडु	650.00
23.	त्रिपुरा	38.00
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	288.82
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	50.59
27.	चण्डीगढ़	51.70
28.	दा. व न. हवेली	42.00
29.	दिल्ली	164.00
30.	दमण व दीव	43.05
31.	लक्षद्वीप	53.54
32.	पांडिचेरी	55.04
	कुल	3514.46

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

19. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थिर मूल्यों के आधार पर राज्यवार, प्रति व्यक्ति आय कितनी रही;

(ख) योजना के दो दशकों के दौरान राष्ट्रीय औसत का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन राज्यों में विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के सम्बन्ध में सतत कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा यथा-मापित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रति व्यक्ति आय संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पिछले दो दशकों (अर्थात् 1975-76 से 1994-95) के दौरान लगातार जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा यथा-मापित प्रति व्यक्ति आय समग्र रूप से राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) के कम है, वे हैं— आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।

(ग) राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.) में अन्तर के विभिन्न कारण हैं। एक कारण यह है कि विभिन्न राज्य एन.एस.डी.पी. की गणना के लिए विभिन्न स्रोत सामग्री और विधि का उपयोग करते हैं और उसके द्वारा राज्यों के बीच आंकड़ों को अतुलनीय बना देते हैं। अन्य कारण विभिन्न क्षेत्रों में आधार संरचना कृषि और उद्योग का ऐतिहासिक रूप से असमान विकास और निवेश की उत्पादकता और विकासात्मक कार्यनीतियों में अन्तर होना है।

(घ) राज्य सरकारें आय बढ़ाने के लिए विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं-केन्द्र सरकार राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता एक फार्मूले के अनुसार मुहैया कराती है, जिसमें प्रति व्यक्ति कम आय वाले राज्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के सम्पूर्ण प्रश्न पर नवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाएगा।

विवरण

स्थिर कीमतों पर राज्यवार प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन (01.07.1996 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ रा.क्षे.	1980-81 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी रुपये 1992-93	1993-94 (पी)	1994-95 (क्यू)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1761	1908	1859
2.	अरूणाचल प्रदेश	3013	3058	3076
3.	असम	1622	1671	1720

1	2	3	4	5
4.	बिहार	1026	1042	1067
5.	गोवा	5381	5459	5341
6.	गुजरात	2995	2859	3217
7.	हरियाणा	3421	3538	3683
8.	हिमाचल प्रदेश	2267	2307	2381
9.	जम्मू व कश्मीर	1804	1832	–
10.	कर्नाटक	2281	2423	2501
11.	केरल	1932	2043	2113
12.	मध्य प्रदेश	1620	1766	1738
13.	महाराष्ट्र	3734	3980	4157
14.	मणिपुर	1890	1921	–
15.	मेघालय	1612	1698	1835
16.	नागालैंड	–	–	–
17.	उड़ीसा	1476	1542	1581
18.	पंजाब	3932	4053	4167
19.	राजस्थान	1934	1760	2016
20.	सिक्किम	–	–	–
21.	तमिलनाडु	2405	2498	2656
22.	त्रिपुरा	1713	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	1618	1639	1663
24.	पश्चिम बंगाल	2241	2323	2434
25.	अंडमान व निको. द्वीपसमूह	2876	3004	3081
26.	दिल्ली	5353	5547	–
27.	पांडिचेरी	3510	3325	–
अखिल भारत	प्रति व्यक्ति एनएनपी	2239	2292	2401
	प्रति व्यक्ति एनडीपी	2294	2359	2461

क्यू : तुरंत भुगतान,

पी : अनंतिम : संबंधित राज्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए

एनएनपी : निवल राष्ट्रीय उत्पाद

एन डीपी : निवल घरेलू उत्पाद

स्रोत : एनएसडीपी और एनएनपी और एनडीपी के संबंध में सी एस ओ के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय

टिप्पणी : 1. प्रयुक्त स्रोत सामग्री में अंतर की वजह से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े कड़े रूप से तुलनीय नहीं हैं।

2. चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र एनएसडीपी अनुमान तैयार नहीं करते। मिजोरम केवल चालू कीमतों पर एनएसडीपी अनुमान तैयार करता है।

[अनुवाद]

उर्वरक का उत्पादन

20. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के उर्वरक की अनुमानित मांग, चालू स्थापित उत्पादन क्षमता और वर्तमान उत्पादन मात्रा की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार की उर्वरक संबंधी कमी को दूर करने हेतु अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) (i) 1.4.96 को एन तथा पी की स्थापित उत्पादन क्षमता क्रमशः 91.02 लाख मी.टन तथा 28.22 लाख मी.टन थी। देश की पोटाशिक उर्वरकों की समस्त मांग को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(ii) 1995-96 में वास्तविक उत्पादन तथा 1996-97 के लिये उत्पादन लक्ष्य के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(लाख मी.टन में)

क्र.सं.	उर्वरक न्यूट्रिएंट	1995-96 में वास्तविक उत्पादन	1996-97 के लिये उत्पादन लक्ष्य
1.	एन	87.77	90.23
2.	पी	25.58	26.80

(iii) कार्यान्वयनाधीन तथा चल रही परियोजनाओं के वृद्धिशील उत्पादन, जिसकी सूची हाल ही में बनाई गई है, 2001-02 तक एन तथा पी उर्वरकों के उत्पादन में क्रमशः 140.27 लाख मी.टन तथा 34.51 लाख मी.टन तक वृद्धि होने की आशा है बशर्ते कि सभी परियोजनाएं कार्यान्वित हो जाती हैं।

(iv) विभिन्न श्रेणियों के उर्वरकों की व्यक्त मांग न्यूट्रिएंट्स के निरपेक्ष और सापेक्ष मूल्य अन्य कृषि निवेशों तथा कृषि उत्पादों के मूल्य तथा मौसमी घटकों, सुनिश्चित सिंचाई की उपलब्धता तथा उपज प्रतिमानों जैसे अनेक परिवर्तनों का कार्य है।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा 24.7.1991 को जारी किये गये औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। कोई भी उद्यमी पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी लेने के पश्चात् देश में किसी भी स्थान पर उर्वरक परियोजना स्थापित कर

सकता है। देश में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं द्वारा 1.1.2009 तक एन तथा पी उर्वरकों की उत्पादन क्षमता में क्रमशः 19.46 लाख मी. टन तथा 0.31 लाख मी.टन की बढ़ोतरी किये जाने की आशा है। सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी एककों के लिए निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रस्तावों में एन तथा पी की क्षमता में क्रमशः 14.67 लाख मी.टन तथा 2.71 लाख मी.टन बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में विचार किया गया है।

राष्ट्रीय उर्वरक निगम लि. इकाई का बंद होना

21. **श्री एम. सैल्वारासु** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय उर्वरक निगम के नांगल, पानीपत और भटिंडा स्थित तीन संयंत्रों के खातों को बन्द करने और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी के समर्थन बंद करने से उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण ये इकाइयां बंद हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. के नांगल, पानीपत और भटिंडा संयंत्र उत्पादन कर रहे हैं। एन.एफ.एल. के बैंक खातों पर रोक नहीं लगाई गई है और अपनी कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह कम्पनी बैंकों के एक संघ से नकद ऋण सुविधाएं ले रही है।

पानीपत और नंगल एककों में, परिवहन कठिनाइयों तथा प्रेषण बिन्दु पर कठिनाईयों के कारण तेल तथा कोयले की अनुपलब्धता तथा कुछ धन-संबंधी समस्याओं के कारण 17.6.96 को उत्पादन अस्थायी रूप से निलम्बित था। किये गये उपचारी उपायों से ये संयंत्र पुनः उत्पादन प्रारम्भ करने में समर्थ हो गये हैं।

राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड

22. **श्री मोहन रावले** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड में पूर्णकालिक अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड में पूर्णकालिक अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कब तक की जाएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (आर.सी.एफ.) के पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

23. **डा. राम कृष्ण कुसमरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय लगभग 4074 हजार करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तिथि एवं राज्य विद्युत बोर्ड-वार तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी परिणाम क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). 31 मार्च, 1996 की स्थितिनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) को विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी)/विद्युत विभागों द्वारा दी जाने वाली कुल बकाया देय राशि 4714.84 करोड़ रु (3102.40 करोड़ रु के प्राप्य और 1612.44 करोड़ रु के अतिरिक्त प्रभार) है। बकाया देय राशियां इंगित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). बकाया देय राशियों की वसूली से संबंधित मामले पर चूककर्त्ता रा. बि. बो. और राज्य सरकारों के साथ उच्च स्तर पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार ने केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से एनटीपीसी को पुरानी बकाया राशियों की वसूली की व्यवस्था की थी।

जहां तक चालू बकाया देय राशियों की वसूली का संबंध है, एनटीपीसी के पक्ष में साख पत्र खोले जाने/उनमें वृद्धि किए जाने हेतु राज्य सरकारों/रा.बि. बोर्डों के साथ कार्यवाही की जारही है। बड़े-बड़े चूककर्ताओं के मामले में भुगतानों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति नियंत्रित की जा रही है। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप बकाया देय राशियों की वसूली की स्थिति बेहतर हुई है।

विवरण

(लाख रुपये में)

एसटीपीएस/एसईबी	अद्यतन तिथि के अनुसार बकाया देय राशियां (×)	बिल में अंकित अतिरिक्त प्रभार	कुल बकाया देय राशियां
1	2	3	4
(क) उत्तरी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र			
यूपीएसईबी	71232	26825	98057
आरएसईबी	21615	15714	37329
डेसू	49618	10450	60068
पीएसईसी	1819	322	2141
एचएसईबी	119203	12739	31942
एचपीएसईबी	749	941	1690
जे एंड के.	25692	6386	32078
यूटीसी	672	0	672
पावरग्रिड	339	23	362
जोड़ (क)	190939	73400	264339
(ख) पश्चिमी क्षेत्र			
एमपीईबी	21095	17741	38835
एमएसईबी	18178	7975	26153
जीईबी	10388	6450	16838
गोवा	241	35	276
हीएनएच	140	0	140
डी एंड डी	267	2	269
पावरग्रिड	129	27	156
जोड़ (ख)	50438	32230	82668
(ग) दक्षिण क्षेत्र			
एपीएसईबी	8241	5058	13299
केईबी	3827	3299	7126
टीएनईबी	3388	5607	8995
केएसईबी	558	2199	2757
गोवा	170	66	236
पांडिचेरी	12	2	14
जोड़ (ग)	16196	16231	32427
(घ) पूर्वी क्षेत्र			
डब्ल्यूबीएसईबी	11779	5586	17365
बीएसईबी	17679	23547	41226
ग्रिडको (उड़ीसा)	17717	1313	19030
डी.बी.सी.	5234	8889	14123
सिक्किम	258	48	306
जोड़ (घ)	52667	39383	92050
कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	310240	161244	471484

राज्यों में हिन्दी का उपयोग

24. श्री राम टहल चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपने राज्य कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) सरकार को ऐसी सूचना नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विद्युत संकट

25. श्री एल. रमना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में विद्युत की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों में विद्युत की समुचित आपूर्ति के लिए कुछ नई विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ की जानी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजनाएं कब तक पूरी कर ली जायेंगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). अप्रैल से मई, 1996 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ने क्रमशः लगभग 24%, 28%, 26%, 30% और 16% ऊर्जा की कमी का सामना किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े निबल मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य	अप्रैल, 96 से मई, 96 तक			
प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	152	152	0	0.0
दिल्ली	2355	2294	61	2.6
हरियाणा	2255	2213	42	1.9
हिमाचल प्रदेश	346	346	0	0.0
जम्मू-कश्मीर	743	550	193	26.0
पंजाब	3575	3548	27	0.8
राजस्थान	3180	3099	81	2.5
उत्तर प्रदेश	6930	5930	1000	14.4
उत्तरी क्षेत्र	19536	18132	1404	7.2
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	6700	6123	577	8.6
मध्य प्रदेश	5350	4871	479	9.0
महाराष्ट्र	10100	9753	347	3.4
गोवा	218	218	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	22368	20965	1403	6.3
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	6595	4997	1598	24.2
कर्नाटक	4185	2948	1237	29.6
केरल	1800	1331	469	26.1
तमिलनाडु	6105	5114	991	16.2
दक्षिणी क्षेत्र	18685	14390	4295	23.0
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	1580	1140	440	27.8
डीवीसी	1300	1279	21	1.6
उड़ीसा	1700	1656	44	2.6
पश्चिम बंगाल	2575	2535	40	1.6
पूर्वी क्षेत्र	7155	6610	545	7.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	29.1	14.4	14.7	50.5
असम	464.6	411.3	53.3	11.5
मणिपुर	57.6	53.7	3.9	6.8
मेघालय	54.0	54.0	0.0	0.0
मिजोरम	28.5	22.6	5.9	20.7
नगालैंड	30.8	22.4	8.4	27.3
त्रिपुरा	73.4	55.6	17.8	24.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	738.0	634.0	104.0	14.1
अखिल भारत	68482	60731	7751	11.3

विवरण-II

क्षमता अभिवृद्धि हेतु के.वि.प्रा. द्वारा निम्नलिखित स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की गई है/मूल्यांकन किया गया है।

आंध्र प्रदेश

1. जेगरूपाडु थर्मल 216 मेगावाट
2. प्रियदर्शिनी जुराब हाइड्रो 221.4 मेगवाट
3. गोदावरी सीजीजीटी थर्मल 208 मेगावाट
4. नागार्जुन टेल पॉण्ड बांध हाइड्रो 50 मेगावाट

कर्नाटक

1. सरापडी हाइड्रो 90 मेगावाट
2. रायचूर चरण-3 थर्मल 420 मेगावाट
3. तोरंगाल्लु थर्मल 260 मेगावाट
4. मंगलौर टीपीएस थर्मल 1000 मेगावाट

केरल

1. अदिरापल्ली एचईपी हाइड्रो 160 मेगावाट
2. कायमकुलम

तमिलनाडु

1. लिग्नाइट आधारित टीपीएस थर्मल 250 मेगावाट
2. पिल्लैपेरुम्मा नल्लूर थर्मल 338.5 मेगावाट
3. उत्तरा मद्रास चरण-2 थर्मल 1000 मेगावाट

बिहार

1. शून्य

निधियों समेत मुख्य निवेशों की उपलब्धता की शर्त पर इन परियोजनाओं को 9वीं और 10वीं योजना अवधि के दौरान चालू किया जा सकता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले

26. **श्री आर.एल.पी. वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संसद सदस्यों को तत्कालीन सरकार को बचाने हेतु रिश्वत दिए जाने की शिकायत के आधार पर एक नियमित मामला दर्ज करने का निदेश दिया गया था;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बाला सुब्रहमण्यन) : (क) से (घ). जी, हां।

सिविल रिट याचिका 789/96 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 24.5.1996 के आदेशों के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 11.06.1996 को एक नियमित मामला संख्या आर.सी. 5(ए)/96 ए.सीयू टप्प दायर किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन)

अपराध सं. आर.सी.5(ए)/96 ए.सी.यू-VIII	रिपोर्ट करने का समय और तारीख 11.6.96, 3.30 अपराह्न
घटना-स्थल और राज्य का नाम	नई दिल्ली
घटना का समय और तारीख	1993 के दौरान
फरियादी या सूचना देने वाले का नाम और पता	श्री रविन्द्र कुमार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, 37 अंगद नगर एक्सटैन्शन, दिल्ली।
अपराध का विवरण	भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (घ) के साथ पठित, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, धारा 7, धारा 12 तथा धारा 13(2) के अधीन
अभियुक्त का नाम और पता	(1) श्री पी.वी.नरसिंह राव, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री (2) श्री वी.सी. शुक्ला भूतपूर्व संसद सदस्य (3) श्री आर.के. धवन, संसद सदस्य (4) कैप्टन सतीश शर्मा, संसद सदस्य तथा भूतपूर्व केन्द्रीय पैट्रोलियम राज्य मंत्री (5) श्री अजीत सिंह, संसद सदस्य तथा भूतपूर्व केन्द्रीय खाद्य मंत्री (6) श्री भजन लाल, विधायक तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री, हरियाणा (7) श्री ललित सूरी, गैर-सरकारी व्यक्ति (8) झारखंड मुक्ति-मोर्चा के श्री सूरज मंडल और तीन अन्य संसद सदस्य तथा अन्य व्यक्ति।
की गई कार्रवाई का विवरण	एक नियमित मामला दर्ज किया गया।
तफतीश-अधिकारी	श्री जी.एन. गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ए.सी.यू.-VIII नई दिल्ली।

सूचना

श्री रविन्द्र कुमार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, 37 अंगद नगर एक्सटैन्शन, दिल्ली से निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली को सम्बोधित दिनांक 1.2.1996 की एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। सिविल रिट याचिका संख्या 789/96 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 24.5.96 के आदेश के अनुसार उक्त शिकायत जिसे नीचे पुनः उद्धृत किया जाता है, के आधार पर एक नियमित मामला दायर किया जाना है:-

सेवा में,

निदेशक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स,
लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय : भारतीय दण्ड-संहिता की धारा 107 तथा 120 ख के साथ पठित, भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम के अधीन श्री सूरज मंडल, संसद-सदस्य, श्री पी.वी. नरसिंह राव, भारत के प्रधान मंत्री, श्री वी.सी. शुक्ला, संसद सदस्य, श्री आर.के. धवन, संसद सदस्य, कैप्टन सतीश शर्मा, पैट्रोलियम राज्य मंत्री, श्री अजीत सिंह, संसद सदस्य, खाद्य मंत्री, श्री भजन लाल, मुख्य मंत्री, हरियाणा और श्री ललित सूरी, उद्योगपति के विरुद्ध आपराधिक शिकायत।

प्रिय महोदय,

कृपया उपर्युक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मेरी दिनांक पहली जनवरी, 1996 की पूर्व शिकायत का अवलोकन करें। मामले का तथ्य यह है कि श्री सूरज मंडल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर संसद सदस्य के रूप में चुने गए थे। श्री सूरज मंडल, संसद सदस्य ने एम-12, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली के पते रो, पंजाब नेशनल बैंक, नौरोजी नगर शाखा, नई दिल्ली में दिनांक 25.9.91 को अपना बचत खाता संख्या 17108 खोला जिसमें उन्होंने मिथ्या रूप से यह लिखा कि वे उक्त पते पर रहते हैं, जबकि तथ्य यह है कि यह आदमी उक्त पते पर नहीं रहता है।

ठीक उसी समय जब श्री पी.वी. नरसिंह राव सरकार लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी तो सर्वश्री पी.वी. नरसिंह राव, वी.सी. शुक्ला, आर.के. धवन, कैप्टन सतीश शर्मा, श्री अजीत सिंह, श्री भजन लाल तथा श्री ललित सूरी द्वारा लोक सभा में दिनांक 28 जुलाई, 1993 को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए एक समान इरादे तथा उद्देश्य के लिए आपराधिक षडयंत्र की योजना बनाई गई। जिसमें उक्त अभियुक्तों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों, व्यक्तियों एवं समूहों को 3 करोड़ रुपये से अधिक की विशाल धनराशि रिश्वत के रूप में देकर संसद सदस्यों से दल-बदल करवाने की शुरूआत की तथा वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित चार सदस्यों को अपने पक्ष में राजी करने के अपने घृणित इरादे में सफल हो गए। इन चार संसद सदस्यों में अभियुक्त श्री सूरज मंडल भी एक थे जिन्होंने दल-बदल करके अभियुक्त श्री पी.वी. नरसिंह राव की अध्यक्षता वाली सरकार के साथ गैर कानूनी गठ-जोड़ किया। उक्त धनराशि अभियुक्त श्री वी.सी. शुक्ला, श्री आर.के. धवन, कैप्टन सतीश शर्मा, श्री भजन लाल तथा श्री ललित सूरी ने पांच-तारा लग्जरी होटल होली डे इन, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली में सौंपी। उक्त तारीख को अभियुक्तों ने श्री सूरज मंडल को लगभग 1,10,00,000/- रुपये दिए तथा उक्त धनराशि में से 30 लाख रुपये की धनराशि अभियुक्त श्री सूरज मंडल द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की नौरोजी नगर शाखा नई दिल्ली में दिनांक 1.8.1993 को अपने बचत खाता संख्या 17108 में जमा की गई। आगे यह भी बताया गया है कि रिश्वत ली गई धनराशि का शेष भाग अभियुक्त श्री सूरज मंडल विभिन्न तारीखों को अपने बैंक खाते में जमा करवाते रहे और अब खाते में यह जमा धनराशि 52,12,280 रुपये हो गई है। फोटों प्रतियां तथा लेखा विवरण आपके सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि अभियुक्तों के विरुद्ध एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा इनके विरुद्ध कानून के उपबंधों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए।

कृपया इस शिकायत की पावती भेजें।

मुझे उम्मीद है कि दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की जाएगी।

भवदीय,
ह./-
(रविन्द्र कुमार)
अध्यक्ष,

उक्त तथ्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (घ) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, धारा 7, धारा 12 तथा धारा 13 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों को उजागर करता है। अतः उक्त नामों वाले अभियुक्तों के विरुद्ध एक नियमित मामला दायर किया जाता है तथा यह मामला जांच के लिए श्री जी.एन. गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अंवेषण ब्यूरो ए.सी.यू. VIII नई दिल्ली को सौंपा जाता है।

(ए.के. सिन्हा, भा.पु.से.)
पुलिस अधीक्षक
के.अ. ब्यूरो/ए.सी.यू.VIII/नई दिल्ली

पृष्ठांकन-संख्या 3/5(ए)/96ए.सी.यू-VIII/दिल्ली/2564 दिनांक 11.6.96

प्रति प्रेषित :-

(1) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश, दिल्ली।

(2) संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली।

(3) उप महानिरीक्षक/के.अं. ब्यूरो/ए.सी.III/नई दिल्ली।

(4) श्री रविन्द्र कुमार (शिकायतकर्त्ता), अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, 37, अंगद नगर एक्सटेशन, दिल्ली-110092 को पंजीकृत डाक से पावती सहित।

(5) श्री जी.एन. गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/ए.सी.यू. VIII/नई दिल्ली।

(6) कार्यालय फाइल।

(ए.के. सिन्हा, भा.पु.से.)
पुलिस अधीक्षक
के.अं. ब्यूरो/ए.सी.यू VIII
नई दिल्ली।

सं. 2276/3/5(क)/96-ए.सी.यू.-VIII
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
विशेष पुलिस स्थापना
भ्रष्टाचार निरोधक एकक-VIII
तृतीय तल, ब्लाक सं.-4
के.का. परिसर, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 20/6/96

सेवा में,

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों
के लिए विशेष न्यायाधीश,
नई दिल्ली।

विषयः- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित भा.दं. संहिता की धारा 120(ख), धारा 7, धारा 12 तथा धारा 13(1) (घ) के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला संख्या आर.सी. 5(क)/96-ए.सी.यू. VIII

महोदय,

इस कार्यालय की दिनांक 11.6.96 की पृष्ठांकन संख्या 3/5 (क)/96/ए.सी.यू-VIII/डी.एल.आई./2563 जिसके साथ उक्त मामले की एफ. आई.आर. की एक प्रति दिल्ली में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश की माननीय अदालत में भेजी गई थी, के संदर्भ में और आगे, मैं पंजाब नेशनल बैंक की नौरोजी नगर शाखा, नई दिल्ली में खुले श्री सूरजमंडल के ब.बैं. खाता सं. 17108 में लेन-देन की एक प्रति प्रेषित कर रहा हूं कृपया इसे मामले की एफ.आई.आर. के साथ संलग्न कर दिया जाए।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, दिल्ली के अध्यक्ष, श्री रविन्द्र कुमार की दिनांक 1.2.96 की शिकायत, जिसके आधार पर उक्त मामला के.अ. ब्यूरो में दर्ज किया गया था, के संलग्नक, अर्थात श्री सूरजमंडल के बचत बैंक-खाते का विवरण नहीं था। इसीलिए, इस मामले की एफ.आई.आर. की प्रति प्रेषित करते समय, उनके खाते का उक्त विवरण, उसके साथ नहीं भेजा गया। मामले को शिकायतकर्त्ता के साथ उठाया गया तथा उन्होंने उक्त विवरण की प्रति हमें भेजी जो कि दिनांक 19.6.96 को शाम को देर से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ए.सी.यू. VIII में प्राप्त हुई। इसी कारण से खाते के विवरण की उक्त प्रति को आज प्रेषित किया जा रहा है तथा इसे कृपया मामला सं. आर.सी. 5(ए)/96-ए.सी.यू. VIII की एफ.आई.आर. के साथ संलग्न किया जाए।

भवदीय,
(ए.के.सिन्हा)
भा.पु.से.
पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो:ए.सी.यू. VIII,
नई दिल्ली।

संलग्नक: यथा उपरोक्त

पृष्ठां सं.---------/3/5(क)/96-ए.सी.यू. VIII दिनांक / /96

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को इस कार्यालय के दिनांक 11.6.96 के पृष्ठां. सं. 3/5(क)/96ए.सी.यू-VII/दिल्ली/2564 के संदर्भ में।
2. उप महानिरीक्षक के.अ.ब्यूरा, ए.सी. III नई दिल्ली को, इस कार्यालय के दिनांक 11.6.96 के पृष्ठां. सं. 3/5(क)/96 ए.सीयू. VIII/दिल्ली/2565 के संदर्भ में
3. श्री रविन्द्र कुमार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, 37, अंगद नगर, दिल्ली-92 को इस कार्यालय के दिनांक 11.6.96 के पृष्ठां. सं. 3/5(क)/96/ए.सी.यू. VIII/दिल्ली2566 के संदर्भ में। यह दिनांक 19.6.96 को शाम 6.00 बजे प्राप्त हुए दिनांक 18.6.96 के उनके पत्र के संदर्भ में भी है।
4. श्री जी.एन.गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, ए.सी.यू. VIII, नई दिल्ली को इस कार्यालय के दिनांक 11.6.96 के पृष्ठां. सं. 3/5(क) /96/ए.सी.यू.-VIII/दिल्ली/2567 के संदर्भ में।
5. कार्यालय की फाईल में।

संलग्नक: यथा उपरोक्त

ह./-
(ए.के. सिन्हा, भा.पु.से.)
पुलिस अधीक्षक
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ए.सी.यू VIII
नई दिल्ली।

पंजाब नेशनल बैंक, नौरोजी नगर ब्रांच, नई दिल्ली
खाते का विवरण

नाम श्री सूरज मंडल, संसद सदस्य,
एम-12, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली

बचत खाता संख्या 17108

तारीख	विवरण	डेबिट/निकासी (रु.)	क्रेडिट/जमा (रु.)
1	2	3	4
15.9.1991	नकद		1,70,000.00
29.9.1991	नकद		1,20,000.00

1	2	3	4
24.10.1991	नकद		5,90,000.00
6.11.1991	चैक		15,000.00
6.11.1991	चैक		20,000.00
7.11.1991	चैक वापस	25,000.00	20,000.00
11.11.1991	चैक वापस	20,000.00	
13.11.1991	चैक वापस शुल्क	20.00	
23.11.1991	चैक वापस	15,000.00	
16.3.1992	ब्याज		10,124.00
29.8.1992	नकद		2,00,000.00
30.8.1992	नकद		4,00,000.00
10.9.1992	नकद		90,000.00
17.9.1992	ब्याज		25,956.00
19.3.1993	ब्याज		48,962.00
1.8.1993	नकद		30,00,000.00
23.8.1993	ब्याज		66,128.00
26.3.1994	ब्याज		1,18,528.00
18.9.1994	ब्याज		1,21,492.00
22.3.1995	ब्याज		1,16,134.00
16.9.1995	ब्याज		1,14,976.00
		70,020.00	52,82,300.00
		शेष	52,12,280.00

बिहार शरीफ दूभाष केन्द्र

27. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, बिहार शरीफ दूरभाष केन्द्र का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार शरीफ टेलीफोन एक्सचेंज का पहले ही आधुनिकीकरण कर दिया गया है। सितम्बर, 1994 में सी-डॉट किस्म का एक आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज (मुख्य स्वचालित एक्सचेंज) संस्थापित किया गया था तथा 30.6.96 की स्थिति के अनुसार, लगभग 2200 लाइनें काम कर रही हैं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

"स्पीड पोस्ट" सुविधा

28. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गांधी नगर में इस समय "स्पीड पोस्ट" सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गांधी नगर में "स्पीड पोस्ट" सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। गांधी नगर के दो डाकघरों अर्थात् गांधीनगर प्रधान डाकघर और इलेक्ट्रॉनिक एस्टेट डाकघर से राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट नेटवर्क के सभी केन्द्रों के लिए तथा प्वाइंट-टू-प्वाइंट सेवा के अंतर्गत आनंद, भुज और राजकोट के लिए स्पीड पोस्ट वस्तुओं की बुकिंग की जा सकती है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

असम गैस क्रेकर परियोजना को गैस की आंपूर्ति

29. **श्री केशव महन्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 0.60 एम एम एस सी एम डी गैस की आपूर्ति न किए जाने के परिणामस्वरूप कठालगुरी स्थित असम गैस क्रेकर परियोजना को चालू करने का कार्य ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को कब तक गैस आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (ग). असम गैस क्रेकर के लिए 200,000 टन प्रतिवर्ष की एथीलीन क्षमता तक फीडस्टाक मंजूर किया गया है। घरेलू विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षित 0.60 एम एम एस सी एम डी गैस का आबंटन नहीं किया जा सका क्योंकि असम में उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस का पूर्णतः आबंटन हो चुका है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

30. **डा. बलिराम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो ये कब तक खोल दिए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) इस समय हमारी उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996-97 के दौरान बाराबंकी तथा प्रतापगढ़ में दो नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की योजना है।

(ख) से (घ). जी, नहीं। परिषद के पास नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधि उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण डाकघर

31. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में ग्रामीण डाकघर खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये डाकघर कब तक खोल दिए जाएंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना स्कीमों के अंतर्गत ऐसे गांवों में डाकघर खोले जाते हैं जिनमें अभी डाकघर नहीं हैं, बशर्ते कि मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

गैर-सरकारी विद्युत परियोजनाएं

32. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत परियोजनाओं से संबंधित भारतीय तथा विदेशी कंपनियों की संख्या क्या है;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा स्थापना क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, भारत में निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किए जाने हेतु भारतीय और विदेशी कंपनियों से 194 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं निजी क्षेत्र में उन परियोजनाओं का ब्यौरा, जो क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, निम्नवत है:-

क्र सं.	परियोजना का नाम/प्रवर्तक	क्षमता (मे.वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रूपये)
1	2	3	4
1.	जेगरूपाडु जीबीपीपी/मैसर्स जीवीके इण्डस्ट्रिस लि.	216	816.00
2.	गोदावरी जीबीपीपी मैसर्स स्पैक्ट्रम टैक्नालॉजी	208	748.43

1	2	3	4
3.	डाभोल सीसीजीटी मैसर्स डाभोल पावर कंपनी	695 (पेस-1)	2912.00
4.	बसप्पा एचईपी जयप्रकाश इंडस्ट्रिज लि.	300	949.23
5.	हजीरा सीसीपीपी मैसर्स एस्सार पावर लि.	515	1666.56
6.	पगुथन जीबीपीपी मैसर्स गुजरात टोरेंट एनर्जी लि.	655	2298.14
7.	महेश्वर एचईपी मैसर्स एस. कुमारस लि.	400	1073.00
8.	तवा एचईपी मै. हिन्दुस्तान इलक्ट्रोग्राफिक्स लि.	12	65.00
9.	बड़ोदा सीसीजीटी मैसर्स जिपसल	167	341.13
10.	जजोबेरा टीपीपी मैसर्स जमशेद पुर पावर कंपनी लि.	202.5	981.00
11.	आदमटीला जीबीपीपी मैसर्स डीएलएफ पावर लि.	9	40.00
12.	बनासकांडी जीबीपीपी मैसर्स डीएलएफ पावर लि.	15.5	70.00

* जहां भी राज्य/प्रवर्तक द्वारा अनंतिम लागत अनुमान नहीं दिए गए हैं, वहां 3.5 करोड़ रूपये/मेगावाट को पूंजीगत लागत माना गया है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन और मांग

33. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कच्चे तेल का कुल उत्पादन व मांग कितनी रही;

(ख) क्या कच्चे तेल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की कितने प्रतिशत घरेलू मांग कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन से पूरी की जायेगी; और

(ङ) कच्चे तेल की पूरी मांग की किस प्रकार पूर्ति की जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन और मांग निम्नानुसार थी :-

(आकंड़े एम एम टी में)

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन	रिफाइनरियों की ओर से कच्चे तेल की मांग
1993-94	27.02	54.24
1994-95	32.24	56.33
1995-96	35.193	58.52

(ख) और (ग). जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि होती रही है।

(घ) इस समय पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग का लगभग 45 प्रतिशत कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है।

(ङ) घरेलू रिफाइनरियों की ओर से मांग सहित पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा कार्यक्रम

34. **डा. जी.आर. सरोदे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए राज्य वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है तथा उसके अंतर्गत क्या-क्या उपलब्धियां हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का भविष्य में उपरोक्त कार्यक्रम को वित्तीय सहायता बढ़ाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) सौर ऊर्जा कार्यक्रम में दो संघटक शामिल हैं -सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम और प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा

इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सौर तापीय प्रणलियों जैसे जल तापक और सौर कुकरों पर केंद्रीय आर्थिक राज सहायता क्रमशः जुलाई, 1993 और अप्रैल, 1994 से बंद कर दी गई। तथापि, प्रकाशवोल्टीय युक्तियों पर आर्थिक राज सहायता जारी रखी जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। दर्शाए गए आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक संवितरण हैं जो उन्हें सौंपे गए लक्ष्यों, उनके उपयोग और पहले निर्मुक्त की गई धनराशि के लेखे के निपटारे आदि पर आधारित है।

(ख) और (ग). जी, हां। आकलन से यह प्रकट होता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों और सौर कुकरों के मामले में उपलब्धियां हमेशा लक्ष्य से अधिक रही। सौर जल तापन प्रणालियों के मामले में वर्ष 1994-95 के दौरान उपलब्धि में कमी पाई गई। ऐसा वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता वापस ले लिए जाने और इसके स्थान पर एक उदार ऋण योजना लाए जाने के कारण हुआ। तथापि नई योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में लक्ष्य को पार कर लिया गया।

(घ) सौर ऊर्जा कार्यक्रम पर वर्ष 1994-95 में 2719 लाख रूपए की राशि की तुलना में वर्ष 1995-96 में व्यय 3450 लाख रूपए था अर्थात् 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों की आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष 1996-97 और नौवीं योजना के दौरान भी परिव्यय में आगे और वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(लाख रुपये में)		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	20.52	21.36	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.00	16.11	13.50
3.	असम	22.97	0.30	5.21
4.	बिहार	56.00	-	74.47
5.	गोवा	-	0.97	0.50
6.	गुजरात	2.00	22.31	38.63
7.	हरियाणा	24.47	53.00	60.08
8.	हिमाचल प्रदेश	37.31	79.72	153.10
9.	जम्मू एवं कश्मीर	31.75	43.15	173.26
10.	कर्नाटक	46.88	1.03	-
11.	केरल	67.70	115.54	175.20
12.	मध्य प्रदेश	80.09	63.80	2.90
13.	महाराष्ट्र	103.28	0.14	6.06
14.	मणिपुर	5.00	1.44	5.00
15.	मेघालय	16.58	12.32	10.65
16.	मिजोरम	5.70	-	1.23
17.	नागालैंड	-	-	1.52
18.	उड़ीसा	6.70	13.10	34.41
19.	पंजाब	6.65	6.10	0.12
20.	राजस्थान	97.61	67.08	4.40
21.	सिक्किम	3.70	-	-
22.	तमिलनाडु	39.60	55.70	0.50
23.	त्रिपुरा	7.40	-	64.01
24.	उत्तर प्रदेश	506.61	324.50	572.76
25.	पश्चिम बंगाल	57.75	21.43	116.02
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	0.38	-
27.	चण्डीगढ़	-	0.69	-
28.	दादर व नगर हवेली	-	-	-
29.	दमन व द्वीव	-	-	-
30.	दिल्ली	74.35	55.40	32.73
31.	लक्षद्वीप	-	-	-
32.	पांडिचेरी	-	0.18	-

नारियल का समर्थन मूल्य

35. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल के समर्थन मूल्य को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) नारियल का मूल्य पिछली बार कब संशोधित किया गया था;

(ङ) क्या केरल के नारियल उत्पादकों ने नारियल के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (च). सरकार ने पहली फरवरी, 1996 को यह निर्णय लिया कि 1996 के मौसम में 1995 के लिये नियत समर्थन मूल्यों पर अर्थात् खोपरा के गोलों के लिए 2725/- रूपये प्रति क्विंटल (अच्छी औसत किस्म) तथा मिलिंग खोपरा के लिए 2500/- रूपये प्रति क्विंटल (अच्छी औसत किस्म) पर खोपरा की खरीद जारी रखी जाए। 11 मार्च, 1996 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 141 के उत्तर में तत्कालीन राज्य मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन के मामले पर केरल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जायेगा। बाद में लोक सभा चुनावों तथा केन्द्रीय सरकार और केरल सरकार के बदल जाने के कारण यह विचार विमर्श नहीं हो सका।

विशेषज्ञ समिति

36. **श्री रूप चन्द्र पाल :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र राज्य संबंधों के सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन हेतु कोई विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का किसी ऐसी समिति के गठन का विचार है; और

(घ) सरकारिया आयोग की सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ). अंतर-राज्य परिषद की अक्तूबर, 1990 में हुई प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर इस समय अंतर राज्य परिषद की एक उप समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस उपसमिति की अब तक छः बैठकें हो चुकी हैं तथा 247 में से 190 सिफारिशों पर विचार किया गया। इन सिफारिशों की स्थिति निम्न प्रकार है :

सिफारिशों की संख्या

(I) संशोधन सहित/बिना संशोधन के स्वीकार की गई सिफारिशें	155
(II) स्वीकार न की गई।	24
(III) जिन पर कोई सर्वसम्मति नहीं हो सकी	11
(IV) जिन पर आंशिक रूप से विचार किया गया	1
(V) जिन्हें अंतिम रूप दिया जाना है	56
	247

उपर्युक्त क्रम संख्या (IV) और (V) की सिफारिशें जिनका कुल जोड़ 57 है आपातकाल प्रावधानों, शिक्षा और वित्तीय संबंधों के क्षेत्र में संघ राज्य संबंधों से संबंधित है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र-राज्य संबंधों के कुछ पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति के बारे में सोच विचार किया जाएगा।

विद्युत उत्पादन का व्यय

37. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नए अणु शक्ति संयंत्र में निश्चित क्षमता पर विद्युत उत्पादन का अनुमानित प्रति मेगावाट खर्चा कितना है;

(ख) विद्युत संप्रेषण का प्रति मेगावाट अनुमानित खर्चा कितना है; और

(ग) उपभोक्ता स्तर पर प्रति मेगावाट लागत कितनी है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) दो यूनिटों वाली एक नई परमाणु विद्युत परियोजना जिसके प्रत्येक यूनिट की क्षमता 220 मेगावाट होगी, की मूल पूंजीगत लागत 1996 के स्थिर मूल्य स्तर पर लगभग 4.5 करोड़ रूपए/मेगावाट आने का अनुमान है। इसके अलावा "निर्माण के दौरान लगने वाले ब्याज" (आई डी सी) के अवयव को भी पूरा करना आवश्यक होगा जो कि ऋण/इक्विटी अनुपात, ऋण पर ब्याज की दर, गेस्टेशन अवधि आदि पर निर्भर करेगा। 1:1 के ऋण/इक्विटी अनुपात और 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर तथा लगभग 8 वर्ष की गेस्टेशन अवधि के आधार पर आई.डी.सी का अंश मूल पूंजीगत लागत का लगभग 30 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) और (ग). विद्युत संचरण पर आने वाली लागत संचारण लाईनों की लम्बाई पर, इन लाइनों के जरिए अंतरित की जाने वाली वोल्टता ऊर्जा पर निर्भर करती है और अलग-अलग स्थानों पर यह काफी अधिक भिन्न होती है। उपभोक्ता स्तर पर किए जाने वाले निवेश में भी लोड के संकेन्द्रण और प्रकार तथा भिन्न संवितरण वोल्टता आपूर्ति प्रणालियों के आधार पर काफी भिन्नता होती है। तथापि, परमाणु विद्युत संयंत्रों से किए जाने वाले विद्युत संचरण पर आने वाली लागत तथा उपभोक्ता स्तर पर किया जाने वाला अतिरिक्त निवेश किसी ताप अथवा पन बिजलीघर से किसी तरह अलग नहीं है।

एण्डो सुल्फान पर प्रतिबंध

38. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मछलियों, अन्य जलचरों तथा मनुष्यों पर "एण्डोसुल्फान" के अत्यधिक विषाक्त प्रभाव तथा कीटनाशक विष के रूप में इसकी मुख्य भूमिका से अवगत है;

(ख) क्या कुछ देशों में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो देश में इस खतरनाक कीटनाशक के प्रयोग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) इन्डोसल्फान सहित सभी कीटनाशक विषाक्त किस्म के होने के कारण मछली, अन्य जलचर तथा मनुष्यों पर विषाक्त असर डालते हैं। लेकिन संस्तुत पद्धतियों के अनुसार इन्डोसल्फान का सुरक्षित तथा युक्तिसंगत उपयोग किये जाने से कीटनाशक विषाक्तता नहीं आती है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने इन्डोसल्फान सहित 14 कीटनाशकों के उपयोग की समीक्षा करने के लिये 1989 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात इसके उपयोग को जारी रखने का निर्णय लिया गया। कीटनाशकों के उपयोग की समीक्षा करना एक निरन्तर प्रक्रिया है और अधिक समीक्षा के लिए इस उत्पाद को भेजने का प्रस्ताव है।

कच्चा पटसन

39. **श्री अनिल बसु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम को कच्चा पटसन बाजार में हस्तक्षेप करने का अनुदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जलप्पा) : (क) और (ग). भारतीय पटसन निगम को कीमत समर्थन अभियान शुरू करने के लिए निर्देश नहीं दिए गए हैं क्योंकि कच्चे पटसन की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत से काफी ऊंची बनी रहीं तथा कीमत समर्थन हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हुई। इसी बीच, कच्चे पटसन की कीमतों को लगातार प्रबोधित किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय पशु विज्ञान शोध संस्थान

40. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद जिले में भारतीय पशु विज्ञान शोध संस्थान द्वारा कोई परियोजना शुरू की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के उद्देश्य और लक्ष्य क्या-क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का उद्देश्य समेकित पशुधन प्रौद्योगिकी और विस्तार का एकीकृत पद्धति के रूप में एक ऐसे मॉडल के रूप में अध्ययन करना था, जिसकी जांच ग्रामीण वातावरण में खासकर निम्न स्तर और समस्याग्रस्त मृदा स्थितियों के तहत की जानी थी। इसके उद्देश्य थे (i) सिस्टम मॉडल का परीक्षण करना, (ii) पशुधन और दूसरी संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना, (iii) समस्याग्रस्त मृदा स्थितियों के तहत पशुधन और दूसरी संबंधित पद्धतियों का उनकी प्रभावकारिता और उपयुक्तता के बारे में प्रदर्शन करना, (iv) पशुधन पर आधारित ग्रामीण विकास के इस नए मॉडल के प्रभाव का मूल्यांकन करना, (v) पशुधन पर आधारित कृषि पद्धतियों में प्रदर्शन आयोजित करने के लिए एक कारगर प्रणाली विज्ञान विकसित करना, और (vi) पशु-प्रदर्शन यूनिटों के सम्मुख आने वाली बाधाओं और समयबद्ध जरूरतों का अध्ययन करना।

यह परियोजना 31.3.96 से समाप्त कर दी गई है।

[अनुवाद]

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

41. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार प्रतिवर्ष पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पुलिस विभाग से प्रशासनिक सुधार लाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) अपेक्षित सूचना सहित एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है इसलिए मुख्यतः यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वह अपने पुलिस विभागों में प्रशासनिक सुधार लाएं। उनके बलों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्यों को पुलिस के विभिन्न पहलुओं पर व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य का नाम	स्वीकृत राशि		
	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	230.51	104.78	309.56
अरुणाचल प्रदेश	92.54	92.54	92.54

1	2	3	4
असम	47.71	190.86	95.43
बिहार	284.00	116.56	308.12
गोवा	43.61	29.48	29.48
गुजरात	123.22	–	190.18
हरियाणा	35.855	35.855	71.71
हिमाचल प्रदेश	81.38	40.69	40.69
जम्मू और कश्मीर	78.10	121.54	81.54
कर्नाटक	184.159	150.80	150.80
केरल	113.99	153.99	113.99
महाराष्ट्र	167.265	125.645	251.29
मध्य प्रदेश	309.12	287.179	237.82
मणिपुर	34.63	69.26	34.63
मेघालय	12.92	51.88	25.94
मिजोरम	87.78	87.78	87.78
नागालैंड	34.63	76.86	76.86
उड़ीसा	132.93	144.61	104.61
पंजाब	38.09	84.65	84.65
राजस्थान	105.02	224.92	77.46
सिक्किम	34.44	25.83	16.87
त्रिपुरा	46.53	93.06	46.53
तमिलनाडु	259.95	196.75	296.75
उत्तर प्रदेश	240.00	279.711	–
पश्चिम बंगाल	181.44	214.77	174.77

[हिन्दी]

कैंसर संस्थान

42. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी कैंसर संस्थान को विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संस्था वार कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) 1997 के दौरान कहां-कहां पर कैंसर संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार 12 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को कैंसर रोगियों के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की खरीद के लिए सहायता प्रदान करती है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कैंसर संस्थानों की स्थापना के लिए इस मंत्रालय की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, चुनिंदा जिलों में दर्द निवारक उपायों और कैंसर का शीघ्र पता लगाने से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को चलाने वाली संस्थाओं को कोबाल्ट थिरेपी यूनिटें और अन्य उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में खानों का पट्टे पर दिया जाना

43. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों को पट्टे पर दिये जाने संबंधी कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). खनन पट्टों को मंजूरी देने संबंधी कुछ नियमों में छूट देने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ इस प्रकार के तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से दो मामलों में राज्य सरकार का खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के खण्ड 11(4) के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए बाद के आवेदकों को खनन पट्टे देने का प्रस्ताव है। तीसरे मामले के संबंध में राज्य सरकार ने खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1) की अपेक्षा के अनुसार पुनः मंजूरी के लिए क्षेत्र की उपलब्धता के बारे में अधिसूचना जारी करने से छूट मांगी है। राज्य सरकार से प्रस्तावित छूटों के संबंध में पूर्ण औचित्य की मांग की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सहायता संबंधी अध्ययन

44. **श्री पी.आर. दासमुंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनगणना के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने देश में ग्रामीण और शहरी आबादी के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सहायता देने के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने महानगरों और औद्योगिक नगरों के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सुविधाओं पर कोई प्रतिवेदन तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं संतोषजनक हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में राज्य सरकारों को शामिल करके सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) लोगों को उपलब्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की आऊटरीच और पहुंच का जायजा लेने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं।

(ख) हाल ही में दिल्ली अस्पतालों पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है। शेष महानगरीय क्षेत्रों में और अन्य प्रमुख शहरों में सर्वेक्षण कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिनमें से अधिकतर ने ऐसा कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) रिपोर्टों में ऐसी स्थितियों के बारे में बताया गया है जो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में भिन्न भिन्न हैं और संतुष्टि का स्तर निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार आधारभूत ढांचा प्रदान करने हेतु निधियों के आंबटन पर निर्भर करता है।

(घ) राज्यों को आबंटन संबंधी दक्षता में सुधार करने के कार्य में लगातार शामिल किया गया है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो।

[हिन्दी]

सूरतगढ़ में ताप विद्युत गृह की स्थापना

45. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में ताप विद्युत गृह स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी गयी है;

(ख) क्या उस विद्युत गृह की स्थापना हेतु भूमि अधिगृहीत कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस विद्युत गृह के कब तक चालू होने की संभावना है;

(घ) क्या इस विद्युत गृह को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस.वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) से (च). 250 मे.वा. की पहली यूनिट को मार्च, 97 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है और परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित निधियां जुटाए जाने के शर्ताधीन दूसरी यूनिट मार्च, 99 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु-दर

46. **श्री अजित कुमार मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में शिशु मृत्यु-दर का अध्ययन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या नवीनतम अध्ययन के अनुसार शिशु मृत्यु दर में कोई वृद्धि/कमी दिखाई दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) शिशु मृत्यु दर में हुई वृद्धि यदि कोई है, के क्या कारण हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां शिशुओं की मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(च) स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). भारत के महापंजीयक का कार्यालय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नमूना पंजीयन पद्धति के जरिए शिशु मृत्यु दर का आकलन करने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण करता है। भारत और बड़े राज्यों के 1994 के शिशु मृत्यु दरों के अनुमान और छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1992-94 की अवधि के शिशु मृत्यु दरों के औसत अनुमान का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ). राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर कमी का रूझान दर्शा रही है। भारत और बड़े राज्यों के पिछले चार वर्षों के शिशु मृत्यु दर के अनुमान का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(च) 1992 में चरणों में शुरू किए गए शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम में रोग प्रतिरक्षण, अतिसारीय रोगों के नियंत्रण, गंभीर श्वसनी संक्रमण के रोगियों की परिचर्या, नवजात बच्चों की अनिवार्य परिचर्या प्रदान करने और विटामिन "ए" की कमी से बचाव के जरिए शिशु मृत्यु दर में तेजी से कमी करने का उल्लेख है। देश के सभी जिलों को 1996-97 तक इस कार्यक्रम के अधीन कवर कर लिया जाएगा।

विवरण-I

शिशु मृत्यु दरें
भारत और बड़े राज्य

1994

भारत*	74
आंध्र प्रदेश	65
असम	78
बिहार	67
गुजरात	64
हरियाणा	70
कर्नाटक	67
केरल	16
मध्य प्रदेश	98
महाराष्ट्र	55
उड़ीसा	103
पंजाब	53
राजस्थान	84
तमिलनाडु	59
उत्तर प्रदेश	88
पश्चिम बंगाल	62

* जम्मू व कश्मीर शामिल नही हैं।

(स्रोतः नमूना पंजीयन पद्धति)

विवरण-II

छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 1992-94 की अवधि की शिशु मृत्यु दर के अनंतिम अनुमान

क्र.सं.	छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	1992-94 की शिशु मृत्यु दर
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	63
2.	गोवा	14
3.	हिमाचल प्रदेश	63
4.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध
5.	मणिपुर	23
6.	मेघालय	49
7.	मिजोरम	अनुपलब्ध
8.	नागालैंड	6
9.	सिक्किम	37
10.	त्रिपुरा	43
1	2	3
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अण्डमान व निकोबार	30
2.	चण्डीगढ़	32
3.	दादरा व नगर हवेली	78
4.	दमण व द्वीव	43
5.	दिल्ली	43
6.	लक्षद्वीप	27
7.	पांडिचेरी	31

(स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति)

विवरण-III

शिशु मृत्यु दरें
1991-94

बड़े राज्य	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5
भारत*	80	79	74	74
बड़े राज्य				
आंध्र प्रदेश	73	71	64	65
असम	81	76	81	78
बिहार	69	73	70	67
गुजरात	69	67	58	64
हरियाणा	68	75	66	70
कर्नाटक	77	73	67	67
केरल	16	17	13	16
मध्य प्रदेश	117	104	106	98
महाराष्ट्र	60	59	50	55
उड़ीसा	124	115	110	103
पंजाब	53	56	55	53
राजस्थान	79	90	82	84
तमिलनाडु	57	58	56	59
उत्तर प्रदेश	97	98	94	88
पश्चिम बंगाल	71	65	58	62

* जम्मू व कश्मीर शामिल नहीं है।

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

47. **डा. सत्यनारायण जटिया :**
श्री जगमोहन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान आतंकवाद संबंधी हिंसा में प्रतिमाह कुल कितने व्यक्ति मारे गए एवं घायल हुए;

(ख) हताहतों में अलग-अलग कितने आम नागरिक, आतंकवादी एवं सुरक्षाकर्मी थे;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया तथा कितनों के लापता होने की जानकारी मिली;

(घ) कितने टाईम बम एवं बारूदी सुरंगों का विस्फोट हुआ तथा कितने सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया गया और कितने मूल्य की सरकारी एवं निजी सम्पत्तियों को नष्ट किया गया/जलाया गया;

(ङ) क्या इस हिंसा के शिकार लोगों को कोई राहत दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालसुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ). राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार :—

(I) गत छः महीनों (जनवरी से जून, 1996 तक) के दौरान आतंकवादी हिंसा में 1372 व्यक्ति मारे गए और 1020 घायल हुए। प्रति माह ब्यौरे इस प्रकार हैं।

माह	मारे गए	घायल हुए
जनवरी	224	118
फरवरी	235	136
मार्च	231	100
अप्रैल	259	238
मई	234	226
जून	189	202

(II) मारे गए व्यक्तियों में 702 नागरिक, 604 उग्रवादी तथा 66 सुरक्षा बल कार्मिक शामिल हैं, जबकि इस अवधि के दौरान 795 नागरिक तथा 225 सुरक्षा बल कार्मिक घायल हुए।

(III) इस अवधि के दौरान 352 व्यक्तियों का अपहरण हुआ बताया गया है, जिनमें से 121 लापता बताये जाते हैं।

(IV) इस अवधि के दौरान 373 विस्फोट हुए तथा सुरक्षा बल कार्मिकों पर 815 हमले हुए। इस अवधि के दौरान आतंकवादी हिंसा में 418 निजी मकानों तथा 92 सरकारी इमारतों/सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई/बर्बादी हुई बताई गई है।

(ङ) से (च). राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति के अनुसार आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को एक लाख रुपये की अनुग्रह राहत दी जा रही है, तथा जो घायल हो गए (घाव की गम्भीरता के आधार पर) उन्हें 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। अचल सम्पत्ति की क्षति/हानि के संबंध में मूल्यांकित क्षति के 50 प्रतिशत की दर से राहत दी जा रही है, लेकिन इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सीमा रखी गई है। इन नीति के अनुसार आवश्यक जांच-पड़ताल, सत्यापन तथा मूल्यांकन के बाद व्यक्तियों को सतत आधार पर राहत प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

48. **श्री ई. अहमद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही के महीनों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान दिल्ली में कितने व्यक्तियों की हत्या की गई एवं अपहरण किया गया; और

(ग) इस संबंध में उठाये जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) अप्रैल, मई और जून, 1995 तथा 1996 के दौरान दिल्ली में मार डाले गए एवं अपहृत किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी :—

	1995	1996
मार डाले गए	143	142
अपहृत किए गए	256	237

(ग) अपराध के निवारण/उसका पता लगाने और दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—बीट गश्त में बढ़ोतरी, महत्वपूर्ण स्थलों पर सशस्त्र पिकेट तैनात करना, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, अपराधियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी नजर रखना और उन पर बार बार छापे मारना, हिस्ट्रीशीटरों पर

निगरानी में बढ़ोत्तरी, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना और प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवादी-विरोधी प्रकोष्ठ गठित करना।

तपेदिक के मामलों में फिर से वृद्धि

49. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार तपेदिक के कारण किसी अन्य वर्ष की तुलना में वर्ष 1995 में अधिक लोगों की मौतें हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तपेदिक की घटनाएं रोकने और उन पर नियंत्रण करने के लिए कदम क्या उठाये गये हैं और कौन-कौन सी योजनायें और कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं और इस रोग से कितने लोगों की मौतें हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से पता चलता है कि विश्व भर में किसी अन्य वर्ष की तुलना में 1995 में क्षय रोग से अधिक लोग मारे गये। रिपोर्ट से कोई और ब्यौरा प्राप्त नहीं होता।

(ग) क्षयरोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 1962 से देश में कार्यान्वित किया जाता रहा है। अब तक 446 जिला क्षयरोग केन्द्र स्थापित करके नैदानिक और उपचारात्मक सुविधाओं से सुसज्जित किए गए हैं और ये निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। उपचार की अवधि कम करने के लिए अल्पकालिक रसायन चिकित्सा, 292 जिलों में प्रारम्भ की गई है। 2000 ईसवी तक समग्र देश को इस कार्यक्रम के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

1992 में इस कार्यक्रम की समीक्षा के उपरान्त एक संशोधित कार्यनीति अपनाई गई है ताकि कम से कम 80% रोगमुक्ति दर प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा सके। विश्व बैंक सहायता से 16 परियोजना स्थलों पर कार्य नीति की जांच की जा रही है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के प्रारम्भिक परिणाम बहुत उत्साह वर्धक रहे हैं।

अपनाई गई कार्यनीति चरणबद्ध ढंग से समग्र देश में लागू की जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करना

50. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में मुकदमें खारिज कर दिये गये हैं और पुलिस की निन्दा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार को 24 नवम्बर, 1995 के दैनिक जागरण के पृष्ठ 4 में "अदालत ने आरोपों को मनगढ़ंत बताया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो थाना-प्रभारी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या उक्त थाना प्रभारी पहले महरौली पुलिस स्टेशन में तैनात थे; और

(च) आम जनता से प्राप्त शिकायतों पर सतर्कता/पुलिस आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है और कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). 1.1.1994 से 30.6.1996 तक की अवधि के दौरान तीन मामलों में न्यायालयों ने अभियुक्तों को झूठे मामले में फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस के पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। पहले मामले में एक पुलिय अधिकारी की परिनिंदा के लिए उसे "कारण बताओ" नोटिस जारी किया गया है। दूसरे मामले में जिसमें कि तीन पुलिस अधिकारी शामिल हैं, एक अधिकारी ने माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। तीसरे मामले में, विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) दिल्ली पुलिस को न्यायालय का निर्णय अभी प्राप्त होना है। उन्हें निर्णय की प्रतिलिपि अविलंब प्राप्त करने और इस पर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया गया है।

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

(च) 1.1.1994 से 30.6.1996 तक की अवधि के दौरान, पुलिस द्वारा झूठे मामलों में फंसाए जाने के आरोपों संबंधी 12 सतर्कता जांचें सही पाई गई हैं। इन 12 मामलों में 34 पुलिस अधिकारी संलिप्त थे। इन 34 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई इस प्रकार है :

	पुलिस अधिकारियों की सं.
(I) विभागीय कार्रवाई शुरू की गई	22
(II) परिनिंदा की गई	5
(III) सेवा जब्त की गई	4
(IV) अप्रसन्नता जताई गई	2
(V) गैर-संवेदनशील यूनिट में स्थानांतरण	1

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

51. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान आज तक उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचार, हत्या तथा बलात्कार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीड़ितों को अनुग्रह राशि प्रदान कर दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त राशि का कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उपरोक्त सभी अपराधों में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इन अपराधों को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की हैं;-और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अपराधों में वृद्धि के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (छ). चूंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, अतः अपराधों को दर्ज करना, उनका पता लगाना, उनकी जांच करना तथा अपराधों की रोकथाम करना, मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपराधों की रोकथाम करने और पीड़ितों को उचित अनुग्रह-राहत राशि का भुगतान करने के लिए योजनाएं बनाना भी शामिल हैं। अनुग्रह पूर्वक अदायगी और अलग-अलग मामलों में की गई गिरफ्तारियों के बारे में केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केन्द्र सरकार स्वतः समय-समय पर राज्य सरकारों को अ.जा./अ.ज.जा. के प्रति अपराधों की रोकथाम करने के मामले में अत्यधिक सतर्कता बरतने और अ.जा./अ.ज.जा. के प्रति अपराधों को रोकने के लिए पहले से लागू विशिष्ट कानूनों और वैधानिक उपबन्धों का प्रभावकारी ढंग से प्रयोग करने के बारे में लिखती आ रही है।

विवरण

वर्ष 1995 और 1996 के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं

वर्ष	हत्या	बलात्कार	पी.सी.आर. अधिनियम	अ.जा./अ.ज.जा.(अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989
		अनुसूचित जाति		
1995	296	321	121	8117
1996*	86	114	30	1889
		अनुसूचित जनजाति		
1995	1	1	2	79
1996*	0	1	.	42

* अप्रैल माह तक केवल

(टिप्पणी : आंकड़े, मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं तथा अनन्तिम हैं।)

[अनुवाद]

डिजिटल संचार प्रणाली

52. **श्री सुरेश कलमाड़ी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डिजिटल संचार प्रणाली का संचालन करने के लिए लगभग 1 लाख मध्य स्तरीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एन.आई.आई.टी. और अपट्रान का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दूरसंचार विभाग ने 4 शाखाओं अर्थात् सामान्य, फोन्स, तार सामान्य तथा तार-यांत्रिकी में वरिष्ठ दूर संचार प्रचालन सहायकों के पद पर नियुक्ति के पात्र 42,700 कर्मचारियों को कम्प्यूटर में दो सप्ताह का प्रशिक्षण देने हेतु 6.5.96

को मैसर्ज एन आई आई टी लि. तथा मैसर्ज अपट्रान इण्डिया लि. को कार्य आदेश दिए हैं।

(ख) विभाग और इन प्रशिक्षण संस्थानों के बीच कोई करार नहीं किया गया है। तथापि, उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए दोनों संस्थानों को कार्य आदेश दिए गए हैं कार्य आदेश की मुख्य विशेषताएं हैं :

(I) मैसर्ज एन आई आई टी लि. को निम्नलिखित दूरसंचार सर्किलों के 21,300 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु कार्य आदेश दिए गए हैं:—

असम, बिहार, गुजरात, मद्रास टेलीफोन जिला, एम टी एन एल दिल्ली, उत्तर पूर्व, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र।

(II) मैसर्ज अपट्रॉन इण्डिया लि. को निम्नलिखित दूससंचार सर्किलों के 21,400 कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु कार्य आदेश दिए गए हैं :—

आंध्र प्रदेश, कलकत्ता टेलीफोन जिला, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, एम टी एन एल मुम्बई, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)।

(III) यह प्रशिक्षण दो सप्ताह का होगा तथा उक्त संस्थानों को प्रति प्रशिक्षणार्थी 2400/- रु. की दर से प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(IV) यह प्रशिक्षण, दूर संचार विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्क्रम के अनुरूप दिया जाएगा।

(V) प्रशिक्षण, सॅविदाकार के परिसर में चलाया जाएगा तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कक्षाओं के लिए स्थान, फर्नीचर, संकाय से संबंधित प्रशिक्षण सहायक सामग्री तथा पाठ्यक्रम सामग्रियों की समग्र व्यवस्था सॅविदाकार द्वारा की जाएगी।

(VI) सॅविदाकार, सर्किल/जिला/गौण स्विचन क्षेत्र (एस एस ए) मुख्यालय स्तर पर अपने मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों में या इसके लिए नए प्रशिक्षण केन्द्र खोल कर यह प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

(VII) सॅविदाकार, प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक से सूचना प्राप्त होने के 3 माह के भीतर प्रत्येक दूर संचार सर्किल/जिला स्तर पर नए प्रशिक्षण केन्द्रों में आवश्यक बुनियाद अवसंरचना उपलब्ध कराएगा।

(VIII) सॅविदाकार, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को उनके निजी उपयोग के लिए निःशुल्क आधार पर प्रशिक्षण की पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराएगा।

(IX) सॅविदाकार, निर्धारित संख्या में कर्मचारियों का प्रशिक्षण 31.3.1997 तक सम्पन्न करेगा।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

53. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई सरकार द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए निर्धारित प्राथमिकताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने विकास के तरीके ढूंढने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके परिणामस्वरूप कितनी ऊर्जा का उत्पादन होगा;

(घ) राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का ब्यौरा क्या है, ऐसी विभिन्न कम्पनियों के क्या नाम हैं जिनके साथ इन स्रोतों से ऊर्जा पैदा करने के लिए संधियां की गई हैं तथा ये कंपनियां किस देशों से संबंधित हैं; और

(ङ) ये परियोजनाएं कब तक चालू हो जाएंगी तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) नई सरकार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग को उच्च प्राथमिकता दे रही है। विकेन्द्रीकृत ऊर्जा स्रोतों और ग्रिड से जुड़ी विद्युत के दोहन के लिए कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के अनुसार और सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में पारस्परिक अतः क्रिया के फलस्वरूप पूंजीगत आर्थिक राज सहायता और ब्याज आर्थिक राज सहायता के सम्मिश्रण से विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के विकास के लिए योजनाऐं विकसित की गई हैं। सरकार द्वारा इन उपायों को तेज किए जाने का प्रस्ताव है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण संभाव्यता का शीघ्र दोहन किया जा सके।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों के सवर्द्धनात्मक प्रयासों के फलस्वरूप विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों के व्यापक विस्तार के अलावा 8वीं योजना के अंत तक ग्रिड से जुड़ी लगभग 1400 मेवा. अक्षय ऊर्जा क्षमता सृजित किए जाने की आशा है।

(घ) और (ङ). विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के दोहन के अलावा उच्च स्तरीय सौर विकिरण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए तीन कम्पनियों नामतः एमेको-एनरॉन पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ.यू.एस.ए.,

एनर्जीन इंटरनेशनल आफ श्रीलंका और सन सोसं इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद, भारत को आशय पत्र जारी किए हैं। इन तीन परियोजनाओं की संभावित क्षमता क्रमशः 50 मेवा., 200 मेवा. और 50 मेवा. होने की आशा है। आशय पत्र के अनुसार 0.25 मेवा. की छोटी क्षमता के साथ प्रणालियों के पहले सैट को दिसम्बर, 1996 तक कमीशन किए जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्वास्थ्य योजनाएं

54. **श्री आर.बी. राई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में अब तक योजना-वार प्रगति क्या रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं और इन योजनाओं के संबंध में हुई उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	1995-96 उपलब्धियां
1	2	3
1.	**राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम**	
	(I) पता लगाए गए और उपचार किए गए पॉजिटिव रोगियों की संख्या	2.80 लाख
	(II) पता लगाए गए और उपचार किए गए पी. फाल्सीपेरम के रोगियों की संख्या	10.9 लाख

राज्यों को कीटनाशकों और औषधों की सप्लाई करके मलेरिया नियंत्रण के उपायों को और सुदृढ़ किया गया। एक मुख्य उपलब्धि वैक्टर के नियंत्रण के लिए कार्यनीतियों का विस्तार करने हेतु पहली बार सिंथेटिक पाथरेथ्रायड, जीवनाशकों और औषध संशिक्त मच्छर दानियों की सप्लाई करना था।

2.	**राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम**	
	पता लगाए गए नए रोगी :	4.24 लाख
	उपचार के अधीन लाए गए रोगी:	4.20 लाख
	इलाज के बाद छुट्टी दिए गए रोगी:	6.13 लाख
3.	**राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	
	पता लगाए गए नए रोगी	13.82 लाख
	परीक्षित स्मूटम	19.86 लाख

1	2	3
4.	**राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम**	
	किए गए मोतियाबिन्द के ऑपरेशन:	24.47 लाख
5.	**परिवार कल्याण कार्यक्रम**	
	(I) **रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम**	**कवर किए गए बच्चों की संख्या**
	डी.पी.टी. कवरेज	222.22 लाख
	पोलियो	224.66 लाख
	बी.सी.जी.	237.99 लाख
	खसरा	200.38 लाख
	(II) **परिवार नियोजन कवरेज**	**रोगियों की संख्या**
	बंध्यीकरण	43.80 लाख
	आई.यू.डी.	68.10 लाख
	प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	144.07 लाख
	मुख सेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	42.17 लाख
6.	**राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम**	

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पिछले 4 वर्षों के दौरान एच.आई.वी. जांच सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 154 जोनल रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 1995-96 के दौरान 199 रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन 128 चिकित्सा अधिकारियों, 747 रक्त बैंक तकनीशियनों और 37 औषध निरीक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मेडिकल कालेजों, जिला और तालुक अस्पतालों में 372 मौजूदा यौन संचारित रोग क्लिनिकों को प्रयोगशाला उपकरण प्रदान करके और कार्मिक शक्ति को प्रशिक्षण देकर सुदृढ़ किया जा रहा है।

विद्युत का बंटवारा

55. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में विद्युत के बंटवारे की योजना तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षिणी पावर ग्रिड से केरल को कितनी विद्युत मिलेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं में से केरल सहित विभिन्न दक्षिणी राज्यों के हिस्से का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के विद्युत उत्पादक केन्द्रों से भागीदार राज्यों का हिस्सा

	एनटीपीसी		एमएपीपी		एनएलसी-2 (चरण-1)		एनएलसी-2 (चरण-2)	
	प्रतिशत	मेगावाट	प्रतिशत	मेगावाट	प्रतिशत	मेगावाट	प्रतिशत	मेगावाट
आंध्र प्रदेश	27.6	580	8.5	28.9	15.4	97	21.4	180
कर्नाटक	16.4	345	6.4	21.76	13.3	84	13.7	115
केरल	11.6	245	5.3	18.02	10.0	63	10.7	90
तमिलनाडु	22.4	470	7.45	253.30	28.0	176	31.5	265
पांडिचेरी	2.4	50	1.1	3.74	10.3	65	1.8	15

महाराष्ट्र में प्रदूषण नियंत्रण

56. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में औद्योगिक तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण में सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा आवंटित धन का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). राज्य में औद्योगिक तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार की सहायता हेतु कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित देश में औद्योगिक तथा पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की प्रमुख श्रेणियों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
2. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के अन्दर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं तथा दोषी इकाइयों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।
3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
4. प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई करने के लिए अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों का पता लगाया गया है जिनमें महाराष्ट्र राज्य के उद्योग भी आते हैं।
5. महाराष्ट्र में चेम्बुर और तारापुर की प्रदूषण उपशमन के लिए देश में 24 में से दो अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है।
6. विश्वबैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सिविल निर्माण हेतु तथा लघु उद्योगों के समूहों में साझे बहिस्राव व शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
7. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट उद्योगों और स्थानीय निकायों से एकत्रित जल उपकर की प्रतिपूर्ति महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को की जाती है जिसका उपयोग राज्य बोर्डों द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकियां तथा मलजल शोधन प्रणालियां अपनाने एवं संबंधित राज्य बोर्डों के निर्णय के अनुसार अन्य प्रस्तावों के बारे में औद्योगिक इकाइयों की सहायता के लिए किया जाता है।
8. प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता स्कीम अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य बोर्डों और राज्य पर्यावरण विभागों को उनके अनुरोध पर प्रदूषण और निवारण में विशेष अध्ययनों हेतु तथा प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए निधियां दी जाती हैं।
9. भविष्य में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने और सतत विकास हेतु सरकार ने इसे प्रमुख विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनिवार्य बना दिया है ताकि पर्यावरणीय मूल्यांकन और संयुक्त अध्ययनों के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी ली जाए।
10. विषैले रसायनों से खतरे से बचाव के लिए सरकार परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम,

1989 और परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 कार्यान्वित कर रही है जोकि पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

11. पर्यावरणीय विवरणी के रूप में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा सभी प्रदूषित इकाइयों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। इस स्कीम के लागू होने से न केवल औद्योगिक गतिविधियों के निर्विघ्न मानीटरिंग, बल्कि अल्प लागत प्रौद्योगिकियों और संसाधन उपभोग के न्यूनीकरण को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

12. लघु औद्योगिक इकाई के क्षेत्र में प्रदूषण निवारण और अपशिष्ट न्यूनीकरण को बढ़ावा देने के ध्येय से मंत्रालय ने महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना के तहत इसी केटेगरी के लघु उद्योगों के समूह में अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्कल की स्थापना का अभियान चलाया है।

13. अप्रैल, 1995 से मुम्बई में सीसारहित पेट्रोल उपलब्ध कराया गया है और मुम्बई में । अप्रैल, 1996 के बाद पंजीकृत वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाना आवश्यक है।

14. मोटर वाहन नियम, 1980 के अन्तर्गत यानीय उत्सर्जन के लिए और अधिक कड़े मानक अधिसूचित किए गए हैं और अप्रैल, 1996 से लागू हो गए हैं।

15. वाहनों के लिए परिवहन विभाग प्राधिकृत गैरेज से "प्रदूषण नियंत्रण" प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। महाराष्ट्र राज्य में 222 प्राधिकृत गैरेज हैं।

16. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत वाहनों के लिए ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं और राज्य में परिवहन प्राधिकरण के द्वारा लागू किए जा रहे हैं।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई भी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सिविल निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण और निवारण के क्षेत्र में विनिर्दिष्ट अध्ययन के लिए महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रार्थना पर केन्द्र सरकार के भाग के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार की वित्तीय सहायता का स्कीमवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राशि (लाख रुपए में)	वर्ष
1.	जल उपकर प्रतिपूर्ति	520.00	1995-96
2.	प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता	1.00	1995-96
3.	लघु उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाना	3.00	1995-96
4.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण परियोजना		
	(क) साझा वहिस्राव शोधन संयंत्र लगाना	143.925	1990-96
	(ख) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का सिविल निर्माण	60.175	1992-93

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन

57. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के कतिपय जिलों में वी.एच.एफ. और आप्टिकल फाईबर प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) यह प्रणाली कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राजस्थान के सभी 31 जिला मुख्यालय आप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव तथा कोएक्सियल प्रणालियों जैसे विश्वसनीय माध्यमों के जरिए जोड़ दिये हैं। इसके अतिरिक्त, इन जिला मुख्यालयों के लिए लम्बी दूरी की संयोजकता हेतु माइक्रोवेव आप्टिकल फाइबर केबलों (ओ एफ सी) की अनेक स्कीमों की वर्ष 1996-97 के दौरान चालू किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) (I) लम्बी दूरी की उन आप्टिकल फाइबर केबल स्कीमों का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है जिसे वर्ष 1996-97 के दौरान चालू किये जाने का लक्ष्य है।

(II) उन 2 जी एच जेड माइक्रोवेव प्रणालियों का विवरण विवरण-II में है जिन्हें वर्ष 1996-97 के दौरान चालू किये जाने का लक्ष्य है।

(ग) 1996-97 के दौरान पूंजीगत कार्य संबंधी कार्यक्रम में इन योजनाओं के लिए निधि की मांग की गई है।

(घ) 1996-97 के दौरान जैसा कि उपरोक्त (ख) में बताया गया है।

विवरण-I

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान चालू किये जाने वाले ओ एफ सी योजनाएं इस प्रकार हैं :—

1. सीकर-झुंनझुनू-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर 140 एम बी/एस ओ एफ सी
2. जयपुर-कोटा-इंदौर 140 एम बी/एस ओ एफ सी।
3. नई दिल्ली-अलवर-भरतपुर-जयपुर 140 एम बी/एस ओ एफ सी।
4. मदनगंज-मकराना-कुचामान सिटी 34 एम बी/एस ओ एफ सी।

विवरण-II

निम्नलिखित 2 जी एच जेड माइक्रोवेव योजनाओं का वर्ष 1996-97 के दौरान चालू किये जाने का लक्ष्य है।

अजमेर	1.	केकरी-सखांर	2 जी-30
पाली	1.	पाली-ओजाटीइटी	2 जी-120
	2.	सोजात सिटी-सोजात रोड	2 जी-30
बांसवाड़ा	1.	राखा-वाजीडोरा	2 जी-30
	2.	संगवारा-एम/डब्ल्यू एक्सचेंज	2 जी-120
		कुशलगढ एम/डब्ल्यू एक्सचेंज	2 जी-30
बाड़मेर	1.	बाड़मेर-मंगता	2 जी-120
	2.	मंगता-मोरोमाना	2 जी-30
	3.	मंगता-चोहतान	2 जी-30
	4.	बालोतरा-समधारी	2 जी-120
जोधपुर	1.	जोधपुर बाल-पीपर सिटी	2 जी-120
	2.	बसानु-बोराडा	2 जी-30
भीलवाड़ा	1.	भीलवाड़ा-शाहपुरा	2 जी-120
	2.	जहाजपुर-शाहपुरा	2 जी-30
	3.	बारदोसे-एसींद	2 जी-30
	4.	भीलवाड़ा-मंडलगढ़	2 जी-30
	5.	परादोसे-रैला	2 जी-30
चित्तौड़गढ़	1.	रश्मि-गंगापुर	2 जी-20
	2.	चित्तौढ़गढ़-नीमबहेरा	2 जी-120
	3.	नीमबहेरा-छोटी सादरी	2 जी-120
	4.	छोटी सादरी-बड़ी सादरी	2 जी-120
	5.	छोटी सादरी-प्रतापगढ़	2 जी-120
	6.	प्रतापगढ़-अरहोद	2 जी-30
	7.	नीमबहेरा-निकुम	2 जी-30
बीकानेर	1.	बीकानेर-लीन करानसर	60 चैनल ए

उदयपुर	1.	फतेह नगर-रेलमागरा	2 जी-30
श्रीगंगानगर	1.	एस जी आर-बींज बेला-एस जी एच	2 जी-120
कोटा, बरान और झालावाड	1.	कोटा-रावतभाटा	2 जी-120
	2.	अंटा-गदेपान	2 जी-30
	3.	सोयात-पीराना	2 जी-120
	4.	झालावाड़-जे पटान	2 जी-120
	5.	कोटा-थाथेर	2 जी-30
सवाईमाधोपुर	1.	कोटा-पाटन	2 जी-30
	2.	विन्दाऊ-श्रीमहाबीर जी	2 जी-30
दौसा	1.	लालसोब माइक्रोवेव एक्सचेंज	2 जी-120
सीकर एवं जेजेएन	1.	पलसान-श्रीमासोपुर	2 जी-120
	2.	चिखरवा-बागर	2 जी-30
	3.	चिरावा-मंदरेलिया	2 जी-30
अलवर	1.	बैहरोर-नीमराना	2 जी-30
	2.	गलटा-गोनेर	डी यू एच एफ
	3.	लारोह का बास-पौटा	2 जी-30
	4.	एम आई रोड-महापुरा	2 जी-30
चूरू	1.	चूरू-रतन गढ़	2 जी-120
	2.	रतनगढ़-राजलजेसर	डी-यू एच एफ-30

यूरिया की खपत

58. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को खुले बाजार में और सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में प्रत्येक राज्य से क्या-क्या शिकायतें मिली हैं; और

(ग) किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ख). चालू खरीफ मौसम 96 के दौरान ईसीए आबंटन के अनुसार राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए यूरिया की उपलब्धता अभी तक पर्याप्त है। मौसमों के दौरान कमी की अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों में वितरित करने के लिए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध किया जाता है, विभिन्न संगठनों के बीच एक सघन अंतरापृष्ठ बनाया गया है जो उर्वरकों के उत्पादन अधिप्राप्ति, संचलन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी है। नियमित मानिटर किये जाने के अतिरिक्त आपूर्ति व्यवस्थाओं की आपूर्ति समीक्षा अंतः मंत्रालयी बैठकों में आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है जिनका आयोजन अधिकतम खपत महीनों के दौरान किया जाता है तथा जिनमें राज्य सरकारों, सरणीबद्ध अभिकरणों और रेल मंत्रालय तथा भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी संबद्ध होते हैं।

[अनुवाद]

हल्दीबाड़ी के लिए एस.टी.डी. सुविधा

59. श्री अमर रायप्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेखलीगंज से होकर हल्दीबाड़ी के लिये दी जाने वाली एस.टी.डी. सुविधा की खामियों की जानकारी है;

(ख) गत तीनों वर्षों के दौरान जलपाईगुड़ी होकर हल्दीबाड़ी के लिए एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने हेतु आम जनता तथा संसद सदस्यों से सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) जलपाईगुड़ी होकर हल्दीबाड़ी के लिए एस.टी.डी. सुविधा आज तक प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सुविधा को कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। क्योंकि अब तक कोई खामियां नजर नहीं आई हैं।

(ख) जलपाईगुड़ी से होते हुए हल्दी बाड़ी तक एस टी डी सुविधा प्रदान करने की मांग माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा तत्कालीन संचार राज्य मंत्री को भेजे गए दिनांक 26.8.95 और 13.9.95 का पत्रों में की गयी थी। जनता से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जलपाईगुड़ी से होते हुए हल्दीबाड़ी तक एस टी डी सुविधा बरास्ता मेखलीगंज, जो इसका अल्प दूरी प्रभार केन्द्र (एस डी सी सी) है, से होकर इसी एस डी सी अवधारणा के सिद्धांत के आधार पर प्रदान की गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हल्दीबाड़ी में एस टी डी सेवा सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

60. **श्री रामकृपाल यादव :**
श्री आर.एल.पी. वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान प्रतिशत कितना है;

(ख) देश में उपरोक्त प्रत्येक संवर्ग में कुल कितने अधिकारी हैं;

(ग) उपरोक्त संवर्गों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों में से कितने स्थान रिक्त हैं;

(घ) उपरोक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षण देगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालसुब्रह्मण्यन) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों की भर्ती में 27% आरक्षण दिया गया है।

(ख) 1.1.1996 को तैनात कुल अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :—

भा.प्र.से.—5047

भा.पु.से—2947

(ग) शून्य

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इसकी जांच की जाएगी।

(च) तथा (छ). भा.प्र.से तथा भ.पु.से. समूह "क" सेवाओं की उच्चतम श्रेणी है। अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रारंभिक भर्ती के स्तर पर ही दिया जाता है। चूंकि भा.प्र.से./भा.पु.से., सिविल सेवाओं/अखिल भारतीय सेवाओं की उच्चतम श्रेणी है और चूंकि इन सेवाओं में पदोन्नति केवल योग्यता के मापदण्ड तथा उपयुक्तता के आधार पर होती है, जिसमें वरिष्ठता को भी उचित महत्व दिया जाता है, अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण न दिया जाए।

[अनुवाद]

असम समस्या

61. **श्री सुरेश कोडीकुनील :**
श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम की समस्याओं का समाधान करने के लिए असम के उग्रवादी संगठनों यथा उल्फा, एन.एस.सी.एन. बोर्डो सिक्योरिटी फोर्स आदि से वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया है अथवा विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इंद्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). शांति, स्थिरता और विकास लाने के लिए भारत सरकार समस्याओं का आपसी वार्ता एवं विचार-विमर्श के द्वारा हल निकाले जाने में विश्वास करती है। भारत सरकार किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ बातचीत के लिए तैयार है जो भारत के संविधान के ढांचे के अंतर्गत काम करने और हिंसा को त्यागने का इच्छुक हो। असम में सक्रिय आतंकवादी गिरोहों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई हैं क्योंकि उन्होंने उपर्युक्त मापदण्डों के अंतर्गत वार्ता करने के प्रति अपनी इच्छा नहीं जताई है और वे अभी भी हिंसा जारी रखे हुए हैं। भारत सरकार हिंसा की समस्त अभिव्यक्तियों के खिलाफ है।

[अनुवाद]

संक्रामक रोग

62. **डा. एम.पी. जायसवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संक्रामक रोगों जिन्हें पूर्णतः उन्मूलित माना जाना था, अधिक भयावह और खतरनाक रूप में फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये/किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). परजीवियों की औषध रोधी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने और विकासात्मक कार्यकलापों के परिणामस्वरूप परिस्थितिकीय परिवेशों में क्रमिक परिवर्तन से मलेरिया, काला आजार और जापानी एनसेफलाइटिस जैसे संक्रामक रोग पुनः फैल रहे हैं।

(ग) राष्ट्रव्यापी रोग निगरानी तंत्र तैयार करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एपिकल सलाहकार समिति गठित की गई है। इस रोग निगरानी योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की व्यवस्था है, वे हैं-सूचना का एकत्रीकरण और आदान-प्रदान करना, प्रयोगशाला नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ करना, केन्द्रों का नेटवर्किंग और रोग की व्याप्तता का निरंतर अनुवीक्षण करना।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

63. **श्री ललित उरांव** :
श्री मोहन रावले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और महाराष्ट्र राज्य सरकारों द्वारा विधिवत् सिफारिश के साथ भेजे गये स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के कितने मामले केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ख) इन मामलों पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए बिहार एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त सभी दावों की जांच पहले ही की जा चुकी है और प्रत्येक मामले में उपयुक्त उत्तर भेज दिया गया है। तथापि, पात्रता की कोई न कोई शर्त पूरी न कर पाने के कारण सरकार द्वारा उनके दावों को अस्वीकार कर दिए जाने के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक, अपने दावे पर पुनर्विचार के लिए पुनरीक्षा याचिकाएं/अभ्यावेदन भेजते रहते हैं। ऐसी पुनरीक्षा याचिकाओं की जांच और उनका निपटान चूंकि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए, इनके निपटान के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना कठिन है।

मदर डेयरी के दूध के मूल्य में वृद्धि

64. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मदर डेयरी द्वारा वितरित किए जा रहे टोण्ड दूध के मूल्यों में भारी वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान कितनी बार मूल्यों में वृद्धि की गई और प्रत्येक बार किस सीमा तक मूल्यों में वृद्धि की गई थी?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग). मदर डेयरी ने टोण्ड दूध के उपभोक्ता मूल्य में दिनांक 8.5.96 से निम्नानुसार वृद्धि की है:—

टोण्ड दूध का प्रति लीटर उपभोक्ता मूल्य

	संशोधन से पूर्व	संशोधन के बाद
थोक बिक्री द्वारा	9 रुपए	11 रुपए
पॉलीपैक में	10 रुपए	12 रुपए

किसानों से अधिप्राप्त कच्चे दूध के लिए उन्हें अधिक कीमत देने के कारण दूध के मूल्य में वृद्धि हुई थी। टोण्ड दूध के मूल्य में संशोधन इससे पूर्व मई, 1995 में प्रभावी हुआ था। पूर्ण कलाईयुक्त दूध का मूल्य दिनांक 15.2.1996 से 14 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया गया है।

[अनुवाद]

टेलीफोन की प्रतीक्षा-सूची

65. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत इलाहाबाद जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) 1996-97 के दौरान प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कितने कनेक्शन दे दिए जाएंगे?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार, इलाहाबाद जिले में प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आवेदकों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है:—

ओ वाई टी (सामान्य)	गैर ओवाईटी(सामान्य)	गैर ओवाईटी (विशेष)
16	2611	41

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान, ऊपर (क) में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के सभी कनेक्शन दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादक

66. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में गन्ना उत्पादकों की वर्तमान समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों को सहायता देने संबंधी केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों द्वारा उनके उत्पादकों को लेने से मना कर देने के कारण, अपनी फसलों को जला देना पड़ा है और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप किसानों तथा देश को कितना घाटा हुआ; और

(घ) सरकार ने देश के गन्ना उत्पादकों की कितनी सहायता की है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) गन्ना उत्पादकों को उत्पादकता में वृद्धि कराने के लिये सरकार 21 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के सम्पोषक विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है, जिसमें भारत सरकार और क्रियान्वयनकारी राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर भागीदारी होगी। इस योजना के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीज फार्म उपस्कर, ड्रिप सिंचाई, उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण, जैव कीटनाशी और टीशू कल्चर इकाईयों के सुदृढ़ीकरण के लिये सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ). मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ भागों में किसानों द्वारा गन्ने की फसल जलाये जाने की कुछ घटनायें हुई। गन्ना उत्पादकों को चीनी कारखानों पर बकाया उनके गन्ने की कीमतों को दिलवाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 39.10 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 42.50 रु. प्रति क्विंटल करना, 8.5% की आधारभूत वसूली से जोड़ना।

(ii) साधारण खुली बिक्री के 60% के कोटे के बदले, चीनी कारखानों को 15-4-96 और 31.5.96 के बीच किये गये चीनी उत्पादन पर 75% तथा 1.6.96 और 30.9.96 के बीच किये गये चीनी उत्पादन पर 100% की दर से देर तक पेराई करने के लिए अनुदान देना।

(iii) 10.1.96 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 5 लाख मी. टन चीनी का बफर स्टॉक तैयार करना।

(iv) खुली बिक्री की 10 लाख मी. टन चीनी निर्यात के लिए अधिसूचित की गई है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऐसे संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनके चलते चीनी कारखाने बैंकों से और अधिक ऋण ले सकते हैं।

सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह सम्पूर्ण गन्ने की पिराई के लिये व्यवस्था करे जिससे कि गन्ने को जलाये जाने की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके।

[अनुवाद]

कृषि नीति

67. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 मई, 1993 को सभा पटल पर रखी गयी प्रारूप कृषि नीति को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप से तैयार की गयी कृषि नीति की घोषणा कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). 14 मई, 1993 को सभा पटल पर रखे गए कृषि नीति के प्रारूप को संसद सदस्यों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

चालू विद्युत परियोजनाएं

68. **श्री अमर पाल सिंह** :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही विद्युत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उनमें से कितनी परियोजनाएं पिछड़ रही हैं;

(ङ) उसके क्या कारण हैं; और

(च) विलंब के कारण उन्हें कितना नुकसान होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आतंकवादियों की गिरफ्तारी

69. **श्री हरिन पाठक :**
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में पिछले तीन सालों के दौरान से लेकर अब तक गिरफ्तार किए गए, पूछताछ किए गये तथा हिरासत में लिये गये आतंकवादियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उनमें से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त विदेशी राष्ट्रिक कितने थे;

(ग) इन आतंकवादियों से कितने हथियान जब्त किए गए; और

(घ) कितने विदेशी आतंकवादी मुठभेड़ों में मारे गए?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ). राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि कार्यक्रम

70. **श्री टी. गोपाल कृष्ण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की मृदा वातावरण, पारिस्थितिकी और संस्कृति में समानता की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ अंतः सरकारी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भारत सरकार बंगलादेश, नेपाल, चीन तथा पाकिस्तान से कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में पहले ही औपचारिक अन्तः सरकारी सहयोग कर रही है। म्यांमार से संस्थागत ढांचे के तहत सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के साथ अनेक सहमत गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनमें विभिन्न सदस्य देश विभिन्न तकनीकी संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में भाग लेते हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(1) बंगलादेश

कृषि अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की प्रगति को प्रोत्साहन देने तथा बढ़ाने के संबंध में भारत तथा बंगलादेश के बीच 15 जून, 1983 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

(2) नेपाल

संयुक्त गतिविधियों तथा विनियम के माध्यम से कृषि विज्ञान में सहयोग के विकास, कृषि उत्पादन तथा कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत एवं नेपाल के बीच दिनांक 6 दिसम्बर, 1991 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) चीन

कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत एवं चीन के बीच 11 अप्रैल, 1992 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(4) पाकिस्तान

कृषि अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में सहयोग के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भारत तथा पाकिस्तान के बीच 4 जुलाई, 1985 को एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए।

श्वेत पत्र

71. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए विभिन्न घोटालों की जांच और एक श्वेत पत्र जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिजली की मांग और आपूर्ति

72. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्री डी.पी. यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों के दौरान बिजली की मांग में नौ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या गत वर्षों में किए गए उपायों से देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान अलग-अलग मांग और पूर्ति में कितना अन्तर है;

(ङ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में बिजली की मांग से संबंधित आंकलन किया है;

(च) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के आगामी वर्षों के दौरान बिजली की मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है; और

(छ) मांग और पूर्ति में अन्तर पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). गत चार वर्षों के दौरान विद्युत ऊर्जा की मांग में, पिछले वर्ष की तुलना में, निम्नलिखित दरों पर वृद्धि हुई है—

(% वृद्धि)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
ऊर्जा (मि.यू.)	5.5	5.9	9.0	10.6

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में समग्र विद्युत उपलब्धता की स्थिति निम्नवत है :—

(मि.यू.में)

	1993-94	1994-95	1995-96
आवश्यकता	323252	352260	389721
उपलब्धता	299494	327281	354045
कमी	23750	24979	35676
	(7.3%)	(7.1%)	(9.2%)

(ङ) जी, हां।

(च) 14वीं विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नवीं योजना के दौरान यूटिलिटियों में विद्युत केन्द्र बस-वार में ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततमकालीन भार में अनुमानित वृद्धि की दर निम्नवत होगी:—

(प्रतिशत वृद्धि दर)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
ऊर्जा आवश्यकता	7.53	7.49	7.45	7.30	7.17
व्यस्ततमकालीन भार	7.45	7.38	7.33	7.19	7.05

(छ) विद्युत की आपूर्ति और मांग के मध्य के अंतर को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में क्षमता अभिवृद्धि, मांग-पक्ष प्रबंधन उपाय, विद्यमान संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, ऊर्जा संवर्द्धन, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमीअंतः क्षेत्रीय लिंकों के जरिए अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र से कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में विद्युत अंतरण द्वारा उत्पादन का दक्ष समुपयोजन करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

73. **श्री रतिलाल वर्मा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात के प्रत्येक जिले में एस. टी.डी./आई.एस.डी., पी.सी.ओ. केन्द्र खोलने संबंधी कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) अब तक कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) कितने आवेदन अभी विचाराधीन हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन आवेदनों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के कितने आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिहाड़ जेल से बरामद "सैलफोन"

74. **श्री सौम्य रंजन :**
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री आर.एल.पी. वर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तिहाड़ जेल से एक "सैलफोन" बरामद हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ). 1996 के जून माह में केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में दो अभियुक्तों के पास से दो सेल्यूलर फोन बरामद हुए थे। अभियुक्त (I) श्री चंगीज खान तथा (II) श्री बृज भूषण सिंह थे। इन टेलीफोनों को उनके स्वामियों तथा अन्य व्यक्तियों/ग्रुपों के साथ उनके संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए, दिल्ली पुलिस के पास भेज दिए गए। एक टेलीफोन खराब पाया गया। दूसरे टेलीफोन का धारक एक श्री बृजेश सिंह था। बंद अभियुक्तों जिनके पास से टेलीफोन बरामद हुए हैं, के साक्षात्कार पर एक महीने के लिए पाबंदी की सजा की सिफारिश की गई है।

दक्षिणी गैस ग्रिड

75. **श्री सेल्वारासु एम. :**
श्री सामी वी. अलागिरी :
श्री सोडे रामय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणी गैस ग्रिड के प्रस्ताव को काफी समय पहले स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ). दक्षिणी गैस ग्रिड की अवधारणा को सरकार द्वारा 1992 में सिद्धान्ततः अनुमोदित किया गया था। दक्षिणी राज्यों ने दक्षिणी भारत में गैस आधारित इकाइयों की जरूरतों तथा तत्संबंधित स्थानों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन आरम्भ किया है। सरकार ओमान/ईरान से प्राकृतिक गैस तथा दक्षिणी भारत में स्थित बंदरगाहों पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) आयात करने की व्यवहार्यता के संबंध में सक्रिय रूप से पता लगा रही है।

क्षय रोग

76. **श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में क्षय रोग सबसे अधिक घातक बीमारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षय रोग से मरने वालों की प्रति-वर्ष राज्य-वार संख्या कितनी थी;

(ग) इस बीमारी को और अधिक फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस बीमारी के उपचारार्थ कौन-कौन सी दवाओं का प्रयोग किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी, हां। जैसा कि विभिन्न सर्वेक्षणों से अनुमान लगाया गया है, क्षय रोग से होने वाली मृत्यु दर एक लाख जनसंख्या पर 50 है। मौतों से संबंधित अस्पताल आधारित आंकड़ों का संकलन केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

(ग) क्षय रोग नियंत्रण के लिए 1962 से देश में राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के हिस्से के आधार पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक नैदानिक और उपचार सुविधाओं सहित 446 जिला क्षयरोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। उपचार की अवधि को कम करने के लिए 292 जिलों में अल्पकालिक रसायनचिकित्सा की शुरुआत की गई है। सन् 2000 ईसवी तक पूरे देश को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1992 में कार्यक्रम की समीक्षा के पश्चात् एक संशोधित कार्यनीति अपनाई गई है जिसका उद्देश्य न्यूनतम 80% उपचार दर को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को सुदृढ़ करना है। इस कार्यनीति का प्रयोग विश्व बैंक की सहायता से 16 परियोजना क्षेत्रों में किया जा रहा है। इन मार्गदर्शी परियोजनाओं के प्रारम्भिक परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे हैं।

इस कार्यनीति का विस्तार चरणवार तरीके से पूरे देश में किया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में निर्धारित की गई औषधें रिफेम्पिसिन, आई.एन.एच, ईथेम्बूटोल, पाइरेजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और थियासिटेजोन हैं।

हैंक यार्न का निर्यात

77. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 के दौरान कुल कितनी मात्रा में हैंक यार्न का निर्यात किया गया;

(ख) हैंक यार्न के निर्यात हेतु कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) 1995-96 के दौरान हैंक यार्न के उत्पादन के लिए राज सहायता के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई है;

(घ) हैंक यार्न की कमी से बुनकरों के लिए पैदा हुई कठिनाईयां दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) हथकरघा उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित की गई मीरा सेठ समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं?

कपड़ा मंत्री (श्री आर.एल. जलप्पा) : (क) और (ख). 1-60 एस काऊंट के हैंक यार्न को आंग्रम लाइसेंसिंग योजना के सिवाय निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है। हैंक यार्न के निर्यात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ग) से (घ). भारत सरकार ने हैंक यार्न के उत्पादन के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी है तथापि हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनुमोदित हथकरघा अभिकरणों को कताई मिलों से हैंक यार्न खरीदने पर 20 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी दी गई थी। इस समय हैंक यार्न की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने मिलों पर यह बाध्यता लगाई है कि वे सिविल उपभोग के लिए अनिवार्य प्रकार के धागे के उत्पादन का 50 प्रतिशत हैंक के रूप में पैक करें। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने मिल गेट मूल्य योजना भी लागू की है।

(ङ) वस्त्र मंत्रालय द्वारा हथकरघों पर मीरा सेठ कमेटी के कार्य विषय इस प्रकार हैं:-

1. आंकलन करना कि हथकरघा क्षेत्र द्वारा वस्त्र नीति 1985 के उद्देश्यों की किस सीमा तक उपलब्धि हुई है।
2. आंकलन करना कि हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का कितना लाभ हुआ है।
3. हथकरघा क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों तथा अवसरों का आंकलन करना तथा अवसरों का उपयोग करने के लिए उपाय निकालना विशेष कर निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए समुचित समर्थन सुझाना।
4. हथकरघा क्षेत्र के विकास के सभी क्षेत्रों जिनमें निवेश आपूर्ति, क्रेडिट सहयोग, उत्पादन प्रौद्योगिकी, डिजाइन उपलब्धता ढांचा, विपणन सहयोग, निर्यात आदि के विकास में आने वाली बाधाओं का विस्तृत मूल्यांकन करना और (क) हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से वृद्धि करने (ख) आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से इसके विकास के लिए उपाय सुझाना।

नई खनिज नीति

78. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने नई खनिज नीति की घोषणा के परिणामस्वरूप भारत में खनन क्षेत्र में निवेश करने में अपनी रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन खनिजों व धातुओं का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त कंपनियों ने अपनी रूचि दिखाई है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). जी, हां। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 की घोषणा के बाद, बहुत सी विदेशी कंपनियों ने खनन क्षेत्र में निवेश करने की रूचि दिखाई है। यह रूचि स्वर्ण, हीरा और आधार धातुओं जैसे खनिजों के पूर्वेक्षण और खनन प्रचालन के लिये है। इन कंपनियों के आवेदनों पर राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के निबन्धनों और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

79. **श्री महेश कुमार कनोडिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वृद्धि का औचित्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ख). जी, हां। सरकार ने 2/3 जुलाई, 1996 अर्द्ध रात्रि से घरेलू उपयोग से संबंधित केरोसीन को छोड़कर शासित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर दी। आगे 6/7 जुलाई, 1996 अर्द्ध रात्रि से एच एस डी के मूल्य कम कर दिए गए थे। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और स्थानीय उद्ग्रहणों को छोड़कर भण्डार बिन्दु पर शासित पेट्रोलियम उत्पादों के पूर्व-संशोधित तथा संशोधित अधिकतम बिक्री मूल्यों को प्रस्तुत करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) मूल्य वृद्धि की आवश्यकता तेल पूल लेखे में कमी को नियंत्रित करने के लिए हुई है और इस प्रकार इसने तेल कंपनियों को देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति कायम रखने के लिए समर्थ बनाया है।

विवरण

2/3 जुलाई, 1996 अर्द्ध रात्रि से शासित पेट्रोलियम उत्पादों के संशोधित भण्डार बिन्दु पर मूल्य

उत्पाद का नाम	बिक्री इकाई	उत्पाद शुल्क इत्यादि को छोड़कर भंडार बिन्दु पर विद्यमान आधारभूत अधिकतम बिक्री मूल्य (रुपए/एस यू)	उत्पाद शुल्क इत्यादि को छोड़कर भंडार बिन्दु पर संशोधित आधारभूत बिक्री मूल्य (रुपए/एस यू)	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
एम एस-87	कि.लि.	12844.34	16055.43	25.00%
एम एस-93	कि.लि.	15344.34	19180.43	25.00%
एम एस-80	कि.लि.	12873.49	16091.86	25.00%
एच एस डी 3.7.96 से	कि.लि.	5717.28	7432.46	30.00%
एच एस डी 7.7.96 से	कि.लि.	5717.28	6574.87	15.00%
एलएसएचएफ एचएसडी बंकरिंग	कि.लि.	5717.28	7432.46	30.00%
एलएसएचएफ एचएसडी अन्य	कि.लि.	8507.16	11059.31	30.00%
एल पी जी पी (घरेलू)	मि.ट.	5309.19	6901.95	30.00%
एल पी जी पी (गैर घरेलू)	मि.ट.	12881.28	13900.00	7.91%
एल पी जी थोक	मि.ट.	11601.78	11900.00	2.57%
नैफ्था उर्वरक	मि.ट.	3722.78	4839.61	30.00%
- अन्य	मि.ट.	6075.69	6683.26	10.00%
ए टी एफ - घरेलू	कि.लि.	9852.33	10837.56	10.00%
एविएशन गैसोलीन	कि.लि.	11440.70	12584.77	10.00%
एस के ओ - घरेलू	कि.लि.	2001.40	2001.40	.00%
एस के ओ - औद्योगिक	कि.लि.	5014.33	6518.63	30.00%
एस डी ओ	कि.लि.	5587.55	7263.82	30.00%
एम एल ओ	कि.लि.	5612.55	7296.32	30.00%
एफ ओ - उर्वरक	कि.लि.	2812.43	3656.16	30.00%
- अन्य	कि.लि.	4535.28	5895.86	30.00%
एलएसएचएस- उर्वरक	मि.ट.	2851.57	3707.04	30.00%
- अन्य	मि.ट.	4804.07	6245.29	30.00%
बिटुमेन - थोक	मि.ट.	4125.02	5362.53	30.00%
- डिब्बा बंद	मि.ट.	4781.35	6215.76	30.00%
मैच वेक्स	मि.ट.	12157.49	15804.74	30.00%
पैराफिन मोम- प्रथम गुणवत्ता	मि.ट.	15408.01	20030.41	30.00%
- पी आई ग्रेड	मि.ट.	14431.98	20191.57	30.00%

टिप्पणी : एच एस डी मूल्य 6/7 जुलाई, 1996 अर्द्ध रात्रि से संशोधित किए गए हैं।

[अनुवाद]

कपड़े की खरीद

80. **श्री मोहन रावले** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों द्वारा रा. व. निगम। बी आई सी से अपनी आवश्यकता के लिए कपड़े की खरीद संबंधी नीति जारी है और तदनुसार अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में उपरोक्त अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जलप्पा) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा एन टी सी। बी आई सी से सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर आवश्यकताओं के अनुसार खरीद के लिए एकल निविदा पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। इस समय खरीद अधिमान के लिए सामान्य दिशा निर्देश एन टी सी तथा बी आई सी पर लागू हैं।

हथकरघा बुनकर

81. **श्री एल. रामन्ना:**
श्री एन. डेनिस :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता और उनसे लाभान्वित बुनकरों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों, में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में छोटे बुनकर सूती धागा और अन्य कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) हथकरघा से बनी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जलप्पा) : (क) भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाऐं कार्यान्वित कर रही है:-

1. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
2. थ्रिफ्ट फंड योजना।
3. समूह बीमा योजना।
4. स्वास्थ्य पैकेज योजना।

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राशि जारी की जाती है।

इन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दी गई वित्तीय सहायता और उनसे लाभान्वित बुनकरों की संख्या का गत वर्षों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है :—

कार्यशाला-सह-आवास योजना

राज्य	गत तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीत सहायता	लाभान्वित बुनकरों की संख्या (अनुमानित)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	560.52	7308
अरुणाचल प्रदेश	–	–
असम	292.00	2300
बिहार	232.00	5800
दिल्ली	–	–
गुजरात	–	–
हरियाणा	–	–
हिमाचल प्रदेश	83.49	2100
जम्मू व कश्मीर	21.59	676
केरल	215.58	2154
कर्नाटक	340.72	6644
मध्य प्रदेश	151.76	2624
मेघालय	1.20	30
महाराष्ट्र	46.00	1150
मणिपुर	75.60	1890
मिजोरम	14.00	350
नागालैंड	–	–
उड़ीसा	140.00	3500
पांडिचेरी	–	–
पंजाब	–	–
राजस्थान	53.56	1334
सिक्किम	–	–
तमिलनाडु	280.00	2000
त्रिपुरा	88.00	2200
उत्तर प्रदेश	464.00	8150
पश्चिम बंगाल	153.97	3950
योग	3213.99	54160

थ्रिफ्ट फंड योजना

1	2	3
आंध्र प्रदेश	189.58	1,89,580
अरुणाचल प्रदेश	–	–
असम	–	–
बिहार	21.60	21,600
दिल्ली	1.50	1,500
गुजरात	3.61	3,610
हरियाणा	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–
जम्मू व कश्मीर	–	–
केरल	–	–
कर्नाटक	32.00	32,000
मध्य प्रदेश	1.50	1,500
मेघालय	–	–
महाराष्ट्र	35.58	35,580
मणिपुर	2.65	2,650
मिजोरम	–	–
नागालैंड	–	–
उड़ीसा	86.00	86;000
पांडिचेरी	–	–
पंजाब	–	–
राजस्थान	3.65	3,650
सिक्किम	–	–
तमिलनाडु	498.20	4,98,200
त्रिपुरा	–	–
उत्तर प्रदेश	40.50	40,500
पश्चिम बंगाल	32.00	32,000
योग	948.37	9,48,370

समूह बीमा योजना

1	2	3
आंध्र प्रदेश	46.41	1,31,000
अरुणाचल प्रदेश	–	–
असम	–	–
बिहार	5.28	16,300
दिल्ली	–	–
गुजरात	–	–
हरियाणा	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–
जम्मू व कश्मीर	–	–
केरल	–	–
कर्नाटक	20.00	50,000
मध्य प्रदेश	1.80	4,504
मेघालय	–	–
महाराष्ट्र	–	–
मणिपुर	0.12	300
मिजोरम	–	–
नागालैंड	–	–
उड़ीसा	28.80	72,000
पांडिचेरी	–	–
पंजाब	–	–
राजस्थान	–	–
सिक्किम	–	–
तमिलनाडु	82.76	3,31,079
त्रिपुरा		– –
उत्तर प्रदेश	28.00	70,000
पश्चिम बंगाल	5.06	12,641
योग	218.23	6,87,824

स्वास्थ्य पैकेज योजना

1	2	3
आंध्र प्रदेश	314.65	53,850
अरुणाचल प्रदेश	–	–
असम	150.12	38,675
बिहार	204.30	76,200
दिल्ली	–	–
गुजरात	20.60	3,870
हरियाणा	–	–
हिमाचल प्रदेश	0.63	290
जम्मू व कश्मीर	14.99	2,746
केरल	71.80	14,000
कर्नाटक	71.33	13,270
मध्य प्रदेश	11.29	4,363
मेघालय	5.48	1,100
महाराष्ट्र	53.64	15,017

1	2	3
मणिपुर	39.48	8,450
मिजोरम	–	–
नागालैंड	–	–
उड़ीसा	49.20	14,400
पांडिचेरी	–	–
पंजाब	–	–
राजस्थान	45.50	6,764
सिक्किम	–	–
तमिलनाडु	252.71	39,868
त्रिपुरा	48.35	8,640
उत्तर प्रदेश	114.50	19,616
पश्चिम बंगाल	34.30	7,700
योग	1502.87	3,28,819

(ग) और (घ). तथापि भारत सरकार को आंध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य सरकार से अभी हाल ही में कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कहा गया हो कि छोटे बुनकरों को सूती धागे और अन्य कच्चे माल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है। तथापि दो वर्ष पहले जब सूती धागे के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने हैंक यार्न के मूल्यों में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना लागू व कार्यान्वित की। इन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को दी गई राशि का विवरण इस प्रकार है :—

(रूपये लाखों में)

राज्य का नाम	1994-95	1995-96
1	2	3
आंध्र प्रदेश	162.50	80.80
असम	76.15	199.65
बिहार	30.00	55.06
गुजरात	22.20	22.12
हरियाणा	0.75	–
जम्मू व कश्मीर	2.81	12.97
कर्नाटक	251.90	18.77
केरल	65.09	102.48
मध्य प्रदेश	35.48	41.45
महाराष्ट्र	35.00	27.72
मणिपुर	6.10	7.06
मिजोरम	0.74	1.67
नागालैंड	–	7.98
उड़ीसा	106.09	296.83
पंजाब	4.38	2.66
राजस्थान	17.51	85.16
तमिलनाडु	677.28	1117.93
त्रिपुरा	12.50	–
उत्तर प्रदेश	291.06	229.86
पश्चिम बंगाल	368.59	714.03
एन.एच.डी.सी.	2.50	161.76
पांडिचेरी	16.12	5.90
योग	2184.75	3191.86

हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार हैंक यार्न बाध्यता आदेश को लागू कर रही है और मिल गेट मूल्य योजना कार्यान्वित की है। हैंक यार्न बाध्यता योजना के अंतर्गत पैक किए गए हैंक यार्न, मिल गेट मूल्य योजना के अंतर्गत हैंक यार्न की आपूर्ति और हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना (जो 1/4/96 से कार्यान्वित नहीं है) का विवरण निम्न प्रकार है :—

(मिलि. कि.ग्रा.)

वर्ष	हैंक यार्न बाध्यता	मिल गेट मूल्य योजना	हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी योजना
1993-94	502.51	4.94	यह योजना 94-95 से आरम्भ हुई
1994-95	540.30	3.44	17.28
1995-96	436.12 (दिसम्बर 95 तक)	3.58	17.92

(ङ) हथकरघा सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए करघों का आधुनिकीकरण, डिजायन विकास के द्वारा मूल्यवान कपड़ा तैयार करना, उत्पाद अनुकूलन, क्वालिटि और पैकिंग उन्नत बनाना और निर्यातकों को क्रय विक्रेता सम्मेलन और विदेशों में मेले और प्रदर्शनियों के आयोजन में सहायता देना शामिल है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की उत्पादन लागत

82. जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की औसत उत्पादन लागत के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल की राष्ट्रीय औसत उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन लागत औसत से कम है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने घरेलू कच्चे तेल की औसत उत्पादन लागत को कम करने की संभावनाओं के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). रायल्टी और उपकर सहित कच्चे तेल का वर्तमान घरेलू मूल्य अनन्तिम रूप से 3296 रूपये प्रति मीट्रिक टन नियत किया गया है। 1995-96 के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल की भारित औसत एफ ओ बी दर लगभग 4161 रूपये प्रति मीट्रिक टन है।

(ङ) और (च). ओ एन जी सी ने अपने प्रचालनों में क्राइन संकल्पना (नए युग के लिए लागत न्यूनीकरण पहल) की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय बहु आयामी समिति का गठन किया है। लागत में कमी लाने के लिए नार्थ सी में क्राइन संकल्पना को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है।

[अनुवाद]

सी-डॉट का आधुनिकीकरण

83. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डॉट का आधुनिकीकरण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सी-डॉट अत्याधुनिक स्टेट-आफ-द-आर्ट दूरसंचार उत्पादों के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू कर रहा है। ये उत्पाद निम्नलिखित हैं :-

(1) सिंक्रोनस ट्रांस्फर मोड (ए टी एम) स्विचन

(2) सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की (एस डी एच) पारेषण प्रणालियां,

(3) आप्टिकल फाइबर केबल और रेडियो ऐक्सेस प्रणालियां

(4) वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी एस ए टी) प्रणालियां

(5) इन्टीग्रेटेड सब्सक्राइबर डिजिटल नेटवर्क (आइ एस डी एन) और इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क (आई एन) प्रारंभ करने के लिए सी-डॉट स्विचों का संवर्द्धन

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

एकल राष्ट्रीय ग्रिड

84. **श्री एस.डी.एन.आर वाडियार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर की योजना तैयार करने और देश के लिए एक एकल राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मामले पर क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). एक राष्ट्रीय पावरग्रिड स्थापित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रिडों का अंतः सम्बद्ध शामिल है, जिसका ब्यौरा निम्नवत है:-

(1) उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़ने वाला एक 500 मे. वा. का एचवीडीसी बैंक-टू-बैंक लिंक पहले ही विध्यांचल में विद्यमान है।

(2) दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक 1000 मेवा. का एचवीडीसी बैंक-टू-बैंक लिंक चन्द्रपुर में क्रियान्वयनाधीन है और इसके वर्ष 1997-98 में चालू हो जाने की प्रत्याशा है।

(3) पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को जोड़ने वाले विशाखापट्नम स्थित एक 500 मेवा. के एचवीडीस बैंक-टू-बैंक लिंक को भी वर्ष 1997-98 के दौरान चालू किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(4) पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक 500 मेवा. की एचवीडीसी बैंक-टू-बैंक सासाराम बिहारशरीफ परियोजना को 9वीं योजना के दौरान चालू किए जाने हेतु आयोजना की गई है।

(5) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता उत्पन्न किए जाने और विद्युत के अंतः क्षेत्रीय स्थानांतरण की आवश्यकता और व्यवहार्यता का पता लगाने के बाद ही अन्य लिंकों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

फर्जी पेंशन मामले

85. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लगभग 2800 लोग फर्जी पेंशन ले रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे और दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ). यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बाला सुब्रह्मण्यन्) : (क) से (घ). भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार, राज्य पेंशन सम्बन्धित राज्य सरकार का विषय है अतः मांगी गई सूचना केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, जहां तक सम्भव होगा, यह सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

86. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को पुनः चालू करने संबंधी पैकेज जिसे पहले स्वीकृत दी गई थी को क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रा.वि.नि. की रुग्ण इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जलप्पा) : (क) से (ग). सरकार ने एन टी सी मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है जिसमें 2005.72 करोड़ रु. के परिव्यय से 79 मिलों का आधुनिकीकरण, 36 अजीव्य मिलों को 18 जीव्य एककों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करना आदि शामिल है।

आधुनिकीकरण के लिए निधियां एन टी सी मिलों की वेशी भूमि एवं परिसम्पत्तियों के बिक्री से प्राप्त आय से पूरा किये जाने की संभावना है। चूंकि एन टी सी के 9 सहायक निगमों में से 8 बी आई एफ आर के समक्ष है, संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना को बी आई एफ आर की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया हैं। बी आई एफ आर द्वारा आधुनिकीकरण/पुनर्वास की बिलम्बित मंजूरियों तक, सरकार एन टी सी द्वारा इसके वेतन/मजदूरियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सामना की जा रही कमियों को पूरा कर रही है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

87. **कुमारी उमा भारती :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री पंकज चौधरी :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक सुधारों को लागू किए जाने से कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्षों के दौरान वार्षिक कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान प्रति वर्ष देश में इसके उत्पादन की वार्षिक दर क्या रही;

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में वार्षिक उत्पादन में वृद्धि की दर क्या रही; और

(च) इस शताब्दी के अंत तक वार्षिक उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर आयातित आदानों को पर्याप्त उपलब्धता के जरिए तथा तथा निर्यातित वस्तुओं के ऊंचे दाम मिलने से लाभ हुआ है। स्वदेशी व्यापार को उदार बनाने से किसानों को भी लाभ हुआ है।

(ग) और (घ). कृषि उत्पादन के सूचकांक के आधार पर कृषि उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 1992-93 में 4.1 प्रतिशत 1993-94 में 3.6 प्रतिशत, 1994-95 में 4.6 प्रतिशत तथा 1995-96 में लगभग एक प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था।

(च) आठवीं योजना अवधि के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक दर के लक्ष्य का अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

88. **श्री केशव महन्तः**
डा. अरूण कुमार शर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैर-कानूनी रूप से शिकार करने और पेड़ काटने के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम सरकार ने सूचित किया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार और पेड़ों के काटे जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कहीं कहीं गैंडे का चोरी-छिपे शिकार होता रहता है

और पिछले तीन वर्षों में उद्यान में मारे गए गैंडों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	चोरी-छिपे शिकार किए गए गैंडों की संख्या
1993	40
1994	14
1995	27
1996	15 (24.6.96 तक)

मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम ने आगे सूचित किया है कि अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है और चालू वर्ष के दौरान 6 (छह) अवैध शिकारी मारे गए हैं और उनसे हथियार व गोलाबारूद बरामद किया गया है। होम गार्ड्स और विभागीय स्टॉफ के द्वारा संरक्षण और प्रवर्तन उपायों को मजबूत बनाने के लिए दिन रात गश्त लगाई जाती है।

[हिन्दी]

कुक्कुट परिसर

89. डा. बलिराम : क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कुछ राज्यों में कुक्कुट परिसर स्थापित करने की योजना थी;

(ख) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के जाम्मुवानवा ग्राम सभा में कुक्कुट परिसर स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कब तक इस कुक्कुट परिसर की स्थापना की जाएगी;

(घ) उन राज्यों और स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार द्वारा कुक्कुट परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जा चुकी है; और

(ङ) सरकार द्वारा आजमगढ़ के जाम्मुवानवा ग्राम सभा में इन कुक्कुट परिसरों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ यह प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(घ) अभी तक कोई नहीं।

(ङ) अन्तिम रूप से अनुमोदन मिल जाने के बाद।

[अनुवाद]

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

91. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में गोपालपुर में तथा अन्यत्र स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उड़ीसा में इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु स्वीकृति देने के लिए निजी तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). गोपालपुर, उड़ीसा में समन्वित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील लि. का एक प्रस्ताव मंत्रालय में हाल ही में प्राप्त हुआ है। उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों के लिए अन्य आवेदन पत्रों की स्थिति संलग्न विवरण अनुलग्नक में दी गई है।

विवरण

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदन पत्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्त होने की तारीख	स्थिति
01.	जाजपुर, उड़ीसा में मैसर्स मिड ईस्ट इण्टीग्रेटेड स्टील प्लांट का 0.5 एम.टी.पी.ए. स्टील प्लांट	-	दिनांक 15.06.95 को पर्यावरणीय मंजूरी जारी कर दी गई।
02.	दैतारी, उड़ीसा में मैसर्स नीलांचल इस्पात निगम लि. का 1.0 एम. टी.पी.ए. स्टील प्लांट	02.12.94	विशेषज्ञ समिति (उद्योग) द्वारा विचार किया गया। निर्णय के लिए कार्रवाई की जा रही है।
03.	जाजपुर, उड़ीसा में मैसर्स मिड ईस्ट इण्टीग्रेटेड स्टील लि. का 1.0 एम. टी.पी.ए. इण्टीग्रेटेड स्टील प्लांट और मैसर्स मैस्को कलिंगा का 2.5 एम.टी.पी.ए. स्टील प्लांट	05.02.96	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया। निर्णय के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

उर्वरक

92. **डा. जी.आर. सरोदे :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उत्पादित किए जा रहे अलग-अलग किस्म के उर्वरकों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी सहायता प्रदान की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) देश में उत्पादित विभिन्न किस्म के उर्वरकों के लिए वर्ष 1996-97 के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

(लाख मी. टन में)

उर्वरकों की किस्म	लक्ष्य 1996-97
यूरिया	162.73
अमोनियम सल्फेट	5.67
अमोनियम क्लोराइड	1.36
केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	5.59
डाई-आमेनियम फास्फेट	26.66
सिंगल सूपर फास्फेट	33.00
कम्पलेक्सेज	42.81

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान की खपत और स्वदेशी स्त्रोतों से उनकी आपूर्ति से प्रकट विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की व्यक्त मांग के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख मी. टन में)

उर्वरकों के प्रकार	मांग			स्वदेशी स्त्रोतों से आपूर्ति		
	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
यूरिया	158.10	171.12	186.96	131.48	142.83	158.20
अमोनिया सल्फेट	5.91	5.48	6.13	6.22	5.83	6.35
अमोनिया क्लो.	1.39	1.15	4.22	1.31	1.37	1.37
कैल्सियम अमो. नाईट्रेट	6.29	5.06	4.49	6.66	5.72	4.91
डीएपी	34.80	35.86	36.86	19.51	28.23	26.47
सिंगल सुपर फास्फेट	23.52	26.26	29.50	19.00	26.37	29.84
काम्प्लेक्सेज	31.60	39.74	38.45	29.03	30.67	40.53

सरकार द्वारा नियंत्रित उर्वरकों पर अनुदान के रूप में दी गई सहायता राशि एवं अनियंत्रित उर्वरकों पर दी गई विशेष रियायत इस प्रकार है :—

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	सरकार द्वारा दी गई सहायता	
	नियंत्रित उर्वरक पर अनुदान	विनियंत्रित उर्वरक पर रियायत
1993-94	4398.97	517.34
1994-95	5241.00	514.20
1995-96	6235.00	500.00

[अनुवाद]

गैर-परमाणु ऊर्जा संयंत्र

93. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान कोई गैर-परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में ऐसा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). आठवीं योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान 1479807 मे.वा. की कुल क्षमता के जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए। ब्यौरा निम्नवत है:-

टाइप	राज्य	केन्द्रीय	गैर-सरकारी	जोड़
जल विद्युत	732.15	885.00	150.00	1737.15
ताप विद्युत	5602.42	6008.50	980.00	12590.92
न्यूक्लीय	-	440.0	-	440.00
जोड़	6334.57	7333.50	1130.00	14798.07

(ग) से (ङ). केरल के एल्लेपी जिले में कायमकुलम में एनटीपीसी द्वारा एक संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना (400 मे. वा.) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला धन

94. श्री नीतीश कुमार : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार ऋण सुविधा के द्वारा पर्याप्त धन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्रमशः वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए अनुमानित ऋण कितना है;

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र के लिए वर्ष वार कितना धन वास्तव में उपलब्ध किया गया;

(च) क्या सरकार आने वाले वर्षों के दौरान मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग). कृषकों की उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को वित्त मानदण्डों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। फसल ऋण के सम्बन्ध में वित्त मानदण्ड स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए जिला स्तर पर स्थापित तकनीकी समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन मानदण्डों को वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाता है और इन्हें कीमतों, इनपुट स्तर, उत्पादन/कृषि की कुल लागत, सकल पैदावार, पुनः भुगतान क्षमता आदि में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किया जाना है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भी 18% के कृषि के उपलक्ष्य के साथ प्राथमिकता क्षेत्रक को निवल बैंक ऋण का 40% दिए जाने की आशा की जाती है।

(घ) आठवीं योजना हेतु योजना आयोग के कार्यदल ने आठवीं योजना के दौरान कृषि के लिए आधार स्तर ऋण का अनुमान लगाया था। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अल्पावधि	दीर्घावधि	कुल
1993-94	8,898	8,650	17,548
1994-95	10,534	10,143	20,677
1995-96	12,457	11,665	24,122

(ङ) से (छ). 1993-94, 1994-95, और 1995-96 के दौरान कृषि क्षेत्रक के सम्बन्ध में ऋण के आधार स्तर प्रवाह के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

कृषि ऋण का संवितरण

वर्ष	(करोड़ रुपये)
1993-94	16,494
1994-95	21,113 (अनन्तिम)
1995-96	26,450 (अनन्तिम)

कृषि ऋण का संवितरण 1993-94 में लक्ष्य से कम था। कृषि के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक लक्ष्यों के सम्बन्ध में 1994-95 और 1995-96 के निष्पादन की अन्तिम आंकड़ों के साथ पुनरीक्षा की जाएगी।

कृषि ऋण सम्बन्धी नीति का उद्देश्य कृषि उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषकों को समय पर और पर्याप्त ऋण मुहैया कराना है। वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 18% कृषि के लिए स्वीकृत करें। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को हर सम्भव प्रयत्न करने की सलाह दी है। कृषि के लिए ऋण के प्रवाह में विशिष्ट और सुस्पष्ट सुधार प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंकों से विशेष ऋण योजनायें तैयार करने का अनुरोध किया गया है। आर.बी.आई. ने वाणिज्यिक बैंकों से उच्च तकनीक कार्यकलापों, जैसे कि जलकृषि, पुष्प उत्पादन, टिशु कल्चर, जैव प्रौद्योगिकी आदि को भी वित्त पोषित करने के लिए कहा है। नाबार्ड, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज की

बारीकी से मानिटरिंग कर रहा है। कृषि के लिए उधार बढ़ाने के वास्ते नाबार्ड ने विकास कार्य योजनायें तैयार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पर्यावरण और वानिकी परियोजनाएं

95. **श्री के. प्रधानी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों के दौरान, वर्ष-वार उड़ीसा में पर्यावरण और वनों को बचाने हेतु केन्द्रीय सहायता से कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई;

(ख) इस संबंध में परियोजनावार उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निकट भविष्य में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं/प्रस्तावों का ब्योरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उड़ीसा में वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीमों और वित्तीय एवं भौतिक दोनों प्रकार की उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ये परियोजनाएं अनवरत किस्म की हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा निधिकरण की मात्रा	स्थिति	वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उपलब्धियां	
					वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	वित्तीय सहायता के जरिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास में राज्य को सहायता देना	100 प्रति.	चालू	194.90	18 राष्ट्रीय उद्यान शामिल
2.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक जीवितता सुनिश्चित करना	100 प्रति. अनावर्ती 50 प्रति आवर्ती	चालू	84.70	वित्तीय बंटन के रूप में लक्ष्य नियत
3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के पास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना	100 प्रति. अनावर्ती 50 प्रति आवर्ती	चालू	32.60	3 राष्ट्रीय उद्यान शामिल
4.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम आबादी का अनुरक्षण सुनिश्चित करना	100 प्रति. अनावर्ती 50 प्रति. आवर्ती	चालू	166.30	1 बाघ रिजर्व शामिल
5.	बाघ रिजर्वों के आसपास पारिविकास	बाघ रिजर्वों के पास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना	100 प्रति. अनावर्ती 50 प्रति. आवर्ती	चालू	45.85	1 बाघ रिजर्व शामिल
6.	बाघ परियोजना क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के निकट आदिवासी ग्रामों के लिए लाभभोगी अनुकूल स्कीम	पुनर्स्थापना योजना के तहत आदिवासियों तथा अन्य परिवारों का पुनर्वास	100 प्रति.	चालू	–	वित्तीय बंटन के रूप में लक्ष्य नियत
7.	समन्वित वनीकरण एवं पारिविकास स्कीम	वनीकरण और पारि-विकास को बढ़ावा देना	100 प्रति.	चालू	171.52	2354 है. क्षेत्र शामिल
8.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी एवं चारा परियोजना	ईंधन की लकड़ी की कमी वाले जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति का विस्तार	50 प्रति.	चालू	597.00	16164 है. क्षेत्र शामिल
9.	औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती वन उत्पादों में वृद्धि करना	100 प्रति.	चालू	502.21	13080 है. क्षेत्र शामिल
10.	अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता	बायोमास संसाधन आधार में सुधार करने के लिए अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और निर्धन ग्रामीण को शामिल करना	10 प्रतिशत	चालू	112.45	2380 क्षेत्र शामिल
11.	नमभूमि का संरक्षण और प्रबंध	नमभूमि के संरक्षण के लिए समुचित नीतियां शुरू करना	100 प्रति.	चालू	–	वित्तीय बंटन के रूप में लक्ष्य नियम

1	2	3	4	5	6	7
12.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धति	वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दावानल नियंत्रण	100 प्रति.	चालू	17.72	वित्तीय बंटन के रूप में लक्ष्य नियम
13.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	चिड़ियाघर के पशुओं के लिए रख-रखाव और प्रबंध के लिए अवसंरचना का सुधार करने के लिए चिड़ियाघरों को सहायता प्रदान करना	100 प्रति.	चालू	27.45	2 चिड़ियाघर शामिल
14.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100 प्रति.	चालू	1.02	3 जिलों में गठित
15.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	महानदी और ब्राहमणी नदियों का प्रदूषण उपशमन	50 प्रति.	महानदी और ब्राहमणी नदियों को 1187.37 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है।		
16.	जीवमंडल रिजर्व	संबंधित पारि-प्रणाली की आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के लिए जीवमंडल रिजर्व स्थापित करना	100 प्रति.	चालू	1.11	एक जीवमंडल रिजर्व शामिल

[हिन्दी]

अन्ता विद्युत परियोजना

96. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्ता विद्युत परियोजना के चरण-2 का निर्माण कार्य चल रहा है; और

(ख) इसके कब तक चालू करने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने तक नापथा को मूल इंधन के रूप में प्रयोग करते हुए चरण-2 (430 मेगावाट) के अधीन अन्ता गैस विद्युत परियोजना के विस्तार की परिकल्पना की है। परियोजना के क्रियान्वयन की समयावधि अनिश्चित है, क्योंकि इस समय घरेलू बाजार में इंधन की उपलब्धता अनुकूल नहीं है।

[अनुवाद]

चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

97. **श्री संदीपन थोरात :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों में स्थित अस्पतालों/नर्सिंग होम के निकट जमा चिकित्सा अपशिष्ट के ढेर और इससे लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले गंभीर खतरे तथा पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होने से संबंधित समाचारों की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों/नर्सिंग होमों के निकट ऐसे कूड़े के ढेर जमा न होने देने और ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को दूरस्थ स्थानों पर जमा करने तथा इनके शीघ्र निपटान के लिए कोई योजना बनाकर कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). जी, हां। सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रारूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1995 अधिसूचित किए हैं। आपत्तियों अथवा सुझावों को आमंत्रित करके इन नियमों को जनता और प्रभावित होने की संभावना वाले संबंधित अभिकरणों की सूचना के लिए प्रारूप नियम के रूप में प्रकाशित किया गया है। प्राप्त होने वाले किन्हीं आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित है।

कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत दरें

98. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में कृषि क्षेत्र के लिए समान विद्युत दरें लागू करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बीजों का आयात

99. **श्री अनिल बसु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, बीजों की कौन-कौन सी विभिन्न किस्में आयात की गई, इनकी मात्रा कितनी थी और किन-किन कम्पनियों ने इन्हें आयात किया;

(ख) क्या बीजों के आयात के कारण स्वदेशी बीजों के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वदेश में बीजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने स्वदेशी बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए है। सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, 13 राज्य बीज निगमों, राज्यों के कृषि विभागों तथा निजी क्षेत्र की अनेक बीज कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर क्वालिटी बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। स्वदेशी बीज उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए बीज क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किस्मों का विकास करना, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था में सुधार लाना, परिवहन सब्सीडी का प्रावधान करना, सुदूर क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम को सुदृढ़

बनाना तथा सब्जी बीजों के प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन को सरल बनाना है।

उपर्युक्त के अलावा, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना-III के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बीज निगमों, राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेन्सियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्व विद्यालयों के लिए आधारभूत ढांचे के विकास तथा संगठनात्मक एवं वित्तीय पुनर्रचना के लिए सहायता प्रदान की गई है। बागवानी फसलों जैसे फलों, मसालों, सब्जियों, नारियल, काजू, पुष्पोत्पादन, कन्द एवं मूल फसलों आदि के विकास से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत बीज/रोपण सामग्री के बहुलन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है। इसी प्रकार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न कृषि फसलों संबंधी उत्पादनोन्मुखी फसल विकास योजनाओं के तहत, अभिज्ञात किस्मों के प्रमाणीकृत बीजों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है।

[हिन्दी]

सल्फास कीटनाशक पर प्रतिबन्ध

100. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सलफास कीटनाशक के प्रयोग से आत्महत्या की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). सल्फास सहित विभिन्न कीटनाशियों के कारण विषाक्तता के मामलों (आत्मघाती, मानवघाती, दुर्घटना एवं व्यावसायिक) का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). सल्फास (एल्यूमोनियम फास्फाइड) के प्रयोग पर फिर से विचार किया गया है तथा इस उत्पाद की समग्र उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसके उपयोग को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। लेकिन सेल्फास जो कि भंडारण/अनाज का कारगर संरक्षक है, के कथित दुरूप्रयोग से बचाने के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन टेबलेट के रूप में इसकी खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा 15.7.1997 से एल्यूमिनियम फास्फाइडकेकेज/ कैप्सूल, शेल/ट्राईलैमिनिटेड और एनविलप पैकेजिंग के रूप में आधुनिक और सुरक्षित रूप का पंजीकरण किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शसित प्रदेश	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान व निकोबार	शून्य	सूचित नहीं	सूचित नहीं
2.	आंध्र प्रदेश	1182	546	260
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
4.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
5.	बिहार	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
6.	चण्डीगढ़	सूचित नहीं	शून्य	सूचित नहीं
7.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
8.	दमन व द्वीव	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दिल्ली	सूचित नहीं	शून्य	सूचित नहीं
10.	गोवा	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
11.	गुजरात	139	24	4
12.	हरियाणा	113	128	117
13.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	487	सूचित नहीं
14.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
15.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
16.	केरल	362	शून्य	1055
17.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
18.	मध्य प्रदेश	सूचित नहीं	शून्य	शून्य
19.	महाराष्ट्र	404	2895	1609
20.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
21.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
22.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
23.	नागालैंड	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
24.	उड़ीसा	19	4	शून्य
25.	पांडिचेरी	102	247	367
26.	पंजाब	811	161	242
27.	राजस्थान	165	58	80
28.	सिक्किम	शून्य	शून्य	सूचित नहीं
29.	तमिलनाडु	144	98	90
30.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
31.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पश्चिम बंगाल	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं

अभ्युक्ति : इन आंकड़ों को राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए सूचना के आधार पर या भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, पादप रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय, फरीदाबाद को प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

[अनुवाद]

हल्दिया उर्वरक निगम

101. कुमारी ममता बनर्जी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में स्थित हल्दिया उर्वरक निगम का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) जिसने पश्चिमी बंगाल में हल्दिया उर्वरक परियोजना स्थापित की है, को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा नवम्बर, 1992 में एक रुग्ण कम्पनी घोषित किया गया था। एच एफ सी के लिए सरकार द्वारा अप्रैल, 1995 में सिद्धान्ततः अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेज में 464.93 करोड़ रुपए के नये निवेश से इसके बरौनी, दुर्गापुर तथा नामरूप एककों के सीमित पुनरूद्धार पर विचार किया गया है। एच एफ सी के लिए पुनरूद्धार पैकेज पुनः तैयार करने का निर्णय लिया गया है ताकि वित्तीय संस्थान इसे स्वीकार करें। अन्तिम पुनरूद्धार पैकेज पर बी आई एफ आर के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी, जोकि एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।

हल्दिया उर्वरक परियोजना के पुनरूद्धार को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पाया गया था और इसके पुनरूद्धार में 910 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से एक नया संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। संसाधन बाधाओं को देखते हुए हल्दिया उर्वरक परियोजना के पुररूद्धार हेतु निजी पूंजी आकर्षित करने के विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया गया है।

टाडा के अधीन मामले

102. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1996 तक "टाडा" के अधीन नजरबंद व्यक्तियों की राज्यवार, समुदायवार अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ख) "टाडा" में संशोधन की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) दिनांक 23.5.95 को टाडा व्यपगत हो गया तथा भारत में आतंकवादी हिंसा का फैलाव, स्वरूप और आकार तथा राष्ट्र-विरोधी तत्वों को सीमा पार से मिलने वाले समर्थन, सहायता और गुप्त सहयोग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राज्य सभा में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, 1995 पेश किया। इस मुद्दे पर सर्व-सम्मति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) सुविधा

103. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है;

(ख) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आदि के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को लम्बे अरसे से सी.जी.एच.एस. कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना प्रारम्भ में दिल्ली में 1954 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पेचीदा प्रक्रिया को दूर करना था। इन वर्षों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का देश के 17 शहरों में विस्तार किया गया है।

तथापि, कार्मिक शक्ति तथा वित्त की अड़चनों को देखते हुए, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सभी श्रेणियों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अभी तक कवर नहीं किया गया है तक तत्काल सुविधाएं बढ़ाने में असमर्थ है।

कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र

104. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर जिले के बरसिंहसार में प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट (कोयला) के भण्डार उपलब्ध हैं;

(ख) क्या लिग्नाइट (कोयला) पर आधारित ताप संयंत्र जहां काफी समय पूर्व चल रहा था परन्तु जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इन संयंत्रों को पुनः चालू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). राजस्थान के बीकानेर जिले में खनन योग्य लिग्नाइट को अनुमानित क्षमता 138 मिलियन टन हैं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) द्वारा बीकानेर जिले में 240 मेवा. (2×120 मेवा.) के लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव अप्रैल, 1991 में स्वीकृत किया गया था। संसाधनों की कमी के कारण, एनएलसी द्वारा बाद में इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई। राज्य सरकार ने अब इस परियोजना को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में घाटा

105. **श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विद्युत क्षेत्र में कुल कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसे घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). विद्युत क्षेत्र में राज्य विद्युत बोर्ड, केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रम निजी क्षेत्र विद्युत कम्पनियां तथा अन्य निगम और सांविधिक निकाय समाविष्ट हैं।

विद्युत क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन, पारेषण एवं वितरण हानियाँ, निम्न संयंत्र भार गुणांक, ताप विद्युत केन्द्रों में उच्च ईंधन खपत, अलाभकारी टैरिफ आदि जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता हैं इसके विपरीत, चूँकि इन घटकों का निर्धारण भार मिश्रण, भार गहनता, थोक सम्भरण उपभोक्ताओं की संख्या, विद्युत नेटवर्क का आकार, निवेशों की उपलब्धता तथा गुणवत्ता टैरिफों आदि के पर्याप्त स्तरों जैसे अनेक संकेतकों द्वारा किया जाता है, अतः विद्युत क्षेत्र की विद्युत हानियों का ठीक ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तथापि, 16 वृहद राज्य विद्युत बोर्डों के वाणिज्यिक लाभ तथा हानियां संलग्न विवरण में दी गई है।

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से समय-समय पर राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों से टैरिफ के योक्तिकरण, ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का नियमित भुगतान, संयंत्र भार गुणांक में सुधार, टेम्पर प्रूफ मीटरों का प्रतिष्ठापन, गैर-कानूनी कनेक्शनों को काटना आदि जैसे उपायों को अपनाने का अनुरोध किया जा रहा है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आरएसईबी	-221.29	-354.80	-412.75
2.	जीईबी	-537.95	-492.39	-550.90
3.	एमपीईबी	-279.04	-297.01	-382.38
4.	एमएसईबी	272.13	288.93	320.83
5.	एपीएसईबी	79.44	86.86	-828.98
6.	टीएनईबी	-231.96	-301.56	-2.27
7.	ओएसईबी	-85.00	-196.00	-136.10
8.	पीएसईबी	-459.72	-499.32	-427.45
9.	यूपीएसईबी	-691.43	-1099.38	-978.25
10.	एचपीएसईबी	11.78	14.60	18.52
11.	केईबी	-19.48	-1.89	-163.40
12.	एचएसईबी	-371.00	-482.70	-448.94
13.	वीएसईबी	191.10	442.60	-80.32
14.	डब्ल्यूबीएसईबी	-96.40	-55.40	-78.60
15.	केएसईबी	18.37	24.11	13.32
16.	एसईएसईबी	-8.41	-2.82	-17.24
	योग	-2428.86	-2926.17	-4154.91

नोट : वर्ष 1993-94 तक उपर्युक्त सभी राज्य विद्युत बोर्डों के लेखा-परीक्षित लेखे उपलब्ध हैं।

वर्ष 1994-95 के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड तथा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (लेखा-परीक्षित) के मामले को छोड़कर अनंतिम लेखे उपलब्ध हैं।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के संबंध में आंकड़े महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा योजना आयोग को दिए संसाधन प्रलेख, 1995-97 से लिए गए हैं।

एड्स का नियंत्रण

106. **श्री ई. अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एड्स पर नियंत्रण करने के लिए हाल के वर्षों में कोई व्यापक अध्ययन अथवा अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां तो उसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या केरल राज्य में अब तक एच.आई.वी. पाजिटिव का कोई मामला प्रकाश में आया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा एड्स पर नियंत्रण करने हेतु कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक विंग है, देश में एड्स की रोकथाम के लिए अनेक अध्ययन चला रहा है, ये अध्ययन अभी भी चल रहे हैं। ऐसे अध्ययनों के परिणाम को देश में एचआईवी/एड्स की रोकथाम करने के लिए उपचार संबंधी कार्यनीतियां तैयार करने के लिए उपयोग किया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल ने अब तक 151। एच आई वी पाजिटिव मामलों की सूचना दी है जिसमें से 1219 पुरूष और 292 महिलाएं हैं।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को विमुक्त की गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93 विमुक्त किया गया अनुदान	1993-94 विमुक्त की गई धनराशि	1994-95 विमुक्त किया गया अनुदान	1995-96 विमुक्त की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	106.74	25.09	257.73	432.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.63	8.24	12.19	65.81
3.	असम	34.83	12.43	50.37	92.70
4.	बिहार	70.25	16.69	87.00	0.00

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	26.91	7.87	41.82	0.00
6.	गुजरात	63.41	65.83	129.29	131.26
7.	हरियाणा	39.98	33.36	62.27	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	82.75	22.93	87.27	156.75
9.	जम्मू और कश्मीर	2.80	32.80	12.35	0.00
10.	कर्नाटक	89.24	53.08	138.33	120.00
11.	केरल	64.78	16.19	100.88	172.62
12.	मध्य प्रदेश	75.05	62.29	217.79	137.00
13.	महाराष्ट्र	146.67	219.69	292.60	300.00
14.	मणिपुर	29.53	31.72	52.50	113.58
15.	मेघालय	2.00	21.98	40.29	18.00
16.	मिजोरम	20.78	31.73	56.40	36.00
17.	नागालैंड	31.70	30.00	67.33	107.00
18.	उड़ीसा	52.27	19.82	126.10	0.00
19.	पंजाब	40.75	11.99	64.50	80.00
20.	राजस्थान	52.86	47.64	123.84	90.00
21.	सिक्किम	17.81	4.87	17.82	25.00
22.	तमिलनाडु	145.42	153.25	277.44	650.00
23.	त्रिपुरा	27.46	32.73	3.00	38.00
24.	उत्तर प्रदेश	107.74	27.59	221.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	101.04	22.86	185.64	288.82
26.	पांडिचेरी	19.15	8.74	10.18	55.04
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17.80	22.23	31.27	50.59
28.	चण्डीगढ़	14.25	22.70	28.65	51.70
29.	दादरा और नागर हवेली	11.00	17.95	25.15	42.00
30.	दमन व द्वीव	5.00	17.95	26.15	43.05
31.	दिल्ली	27.44	48.70	97.73	164.00
32.	लक्षद्वीप	7.00	18.48	27.52	53.54
	योग	1554.32	1173.94	2872.40	3514.46

नोट : विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में आवंटित की गई धनराशि को भी विमुक्त की गई धनराशि ही समझा जाता है क्योंकि उन्हें पूरी आवंटित धनराशि का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आंत्रशोथ और हैजा

107. **श्री पिनाकी मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अभी से लोग आंत्रशोथ और हैजा जैसी जल-जनित बीमारियों के शिकार होने शुरू हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार आंकड़ें क्या हैं तथा वर्ष 1994 और 1995 की तुलना में इस वर्ष ऐसे कितने मामले जानकारी में आए हैं; और

(ग) इस वर्ष इस संकट से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) देश के कुछ भागों से जठरांत्रशोथ/हैजे के रोगियों की सूचना मिली है।

(ख) हैजे के सूचित रोगियों और इससे हुई मौतों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन रोगों को रोकने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा सामान्यतया उठाये जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:-

1. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
2. भोजन और वैयक्तिक स्वच्छता में सुधार
3. मानव मलमूत्र का सही निपटान
4. समुचित स्वास्थ्य शिक्षा
5. निगरानी और प्रबोधन
6. क्लोरीन की गोलियों और ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट पैकेटों आदि का वितरण।

विवरण

(8 जून, 1995 तक)

क्र. सं.	राज्य	1994		1995		1996	
		रोगी	मौते	रोगी	मौते	रोगी	मौते
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	82	4	186	1	74	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	**	**	**	**
3.	असम	**	**	**	**	**	**
4.	बिहार	0	0	**	**	**	**
5.	गोवा	3	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	578	8	58	1	117	0
7.	हरियाणा	64	0	58	1	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	25	0	2	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	103	2	0	0	0	0
11.	केरल	36	0	5	1	0	0
12.	मध्य प्रदेश	289	9	50	0	0	0
13.	महाराष्ट्र	76	5	273	0	123	2
14.	मणिपुर	2	0	22	1	0	0
15.	मेघालय	**	**	**	**	**	**
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	2	0	69	3	0	0
19.	पंजाब	84	1	41	0	0	0
20.	राजस्थान	3	0	0	0	0	0
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	728	0	391	1	350	2
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	485	3	292	0	8	0
25.	पश्चिम बंगाल	125	0	**	**	**	**
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	45	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व द्वीव	0	0	**			
30.	दिल्ली	2243	0	1984	0	122	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	योग	4973	32	3432	9	1019	6

** = सूचना प्राप्त नहीं हुई।

0 = शून्य

तेल आयात संबंधी खर्च

108. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष देश में तेल आयात संबंधी खर्च बढ़ रहा है:

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा तेल आयात खर्च में कटौती करने के लिए तथा कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों का आयात खर्च नीचे दिया गया है :

वर्ष	करोड़ रुपए
1993-94	17730
1994-95	17838
1995-96*	24095

*अनंतिम

पी ओ एल के आयात की मात्रा में वृद्धि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग अधिक बढ़ने के कारण हुई है। आयात खर्च इन बातों पर निर्भर होता है-(क) उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य (ख) रुपए की तुलना में डालर की विनियम दर और (ग) मांग के मुकाबले कच्चे तेल और पेट्रालियम उत्पादों का वास्तविक स्वदेशी उत्पादन।

सरकार ने शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए शोधन क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दे दी है।

भरत में हाइड्रोकार्बनों की खोज और कुछ छोटे आकार के तेल क्षेत्रों तथा कुछ मध्यम आकार के तेल क्षेत्रों के विकास के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों को अनुमति दे दी गई है। ऐसा देश में अन्वेषण के लिए अत्यावश्यक गति को बढ़ाने और जहां लागू हो, वहां अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए तेल क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करने के लिए किया गया।

सरकारिया आयोग

109. श्री जगमोहन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारिया आयोग की किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा क्रियान्वित किया गया है;

(ख) किन-किन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है तथा उनको अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त आयोग की सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं; और

(घ) उपरोक्त सिफारिशों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिए जाने में देरी के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ). 10 अक्तूबर, 1990 को हुई अन्तर राज्य परिषद की प्रथम बैठक में सरकारिया आयोग की कुल 247 सिफारिशों को पेश किया। उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस परिषद ने एक उप-समिति गठित करने का फैसला किया। इस उप-समिति ने अब तक हुई अपनी छः बैठकों में 190 सिफारिशों पर विचार किया है।

इस उप-समिति की अंतिम रिपोर्ट तथा उस पर अन्तर राज्य परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिया जाएगा।

रूटविल्ट रोग

110. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल के वृक्षों को लगने वाले रूटविल्ट रोग को रोकने के लिए क्या कोई उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल को इस रोग को नियंत्रित करने/रोकने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इस रोग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके नियंत्रण हेतु सरकार का आगे क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। जड़ मुरझान रोग की रोक-थाम के लिये निम्नलिखित समेकित प्रबन्ध पद्धति अपनाई गई है;

1. रोग से प्रभावित/जराग्रस्त तथा अनुत्पादक पाम्में को हटाना।
2. गुणवत्ता वाली पौदों का पुनः रोपण।
3. बहु-फसलन प्रणाली की शुरूआत।
4. जल तथा उर्वरक प्रबन्ध और पौध संरक्षण उपाय अपनाना।

(ग) से (ङ). समेकित प्रबन्ध पद्धतियां रोग पर नियन्त्रण करने में प्रभावी पाई गई है। समेकित प्रबन्ध पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने तथा उसको प्रोत्साहन देने के लिये आठवीं योजना अवधि के दौरान केरल राज्य को आबंटित 2500.50 लाख रुपये के परिव्यय से इस कार्यक्रम के जरिये रोग पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयास जारी है।

[हिन्दी]

बिहार में गंगा की सफाई

111. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंगा कार्य योजना से संबंधित सफाई कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अभी तक कितना कार्य पूरा हुआ है और प्रत्येक कार्य में वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). बिहार में गंगा कार्य योजना के चरण-I के अन्तर्गत गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए शुरू की गई कुल 45 स्कीमों में से अब तक 41 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। चल रही शेष 4 सीवेज उपचार संयंत्र स्कीमों की प्रगति धीमी है। ये स्कीमें नीचे दिए अनुसार है :

1. सीवेज उपचार संयंत्र, पूर्वी क्षेत्र, पटना
2. सीवेज उपचार संयंत्र, छपरा
3. सीवेज उपचार संयंत्र, मुंगेर
4. सीवेज उपचार संयंत्र, सैदपुर, पटना में क्षमता विस्तार

कुल संस्वीकृत 52.35 करोड़ रुपए की लागत में से अब तक लगभग 49.05 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। स्कीम-वार वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

स्कीम-वार वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति

(लाख रुपये)

स्कीम	संस्वीकृत स्कीमें	पूरी हो चुकी स्कीमें	संस्वीकृत लागत	व्यय
1	2	3	4	5
शवदाहगृह	8	8	404.22	364.18
अल्प लागत स्वच्छता	7	7	550.34	538.49
नदी तटाग्र सुविधाएं	3	3	87.52	87.78
मेन पंपिंग स्टेशन, सीवेज उपचार संयंत्रों का संचालन एवं रख-रखाव	एक मुश्त	एक मुश्त	201.23	298.68
अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	17	17	1969.94	1965.46
सीवेज उपचार संयंत्र	7	3	1901.62	1528.29
अन्य	3	3	119.82	122.32
योग	45	41	5234.69	4905.20

[अनुवाद]

कपड़े का निर्यात

112. **श्री सुरेश कोडीकुनील :**
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बाजार में भारत की स्थिति में सुधार लाने के लिए कपड़े, विशेषकर सिल्क और उत्तम सूती वस्त्र के निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई बहुआयामी नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान कपड़े के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल जलप्पा) : (क) और (ख). हाल में सरकार ने रेशम तथा बढ़िया सूती कपडों के निर्यात के लिए कोई पृथक नीति नहीं बनाई है। तथापि रेशम तथा बढ़िया सूती कपड़े सहित वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कदम उठाती रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करना, निर्यात उत्पादन के लिए आयात कच्चे माल को कर मुक्त करने के लिए विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

(ग) हस्तशिल्प, पटसन तथा कयर सहित वस्त्रों के निर्यातों से 10683.07 मिलियन अमरीकी डालर की (लगभग) विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

[हिन्दी]

मूलभूत टेलीफोन सुविधा

113. **डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री अनन्त कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 दूरसंचार सर्किलों में से 9 दूरसंचार सर्किलों के लिए आवेदन मांगने के तीसरे चरण के दौरान मध्य प्रदेश सर्किल के लिए एक पार्टी ने ही आवेदन किया है;

(ख) पहले, दूसरे और तीसरे चरण के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) मूलभूत संचार डिविजन की विश्वसनीयता में गिरावट होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न हैं।

(ग) बुनियादी टेलीफोन सेवा की विश्वसनीयता में कोई, गिरावट नहीं आई है।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

विवरण

प्रथम चरण के दौरान प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा

बोलीदाता कम्पनी का नाम		उस सर्किल का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई
	1	2
(1)	मैसर्स जे.टी. टेलीकाम लि.	पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
(2)	मैसर्स ह्यूजेस इस्पात लि.	महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
(3)	मैसर्स भारती टेलीनेट लि.	हरियाणा, पंजाब
(4)	मैसर्स यूरोटेल (इण्डिया) लि.	तमिलनाडु, पंजाब
(5)	मैसर्स बेसिक टेलीसर्विसेज लि.	तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब
(6)	मैसर्स एच.एफ.सी.एल. बैजेक टेलीकाम लि.	आन्ध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब
(7)	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि.	पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली
(8)	मैसर्स टेक्नो टेलीकाम इण्डिया लि.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, उड़ीसा, बिहार

1		2
(9)	एस्सर कॉमविजन लि.	दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, गुजरात
(10)	बिड़ला टेलीकाम लि.	महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात
(11)	मैसर्स स्पिक टेलेस्ट्रा टेलीकाम इण्डिया प्रा. लि.	तमिलनाडु
(12)	यू.एस.-वेस्ट बी.पी.एल. टेलीफोन सर्विसेज प्रा. लि.	दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु
(13)	स्टलाईट टेलीकाम लि.	तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश
(14)	रिलायंस टेलीकाम प्रा. लि.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर पूर्व, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
(15)	मोदी इन्फोटेक प्रा. लि.	हरियाणा
(16)	टेलीलिंक नेटवर्क इण्डिया लि.	राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, दिल्ली

द्वितीय चरण के दौरान प्राप्त आवेदनों का विवरण

बोलीदाता कम्पनी का नाम	उस सर्किल का नाम, जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई
मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज	आंध्रप्रदेश
रिलायंस टेलीकाम	गुजरात
मैसर्स बेसिक टेलीसर्विसेज	तमिलनाडु
मैसर्स टेक्नोटेलीकाम	बिहार
मैसर्स भारती टेलीनेट	पंजाब
मैसर्स एस्सार कामविजन	पंजाब

तृतीय चरण के दौरान प्राप्त आवेदनों का विवरण

बोलीदाता कम्पनी का नाम	उस सर्किल का नाम, जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई
मैसर्स भारती टेलीनेट लि.	मध्य प्रदेश

[अनुवाद]

अस्पतालों में उपचार

114. डा. एम.पी. जायसवाल :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटना के शिकार लोगों का सरकारी अस्पतालों में तुरन्त उपचार नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अस्पतालों को इस सम्बन्ध में निदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना के शिकार सभी लोगों का तत्काल उपचार किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सलाह पर उनके नियंत्रण में आने वाले सभी अस्पताल प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में लाए गए सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तत्काल देखा जाए और उपचार किया जाए।

[हिन्दी]

पशुओं की तस्करी

115. **श्री ललित उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार से बंगलादेश को पशुओं की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). बंगलादेश के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पशुओं को सीमा पार तस्करी करके ले जाने के लिए हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से पश्चिम बंगाल लाया जाता है।

पशुओं की सीमा पार तस्करी रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, सघन गश्त, सीमा पर प्रेक्षण चौकी टावर खड़े करना तथा सीमा सड़कों/बाड़ का निर्माण। संयुक्त कार्यकारी ग्रुप की एक बैठक में भी बंगलादेश सरकार के साथ यह मामला उठाया गया है।

[अनुवाद]

उत्तरांचल और वनांचल

116. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**
श्री विनय कटियार :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री सुरेश कोडीकुनील :
श्री राधामोहन सिंह :
डा. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उत्तरांचल और वनांचल को राज्य का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किस तिथि तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद अधिनियम, 1994 में झारखण्ड क्षेत्र का तेजी से सम्पूर्ण विकास करने के लिए एक स्वायत्तशासी परिषद की स्थापना करने का प्रावधान है। वनांचल को राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

उत्तराखण्ड को राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग के बारे में सरकार को जानकारी है। ऐसे संवेदनशील और नाजुक मुद्दे का हल करने, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

रम्मन पन-बिजली परियोजना का पूरा होना

117. **श्री आर.बी. राई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की रम्मन पन-बिजली परियोजना को पूरा करने के कार्य में देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस देरी के कारण कितनी वित्तीय हानि हुई है; और

(घ) समय और धन की हानि को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में 3x12 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता वाली रमन जल-विद्युत परियोजना को मार्च, 1993 में सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना की अद्यतन लागत (मार्च, 1991 का मूल्य स्तर) 77 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार निजी भागीदारी से इस परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने पर विचार कर रही है। परियोजना को 10वीं योजना के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

4x12.5 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता वाली रम्मन चरण-2 जल-विद्युत परियोजना को 24.9 करोड़ रुपये की लागत पर अप्रैल, 1977 में निर्देश अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस परियोजना को 1982-83 में चालू किया जाना था। मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अशांति, ठेके संबंधी समस्याओं इत्यादि के कारण हुए विलंब के फलस्वरूप दो यूनिटों को सितंबर, 1995 में चालू किया तथा अन्य दो यूनिटों को जनवरी/फरवरी, 1995 में चालू किया गया। परियोजना की नवीनतम लागत (1993 का मूल्य स्तर) 125 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ). हालांकि, परियोजना के पूरा होने में हुए विलंब के फलस्वरूप राज्य सरकार को न केवल उत्पादन की कमी के कारण राजदूत की हानि हुई बल्कि परियोजना लागत में वृद्धि के कारण भी वित्तीय हानि हुई, परंतु फिर भी केन्द्र सरकार ने इन हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए कोई उपाय नहीं सुझाए हैं।

[हिन्दी]

टेलीमेडिसीन प्रणाली

118. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री विनय कटियार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को विश्व विख्यात चिकित्सा विशेषज्ञों से टेलीफोन पर सलाह लेने संबंधी कोई टेलीमेडिसीन प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की मुख्य विशेषतायें और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उर्वरकों की कमी

119. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा यूरिया की मांग तथा उनकी की गई आपूर्ति की वास्तविक मात्रा के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा यूरिया की कम आपूर्ति, यदि कोई, किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस कमी से 1995-96 के दौरान खरीफ तथा रबी के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अधिकांश राज्यों को यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की कमी महसूस हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति से निपटने तथा राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त तथा अन्य उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग तथा सप्लाई किए गए यूरिया, जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन था, का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

वर्ष	अनुमानित आवश्यकता	सप्लाई (लाख मी.टन)
1993-94	163.54	182.70
1994-95	172.52	187.17
1995-96	189.09	210.26

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में उर्वरकों, जिसमें यूरिया भी शामिल है, की खपत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश में सांविधिक मूल्य नियंत्रण, जिसमें यूरिया भी शामिल है, की उपलब्धता अधिकतम राज्यों में कमोबेश रूप में संतोषप्रद रही तथा लक्षित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थीं।

भारत सरकार प्रत्येक राज्य को सप्लाई किए जाने वाली यूरिया का नियमित आधार पर अनुवीक्षण करती है, ताकि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। लेकिन कुछ राज्यों से कुछ स्थानों पर कमी की सूचना मिली है तथा सप्लाई बढ़ाकर कमी को पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है।

विवरण

उर्वरको की खपत

(लाख मी. टन)

क्र.सं.	उत्पाद	खपत		
		1993-94	1994-95	1995-96 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
1.	यूरिया*	158.10	171.12	186.98
2.	अमोनियम सल्फेट**	5.91	5.48	6.13
3.	अमोनियम क्लोराईड**	1.39	1.15	4.22
4.	कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट**	6.29	5.06	4.49
5.	डाई-अमोनियम फॉस्फेट	34.80	35.86	36.86
6.	सिंगलसुपर फॉस्फेट	23.52	26.26	29.50
7.	कॉम्पलेक्स फर्टिलाईजर	31.60	39.74	38.45
8.	म्यूरियेट ऑफ पोटाश	10.52	12.70	14.36

* सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन

** ये उर्वरक वर्ष 1993-94 के दौरान सांविधिक मूल्य के अंतर्गत थे 10.6.94 से इन पर नियंत्रण हटा लिया गया।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध

120. **श्री अमरपाल सिंह :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे उत्पाद कौन से हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है और प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अब उन उत्पादों पर से प्रतिबंध उठा लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं,

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सभी को रोजगार

121. **श्री हरिन पाठक** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशेषकर गुजरात राज्य के सभी शिक्षित तथा अशिक्षित कुशल/अकुशल व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार के पास कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कृषि, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण आधारभूत संरचना, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माणन सेक्टर, शहरी अनौपचारिक सेक्टर तथा सेवाएं जैसे उच्च रोजगार प्रबलता वाले सेक्टरों तथा उपसेक्टरों के विकास के जरिए रोजगार अवसरों का विस्तार पंचवर्षीय योजनाओं में महत्व दिए जाने वाला क्षेत्र है। विशेष रोजगार स्कीमें गुजरात में भी कार्यान्वित की जा रही हैं। नौंवी पंचवर्षीय योजना निरूपण हेतु, पुनर्गठित योजना आयोग द्वारा रोजगार सृजन के लिए नीतियों की जांच की जाएगी।

यूरिया का आयात

122. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री अनंत कुमार :
श्री सुधीर गिरि :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. ने गत मार्च में रोमानिया से यूरिया का आयात किया है और यह पश्चिम बंगाल भांडागारों में अप्रयुक्त ही पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). मैं. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. ने सरकारी खाते में 40,000 मी.टन यूरिया का आयात करने हेतु मै. टी.यू.आर.एन.यू., एस.ए. रोमानिया के साथ 4.11.95 को एक अनुबन्ध किया था।

इस अनुबन्ध पर 26525 मी.ट. यूरिया "सी वीनस" नामक जहाज में भेजा गया था जिसे शुरू में कुड्डालोर में तथा बाद में सागोर, बन्दरगाह पर उतार लिया गया था। कुड्डालोर में उतारा गया सम्पूर्ण माल (लगभग 8000 मी.ट.) अच्छी गुणवत्ता का था। सागौर बन्दरगाह पर उतारे गये शेष माल में से 6,514 मी.ट. यूरिया उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशन को पूरा करता था। शेष 11,736 मी.ट. में विशेष दाना आकार के रूप में कमी बताई गई थी।

मै. एन एफ एल को उनके द्वारा आयात किये गये माल के दाने के आकार में पायी गयी कमी के कारण दंड लगाने के वास्ते नोटिस जारी किया गया है।

सागौर बन्दरगाह पर संचालक एजेन्ट मै. हिन्दुस्तान लीवर लि. (एच एल एल) को सलाह दी गई है कि सीधे कृषि उपयोग हेतु घटिया यूरिया रिलीज न करें तथा इसके निपटान हेतु उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत निर्धारित पद्धति का पालन करें। मै. एच.एल.एल. ने सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक अनुमति के लिये आवेदन किया है।

[हिन्दी]

फल और सब्जियां

123. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से विभिन्न राज्यों में फलों और सब्जियों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और कर्नाटक में फलों और सब्जियों के उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में फल और सब्जी उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने की कोई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) देश में फलों तथा सब्जियों के उत्पादन के सम्बन्ध में सतही अनुमान 1993-94 तक के ही उपलब्ध हैं। पांच राज्यों के सम्बन्ध में 1991-92 से 1993-94 तक के तीन वर्षों के उत्पादन तथा वार्षिक वृद्धि सम्बन्धी जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ). फल तथा सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में सरकार के पास कार्यक्रम नहीं हैं। बहरहाल इन जिन्सों के रख-रखाव तथा विपणन के लिये आधारभूत सुविधाओं का विकास करने, नुकसान तथा गुणवत्ता में ह्रास को रोकने तथा किसानों को बेहतर दाम सुनिश्चित कराने के लिये सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मण्डी हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत किसानों को घाटे की बिक्री से बचाने के लिये राज्य सरकार की खरीद की जाती है। तथा इस प्रक्रिया में यदि कोई नुकसान हो तो उसे केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।

विवरण

उत्पादन-मिलियन मी. टन में

		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92 के मुकाबले % वृद्धि/ कमी	
					1992-93	1993-94
पंजाब	फल	0.66	0.69	0.73	4.45	9.67
	सब्जी	1.45	1.46	1.72	0.36	18.72
हरियाणा	फल	0.11	0.12	8.12	10.35	12.09
	सब्जी	0.88	1.03	1.15	17.39	31.70
उत्तर प्रदेश	फल	2.88	3.35	3.48	16.32	20.83
	सब्जी	10.24	9.60	11.07	(-) 6.25	8.10
महाराष्ट्र	फल	3.52	4.28	5.78	22.61	64.18
	सब्जी	4.17	3.57	2.74	(-) 14.39	(-) 34.37
कर्नाटक	फल	3.19	3.44	4.20	7.71	31.49
	सब्जी	3.67	4.66	4.34	26.92	18.24
अखिल भारतीय	फल	28.63	32.96	39.48	15.10	26.15
	सब्जी	58.53	63.81	65.09	9.01	11.21

[अनुवाद]

दिल्ली में अपराध

124. श्री रतिलाल वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश में आपराधिक मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, और राज्यवार, दर्ज किये गये आपराधिक मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अपराधों की संख्या में कमी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ख). विवरण-I, II और III, संलग्न है।

(ग) हालांकि, संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित उपबन्धों के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, तथापि अपराध नियंत्रण सहित पुलिस कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों का मार्गदर्शन करती रहती है। केन्द्र सरकार, राज्यों को और उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देती रही है।

विवरण–I

1993 के दौरान संज्ञेय उपराधों (भा.द.स.) की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	हत्या	हत्या का प्रयास	आपराधिक मानव वध–हत्या की कोटि में न आने वाला	बलात्कार	कुल	अपहरण और व्यपहरण		
							महिलाएं और लड़कियां	अन्य	डकैती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	2514	1385	79	840	796	472	324	680
2.	अरुणाचल प्रदेश	55	35	5	29	19	19	0	18
3.	असम	1105	336	48	560	1158	1034	124	725
4.	बिहार	4983	4902	624	1118	2635	1335	1300	2754
5.	गोवा	36	14	9	14	26	19	7	13
6.	गुजरात	1514	854	13	355	1071	923	148	338
7.	हरियाणा	611	310	98	235	313	208	105	78
8.	हिमाचल प्रदेश	126	72	10	100	193	167	26	12
9.	जम्मू और कश्मीर	691	585	15	115	354	304	50	45
10.	कर्नाटक	1494	951	47	232	498	306	192	306
11.	केरल	506	362	28	211	135	85	50	53
12.	मध्य प्रदेश	3250	3091	192	2658	1092	996	96	260
13.	महाराष्ट्र	3133	1586	150	1145	1158	740	418	794
14.	मणिपुर	319	144	3	8	123	77	46	48
15.	मेघालय	106	25	2	19	27	8	19	77
16.	मिजोरम	39	11	2	40	7	0	7	4
17.	नागालैंड	104	30	0	08	43	13	30	49
18.	उड़ीसा	821	963	101	405	432	432	0	307
19.	पंजाब	702	867	112	90	189	102	87	13
20.	राजस्थान	1406	1515	102	893	2372	2151	221	90
21.	सिक्किम	12	3	3	7	4	4	0	3
22.	तमिलनाडु	1630	1571	28	244	774	757	17	155
23.	त्रिपुरा	255	94	0	69	101	61	40	206
24.	उत्तर प्रदेश	10589	9054	1543	1787	4423	2522	1901	1778
25.	पश्चिम बंगाल	1685	453	584	712	1022	708	314	518
	योग (राज्य)	37686	29213	3798	11894	18965	13443	5522	9324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संघ शासित क्षेत्र									
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10	10	0	4	3	3	0	0
27.	चण्डीगढ़	14	15	7	6	31	24	7	0
28.	दादरा एवं नागर हवेली	4	1	0	0	4	3	1	1
29.	दमन व द्वीव	4	1	0	1	2	0	2	5
30.	दिल्ली	487	472	83	306	817	580	237	27
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पॉडिचेरी	35	13	2	7	8	5	3	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	554	512	92	324	865	615	250	33
	कुल (अखिल भारत)	38240	29725	3890	12218	19830	14058	5772	9357

स्रोत : क्राईम इन इंडिया डाटा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित	डकैती के लिए एकत्र होना और तैयारी करना	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	दंगे	आपराधिक विश्वास-भंग	धोखा-धड़ी	जाली मुद्रा छापना	अन्य भा.द.सं. के अपराध	भा.द.सं. के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों की कुल संख्या
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	6	1136	6816	19032	3255	621	2207	236	59022	98625
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	61	157	278	19	32	20	7	824	1560
3.	असम	23	1010	3599	7859	4462	487	554	102	15327	37355
4.	बिहार	242	3030	7914	20098	13819	1523	1595	30	60375	125642
5.	गोवा	0	30	579	1083	241	49	65	16	936	4111
6.	गुजरात	0	1053	6361	20728	2682	2742	3619	178	78301	119809
7.	हरियाणा	22	202	2558	4218	435	287	679	37	21671	31754
8.	हिमाचल प्रदेश	0	34	1084	1148	678	138	185	7	7077	10864
9.	जम्मू और कश्मीर	0	96	1601	2264	681	100	141	0	8043	14731
10.	कर्नाटक	2	985	10141	18680	7856	724	1936	1055	60956	105863
11.	केरल	18	221	4592	3795	6126	324	1372	67	59042	76852
12.	मध्य प्रदेश	135	2198	18834	32184	3772	669	1407	61	109955	179758
13.	महाराष्ट्र	89	3388	16791	52247	4892	1974	3145	367	93730	184589
14.	मणिपुर	0	50	97	267	112	10	83	24	1336	2624
15.	मेघालय	0	70	219	521	56	7	31	13	690	1863

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	मिजोरम	0	11	239	544	3	21	61	6	477	1465
17.	नागालैंड	0	162	223	327	25	30	29	28	488	1546
18.	उड़ीसा	0	957	4699	10172	1941	470	444	12	29885	51609
19.	पंजाब	18	44	939	1069	12	135	328	18	4909	9445
20.	राजस्थान	16	1038	7551	14262	17668	951	4552	274	68410	121100
21.	सिक्किम	0	9	97	124	42	6	10	0	342	662
22.	तमिलनाडु	0	416	6945	22975	8339	621	1107	554	80295	125654
23.	त्रिपुरा	4	292	520	913	440	20	14	1	2246	5175
24.	उत्तर प्रदेश	362	6683	17541	45491	9273	3792	3886	403	86883	203488
25.	पश्चिम बंगाल	142	830	1030	24847	6642	623	1162	116	3344	70710
	योग (राज्य)	1080	24006	121135	305126	93471	16356	28632	3612	882504	1586862
संघ शासित क्षेत्र											
26.	अण्डमान और नि. द्वीप	0	5	88	84	15	6	7	2	430	664
27.	चण्डीगढ़	0	9	177	906	31	22	95	1	629	1943
28.	दादरा और नगर हवेली	0	1	20	27	14	3	0	0	246	321
29.	दमन व द्वीव	0	0	22	33	28	5	4	1	116	222
30.	दिल्ली	22	326	1465	13161	219	634	1318	99	17161	36597
31.	लक्षद्वीप	0	0	8	17	1	0	0	0	22	48
32.	पांडिचेरी	0	7	105	1080	59	13	23	13	1914	3279
	योग (संघ शासित)	22	348	1885	5308	367	683	1447	116	20518	43074
	योग (समस्त भारत)	1102	24354	123020	320434	93838	17039	30079	3728	903082	1629936

विवरण–II

1994 के दौरान संज्ञेय अपराधों (भा.द.स.) की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	हत्या	हत्या का प्रयास	आपराधिक मानव वध-हत्या की कोटि में न आने वाला	बलात्कार	कुल	अपहरण और व्यपहरण		
							महिलाएं और लड़कियां	अन्य	डकैती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	2419	1302	83	873	993	648	345	529
2.	अरुणाचल प्रदेश	64	32	3	28	41	30	11	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	1198	367	49	530	1140	1003	137	807
4.	बिहार	5098	4542	630	1130	2419	541	1878	2677
5.	गोवा	38	8	2	8	16	11	5	5
6.	गुजरात	1340	714	6	356	1091	951	148	318
7.	हरियाणा	677	370	109	258	347	236	111	48
8.	हिमाचल प्रदेश	104	77	16	110	208	165	43	3
9.	जम्मू और कश्मीर	758	657	8	109	339	279	60	49
10.	कर्नाटक	1552	1094	61	281	621	398	231	377
11.	केरल	509	385	33	197	180	120	60	102
12.	मध्य प्रदेश	3331	3188	325	2929	1264	1155	109	265
13.	महाराष्ट्र	2787	1325	136	1304	1171	799	372	693
14.	मणिपुर	241	144	7	5	115	78	37	26
15.	मेघालय	119	22	6	34	26	17	9	70
16.	मिजोरम	35	25	0	44	7	0	7	153
17.	नागालैंड	137	57	4	12	40	15	25	35
18.	उड़ीसा	821	1117	94	436	455	455	0	373
19.	पंजाब	662	390	99	108	220	135	85	10
20.	राजस्थान	1499	1761	124	1002	2531	2110	421	88
21.	सिक्किम	6	4	0	9	14	2	12	5
22.	तमिलनाडु	1742	1754	44	237	576	558	26	124
23.	त्रिपुरा	284	61	1	61	114	33	81	154
24.	उत्तर प्रदेश	10776	9541	1371	2078	4798	2796	2002	1740
25.	पश्चिम बंगाल	1817	560	646	743	1128	783	345	553
	योग (राज्य)	38014	29497	3857	12882	19854	13302	6552	9249
संघ शासित क्षेत्र									
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14	4	0	4	4	3	1	0
27.	चण्डीगढ़	22	15	5	6	55	45	10	0
28.	दादर व नागर हवेली	7	3	0	2	6	5	1	1
29.	दमन व द्वीव	3	2	0	1	1	0	1	2
30.	दिल्ली	492	479	84	309	1055	713	342	19
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	25	20	0	4	8	7	1	0
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	563	523	89	326	1129	773	356	22
	योग (समस्त भारत)	38577	30020	3946	13208	20983	14075	6908	9271

स्रोत : क्राईम इन इंडिया डाटा।

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित	डकैती के लिए एकत्र होना और तैयारी करना	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	दंगे	आपराधिक विश्वास-भंग	धोखा-धड़ी	जाली मुद्रा छापना	अन्य भा.द.सं. के अपराध	भा.द.सं. के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों की कुल संख्या
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
राज्य											
1.	आंध्र प्रदेश	5	979	6954	17396	3354	637	2384	252	62629	100789
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	52	165	317	11	31	22	6	1056	1873
3.	असम	24	1054	3275	7325	3876	456	509	95	14756	35461
4.	बिहार	248	3002	7156	18399	13593	1775	1362	74	53517	115622
5.	गोवा	0	19	488	875	163	46	57	18	1387	3130
6.	गुजरात	0	1153	6238	220265	2259	2394	3298	160	72660	112252
7.	हरियाणा	36	257	2749	4333	420	332	779	41	21836	32592
8.	हिमाचल प्रदेश	0	24	1089	1019	696	109	196	11	7123	10785
9.	जम्मू और कश्मीर	0	111	1827	2348	647	93	172	3	7799	14920
10.	कर्नाटक	4	1115	9980	19538	9130	600	1905	425	66266	112949
11.	केरल	19	217	4545	3706	7324	325	1415	71	64832	83860
12.	मध्य प्रदेश	112	2146	19856	31934	3961	873	1527	60	116254	188025
13.	महाराष्ट्र	84	3180	15900	47668	4422	1844	3179	239	97711	181643
14.	मणिपुर	0	49	94	273	58	13	92	11	1284	2412
15.	मेघालय	1	101	195	514	44	22	30	7	774	1965
16.	मिजोरम	0	10	212	563	2	23	53	4	588	1719
17.	नागालैंड	0	117	221	274	9	38	50	6	499	1499
18.	उड़ीसा	0	883	4537	8640	1863	402	413	27	28228	48289
19.	पंजाब	15	46	989	1275	7	147	532	11	6120	10631
20.	राजस्थान	8	1137	8327	15517	18741	846	5549	287	75602	133019
21.	सिक्किम	0	9	123	168	55	5	7	2	428	827
22.	तमिलनाडु	0	401	6348	19986	7343	650	1178	567	78121	119071
23.	त्रिपुरा	0	177	408	607	283	13	19	11	1604	3797
24.	उत्तर प्रदेश	238	6506	16822	43143	9594	3615	3722	284	90475	204703
25.	पश्चिम बंगाल	138	791	945	22068	6147	610	1249	67	31480	68942
	योग (राज्य)	932	23536	119443	288143	94002	15899	29699	2739	903029	1590775
संघ शासित क्षेत्र											
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	1	68	61	21	8	6	0	356	547
27.	चण्डीगढ़	0	8	178	967	46	27	99	0	671	2899
28.	दादर व नागर हवेली	0	4	24	61	30	5	0	0	345	488

1 2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29. दमन व द्वीव	0	3	37	33	24	4	4	2	107	223
30. दिल्ली	14	377	1660	13490	172	578	1383	99	18012	38223
31. लक्षद्वीप	0	0	3	20	8	1	0	0	20	52
32. पांडिचेरी	0	4	123	789	41	1	16	11	1802	2844
योग (संघ शासित क्षेत्र)	914	397	2093	15421	342	624	1508	112	21313	44476
योग (समस्त भारत)	946	23933	121536	303564	94344	16523	31207	2851	924342	1635251

स्रोत : क्राईम इन इंडिया डाटा।

विवरण-III

1995 के दौरान संज्ञेय अपराधों (भा.द.स.) की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या	हत्या का प्रयास	आपराधिक मानव वध-हत्या की कोटि में न आने वाला	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	डकैती	लूटपाट	सेंधमारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	2376	1105	97	834	990	538	860	6266
2.	अरुणाचल प्रदेश	71	33	1	27	48	42	60	136
3.	असम	485	81	8	217	510	346	490	1330
4.	बिहार	2023	1088	278	363	826	1091	1022	2426
5.	गोवा	36	4	3	20	21	2	22	614
6.	गुजरात	1373	727	18	248	835	287	933	5683
7.	हरियाणा	627	323	100	256	433	57	252	2806
8.	हिमाचल प्रदेश	125	86	7	110	177	3	26	975
9.	जम्मू और कश्मीर	796	627	35	114	379	51	169	1911
10.	कर्नाटक	1734	1229	55	262	581	307	1079	10234
11.	केरल	457	481	34	244	158	78	215	4338
12.	मध्य प्रदेश	3318	3036	439	2925	1137	153	1868	18441
13.	महाराष्ट्र	2799	1380	165	1332	1197	691	1303	15422
14.	मणिपुर	289	161	5	11	111	21	37	111
15.	मेघालय	103	16	3	14	17	72	74	128
16.	मिजोरम	37	33	7	42	39	11	17	319
17.	नागालैंड	151	44	8	15	29	30	105	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	उड़ीसा	822	494	85	476	288	255	892	3717
19.	पंजाब	643	327	86	91	243	26	44	1018
20.	राजस्थान	1260	1220	195	870	2390	79	984	7014
21.	सिक्किम	12	9	1	3	13	3	5	89
22.	तमिलनाडु	1940	1553	20	241	599	134	524	6079
23.	त्रिपुरा	251	62	0	75	194	183	144	375
24.	उत्तर प्रदेश	10384	8685	1118	1783	3889	1315	5344	12482
25.	पश्चिम बंगाल	1788	535	620	787	934	481	861	826
	कुल राज्य	33905	23339	3388	11360	16038	6256	19130	102960
संघ शासित क्षेत्र									
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14	8	0	5	4	0	2	57
27.	चण्डीगढ़	14	17	7	5	37	1	10	175
28.	दादर व नागर हवेली	11	10	4	1	6	1	5	30
29.	दमन व द्वीव	5	3	0	1	2	3	5	22
30.	दिल्ली	501	587	80	335	1294	28	557	2016
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	4
32.	पांडिचेरी	23	12	2	2	9	1	4	85
	कुल संघ शासित क्षेत्र	568	637	93	349	1352	34	583	2389
	कुल (अखिल भारत)	34473	23976	3481	11709	17390	6290	19713	105349

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम है।

क्र सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चोरी	दंगे	आपराधिक विश्वास-भंग	धोखाधड़ी	जाली मुद्रा छापना	अन्य भा.दं. संहिता के अपराध	भा.दं.सं. के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों की संख्या	टिप्पणी (आंकड़े दिखाए गए महीनों तक)
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	14601	4587	548	2257	157	63288	98504	
2.	अरुणाचल प्रदेश	313	19	23	23	2	1103	1901	
3.	असम	3224	1085	125	141	12	7793	15848	मई
4.	बिहार	6111	4800	158	192	109	27486	45973	मई
5.	गोवा	1123	180	39	54	12	1413	3543	

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	गुजरात	19082	1593	1276	802	157	70442	103456	
7.	हरियाणा	4436	533	284	603	54	20597	31361	
8.	हिमाचल प्रदेश	919	578	92	144	11	7887	11140	
9.	जम्मू और कश्मीर	2181	618	85	153	28	7881	15028	
10.	कर्नाटक	18983	9613	604	1984	76	73596	120337	
11.	केरल	3105	6471	227	1396	21	70200	87425	
12.	मध्य प्रदेश	30951	3835	699	1563	186	127013	195564	
13.	महाराष्ट्र	49529	3676	1908	3191	1524	107983	193900	
14.	मणिपुर	320	41	17	64	13	18	2519	
15.	मेघालय	427	34	10	22	6	699	1625	नवम्बर
16.	मिजोरम	869	1	28	78	12	953	2446	
17.	नागालैंड	272	11	22	19	2	426	1354	
18.	उड़ीसा	6805	1538	156	393	19	30227	46167	नवम्बर
19.	पंजाब	1377	6	159	577	18	6524	11144	
20.	राजस्थान	13301	17364	690	3933	516	74717	124533	अक्तूबर
21.	सिक्किम	125	23	9	58	1	282	633	
22.	तमिलनाडु	18834	4456	383	895	492	74398	110548	
23.	त्रिपुरा	576	246	14	24	3	1588	3735	
24.	उत्तर प्रदेश	33282	7873	3019	3121	196	78637	171128	
25.	पश्चिम बंगाल	21099	6111	484	1161	58	33668	69413	
	कुल (राज्य)	251845	75292	11059	22848	3685	890120	1471225	
संघ शासित क्षेत्र									
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	56	19	5	6	0	290	466	
27.	चण्डीगढ़	832	66	54	85	2	730	2035	
28.	दादर व नागर हवेली	57	27	7	2	0	254	415	
29.	दमन व द्वीव	56	39	3	11	0	92	242	नवम्बर
30.	दिल्ली	17314	206	643	1142	63	22743	47709	
31.	लक्षद्वीप	12	1	3	0	0	12	32	
32.	पांडिचेरी	458	43	3	10	4	1743	2399	
	कुल संघ शासित क्षेत्र	18785	401	718	1256	69	25864	53298	
	कुल (अखिल भारत)	270630	75693	11777	24104	3754	915984	1524523	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

जनसंख्या वृद्धि

125. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश की जनसंख्या कितनी है तथा इसकी राज्य-वार वार्षिक वृद्धि दर क्या है;

(ख) क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि की समस्या से चिंतित है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन के राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उनमें कितनी सफलता मिली;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों की तुलना में अधिक वृद्धि दर वाले राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए और अधिक सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्थाई समिति के अनुमान के अनुसार 1.3.96 को राज्यवार प्रक्षेपित जनसंख्या तथा वर्ष 1994 में नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न परिवार नियोजन उपायों के संबंध में वार्षिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण-II से V में संलग्न हैं।

(घ) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विमुक्त राज्यवार सहायतानुदान को दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण-IV में संलग्न हैं।

(ङ) और (च). सामाजिक सुरक्षा नेट योजना के अन्तर्गत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान प्रति हजार 39 से अधिक जन्म दर वाले 90 जिलों को 155 करोड़ रुपये दिए गए। उच्च वृद्धि दर वाले राज्यों में विदेशी सहायता वाली अनेक परियोजनाएं चल रही हैं।

विवरण-I

पहली मार्च 1996 को राज्यवार जनसंख्या अनुमान तथा 1994 में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि पर

क्र.सं.	राज्य/संघ	जनसंख्या (00)	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4
	भारत	9266735	1.94*
1.	आंध्र प्रदेश	724961	1.55
2.	असम	249451	2.16
3.	बिहार	962197	2.21
4.	गुजरात	451274	1.84
5.	हरियाणा	183146	2.27
6.	कर्नाटक	485076	1.67
7.	केरल	311857	1.13
8.	मध्य प्रदेश	730424	2.14
9.	महाराष्ट्र	870019	1.76
10.	उड़ीसा	346679	1.68
11.	पंजाब	218195	1.74
12.	राजस्थान	488350	2.47
13.	तमिलनाडु	586513	1.12
14.	उत्तर प्रदेश	1517931	2.44
15.	पश्चिम बंगाल	740507	1.69
16.	अरुणाचल प्रदेश	9771	1.86
17.	गोवा	12899	0.78
18.	हिमाचल प्रदेश	56819	1.77
19.	जम्मू व कश्मीर	86329	एन ए
20.	मणिपुर	20624	1.50
21.	मेघालय	19902	2.24
22.	मिजोरम	8056	एन ए
23.	नागालैंड	14156	1.58
24.	सिक्किम	4771	2.17
25.	त्रिपुरा	30920	1.66
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	3357	1.48
27.	चण्डीगढ़	8000	1.53
28.	दादर व नागर हवेली	1584	2.50
29.	दमन व द्वीव	1123	1.89
30.	दिल्ली	112244	1.78
31.	लक्षद्वीप	584	1.92
32.	पांडिचेरी	8939	1.05

* जम्मू और कश्मीर को छोड़कर

एन ए अनुपलब्ध

विवरण–II

नसबंदी के राज्यवार लक्ष्य/प्रत्याशित उपलब्धि स्तर तथा उपलब्धियां 1993–94, 1994–95 और 1995–96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंसियां	1993–94		1994–95		1995–96	
		प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि	प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि @@	प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि @@
1	2	3	4	5	6	7	8
I. बड़े राज्य (1 करोड़ से अधिक जनसंख्या)							
1.	आंध्र प्रदेश	600000	603909	600000	575728	550000	520072
2.	असम	130000	28106	130000	22450	130000	22480
3.	बिहार	500000	308266	600000	206188	679300	245483
4.	गुजरात	270000	287568	280000	301298	280000	280054
5.	हरियाणा	110000	102341	125000	103230	125000	101251
6.	कर्नाटक	380000	356344	418000	371535	473200	381634
7.	केरल	115000	131173	115000	133054	लक्ष्य मुक्त	118881
8.	मध्य प्रदेश	400000	364323	400000	401855	415000	385295
9.	महाराष्ट्र	525000	539802	560000	582454	580000	558291
10.	उड़ीसा	144000	130038	200000	162085	200000	146587
11.	पंजाब	85000	130230	120000	125992	100000	114079
12.	राजस्थान	275000	203017	250000	203118	250000	167091
13.	तमिलनाडु	350000	352078	325000	325880	लक्ष्य मुक्त	308666
14.	उत्तर प्रदेश	700000	420076	600000	516866	600000	529255
15.	पश्चिम बंगाल	400000	354909	400000	361191	440000	328986
II. छोट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
1.	हिमाचल प्रदेश	40000	38496	44000	40954	44000	35856
2.	जम्मू और कश्मीर	22000	18320	20000	15470	22600	15662
3.	मणिपुर	3500	2205	3500	2236	3500	2460
4.	मेघालय	1000	908	1000	849	1000	933 ++
5.	नागालैंड	2500	636	2500	3003	3000	448 +
6.	सिक्किम	1100	328	1100	1592	1200	1061
7.	त्रिपुरा	11000	13369	11200	13196	11200	10225
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2000	1798	2000	1792	1600	1666
9.	अरुणाचल प्रदेश	2700	1375	1500	1727	1700	1653
10.	चण्डीगढ़	2700	3095	2700	3036	लक्ष्य मुक्त	3077
11.	दा.ना. हवेली	600	455	600	602	700	495
12.	दिल्ली	42000	38763	42840	39655	42850	37833
13.	गोवा	4000	4344	4300	4316	4300	4145
14.	दमन व द्वीव	400	457	400	435	450	500

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	लक्षद्वीप	100	24	40	27	50	22 +
16.	मिजोरम	3000	3455	3500	3476	3500	2569
17.	पांडिचेरी	7000	8307	6000	8827	6800	9612
III.	**अन्य एजेंसियों**						
1.	रक्षामंत्रा.	21400	22940	22500	22807	22500	21533
2.	रेल मंत्रा.	32100	25995	33700	22590	38200	22244
	भारत	5183100	4497450	5326380	4579514	5031650	4380099

@ उपलब्धियां का प्रत्याशित उपलब्धि स्तर + फरवरी 96 तक के आंकड़े

@@ आंकड़े अनन्तिम ++ जनवरी, 96 तक के आकड़े

विवरण–III

आई यू डी निवेशन के राज्यवार लक्ष्य/प्रत्याशित उपलब्धि स्तर तथा उपलब्धियों 1993–94, 1994–95 और 1995–96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंसियां	1993–94		1994–95		1995–96	
		प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि	प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि @@	प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि @@
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**बड़े राज्य (करोड़ से अधिक जनसंख्या)**						
1.	आंध्र प्रदेश	500000	332185	500000	338289	350000	274156
2.	असम	50000	25888	56000	34688	56000	34964
3.	बिहार	450000	199189	508000	206551	575200	250797
4.	गुजरात	450000	429759	460000	473651	460000	452077
5.	हरियाणा	183000	152578	207000	166407	207000	164030
6.	कर्नाटक	300000	274084	331000	299504	374800	347637
7.	केरल	100000	84854	108000	88022	लक्ष्य मुक्त	78850
8.	मध्य प्रदेश	1000000	705574	1000000	857822	1000000	796528
9.	महाराष्ट्र	525000	453035	566000	476283	515000	464724
10.	उड़ीसा	187000	165076	207000	193582	207000	207391
11.	पंजाब	450000	456670	496000	480101	561600	583402
12.	राजस्थान	250000	169577	282000	156060	282000	167596
13.	तमिलनाडु	350000	358456	350000	387989	लक्ष्य मुक्त	397999
14.	उत्तर प्रदेश	1900000	1843384	2144000	2194522	2144000	2265210
15.	पश्चिम बंगाल	325000	164677	350000	140002	396300	129153
II.	**छोटे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**						
1.	हिमाचल प्रदेश	60000	46013	66000	49750	66000	47562
2.	जम्मू और कश्मीर	25000	8631	27000	8384	30600	9026

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मणिपुर	20000	8160	25000	9080	25000	9643
4.	मेघालय	1500	1290	1700	1611	1700	1662 ++
5.	नागालैंड	3200	1321	3500	4004	4000	1439 +
6.	सिक्किम	1400	1421	1500	840	1700	1309
7.	त्रिपुरा	2300	3123	2500	4243	2500	3423
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1900	1632	2000	1603	1400	1473
9.	अरुणाचल प्रदेश	3200	2500	2500	2516	2800	2515
10.	चण्डीगढ़	10000	7738	10800	7790	लक्ष्य मुक्त	6521
11.	दा.ना. हवेली	200	212	200	217	200	193
12.	दिल्ली	130000	80985	105800	80028	100000	75480
13.	गोवा	3500	3833	3200	3633	3500	3252
14.	दमन व द्वीव	600	517	500	403	250	268
15.	लक्षद्वीप	200	107	150	145	170	69 +
16.	मिजोरम	2700	2508	3500	2727	3500	2273
17.	पांडिचेरी	4000	4050	4000	4346	4000	4503
III.	**अन्य एजेंसियां**						
1.	रक्षा मंत्रा.	20300	13058	22000	13510	22000	12750
2.	रेल मंत्रा.	20300	14629	22000	13692	24900	11685
	अखिल भारत	7330200	6016714	7868850	6701995	7423120	6809560

@ उपलब्धियां का प्रत्याशित उपलब्धि स्तर
@@ आंकड़े अनन्तिम
\+ फरवरी 96 तक के आंकड़े
++ जनवरी, 96 तक के आकड़े

विवरण-IV

कण्डोम उपयोगकर्ताओं के बारे में राज्यवार लक्ष्य/प्रत्याशित उपलब्धि स्तर तथा उपलब्धियां-1993-94, 1994-95 और 1995-96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंसियां	1993-94		1994-95		1995-96	
		प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि	प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि @@	प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि @@
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**बड़े राज्य (1 करोड़ से अधिक जनसंख्या)**						
1.	आंध्र प्रदेश	1382000	993741	1520000	1252752		810869
2.	असम	76000	41669	90000	46677		49699
3.	बिहार	510000	158745	603000	194497		177732
4.	गुजरात	917000	1070892	925000	1292247		1106050
5.	हरियाणा	637000	542897	700000	574525		510852

1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	कर्नाटक	357000	318512	393000		395110	373962	
7.	केरल	382000	257169	421000		297969	253443	
8.	मध्य प्रदेश	1656000	1632343	1957000		1993993	1997079	
9.	महाराष्ट्र	498000	1335353	1648000		1357480	1333715	
10.	उड़ीसा	446000	382868	513000		466237	436517	
11.	पंजाब	637000	708309	700000		670796	609034	
12.	राजस्थान	573000	512237	677000		475272	491188	
13.	तमिलनाडु	318000	320347	300000		322161	270024	
14.	उत्तर प्रदेश	248000	2426117	2656000		2778452	2520143	
15.	पश्चिम बंगाल	573000	446098	659000		489140	444806	
II.	**छोटे राज्य संघ क्षेत्र**							
1.	हिमाचल प्रदेश	89000	83704	98000		89762	78179	
2.	जम्मू और कश्मीर	22000	16788	26000		12756	11483	
3.	मणिपुर	15000	3726	15000		4444	5040	
4.	मेघालय	4000	784	4700		1557	1273	++
5.	नागालैंड	2000	7	2300		42	49	+
6.	सिक्किम	500	427	600		398	463	
7.	त्रिपुरा	2800	3342	3000		15490	15113	
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2300	2587	2500		2629	2875	
9.	अरुणाचल प्रदेश	1200	1069	1000		1055	837	
10.	चण्डीगढ़	102000	25832	11700		8364	8242	
11.	दा. व ना. हवेली	900	857	1000		599	24	
12.	दिल्ली	439000	418777	504900		435943	330650	
13.	गोवा	13000	15626	10650		15143	13769	
14.	दमन व द्वीव	1000	1509	1200		1569	1467	
15.	लक्षद्वीप	2200	267	600		201	181	+
16.	मिजोरम	3800	1849	3500		2886	2200	
17.	पांडिचेरी	10100	11756	11100		12712	12164	+
III.	**अन्य एजेंसियां**							
1.	रक्षा मंत्रालय	69000	39072	75900		36633	35244	
2.	रे. मंत्रालय	447000	315934	491700		276661	234348	
	वाणिज्यिक वितरण	6000000	5191667	6750000		4180833	2268750	
	अखिल भारत	19345000	17282877	21777350		17706985	14407464	

@ उपलब्धियां का प्रत्याशित उपलब्धि स्तर

@@ आंकड़े अनन्तिम

@@@ प्रचलित गर्भनिरोधक के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित

\+ आकड़े फरवरी, 1996 तक के आंकड़े

++ आंकड़े जनवरी, 1996 तक

विवरण–V

मुख सेव्य गोलियों के बारे में राज्यवार लक्ष्य/प्रत्याशित उपलब्धि स्तर तथा उपलब्धियां–1993–94, 1994–95 और 1995–96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य/एजेंसियां	1993–94		1994–95		1995–96	
		प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि	प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि @@	प्र.उ. स्तर @	उपलब्धि @@
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**बड़े राज्य (1 करोड़ से अधिक जनसंख्या)**						
1.	आंध्र प्रदेश	300000	245643	325000	261864	372000	239949
2.	असम	40000	7212	41000	21847	41000	29150
3.	बिहार	140000	47805	159000	65430	180000	63406
4.	गुजरात	160000	148302	165000	179060	165000	172985
5.	हरियाणा	50000	40652	57000	50516	57000	52128
6.	कर्नाटक	140000	108711	155000	137818	175500	150528
7.	केरल	55000	32492	60000	39971	लक्ष्य मुक्त	37065
8.	मध्य प्रदेश	400000	351503	453000	476282	512800	505437
9.	महाराष्ट्र	475000	366350	514000	418194	581900	431089
10.	उड़ीसा	85000	69728	94000	93904	94000	99716
11.	पंजाब	85000	91391	94000	106179	106400	111458
12.	राजस्थान	110000	90335	125000	92268	150000	163997
13.	तमिलनाडु	200000	148897	200000	216062	लक्ष्य मुक्त	208786
14.	उत्तर प्रदेश	403000	425742	457000	487244	457000	578349
15.	पश्चिम बंगाल	275000	184716	298000	267418	337400	232330
II.	**छोटे राज्य/संघ क्षेत्र**						
1.	हिमाचल प्रदेश	31000	19969	35000	22006	35000	23308
2.	जम्मू और कश्मीर	10000	4160	10000	3609	11300	3024
3.	मणिपुर	6000	1223	6000	1636	6000	1955
4.	मेघालय	1500	907	1700	1585	1700	1192 ++
5.	नागालैंड	2500	42	2700	369	2000	436 +
6.	सिक्किम	1000	2067	1100	2434	1200	2427
7.	त्रिपुरा	3000	3359	3000	12518	3000	15480
8.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1000	585	1100	921	700	971
9.	अरुणाचल प्रदेश	2200	1174	1200	1587	1400	1865
10.	चण्डीगढ़	500	466	500	370	लक्ष्य मुक्त	319
11.	दादर व नागर हवेली	150	145	200	186	250	190
12.	दिल्ली	11000	9749	12000	10581	13000	10258
13.	गोवा	3000	2996	2125	2955	2400	2579
14.	दमन व द्वीव	200	252	300	252	350	279

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	लक्षद्वीप	500	96	200	107	200	134 +
16.	मिजोरम	1000	698	1500	1630	1500	1816
17.	पांडिचेरी	1000	925	1080	1015	1100	1121
III.	अन्य एजेंसियां						
1.	रक्षा मंत्रालय	5200	2759	5600	2901	5600	2795
2.	रेल मंत्रालय	5250	5019	5600	5038	6300	4248
	वाणिज्यिक वितरण	2000000	1886107	2180000	1887554 ++	2470000	106557 ++
	अखिल भारत	6004000	4302177	5467905	4873311	5793000	4217327

@ उपलब्धियां का प्रत्याशित उपलब्धि स्तर + आंकड़े फरवरी 1996

@@ आंकड़े अनन्तिम ++ आंकड़े जनवरी, 1996

@@@ प्रचलित गर्भनिरोधक के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं।

विवरण–VI

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियुक्त किए गए सहायता अनुदान (नगद एवं सामग्री) का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	1993–94			1994–95			1995–96		
		नगद	सामग्री	कुल	नगद	सामग्री	कुल	नगद	सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	9002.44	1683.62	10686.06	8761.02	2301.35	11062.37	6731.87	2021.09	8752.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.18	18.38	64.56	133.29	45.64	178.93	139.85	110.69	250.54
3.	असम	2031.69	454.05	2485.74	2258.44	1229.94	3488.38	2179.24	896.14	3075.38
4.	बिहार	8393.38	1405.70	9799.08	8360.75	2589.23	10949.98	7026.29	2977.17	10003.46
5.	गोवा	122.84	13.77	136.61	104.65	62.02	166.67	133.91	35.31	169.22
6.	गुजरात	8362.13	1490.93	9853.06	5963.51	1562.28	7525.79	3653.60	1882.41	5536.01
7.	हरियाणा	2995.18	656.50	3651.68	1609.62	931.41	2541.03	1437.00	776.55	2213.55
8.	हिमाचल प्रदेश	2026.48	204.28	2230.76	1858.43	316.31	2174.74	935.18	260.50	1195.68
9.	जम्मू व कश्मीर	2085.36	183.74	2274.10	2789.13	238.06	3027.19	792.65	306.82	1099.47
10.	कर्नाटक	4681.93	1086.49	5768.42	7915.49	1392.31	9307.80	6036.45	1521.36	7557.81
11.	केरल	4524.32	544.10	5068.42	5692.35	824.69	6517.04	2465.54	870.21	3335.75
12.	मध्य प्रदेश	7360.31	2419.58	9779.89	6178.79	4206.37	10385.16	5887.69	4238.43	10126.12
13.	महाराष्ट्र	680.31	1985.21	11665.52	7240.26	2754.01	9994.27	8083.31	3036.70	11120.01
14.	मणिपुर	562.86	59.59	622.45	487.90	70.06	557.96	398.91	88.83	487.74
15.	मेघालय	266.39	29.15	295.54	286.28	57.49	343.77	266.73	118.93	385.66
16.	मिजोरम	168.20	14.72	182.92	166.60	27.48	194.08	189.54	52.24	241.78
17.	नागालैंड	448.88	14.87	463.75	377.04	23.63	400.67	210.56	74.68	285.24

1 2			3	4	5	6	7		8
18. उड़ीसा	3637.17	856.00	4493.17	4623.45	1688.95	6312.40	4089.12	1224.97	5314.09
19. पंजाब	2826.97	781.50	3608.47	2287.20	1473.73	3760.93	1843.67	1127.15	2970.82
20. राजस्थान	6365.72	1331.57	7697.29	8444.14	2547.76	10991.90	6896.87	2213.36	9110.23
21. सिक्किम	241.43	9.86	251.29	206.90	15.15	222.05	237.76	34.09	271.85
22. तमिलनाडु	6636.79	1254.91	7891.70	8123.54	1604.60	9728.14	5855.89	1977.06	7832.95
23. त्रिपुरा	770.66	55.32	825.98	693.77	78.59	772.36	329.64	98.32	427.96
24. उत्तर प्रदेश	20515.53	3808.84	24324.37	16562.29	7221.23	23783.52	14007.71	5945.75	19953.46
25. पश्चिम बंगाल	5755.80	1048.01	6803.81	4910.10	1537.41	6447.51	6203.18	1936.60	8139.78
कुल (राज्य)	109508.95	21415.69	130924.64	106034.94	34799.70	140834.64	86032.16	33825.36	119857.52
1. पांडिचेरी	29.49	18.08	47.57	73.50	19.88	92.88	89.10	39.18	128.28
2. दिल्ली	773.50	388.57	1162.07	1053.00	539.11	1592.11	1600.50	410.55	2011.05
3. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	64.40	13.50	77.90	69.27	14.61	83.88	77.84	22.28	100.12
4. दादरा व नागर हवेली	21.30	3.36	24.66	23.58	15.14	38.72	25.77	7.03	32.80
5. चण्डीगढ़	123.40	18.02	141.42	141.49	21.37	162.86	117.35	33.21	150.56
6. लक्षद्वीप	9.65	2.35	12.00	10.56	3.72	14.28	11.50	6.18	17.68
7. दमन व द्वीव	20.30	17.63	37.93	21.61	3.62	25.23	28.66	5.70	34.36
कुल संघ क्षेत्र	1042.04	461.51	1503.55	1393.01	616.95	2009.96	1950.72	524.13	2474.85

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम शोरूम के कर्मचारी

126. **श्री मोहन रावले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि., के शोरूम में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में असमानता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निगम के शोरूम में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में "समान कार्य समान वेतन" के सिद्धांत को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मुंबई स्थित औद्योगिक अदालत महाराष्ट्र ने भी इस असमानता को दूर करने के लिए प्रबंधन को अगस्त, 1992 में आदेश दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जलप्पा) : (क) से (ग). एन टी सी (एस एम) के विपणन प्रभाग के कर्मचारी समय-समय पर यथा-संशोधित न्यूनतम वेतन अधिनियम द्वारा शासित होते है। तथापि एन टी सी की मिलों के गेट पर स्थित फुटकर बिक्री केन्द्र के कर्मचारी, संबंधित मिलों के कामगारों को देय वेतन अनुसार ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि वस्त्र उद्योग में प्रचलित वेतन मान के अनुसार होते हैं।

(घ) एन टी सी (एस एम) लि., बम्बई को महाराष्ट्र के बंबई स्थित औद्योगिक न्यायालय से फुटकर दुकानों के संबंध में ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नये परमाणु ऊर्जा संयंत्र

127. **श्री सौम्य रंजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को आरंभ करने का विचार है;

(ख) उनमें से अब तक कितनी परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक, पर्यावरणीय और वन की दृष्टि से स्वीकृति मिल चुकी है; और

(ग) शेष परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृति दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें स्वीकृति शीघ्र दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार के. अलघ) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रूसी परिसंघ के तकनीकी सहयोग से कुडानकुलम में 2×1000 मेगावाट के यूनिटों के निर्माण के अलावा आठ और परमाणु विद्युत परियोजनाओं अर्थात् महाराष्ट्र में तारापुर में 500 मेगावाट वाले दो यूनिट (टीएपीपी 3 एवं 4), कर्नाटक में कैगा में 220 मेगावाट (कैगा 3 से 6) तथा राजस्थान में रावतभाटा में 500 मेगावाट वाले दो यूनिट (आरएपीपी 5 एवं 6) का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव था।

(ख) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 एवं 4, कैगा-3 से 6 और राजस्थान-5 एवं 6 के लिए स्थल संबंधी मंजूरी, पर्यावरणीय और वन की दृष्टि से स्वीकृति तथा सुरक्षित होने की दृष्टि से स्वीकृति मिल चुकी है। तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना 3 एवं 4 के लिए भी वित्तीय मंजूरी जारी कर दी गई है। कैगा 3 से 6 तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 5 एवं 6 के संबंध में वित्तीय संस्वीकृतियां आस्थगित कर दी गई थी। कुडानकुलम परियोजना के लिए पर्यावरणीय और सुरक्षित होने की दृष्टि से स्वीकृति मिल गई है और रूसीयों द्वारा कुडानकुलम की ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के प्रस्ताव पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है।

(ग) इन परियोजनाओं अर्थात् तारापुर-3 एवं 4, कैगा-3 से 6 तथा राजस्थान-5 एवं 6 का निर्माण आठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार शुरू नहीं किया जा सका और इन परियोजनाओं को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा।

[हिन्दी]

आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

128. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया;

(ख) क्या उक्त वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा नीचे दी गयी है :

वर्ष	(आंकड़े मि.मि.टन में)
1993-94	12.076
1994-95	13.951
1995-96*	20.335

* अनंतिम

(ख) और (ग). तेल के आयात अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर किए जाते हैं। ये कीमतें परिवर्तनशील प्रकृति की होती हैं तथा आपूर्ति/मांग के तत्वों में परिवर्तन, बाजार के उतार-चढ़ाव, प्रमुख तेल उत्पादक/खपत वाले देशों में राजनीतिक घटनाओं आदि द्वारा शासित होती हैं। वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गयी है :

	कीमतों में प्रतिशत वृद्धि
एच एस डी	11.6
एस के ओ/ए टी एफ	10.4
एल पी जी	4.6
स्नेहक/योगज	31.2
एफ ओ/एल एस एच एस	12.7

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा प्रत्यापित कम्प्यूटर केन्द्र पाठ्यक्रम

129. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा प्रत्यापित कम्प्यूटर केन्द्रों की संख्या क्या है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. केन्द्र होने के आधार क्या हैं;

(ग) वर्ष 1996-97 में प्राधिकृत किए जाने वाले संभावित केन्द्रों की संख्या कितनी हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निरस्त किए गए डी.ओ.ई.ए. सी.सी. केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ङ) क्या सरकार को किन्ही डी.ओ.ई.ए.सी.सी. केन्द्रों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार के. अलघ) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग-कम्प्यूटर पाठ्यक्रम मान्यता (डीओईएसीसी) योजना के अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र (निजी/सार्वजनिक) में निर्धारित स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों अर्थात् 'ओ' (आधारभूत), 'ए' (उन्नत डिप्लोमा) 'बी' (स्नातक), 'सी' (स्नातकोत्तर) के लिए 568 प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है। इन संस्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) शिक्षक वर्ग, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/स्थान तथा अन्य मूल संरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से पहले से ही निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों के आधार पर संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाती है।

(ग) पहले से मान्यता प्राप्त संस्थानों के अलावा वर्ष 1996-97 में लगभग 100 संस्थानों को मान्यता दिए जाने की संभावना है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 184 संस्थानों की मान्यता वापस ले ली गई।

(ङ) और (च). डीओईएसीसी योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों के बारे में टिप्पणियां/सुझाव समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। डीओईएसीसी संस्था की कार्यविधि के अनुसार संस्थानों में निरीक्षण के लिए एक विशेषज्ञ सदस्य को भेजा जाता है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

डीओई-एसीसी पाठ्क्रम ('ओ' स्तर) आयोजित करने के लिए अनुमोदित संस्थानों की सूची

1.	तवी कम्प्यूटर्स (प्रा. लिमिटेड)	जम्मू
2.	अप्टेक कम्प्यूटर एजूकेशन	जम्मू-तवी
3.	अप्ट्रान-एर्साएल सेन्टर, मेसर्स प्रोफेशनल कम्प्यूटर सेन्टर	जम्मू
4.	कम्युनिटि पोलीटेक्नीक	कपूरथला
5.	इंफार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	जालंधर
6.	इंफार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	लुधियाना
7.	इनोवेशन एजूकेशन सिस्टम्स (कम्प्यूटर-ड्रोम) प्रा. लिमिटेड	दासूया
8.	एप्पेल कम्प्यूटर कॉलेज	मुकेरियाँ
9.	परामाउण्ट सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड	जालंधर
10.	डाटा सर्विसेज	अमृतसर
11.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर	मोहाली
12.	शिया डिग्री कॉलेज कम्प्यूटर सेन्टर	लखनऊ
13.	हिन्दुस्तान कम्प्यूटर सेन्टर	देहरादून
14.	कम्प्यूटर एज	देहरादून
15.	नार्दर्न कम्प्यूटर्स	कानपुर
16.	एपेक्स कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	आगरा
17.	दून इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉमेशन टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड	देहरादून
18.	एलसी एजुकेशन प्रा. लिमिटेड	लखनऊ
19.	मनू मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी प्रा. लि.	कानपुर
20.	फ्यूट्रटेक कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.	मेरठ कैंट
21.	मेरठ मैनेजमेन्ट एसोसिएशन	मेरठ
22.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज	गाजियाबाद
23.	इन्टरलिंक्स मार्केटिंग सर्विसेज	लखनऊ
24.	इन्फोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	देहरादून

25.	के.एस. कम्प्यूटर्स (प्रा.) लि.	गाजियाबाद
26.	एप्पलटेक कम्प्यूटर प्रा. लि.	लखनऊ
27.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन	मेरठ
28.	इन्फोर्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	लखनऊ
29.	इन्फोर्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	कानपुर
30.	इन्फोर्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	आगरा
31.	इन्फोर्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	इलाहाबाद
32.	ओ.एन.जी.सी. महिला समिति पॉलिटेक्निक	देहरादून
33.	रॉक कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	लखनऊ
34.	कॉम्पटेक	कानपुर
35.	के.के. बिजनेस कम्प्यूटर प्रा. लि.	कानपुर
36.	अल्ट्रा-माइक्रो कन्सल्टेन्सी प्रा. लि.	झाँसी
37.	सॉफ्ट्रोनिक्स इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (इंडिया)	देहरादून
38.	तन्मय कम्प्यूटर एण्ड सॉफ्टवेयर (प्रा.) लि.	नोएडा
39.	एम सी ए लिटरेरी साईंटिफिक सोसाइटी	इलाहाबाद
40.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (निप्स)	इलाहाबाद
41.	स्कूल ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन	हरिद्वार
42.	विज़न कम्प्यूटर सेन्टर	बाज़पुर
43.	सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी	गोरखपुर
44.	अप्टेक कम्प्यूटर कन्सल्टेन्सी लि.	लखनऊ
45.	नेशनल कम्प्यूटर सेन्टर	गाजियाबाद
46.	यू टेक कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	हरिद्वार
47.	वीर कम्प्यूटर्स	हरिद्वार
48.	इलेक्ट्रानिक्स सर्विसेज एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर	रामनगर
49.	स्कॉलेंट (ए फ्रैंचाइज ऑफ सिस्टम्स-स्कूल-ऑफ कम्प्यूटिंग)	बरेली
50.	अप्ट्रान इंडिया लि.	लखनऊ
51.	वासुदेव विद्यापीठ फर्रूखाबाद	फतेहगढ
52.	कमल शुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एप्रोप्रिऐट टेक्नोलॉजी	गाजियाबाद
53.	सिस्टम्स स्कूल ऑफ कम्प्यूटिंग	जयपुर
54.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर ट्रेनिंग	उदयपुर
55.	इन्फोर्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्ट्म्स	जयपुर
56.	कम्प्यूटर प्वॉइंट लर्निंग सेन्टर	जयपुर
57.	गुप्ता कम्प्यूटर्स	जयपुर
58.	अकादमी ऑफ कनिष्क कम्प्यूटर्स	जयपुर
59.	अकादमी ऑफ कनिष्क कम्प्यूटर्स	उदयपुर
60.	दीप शिखा आई.टी.आई.	जयपुर
61.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वॉलिटी मैनेजमेन्ट	जयपुर
62.	अकादमी ऑफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड एप्लीकेशन	जोधपुर
63.	जोधपुर कम्प्यूटर सर्विसेज	जोधपुर

64.	स्वास्तिक इन्फार्मेशन सिस्टम्स	जोधपुर
65.	फोरसाइट कम्प्यूटर सर्विसेज	कोटा
66.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन	उदयपुर
67.	माकर कम्प्यूटर्स	बीकानेर
68.	अजमेर सेन्टर (फ्रैंचाइज अप्ट्रॉन एसीएल)	अजमेर
69.	सेठ मोतीलाल (पी.जी.) कॉलेज	झुनझुनू
70.	नॉलेज सिस्टम्स	जयपुर
71.	टर्बो सिस्टम्स	कोटा
72.	राजस्थान महिला प्रशिक्षण उद्यम और विकास संस्थान	कोटा
73.	काम्प्रो	जयपुर
74.	जे.एल.जे. फाइनान्शियल एण्ड मैनेजमेन्ट कंसल्टेंट्स (प्रा.) लि.	फरीदाबाद
75.	कम्प्यूटर प्वांइट लर्निंग सेन्टर	करनाल
76.	जी.वी.एम. कम्प्यूटर सेन्टर	सोनीपत
77.	जे. एच. फाइनान्शियल एण्ड मैनेजमेन्ट कंसल्टेन्ट्स	फरीदाबाद
78.	क्यूपीड सॉफ्टवेयर (प्रा.) लि.	अम्बाला कैंट
79.	न्यूटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन (एनआईसीई)	भिवानी
80.	मैनेजमेन्ट इन्फोटेक सिस्टम	हिसार
81.	इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर लर्निंग	रोहतक
82.	कौशिक कॉम्पक्राफ्ट प्रा. लि.	गुड़गाँव
83.	हरियाणा कम्प्यूटर सर्विसेज	हिसार
84.	हेलमुट कुटीन वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर	फरीदाबाद
85.	अल्फा कम्प्यूटर	धर्मशाला
86.	सेन्टर फॉर कम्प्यूटर एजू. एण्ड सॉफ्टवेयर डेव.	मंडी
87.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर	सोलन
88.	रीजनल कम्प्यूटर सेन्टर	शिमला
89.	फिलोशिप ऑफ दी फिजिकली हैन्डीकैप्ड	बम्बई
90.	इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर साइंस	ठाणे
91.	सेन्ट्रल इंडिया कम्प्यूटर्स	नागपुर
92.	आरेंजसिटी कम्प्यूटर प्रा. लि.	नागपुर
93.	मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	औरंगाबाद
94.	डेटाप्रो कंसल्टेन्सी सर्विसेज	पुणे
95.	रामा कम्प्यूटस	नान्डेड़
96.	नर्सी मोन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	बम्बई
97.	गुरूकृपा एजूकेशन सोसाइटी	नागपुर
98.	अकादमी ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	ठाणे
99.	स्वामी सीताराम दासजी शिक्षण संस्थान	नागपुर
100.	विप्रा कम्प्यूटर्स	नासिक
101.	सेन्टर फॉर प्रोफेशनल एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग	नागपुर
102.	स्कार्पियो सिस्टम्स	नागपुर

103.	सिम्बियोसिल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडी एण्ड रिचर्स	पुणे
104.	एप्टेक कम्प्यूटर एजूकेशन	बम्बई
105.	एप्टेक कम्प्यूटर एजूकेशन	पुणे
106.	सनी कम्प्यूटर सेन्टर	शोलापुर
107.	माक्रोलाइन	पुणे
108.	यूनीपोर्ट सिस्टम्स	नागपुर
109.	क्रषलॉन सिस्टम्स साइंसेज प्रा. लि.	बम्बई
110.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टक्नोलॉजी	बम्बई
111.	कम्प्यूटर प्वांइट (आई) लि.	बम्बई
112.	बोस्टॉन मैनेजमेंट कंसल्टेन्ट्स प्रा.लि.	बम्बई
113.	साईज्योत कम्प्यूटर अकादमी	सतारा
114.	मेनफ्रेम कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	औरंगाबाद
115.	प्रिज्म कम्प्यूटर अकादमी	नागपुर
116.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट रिचर्स एण्ड टेक्नोलॉजी	नासिक
117.	साइडर	बम्बई
118.	माइक्रोटेक इन्टरप्राइसेज	कल्याण
119.	इन्फोकैट	नागपुर
120.	इंटीग्रेटेड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	पुणे
121.	धानाजी नाना विद्या प्रबोधिनी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंस	जलगांव
122.	एस.पी. मण्डलीज रामनिवास रुईया जूनियर कॉलेज	बम्बई
123.	द नेशनल जॉब डेवलपमेंट सेन्टर	बम्बई
124.	औद्योगिक तंत्र शिक्षण संस्था	पुणे
125.	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	नागपुर
126.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज	सूरत
127.	डेटाप्रो इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	बड़ौदा
128.	डेटाप्रो इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	अहमदाबाद
129.	कॉम्पिन टेक्नोलॉजीज	अहमदाबाद
130.	इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी सेन्टर	मोगरी
131.	इनडेक्सटीबी कम्प्यूटर सेन्टर	अहमदाबाद
132.	इंन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	बड़ौदा
133.	विजय कम्प्यूटर अकादमी	बड़ोदरा
134.	डीडीई ओआरजी सिस्टम्स लि.	बड़ौदा
135.	इलेक्ट्रो लिंक डेटा प्रोसेसिंग	भारूच
136.	कमनिया कम्प्यूट	राजकोट
137.	सूरत कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	सूरत
138.	एक्सक्वीजाइट इन्टरप्राइसेज	बलसाद
139.	को-एक्सपो कंसल्टेन्ट्स	सूरत
140.	सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	भोपाल
141.	आरबिट सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	जबलपुर

142.	ग्वालियर कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	ग्वालियर
143.	डूगर कम्प्यूटर्स	इन्दौर
144.	सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट	बिदिशा
145.	राहुल कम्प्यूटर्स	कोरबा
146.	इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड मैनेजमेन्ट	इन्दौर
147.	दुआ कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि.	ग्वालियर
148.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	भोपाल
149.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	जबलपुर
150.	रायपुर कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि.	रायपुर
151.	एप्टेक कम्प्यूटर एजूकेशन	जबलपुर
152.	डी पी विप्रा कॉलेज	बिलासपुर
153.	वी.के. कम्प्यूटर्स एण्ड एजूकेशन प्वांइट	विजयवाड़ा
154.	इंडोट्रोनिक्स कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	सिकन्दराबाद
155.	ब्यूरो ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स	सिकन्दराबाद
156.	कैट अकादमी	हैदराबाद
157.	ब्यूरो ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स	गुंटूर
158.	इस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, सेन्टर	विजयवाड़ा
159.	कम्प्यूटर लिंक्स	कुडप्पा
160.	लैन एसेदा कम्प्यूटर सेन्टर्स	हैदराबाद
161.	आन्ध्र प्रदेश प्रोडक्टिविटी काउंसिल	हैदराबाद
162.	पेन्टागॉन सॉफ्टेक सर्विसेज	विशाखापत्तनम
163.	बंकटलाल बदरूका सेन्टर इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	हैदराबाद
164.	बवन्स सेन्टर फॉर कम्प्यूटर सांइसेज	हैदराबाद
165.	एप्टेक कम्प्यूटर एजूकेशन	हैदराबाद
166.	ब्यूरो ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स	विजयवाड़ा
167.	सेटविन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट	हैदराबाद
168.	फ्रंटियर इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजीज प्रा.लि.	सिकन्दराबाद
169.	वीजे इन्फो सिस्टम्स लि.	सिकन्दराबाद
170.	वाशव्य महिला मंडली	विजयवाड़ा
171.	वीके कम्प्यूटर सिस्टम्स	राजमन्डरी
172.	प्रभाला हाई-टेक इन्टरप्राइसेज प्रा.लि.	गुंटूर
173.	सागर एजुकेशनल अकादमी	हैदराबाद
174.	विशाखा कम्प्यूटर अकादमी एण्ड सर्विसेज (प्रा.) लि.	विशाखापत्तनम
175.	बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स	हैदराबाद
176.	संयुक्ता कम्प्यूटर सर्विसेज	बंगलौर
177.	रिलायंस कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	बंगलौर
178.	विद्यारण्य अकादमी ऑफ कम्प्यूटिंग	मैसूर
179.	विजयलक्ष्मी कम्प्यूटर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंस	हसन
180.	एप्टेक कम्प्यूटर एजूकेशन	बंगलौर

181.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर	बंगलौर
182.	मनीपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	मनीपाल
183.	गुरू सॉफ्टेक	बंगलौर
184.	नित्यंजन इस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन	बंगलौर
185.	कम्प्यूटर प्वांइट इंडिया लि. (डिकॅशन रोड़)	बंगलौर
186.	इन्टरनेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर	बंगलौर
187.	सनदुर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर्स लि.	यशवंत नगर
188.	श्री बी.वी.वी. संघ्स बासवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज	बागलकोट
189.	नेशनल एजूकेशन सोसाइटी (आर)	सिमोगा
190.	यू.सी. कम्प्यूटर्स	तिपतुर
191.	अलायसियस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंसेज	मंगलूर
192.	कैनरा कम्यूनिटी कॉलेज	मंगलूर
193.	केयोनिक्स	बंगलौर
194.	केयोनिक्स	डुबली
195.	कृष्णा कम्प्यूटर्स	त्रिवेन्द्रम
196.	माइक्रो कॉम्पयू डाटा सिस्टम्स इंस्टीट्यूट	कोचिन
197.	बिट्स-टैक्ट इन्फोटेक प्रा.लि.	कालीकट
198.	एक्सपर्ट इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी (प्रा.) लि.	कोचिन
199.	स्काइलटेक कम्प्यूटर सेन्टर	कोचिन
200.	इंस्टीट्यूट फॉर रिचर्स सर्विसेज	त्रिचूर
201.	मैप्स कम्प्यूटर सेन्टर	कोचिन
202.	एन ई सी टी कम्प्यूटर सेन्टर	कोचिन
203.	अंसार कम्प्यूटर सेन्टर	त्रिचूर
204.	आवर अकादमी ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	त्रिवेन्द्रम
205.	लक्ष्मी नारायण कम्प्यूटर अकादमी	ओट्टपलम
206.	किंग्स कम्प्यूटर डिवीजन	कोत्तारकरा
207.	वी कम्प्यूटर सेन्टर	त्रिवेन्द्रम
208.	राजगिरि कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज	कलमसेरी
209.	अल फारूख एजूकेशनल सेन्टर	कालीकट
210.	माइक्रो कॉम्पू-डाटा सिस्टम्स इंस्टीट्यूट	पलाई
211.	संत. थॉमस कम्प्यूटर कॉलेज	त्रिचूर
212.	इन्टरटेक	चंगनाचेरी
213.	वी कम्प्यूटर सेन्टर	त्रिचूर
214.	एम.एम.एन.एस.एस. कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर	तिरूवला पो.ओ.
215.	डिजिडायनामिक्स आईटीसी एण्ड कम्प्यूटर सेन्टर	वदाकरा
216.	एम.एम.एन.एस.एस. कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर	पेरूम्बवूर
217.	विश्वभारती इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी	नेयात्तिनकरा
218.	मैट्रिक्स कम्प्यूटर यार्ड (प्रा.) लि.	कोचिन
219.	यूनीवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	कालीकट

220.	यूनीवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन	कोल्लम
221.	यूनीवर्सल ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	कोट्टायम
222.	यूनीवर्सल इंर्स्टाट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	कन्नानोर
223.	कम्प्यूटर सेन्टर, संत. जोसेफ ट्रेनिंग•	मन्नानम
224.	पालक्कड़ कम्प्यूटर सेन्टर	पालक्कड़
225.	विनर्स कम्प्यूटर लैंड	मंजेरी
226.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	क्विलॉन
227.	इन्फोर्मेटिक्स	त्रिवेन्द्रम
228.	अमता इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	करूनगापल्ली
229.	त्रिचूर कम्प्यूटर सेन्टर (प्रा.) लि.	त्रिचूर
230.	यूनीवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	त्रिवेन्द्रम
231.	इन्फार्मेटिक डेटा सिस्टम्स	मवेलिक्करा
232.	इन्फोटेक सिस्टम्स	कालीकट
233.	डेलीजेन्ट सिस्टम्स	कोचिन
234.	इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर सॉफ्टटेक	अलप्पुझा
235.	माइक्रो कम्प्यूटर डेटा सिस्टम्स इंस्टीट्यूट	चंगनचेरी
236.	डेटा प्वांइट कम्प्यूटर सेन्टर	पन्डालम
237.	कम्प्यूटर प्वांइट-इंडिया लि.	कोचिन
238.	एमईएस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंसेज	कोचिन
239.	संत अन्थोनी एजूकेशनल एण्ड चेरीटेबल सोसाइटी	कंजीरपल्ली
240.	एस.एच. कॉलेज	कोचिन
241.	संत स्टीफन्स कॉलेज	कोट्टायम
242.	मॉडल कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स एण्ड इंजीनियरिंग	त्रिवेन्द्रम
243.	अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	कोचिन
244.	एन.एस.एस. कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर	पुनलूर
245.	एन.आई.सी.टी. कम्प्यूट्रस	कोट्टयम
246.	मार्केट मेकर्स	पालक्कड़
247.	प्रीमियर कंसल्टेन्ट्स	कन्नानूर
248.	लखोटिया कम्प्यूटर सेन्टर	कोचिन
249.	बेस कॉलेज	थोडूपुझा
250.	कम्प्यूटर सेन्टर	कन्नानूर
251.	बीट्स-टैक्ट इन्फोटेक प्रा.लि.	कन्नूर
252.	जेडीटी इस्लाम कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर	कालीकट
253.	लक्ष्मी नारायण कम्प्यूटर अकादमी	शोरनूर
254.	एसोसियशन फॉर वैल्फेयर ऑफ दी हैण्डीकैप्ड	कालीकट
255.	यूनीवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	त्रिचूर
256.	यूनीवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	अलप्पी
257.	यूनीवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	पथानमथीट्म
258.	कम्प्यूटेक	अलप्पी

259.	एक्सपर्ट इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	त्रिचूर
260.	बाईलाइन मैनेजमेंट सेन्टर	त्रिचूर
261.	क्राइस्ट नगर कम्प्यूटर सेन्टर	त्रिवेन्द्रम
262.	डीपॉल कम्प्यूटर अकादमी	अंगमाली साउथ
263.	औजानम कम्प्यूटर्स	त्रिचूर
264.	आई.सी.आई.टी.	अल्वाय
265.	ढक्कन कम्प्यूटर्स	सुल्तान बाथेरी
266.	सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	कलमसेरी
267.	भारत सेवक समाज कम्प्यूटर सेन्टर	त्रिवेन्द्रम
268.	निर्मल कम्प्यूटर अकादमी	मुवाट्टुपूझा
269.	कम्प्यूटर टाइम	मार्गो
270.	कम्प्यूटर टाइम	पणजी
271.	एस.आर.एस. कम्प्यूटर सर्विसेज़	पोन्डा
272.	एन एस आई टी (नेशनल सॉफ्टकार्प इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी)	पणजी
273.	टेक्नीकल ट्रेनिंग रेजिमेन्ट	पोन्डा
274.	डेटामेशन कम्प्यूटर कंसल्टेन्ट्स	मद्रास
275.	कोल्ट कम्प्यूटर सेन्टर प्रा.लि.	मद्रास
276.	स्वाति इन्फार्मेशन सर्विसेज कं. प्रा.लि.	सेलम
277.	पलार कम्प्यूटर सेन्टर	बेल्लोर
278.	राम इंस्टीट्यूट कम्प्यूटर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी	तांजचुर
279.	वेस कम्प्यूटर डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर	तूतीकोरिन
280.	कुरी कम्प्यूटर सेन्टर	मद्रास
281.	एवर्ट कम्प्यूटर सेन्टर	मद्रास
282.	डेटामेट्रिक्स कार्पोरेशन	मद्रास
283.	एप्टेक कम्प्यूटर एजूकेशन	मद्रास
284.	इन्टीगेटेड प्रोफेशनल सर्विसेज	कोयम्बटूर
285.	सिटी कम्प्यूटर्स	डरोड
286.	बीट्स इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	नागरकोइल
287.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स (अन्ना नगर)	मद्रास
288.	द अमेरिकन कॉलेज जीवन ज्योति कम्पनी	मदुरै
289.	कम्प्यूटर प्वाइंट इंडिया लि. (टी नगर)	मद्रास
290.	डेटामेन्स अकादमी	मद्रास
291.	वी.ओ.सी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी	तूतीकोरिन
292.	ग्रिट कम्प्यूटर्स	पलानी
293.	तमिलनाडु इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	कोयम्बटूर
294.	हाइटेक अकादमी ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन	तूतीकोरिन
295.	अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नालॉजी	मद्रास
296.	द कथपटी ऑक्सिलियम सोसाइटी	वेलोच
297.	इंस्कॉम्प सिस्टम्स एण्ड कंट्रोल्स प्रा.लि.	त्रिची

298.	मार्केट मेकर्स	मदुरै
299.	मणि कम्प्यूटर प्वाइंट	पलानी
300.	जेट-इन-पार्क	मद्रास
301.	एससीएस कोठरी अकादमी फॉर वूमेन	मद्रास
302.	कंसालिडेटिड साइबरनेटिक्स कम्प.प्रा.लि.	कोयम्बटूर
303.	एवियन टेक्नालॉजीज प्रा.लि.	वेलोर
304.	निधि कम्प्यूटर	तिरूनलवेली
305.	कन्टिन्यूइंग एजुकेशन सेन्टर	सेलम
306.	क्रिस्टल कम्प्यूटर सेन्टर	मार्तण्डम
307.	कुन्नूर कम्प्यूटर अकादमी	कुन्नूर
308.	एस.बी.ओ.ए. कम्प्यूटर अकादमी	मद्रास
309.	एसआरडब्ल्यूओ कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर	मदुरै
310.	इंस्टिट्यूट ऑफ को-आपरेटिव मैनजमेंट	मदुरै
311.	एआईएससी कम्प्यूटर सेन्टर	नजारथ
312.	एमएआर गोरियस कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग	मद्रास
313.	टीएमएसएसएस कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर	तूतिकोरिन
314.	एसवीए कम्प्यूटर सेन्टर	मद्रास
315.	डेस्टिनेटर्स कम्प्यूटर सर्विस ट्रेनिंग सेन्टर	कृष्णगिरि
316.	मीनाक्षी कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	मदुरै
317.	उड़ीसा इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	कटक
318.	कम्प्यूटर अकादमी	कटक
319.	एसक्यूएल स्टार पीपुल (इंडिया) लिमिटेड	भुवनेश्वर
320.	यूनिटेक इंजिनियर्स	राउरकेला
321.	प्रोफेशनल एडवान्समेंट एण्ड ट्रेनिंग	भुवनेश्वर
322.	प्रोफेशनल एडवान्समेंट एण्ड ट्रेनिंग	कटक
323.	शांता मेमोरियल रिहेब्लिटेशन सेन्टर	भुवनेश्वर
324.	सेन्टर फॉर कम्प्यूटर एजुकेशन एण्ड सर्विसेज	राउरकेला
325.	सीवी रमण इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	भुवनेश्वर
326.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड इन्फॉर्मेशन	भुवनेश्वर
327.	उड़ीसा कम्प्यूटर अकादमी	भुवनेश्वर
328.	पद्मिनी कम्प्यूटर्स	सम्बलपुर
329.	गणेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी	भुवनेश्वर
330.	मेसर्स बरकल कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि.	जमशेदपुर
331.	कम्प्यूटर जन्कचर (आई) प्रा.लि.	पटना
332.	कम्प्यूटर सेन्सोरियम	रांची
333.	जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस	रांची
334.	आरएसएच कम्प्यूटर्स प्रा. लिमिटेड	पटना
335.	बाइन फ्यूजन प्रा.लि.	जमशेदपुर
336.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	रांची

337.	कम्प्यूटेली कंसल्टेंट्स प्रा.लि.	पटना
338.	कर्ण कम्प्यूटर्स एण्ड डेटा प्रोसेसर्स (प्रा.) लि.	धनवाद
339.	बिहार डेआ प्रोसेसिंग सेन्टर प्रा.लि.	डाल्टेनगंज
340.	बसंत डायनामिक्स	राँची
341.	कौटिल्य कम्प्यूटर कोर्सेज	पटना
342.	बाइनरी फ्यूजन प्रा.लि.	राँची
343.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट	सिन्दरी
344.	प्रीमियर कम्प्यूटर कंसल्टेंसी (प्रा.) लि.	पटना
345.	स्कॉडा कम्प्यूटर सेंटर	पटना
346.	प्रज्ञानचंद पाठगृह	कलकत्ता
347.	सेंट जेवियर कम्प्यूटर सेंटर	कलकत्ता
348.	लखोटिया कम्प्यूटर सेंटर (साल्ट लेक)	कलकत्ता
349.	द अकादमी ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन एण्ड स्टडीज	कलकत्ता
350.	द इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम्स इंजीनियर्स	कलकत्ता
351.	द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर इंजीनियर्स (इंडिया)	कलकत्ता
352.	द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर इंजीनियर्स (इंडिया)	बर्धमान
353.	डेटाप्रो इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (कैमेक स्ट्रीट)	कलकत्ता
354.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स (मिन्टो पार्क)	कलकत्ता
355.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स (उल्टाडांगा)	कलकत्ता
356.	वेस्ट बंगाल एससी/एसटी एण्ड माइनारिटी वेल्फेयर एसोसिएशन	मिदनापुर
357.	द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर इंजीनियर्स (इंडिया)	जलपाईगुडी
358.	द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स	कलकत्ता
359.	विद्यासागर अकादमी	कलकत्ता
360.	आदि-अवि सॉफ्टवेयर सर्विसेज	सिलिगुड़ी
361.	इलेक्ट्रॉनिक्स रीजनल टेस्ट लेबोरेटरी	कलकत्ता
362.	इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर	कलकत्ता
363.	अनामिका कम्प्यूटर अकादमी	कलकत्ता
364.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर	कलकत्ता
365.	एम सी सी एजुकेशन सेन्टर	कलकत्ता
366.	एनयू कम्प्यूटर्स	आसनसोल
367.	आर.के.एम.एस.सी.पी. कम्प्यूटर सेंटर	हावड़ा
368.	आर्डिनेन्स फेक्टरी बोर्ड आई टी सेक्शन	कलकत्ता
369.	आरएफआई इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सेन्टर	इछापुर
370.	कम्प्यूटर प्वाईन्ट	कलकत्ता
371.	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सेन्टर	मिदनार
372.	वेस्ट बंगाल एससी/एसटी एण्ड माइनारिटी वेल्फेयर एसोसिएशन	कलकत्ता
373.	ब्रेनवेयर कन्सल्टेंसी प्रा.लि.	कलकत्ता
374.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	गुवाहटी
375.	मल्टीवाइट कम्पयूटर्स	गुवाहटी

376.	कन्यापुर कम्प्यूटर्स	तेजपुर
377.	इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर	गुवाहटी
378.	इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन	शिलांग
379.	डोनी-पोलो मिशन	ईटानगर
380.	सेन्टर फॉर इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी	इम्फाल
381.	द इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर इंजीनियर्स (इंडिया)	अमरतल्ला
382.	दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड सर्विसेज	न्यू दिल्ली
383.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	न्यू दिल्ली
384.	कुरूक्षेत्र कॉलेज	न्यू दिल्ली
385.	इंटरनेशनल डेआ प्रोसेसिंग कं. लिमिटेड	न्यू दिल्ली
386.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	न्यू दिल्ली
387.	कम्प्यूटर प्वाईंट आई लि. (फ्रैंचाइज)	न्यू दिल्ली
388.	इण्डिया एजुकेशन सेन्टर	न्यू दिल्ली
389.	इण्डिया एजुकेशन सेन्टर	न्यू दिल्ली
390.	डेटाग्रो इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	न्यू दिल्ली
391.	एमविट कम्प्यूट्रेनिंग प्रा.लि.	न्यू दिल्ली
392.	प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर	न्यू दिल्ली
393.	महान कम्प्यूटर सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	न्यू दिल्ली
394.	सिटी सेन्टर ऑफ स्टडीज (प्रा.) लिमिटेड	न्यू दिल्ली
395.	प्रियदर्शनी इंस्टिट्यूट फॉर कम्प्यूटर एडेड नॉलेज	न्यू दिल्ली
396.	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	न्यू दिल्ली
397.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स (रजौरी गार्डन)	न्यू दिल्ली
398.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स (विकास मार्ग)	न्यू दिल्ली
399.	सेन्ट्रल दिल्ली सेन्टर	न्यू दिल्ली
400.	वाई.डब्ल्यू.सी.ए. ऑफ दिल्ली	न्यू दिल्ली
401.	वर्धान्त इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड	न्यू दिल्ली
402.	कम्प्यूटर एजुकेशन सेन्टर	न्यू दिल्ली
403.	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	दिल्ली
404.	टेलिकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	न्यू दिल्ली
405.	एयफोर्स वोकेशनल कॉलेज	न्यू दिल्ली
406.	अपट्रान एसीएल (ईस्ट दिल्ली सेन्टर)	दिल्ली
407.	सेन्टर फॉर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एण्ड ट्रेनिंग	न्यू दिल्ली
408.	सेन्टर फॉर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एण्ड ट्रेनिंग	न्यू दिल्ली
409.	रूट्स इंस्टिट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग	न्यू दिल्ली
410.	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	न्यू दिल्ली
411.	अपट्रान एसीएल नार्थ दिल्ली सेन्टर	दिल्ली
412.	प्रकृति सिस्टम्स (प्रा.) लि.	न्यू दिल्ली
413.	मोहन.सॉफ्टवेयर्स प्रा.लि.	न्यू दिल्ली
414.	ईआरटीएल (नार्थ) ट्रेनिंग सेन्टर	न्यू दिल्ली

415.	महर्षि इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च	दिल्ली
416.	मॉडल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड रिसर्च	न्यू दिल्ली
417.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	न्यू दिल्ली
418.	इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	न्यू दिल्ली
419.	महाराजा सूरजमल इंस्टिट्यूट	न्यू दिल्ली
420.	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (दिल्ली ब्रांच)	न्यू दिल्ली
421.	सिद्धार्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	न्यू दिल्ली
422.	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट	न्यू दिल्ली
423.	इन्टरसॉफ्ट प्रोफेशनल	चंडीगढ़
424.	डेटापो इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	चंडीगढ़
425.	रीजनल कम्प्यूटर सेन्टर	चंडीगढ़
426.	पेगासूस इन्फार्मेटिक्स प्रा.लि.	चंडीगढ़
427.	इन्फार्मेटिक्स कम्प्यूटर सिस्टम्स	चंडीगढ़
428.	एप्लाइड कम्प्यूटर सिस्टम्स	चंडीगढ़
429.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	चंडीगढ़
430.	गैलेक्सी कम्प्यूटर सिस्टम्स प्रा.लि.	चंडीगढ़
431.	केस कम्प्यूटर्स	चंडीगढ़
432.	सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	चंडीगढ़
433.	सेन्टर फॉर एडवान्स्ड लर्निंग इन कम्प्यूटरर्स (का-सी)	चंडीगढ़
434.	प्रगति ट्रेनिंग डिविजन	पॉडिचेरी

डीओई-एसीसी पाठ्यक्रम ('ए' स्तर) आयोजित करने के लिए अनुमोदित संस्थानों की सूची

1.	नार्दर्न कम्प्यूटर्स	कानपुर
2.	के.एस. कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	गाजियाबाद
3.	अपटेक कम्प्यूटर कंसल्टेंसी लि.	लखनऊ
4.	सिस्टम्स स्कूल ऑफ कम्प्यूटिंग	जयपुर
5.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट	जयपुर
6.	जे.एल.जे. फाइनेशियल एण्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (प्रा.) लि.	फरीदाबाद
7.	इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर साइंस	ठाणे
8.	सेन्ट्रल इण्डिया कम्प्यूटर्स	नागपुर
9.	स्वामी सीतारामदासजी शिक्षण संस्था	नागपुर
10.	सिम्बोसिस इंस्टिट्यूट ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च	पुणे
11.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	पुणे
12.	कैरोक्स टेक्नोलॉजीज लि.	बम्बई
13.	अक्षय बिजनेस सर्विस प्रा.लि.	बम्बई
14.	बोस्टन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्रा.लि.	बम्बई
15.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग	बम्बई
16.	कैरोक्स टेक्नोलॉजीज लि. लाइसेंस्ड बाइ टाटा यूनिसिस लि.	बम्बई
17.	महाराष्ट्र टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी	पुणे
18.	एमजीएम'एस सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क	औरंगाबाद

19.	सेन्टर फॉर इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन तथा टेक्नोलॉजी	औरंगाबाद
20.	मेसर्स पीआईई	बम्बई
21.	कैरोक्स टेक्नोलोजीज लि.	बम्बई
22.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	बम्बई
23.	कॉम्पीन टेक्नोलॉजीज	अहमदाबाद
24.	ऑन लाइन सर्विसेज प्रा.लि.	अहमदाबाद
25.	डीडीई ओआरजी सिस्टम्स लि.	बड़ौदा
26.	बिट-मैफ्स प्रा.लि.	बड़ोदरा
27.	इलेक्ट्रो लिंक डाटा प्रोसेसिंग	भारूच
28.	डूगर कम्प्यूटर्स	इन्दौर
29.	सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टिटयूट	विदिशा
30.	इस्लामिया इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड मैनेजमेंट	इन्दौर
31.	रायपुर कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.	रायपुर
32.	ओप्टेल कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी सेन्टर	इन्दौर
33.	वी.के. कम्प्यूटर्स एण्ड एजुकेशन प्वाईन्ट	विजयवाड़ा
34.	इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया	हैदराबाद
35.	ब्यूरो ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स	सिकंदराबाद
36.	कैट अकादमी	हैदराबाद
37.	बंकटलाल बदरूका सेन्टर इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	हैदराबाद
38.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	हैदराबाद
39.	द इंस्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इंजी.	हैदराबाद
40.	प्रोटेक कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि.	हैदराबाद
41.	सेन्टर फॉर कम्प्यूटर स्टडीज एण्ड रिसर्च	भीमवरम
42.	सागर एजुकेशनल अकादमी	हैदराबाद
43.	विद्यारण्य अकादमी ऑफ कम्प्यूटिंग	मैसूर
44.	कम्प्यूटर काल	बंगलौर
45.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	बंगलौर
46.	फर्स्ट कम्प्यूटर्स	बंगलौर
47.	एनटीटीएफ इलैक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग सेंटर	बंगलौर
48.	नित्यंजन इंस्टिट्यूट फॉर कम्प्यूटर एजुकेशन	बंगलौर
49.	बिट्स-टैक्ट इन्फोटेक प्रा.लि.	कालीकट
50.	स्काइलटेक कम्प्यूटर सेन्टर	कोचीन
51.	अंन्सार कम्प्यूटर सेन्टर	त्रिचूर
52.	वी कम्प्यूटर सेन्टर	त्रिवेन्द्रम
53.	यूनिवर्सल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	कालीकट
54.	यूनिवर्सल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	कन्नानोर
55.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	क्वीलॉन
56.	यूनिवर्सल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी	त्रिवेंद्रम
57.	सेंट एन्थनीज एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल सोसायटी	कांजीरापल्ली
58.	सेंट जोसफस कालेज	देवगिरि

59.	इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	त्रिवेन्द्रम
60.	डेपॉल कम्प्यूटर अकादमी	अगमाले साउथ
61.	सोशल इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	कलामाशेरी
62.	निर्मल कम्प्यूटर अकादमी	मुवत्तपुझा
63.	डेटामेशन कम्प्यूटर कंसलटेंट्स	मद्रास
64.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	मद्रास
65.	फर्स्ट कम्प्यूटर्स	मद्रास
66.	वी.ओ.सी. इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी	तूतिकोरिन
67.	फर्स्ट कम्प्यूटर्स	मद्रास
68.	जेट-इन-पार्क	मद्रास
69.	कस्तूरिभा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	सेलम
70.	सी.वी. रमण इंस्टिट्यूट टेक्नोलॉजी	भुवनेश्वर
71.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड इन्फार्मेशन	भुवनेश्वर
72.	उड़ीसा कम्प्यूटर अकादमी	भुवनेश्वर
73.	द इंस्टिट्यूट ऑफ कम्प्यूटर इंजीनियर्स (आई)	कलकत्ता
74.	इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर	कलकत्ता
75.	फर्स्ट कम्प्यूटर्स	कलकत्ता
76.	एप्टेक सेन्टर फॉर बिजनेस ट्रांसफर्मेशन	कलकत्ता
77.	रीजनल कम्प्यूटर सेन्टर	कलकत्ता
78.	इंस्टिट्यूट ऑफ एडवान्सड स्टडी इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी	गुवाहाटी
79.	एमबिट कम्प्यूट्रेनिंग प्रा.लि.	नई दिल्ली
80.	प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग	नई दिल्ली
81.	महान कम्प्यूटर सर्विसेज़ (इंडिया) प्रा.लि.	नई दिल्ली
82.	इण्डिया एजुकेशन सेन्टर	नई दिल्ली
83.	चोइस इण्डिया प्रा.लि.	नई दिल्ली
84.	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	नई दिल्ली
85.	टाटा यूनिसिसि लि.	नई दिल्ली
86.	सेन्ट्रल दिल्ली सेन्टर	नई दिल्ली
87.	वर्धान्त इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि.	नई दिल्ली
88.	फर्स्ट कम्प्यूटर्स	नई दिल्ली
89.	टेलिकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	नई दिल्ली
90.	अपट्रान एसीएल (ईस्ट दिल्ली सेन्टर)	दिल्ली
91.	अपट्रान एसीएल नार्थ दिल्ली सेन्टर	दिल्ली
92.	एपीजे कम्प्यूटर सेन्टर	दिल्ली
93.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	नई दिल्ली
94.	इंटरसॉफ्ट प्रोफेशनल	चण्डीगढ़
95.	रीजनल कम्प्यूटर सेन्टर	चण्डीगढ़
96.	सॉफ्टस्पेक सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	चण्डीगढ़
97.	लॉजिक प्वाइंट	चण्डीगढ़
98.	कम्प्यूटर लिंक	पॉडिचेरी

डीओई–एसीसी पाठ्यक्रम ('बी' स्तर) आयोजित करने के लिए अनुमोदित संस्थानों की सूची

1.	अपटेक कम्प्यूटर कंसल्टेन्सी लि.	लखनऊ
2.	जे एल जे फिन्नान्शियल एण्ड मैनजेमेंट कंसल्टेन्टस (प्रा.) लि.	फरीदाबाद
3.	डेटा सिस्टम्स रिचर्स फाउण्डेशन	पुणे
4.	श्री भागुबाई मफतलाल पालीटेक्निक	बम्बई
5.	एमजीएम'एस सॉफटवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	औरंगाबाद
6.	सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी	औरंगाबाद
7.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	बम्बई
8.	डीडीई ओआरजी सिस्टम्स लि.	बड़ौदा
9.	वी के कम्प्यूटर्स एण्ड एजुकेशन प्वांइट	विजयवाड़ा
10.	कैट अकादमी	हैदराबाद
11.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	हैदराबाद
12.	नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी	क्विलॉन
13.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	मद्रास
14.	इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ सांइस एण्ड इन्फोमेशन	भुवनेश्वर
15.	उड़ीसा कम्प्यूटर अकादमी	भुवनेश्वर
16.	द इंस्टीटयूट ऑफ कम्प्यूटर इंजीनियर्स (आई)	कलकत्ता
17.	एप्टेक सेन्टर फॉर बिजनेस ट्रांसफोर्मेशन	कलकत्ता
18.	एमबीआईटी कम्प्यूट्रेनिंग प्रा.लि.	नई दिल्ली
19.	महान कम्प्यूटर सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि.	नई दिल्ली
20.	टेलीकम्यूकेशन कंसल्टेन्ट्स इंडिया लि.	नई दिल्ली
21.	प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर सांइस	नई दिल्ली
22.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	नई दिल्ली

डीओई–एसीसी पाठ्यक्रम ('सी' स्तर) आयोजित करने के लिए अनुमोदित संस्थानों की सूची

1.	सेन्टर फार/इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी	गोरखपुर
2.	डेटा सिस्टम्स रिसर्च फाउन्डेशन	पुणे
3.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	बम्बई
4.	डीडीई ओआरजी सिस्टम्स लि.	बड़ौदा
5.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	हैदराबाद
6.	सेन्टर फार/कम्प्यूटर स्टडीज एण्ड रिसर्च	भीमावरम
7.	पी.जी. सेन्टर पी.बी.एस. कॉलेज	विजयवाड़ा
8.	श्री बी. वी वी संघ्स बासवेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज	बागलकोट
9.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	मद्रास
10.	उड़ीसा कम्प्यूटर एप्लीकेशन सेन्टर	भुवनेश्वर
11.	इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सांइस एण्ड इन्फार्मेशन	भुवनेश्वर
12.	इलेक्ट्रानिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर	कलकत्ता
13.	टेलिकम्यूनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लि.	नई दिल्ली
14.	एप्टेक कम्प्यूटर एजुकेशन	नई दिल्ली

बायो–गैस संयंत्र

130. **श्री एस.डी.एम.आर. वाडियार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 तक देश में स्थापित बायोगैस इकाईयों की संख्या कितनी है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1996–97 के दौरान कर्नाटक में और अधिक बायोगैस इकाईयों की स्थापना करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक में किन स्थानों पर यह इकाईयां स्थापित की जा रही हैं; और

(ङ) वर्ष 1996–97 में उस राज्य में इन स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना "राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना" (एनपीबीडी) के अंतर्गत वर्ष 1981–82 से 1995–96 के दौरान देश में लगभग 23.68 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। एक अलग कार्यक्रम, नामतः सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 1600 से अधिक बड़े आकार वाले बायोगैस संयंत्रों की स्थापना भी की गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं

(ग) जी, हां।

(घ) कर्नाटक के सभी जिलों के गांवों में बायोगैस संयंत्र विशेषकर पारिवारिक बायोगैस संयंत्र, बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं।

(ङ) बड़े आकार के बायोगैस संयंत्रों, जिन्हें प्रेरक विद्युत के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, को लोकिप्रय बनाने के लिए उठाए गए कदमों में केन्द्रीय वित्तीय राज सहायता और तकनीकी, प्रशिक्षण और प्रचार सहायता का प्रावधान शामिल है।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एन पी बी डी) और सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (सीबीपी/आईबीपी/एनबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत 31.3.1996 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों की सं.	
	एनपीबीडी	सीबीपी/आई बीपी/एनबीपी कार्यक्रम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	201160	80
अरुणाचल प्रदेश	246	–
असम	17447	–
बिहार	91573	18
गोवा	2437	18
गुजरात	281720	113
हरियाणा	30353	14
हिमाचल प्रदेश	37871	3
जम्मू और कश्मीर	1297	4
कर्नाटक	188194	26
केरल	45095	2
मध्य प्रदेश	112552	101
महाराष्ट्र	578738	262
मणिपुर	1019	–
मेघालय	429	–
मिजोरम	1209	–
नागालैंड	476	–
उड़ीसा	120068	32
पंजाब	32548	318
राजस्थान	59487	49
सिक्किम	1606	–
तमिलनाडु	185455	105
त्रिपुरा	588	–
उत्तर प्रदेश	274714	452
पश्चिम बंगाल	99945	13
अंडमान एवं निकोबार	118	–
चण्डीगढ़	97	–
दादर एवं नागर हवेली	162	–
दिल्ली	662	12
पांडिचेरी	532	1
जोड़	2367798	1623

गंगा कार्यान्वयन कार्यक्रम

131. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने 1 जनवरी, 1995 के पत्र द्वारा गंगा महासमिति, कानपुर को यह सूचित किया था कि गंगा कार्यान्वयन कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं का पता लगाने हेतु जांच पहले ही शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गंगा कार्यान्वयन में अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसा निषाद) : (क) से (ग). गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए कानपुर में स्थापित की गई सुविधाओं के संबंध में अनयिमितताओं एवं ठीक ढंग से कार्य न किए जाने के बारे गंगा महासमिति, कानपुर से प्राप्त सूचना के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्री ने उन्हें सूचित किया कि इस मामले पर मंत्रालय में जांच की जाएगी। तदनुसार परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कुछ अधिकारियों के साथ कानपुर में शुरू किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। यह पाया गया था कि स्थापित सुविधाएं सब मिलाकर सही ढंग से कार्य कर रही है। कभी-कभी बिजली फेल हो जाने तथा क्षेत्रों में कहीं-कहीं सीवर बंद हो जाने के कारण अनुपचारित सीवेज नदी में बह जाता है। राज्य सरकार के संबंधित परियोजना अधिकारियों को आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाने के निदेश दिए गए थे।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड का पुनरूद्धार

132. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के समस्त कार्यों के पुररूद्धार के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने नवम्बर 1992 में रुग्ण कम्पनी घोषित किया। सरकार द्वारा अप्रैल 1995 में सिद्धान्त रूप से स्वीकृत एचएफसी के लिए पुनरूद्धार पैकेज में 464.63 करोड़ रु के नये निवेश पर इसके बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप एककों का सीमित पुनरूद्धार परिकल्पित था। एचएफसी के लिए पुनरूद्धार पैकेज को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया गया ताकि इसे वित्तीय संस्थाओं के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके। अंतिम पुनरूद्धार पैकेज में बीआईएफआर की भी मंजूरी अपेक्षित होगी जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है।

एचएफसी की हल्दिया परियोजना के पुररूद्धार को प्रोद्योगिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया और उसके पुनर्वास के लिए नये संयंत्र लगाये जाने की आवश्यकता होगी जिसमें 910 करोड़ रु का निवेश होगा। संसाधनों की बाधाओं को देखते हुए हल्दिया परियोजना के पुनर्वास के लिए निजी पूंजी आकर्षित करने के विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। पुनरूद्धार पैकेज में राज्य सरकारों द्वारा एवजार्बशन के लिए एचएफसी के उर्वरक प्रवर्धन एवं कृषि अनुसंधान प्रभाग (एफसीएण्डएआरडी) का भी प्रस्ताव था ताकि इसकी सेवाओं का उपयोग कृषि विस्तार कार्य के लिए किया जा सके।

[हिन्दी]

डाक सेवाएं

133. **कुमारी उमा भारती :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित डाक सेवाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। देश को 1,52,792 डाकघरों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से डाक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनमें से, 89 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। देश में कुल डाकघरों में से 27 प्रतिशत डाकघर जनजातीय, रेगिस्तानी, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). डाक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे डाक की ढुलाई, वितरण और काउंटर सेवाओं को ध्यान में रखते हुए डाक सेवाओं में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आवंटित धनराशि

134. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित धनराशि में से योजनावार कितनी धनराशि खर्च की गई और कितनी धनराशि व्यपगत हो गई;

(ग) इसके व्यपगत होने के क्या कारण हैं;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, अब तक, दिल्ली सरकार को योजनावार, कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने धनराशि प्रदान कर दी है और दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें आरम्भ नहीं किया गया है; और

(च) इसके क्या कारण हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग). वर्ष, 1995-96 के दौरान विभिन्न क्षेत्रकों/उप-क्षेत्रकों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को आवंटित धनराशि तथा खर्च की गई अनन्तिम राशि को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। व्यय में प्रत्याशित कमी 421.25 करोड़ रुपये की है। यह कमी बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को केन्द्रीय योजना सहायता के समायोजन, मंहगाई भत्ते तथा अन्तरिम राहत के भुगतान के लिए गैर-योजनागत व्यय में बढ़ोत्तरी और राजस्व वसूली में कमी के कारण है।

(घ) से (च). वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना के आकार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1995-96 के लिए योजना आबंटन के स्तर पर चालू योजना स्कीमों को वर्ष 1996-97 में लागू किया जा रहा है।

विवरण

क्षेत्रकवार आवंटन तथा व्यय
दिल्ली सरकार की वार्षिक योजना 1995-96 के अंतर्गत

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्रक का नाम	अनुमोदित परिवयय 1995-96	मार्च, 1996 तक व्यय (अनंतिम)
1	2	3
कृषि	13.00	10.84
सहकारिता	0.60	0.45
ग्रामीण विकास	59.25	41.05
लघु सिंचाई	2.52	1.80
बाढ़ नियंत्रण	14.15	12.49
ऊर्जा	440.00	299.52
उद्योग	7.00	4.62
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	0.86	1.22
सामान्य अर्थ सेवाएं	0.80	0.66
पर्यटन	7.72	6.54
सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1.50	0.47
नागरिक आपूर्ति	2.10	1.84
माप-तोल	0.11	0.07
सामान्य शिक्षा	139.40	118.05
तकनीकी शिक्षा	34.17	28.10
कला और संस्कृति	5.30	3.93
खेल और युवा सेवाएं	8.07	3.37
चिकित्सा	91.05	87.54
सार्वजनिक स्वास्थ्य	9.50	7.44
जल आपूर्ति	210.50	153.48
गृह निर्माण	39.27	22.06
शहरी विकास और परिवहन	506.31	415.49
सूचना और प्रचार	0.93	1.22
अनु. जाति/अनु. जनजाति कल्याण	16.00	8.37
श्रम और श्रम कल्याण	8.45	5.16
सामाजिक कल्याण	14.74	9.92
पोषाहार	19.26	15.06
जेल भवन	10.62	5.30
सार्वजनिक कार्य	30.45	15.22
लेखन सामग्री और मुद्रण		
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26.37	17.46
कुल जोड़	1720.00	1298.75

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद के सलाहकार

135. **श्री केशव महन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद में सलाहकार के अधिकतर पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर परिषद के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). इस समय सलाहकार के निम्नलिखित पांच पद रिक्त हैं।

(1) सलाहकार (योजना)

(2) सलाहकार (मत्स्य)

(3) सलाहकार (तकनीकी शिक्षा)

(4) सलाहकार (बागवानी)

(5) सलाहकार (विद्युत)

सलाहकार (योजना) का पद अभी-अभी 18.6.1996 से रिक्त हुआ है। इस पद को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सलाहकार (योजना) के पद पर चयनित अधिकारी ने सूचित किया है कि वे अगस्त, 1996 तक कार्यभार ग्रहण करेंगे।

सलाहकार (तकनीकी शिक्षा) के पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने चयन किया है।

सलाहकार (बागवानी) के पद को भरने का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

सलाहकार (विद्युत) का पद फिलहाल समाप्त है। तथापि, इस पद को पुनः बनाने के लिए सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कीटनाशकों पर प्रतिबंध

137. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक ऐसे हानिकारक कीटनाशक जिनके उपयोग पर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है अभी भी भारत में प्रयुक्त किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कीटनाशकों को हानिकारक पाया गया है;

(ग) क्या इन हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने हेतु निरन्तर मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). उन कीटनाशकों की सूची जो अन्य देशों में निषिद्ध/प्रतिबन्धित हैं किन्तु भारत में जिनकी बिक्री तथा उपयोग अभी भी हो रहा है, उनका ब्यौरा विवरण I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ). सरकार ने भारत में इन कीटनाशकों के सतत् उपयोग की समीक्षा की है। ऐसी समीक्षाओं के आधार पर 16 कीटनाशकों का देश में उपयोग किये जाने पर रोक लगा दी गई है। (अनुबन्ध-II) और अन्य कीटनाशकों के सम्बन्ध में समीक्षा/की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

उन कीटनाशकों की सूची जो कुछ अन्य देशों में निषिद्ध/प्रतिबन्धित हैं किन्तु भारत में जिनका उपयोग किया जा रहा है तथा भारत में उनके सतत् उपयोग की समीक्षा का निष्कर्ष

क्र.सं.	कीटनाशक	उपयोग की अनुमति	उपयोग प्रतिबन्धित	समीक्षाधीन
1	2	3	4	5
1.	आलाक्लोर	–	–	हां
2.	अलडीकार्ब	हां	–	–
3.	एल्ड्रीन	–	–	हां
4.	एल्यूमिनियम फास्फाइड	हां	–	–
5.**	बी.एच.सी	–	हां	–
6.	बेनोमाइल	–	–	हां
7.	कैप्टाफाल	–	हां	–
8.	कैप्टान	हां	–	–
9.	कार्बारिल	हां	–	–
10.	क्लोरेडेन	–	–	हां
11.	क्लोरोबेंजीलेट	–	हां	–
12.	डी.डी.टी.	–	हां	–
13.	डाइको फाल	हां	–	–
14.	डिलड्रिन	–	हां	–
15.	डाइमैथोएट	हां	–	–
16.	डयूरान	–	–	हां
17.	ई.डी.बी	–	हां	–
18.	इन्डोसलफान	हां	–	–
19.	फैनारिमोल	–	–	हां
20.	हैप्टाक्लोर	–	–	हां
21.	लिन्डेन	–	हां	–
22.*	मैलाथियान	हां	–	–
23.*	मैलिक-हाइडाजाइड	हां	–	–
24.	मैथोमाइल	–	–	हां
25.	मिथाइल पैराथीन	–	हां	–
26.	मोनोक्रोपटोफास	–	–	हां
27.	आक्सीफ्लुराफैन	–	–	हां
28.	पैराक्वेट डाईक्लोराइट	हां	–	–
29.	फारैटे	हां	–	–
30.	फास्फामिडान	–	–	हां
31.	सौडियम साइनाइड	–	हां	–
32.	थियोमेटान	–	–	हां
33.*	थिरम	हां	–	–
34.	ट्रिआजफास	–	–	हां
35.	ट्रिडिमार्फ	–	–	हां
36.	जिंकफासफाइड	हां	–	–
37.	जिनेब	–	–	हां
38.	जिरम	–	–	हां
39.	2, 4-डी	हां	–	–
40.*	कार्बोफ्यूरान	हां	–	–

* भारत में सतत् उपयोग के लिए समीक्षा नहीं की गई है।

** सरकार ने बी.एच.सी. के उपयोग पर 1.4.1997 से रोक लगाने का निर्णय लिया है।

विवरण–II

प्रतिबन्धित कीटनाशकों की सूची

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम
1.	कैलसियम साइनाइड
2.	कापर एसीटोअर्सेनाइट
3.	डाईब्रोमोक्लोरोप्रोपेन
4.	एन्ड्रीन
5.	इथाइल मरकरी क्लोराइड
6.	इथाइल पैराथिआन
7.	मेनाजान
8.	निकोटीन सल्फेट
9.	नाइट्रोफिन
10.	पैराक्वेट डाईमेथाइल सल्फेट
11.	पेन्टाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन
12.	पेन्टाक्लोरोफेनाल
13.	फेनाइलय मरकरी एसीटेट
14.	सोडियम मैथेन असोनेट
15.	टेट्राडाईफान
16.	टाक्साफीन

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

138. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में अचानक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस प्रकार की वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). अन्य वस्तुओं की तरह दवाइयों के मामलों में कुछ कीमत वृद्धि अवश्यभावी है। तथापि समय-समय पर किए गए अध्ययन किसी असामान्य कीमत वृद्धि को नहीं दर्शाते हैं। कीमत नियंत्रित दवाइयों के मामले में कीमतें डी.पी.सी.ओ, 95 के उपबन्धों के अनुसार पाई गई है। कीमत नियंत्रण के बाहर दवाइयों के मामले में इसके औचित्य के लिए संबंधित विनिर्माता के साथ मामला उठाया जाता है।

यूरिया का आयात

139. श्री रूप चन्द पाल :
श्री अनिल बसु :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उद्देश्य हेतु यूरिया की आयात एजेंसी का काम हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. करता है अथवा नेशनल फर्टिलाइजर लि.;

(ख) कौन-कौन सी कम्पनियां यूरिया आयात करती है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान या तो नेशनल फर्टिलाइजर लि. अथवा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. के माध्यम से इन प्रत्येक इकाइयों द्वारा कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया गया है;

(ग) क्या माध्यम रूपी एजेंट हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. के माध्यम से कृषि हेतु आयातित यूरिया की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). निम्नलिखित एजेन्सियां सरकारी खाते में यूरिया का आयात करने के लिए प्राधिकृत हैं:-

(1) मैसर्स एम.एम.टी.सी. लिमिटेड

(2) मैसर्स पायराइटस, फास्फेट्स तथा केमिकल्स लिमिटेड (पीपीसीएल)

(3) मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल)

(4) मैसर्स स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. (एसटीसी), तथा

(5) मैसर्स इंडियन पोटाश लि. (आईपीएल)

पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा आयात की गई यूरिया की मात्रा निम्नलिखित है:

(मात्रा लाख टन में)

एजेन्सी का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
एमएमटीसी	27.83	28.70	26.03
पीपीसीएल	–	–	3.85
एनएफएल	–	–	3.35
एमटीसी	–	–	3.09
आईपीएल	–	–	1.50

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यक्ष्मा औषधियों की कीमत

140. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990, 1992, 1994 तथा वर्तमान में यक्ष्मा उपचार की प्रत्येक औषधि को अलग-अलग कीमत क्या है;

(ख) कीमत में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं तथा इस वृद्धि को मंजूरी देने वाला प्राधिकरण कौन है; और

(ग) उनकी कीमतों में कमी लाने और उन्हें डी.पी.सी.ओ. 1987 से पूर्व के स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). डी.पी.सी.ओ., 1995 जारी होने के बाद अब मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत केवल रिफैम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन रह गई हैं और इन औषधों की कीमतें क्रमशः 12.6.95 और 6.10.95 से परिवर्तित नहीं की गयी है। भेषण उद्योग के संघी को सलाह दी गई है कि वे अपने सदस्यों को चेतावनी दें कि जो औषधें मूल्य नियंत्रण से बाहर चली गई हैं उन दवाइयों के मूल्यों की रोकथाम में आत्मसंयम से काम लें और यह सुनिश्चित करें कि इनके मूल्य अयुक्तिसंगत रूप से न बढ़ें।

विवरण

क्र.सं.	तपेदिक-रोधी औषधों के नाम	मूल्य अधिसूचित रु./किग्रा.	अधिसूचना की तारीख	अद्यतन उपलब्ध वर्तमान बिक्री मूल्य
1.	इथाम्बूलटोल	1144.00	29.7.1992	
		1028.00	4.8.1992	
		995.00	13.6.1993	1300.00
		1101.00	28.7.1993	(मार्च, 1996)
2.	आयसोनियाजिड (आई.एन.एच.)	358.00	24.2.1992	378.00
		378.00	14.5.1993	(अप्रैल, 1995)
3.	सोडियम पी.ए.एस.	166.00	27.6.1990	
		248.00	1.9.1993	उपलब्ध नहीं है
4.	पायराजिनामाइड	1579.00	17.6.1993	1825.00
		1679.00	25.11.1993	(अप्रैल, 1995)
5.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	1154.00	6.9.1990	नवीनतम अधिसूचित
		1392.00	7.5.1992	मूल्य के अनुसार
		1457.00	6.7.1992	
		1854.00	23.11.1992	
		1810.00	8.9.1994	
		1963.00	6.10.1995	
6.	रिफैम्पिसिन	4946.00	24.1.1992	नवीनतम अधिसूचित
		5795.00	4.8.1992	मूल्य के अनुसार
		5220.00	12.6.1995	

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

141. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988 के दौरान जयपुर शहर में रसोई गैस के लिए कितने व्यक्ति पंजीकृत थे;

(ख) अब तक इनमें से कितने व्यक्तियों को गैस कनेक्शन प्रदान कर दिये गए हैं;

(ग) 1988 के बाद रसोई गैस कनेक्शन के लिए कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं;

(घ) क्या सरकार जयपुर के लिए रसोई गैस का कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) जिला नागरिक पूर्ति विभाग के निर्णय के अनुसार वर्ष 1988 के दौरान नये एल पी जी कनैक्शन के लिए 81580 व्यक्तियों को एक मुश्त पंजीकरण किया गया था।

(ख) 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार इन 81580 व्यक्तियों में से 58265 व्यक्तियों को नये कनैक्शन लेने के लिए सूचना पत्र भेजे गए थे।

(ग) 31.5.1996 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1990 से आगे जयपुर शहर में नये एल पी जी कनैक्शन के लिए 14249 व्यक्तियों ने पंजीयन कराया है।

(घ) और (ङ). एल पी जी की उपलब्धता, नये ग्राहक भर्ती योजना, प्रतीक्षा सूची, उक्त क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक तथा उनकी साध्यता के आधार पर जयपुर सहित समूचे देश में एल पी जी के नये कनैक्शन चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। एल पी जी एक आर्वटित उत्पाद नहीं है तथा इसका अग्रिम आबंटन नहीं किया जाता हैं

[अनुवाद]

डाभोल विद्युत परियोजना

142. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार और एनरॉन कंपनी के बीच हुए नए समझौते की संशोधित शर्तों के अनुसार डाभोल विद्युत परियोजना के संबंध में प्रति गारंटी को स्वीकृति देकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं;

(ख) संशाधित शर्तों के अनुसार मूल समझौते में क्या प्रमुख संशोधन ओर परिवर्तन किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का स्थिति की पुनः समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

आई.वी.आर.आई.

143. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरार परियोजना, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी.आर.आई.) बरेली ने प्रारम्भ की थी;

(ख) उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इसे किस तिथि से आरम्भ किया गया;

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है. और

(घ) उक्त परियोजना को प्रारम्भ करने के क्या कारण हैं तथा उक्त परियोजना के संबंध में सम्बन्धित विभाग की उपलब्धियां रही?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा "समेकित पशुधन प्रौद्योगिकी तथा विस्तार" शीर्षक से एक परियोजना 15.12.1991 को शुरू की गई थी, जिसमें (i) खाद्य फसलों (ii) चारा फसलों (iii) संकर गोपशु (iv) भैंस (v) कृषि वानिकी (vi) मात्स्यिकी (vii) सुअर पालन तथा (viii) दूरवर्ती एवं पिछड़े इलाके में समस्या वाली मृदाओं मे बागवानी फसलों के प्रौद्योगिकी परीक्षण एवं प्रदर्शन यूनिट स्थापित करने हेतु एक मॉडल का विचार किया गया था।

(ग) यह परियोजना 31.03.1996 से समाप्त कर दी गई है।

(घ) यह परियोजना पिछड़े क्षेत्र के गरीब किसानों को नवीनतम पशुधन तथा कृषि प्रौद्योगिकियां अन्तरित करने के लिए एक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने हेतु उस क्षेत्र के किसानों की मांग पर शुरू की गई थी। इस परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तदर्थ परियोजना के रूप में दिनांक 27.04.1992 के पत्र संख्या 10-3/92-विस्तार शिक्षा द्वारा स्वीकृति दी गई थी।

इस परियोजना के पहले चरण में आधार-ढांचे के विकास सहित भूमि विकास का कार्य शामिल था। आसपास के गांवों के किसानों के सम्मुख "ऊसर" भूमि सुधार तथा फसल उत्पादन से संबंधित कई अन्य बातों के बारे में प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया था। उन्हें भूमि सुधार में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें पुशचिकित्सा के बारे में सलाहकार सेवाएं भी प्रदान की गई थीं तथा पशुधन प्रवर्धन हेतु वैज्ञानिक आहार तथा प्रबन्ध प्रक्रियाएं अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था।

[अनुवाद]

होम गार्डस

144. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश में होम गार्डों के वेतनमान में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). होम गार्डस को राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा जितने दिनों के लिए ड्यूटी पर बुलाया जाता है उतने दिनों का ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। ड्यूटी भत्ता संबंधी राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। होमगार्ड्स को आम चुनावों जैसी केन्द्र सरकार की ड्यूटी के लिए भी बुलाया जाता है। ऐसी ड्यूटी के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि अब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 22 से बढ़ाकर 31 रुपये कर दी गई है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन

145. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन हुआ है;

(ख) किन-किन राज्यों में इस समय तेल का दोहन कार्य चल रहा है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम कुछ स्थानों पर तेल की संभावनाओं की खोज कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन निम्नवत था :

1993-94	27.02 एम एम टी
1994-95	32.24 एम एम टी
1995-96	35.193 एम एम टी

(ख) पश्चिमी और पूर्वी अपतट तथा गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं असम और अरूणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैले अनेक तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जी, हां। ओ एन जी सी निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित विभिन्न तलछटीय बेसिनों में सर्वेक्षण और वेधन के माध्यम से हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण कर रहा है:

- कच्छ की खाड़ी, केरल-कोंकण के गहन जल सहित पश्चिमी तट अपतट।
- पूर्वी तट अपतट।
- उत्तर में काकीनाडा से दक्षिण में निजामपटनम तक आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र।
- पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित तमिलनाडु में कावेरी बेसिन।
- उत्तर पूर्व में ऊपरी असम, धनसिरि घाटी और कछार स्थित क्षेत्र।
- पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात में बिहार कैंबे बेसिन।
- हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में हिमालय की तराई।
- मध्य प्रदेश में विंध्य/गोंडवाना क्षेत्र।
- राजस्थान में जैसलमेर बेसिन।

सीमा सुरक्षा बल के साथ झड़पों की घटनायें

146. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल तथा ग्रामीण लोगों के साथ भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई कितनी झड़पों तथा चोरी की घटनाओं को दर्ज किया गया है;

(ख) अब तक कितने मामलों को निपटाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा मामलों को तेजी से निपटाने हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री इंद्रजीत गुप्त) : (क) सीमा सुरक्षा बल ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल तथा ग्रामीण लोगों के साथ भारत-पाकिस्तान सीमा पर झड़पों तथा चोरी की कोई घटना नहीं घटी है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते है।

[अनुवाद]

खनिजों की रायल्टी दर

147. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार उपलब्ध विभिन्न खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने यह मांग की है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ). खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9(3) के अनुसार किसी भी खनिज की रायल्टी में वृद्धि तीन वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही की जा

सकती है। प्रमुख खनिजों (गैर-ईंधन) की रायल्टी में संशोधन करने के लिए जनवरी, 1995 में एक अध्ययन दल गठित किया था। अध्ययन दल ने विधिवत विचार-विमर्श करने के पश्चात अपनी सिफारिशें केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं।

यमुना कार्य योजना

148. **श्री जगमोहन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्रियान्वयन एजेंसियों को सक्रिय बनाने के लिये क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं और कार्य योजना के अन्तर्गत प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण की अब तक 68 स्कीमें संस्वीकृत की जा चुकी हैं जिसके अन्तर्गत अवरोधन, दिशा परिवर्तन एवं सीवेज उपचार को कुछ प्रमुख स्कीमें शामिल हैं। इन स्कीमों के पूरा होने का कार्य विभिन्न चरणों में है। यमुना कार्य योजना पर खर्च के लिए केन्द्र सरकार के 50% हिस्से के रूप में अब तक 32.61 करोड़ रु की धनराशि संबंधित राज्य सरकारों को जारी की जा चुकी है।

(ख) और (ग). यमुना कार्य की प्रगति इस समय संतोषजनक है। कार्य योजना की प्रारम्भिक अवधि के दौरान कुछ विलम्ब हुआ। यह विलम्ब मुख्य रूप से कार्य को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सीवेज उपचार के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन के कारण हुआ।

(घ) कार्यों की प्रगति की केन्द्र सरकार के साथ ही साथ राज्य में विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी की जाती है ताकि चूक कम से कम हो। इसके अलावा परामर्शदाताओं का एक दल भी नियमित आधार पर कार्य की प्रगति की निगरानी करता है। इस कार्य योजना के वर्ष मार्च, 1999 के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

पोयमकुट्टी जल-विद्युत परियोजना

149. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पोयमकुट्टी जल-विद्युत परियोजना पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति के अभाव में सरकार के पास लंबित है;

(ख) यह परियोजना स्वीकृति हेतु कब से लम्बित है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). केरल में पोयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रक्षोपाय और उपशमन उपायों के सुझाव के साथ जून, 1995 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार से 1987 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 3001.8 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे संभावित प्रतिकूल पारिस्थितिकीय प्रभावों के कारण जनवरी, 1991 में गुण-दोष के आधार पर नामंजूर कर दिया गया था। तत्पश्चात राज्य सरकार के अनुरोध पर यह प्रस्ताव मंत्रालय में फिर प्राप्त हुआ और इसे जून, 1996 में नामंजूर कर दिया गया था।

[हिन्दी]

किसानों को सहायता

150. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित उन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत किसानों को रियायतें और सहायता दी जाती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके तहत राज्यवार कुल कितनी रियायतें और सहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार का ऐसी रियायतों और सहायता में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें

151. **श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र सरकार से पुलिस की अन्वेषण विंग को कानून और व्यवस्था विंग से अलग करने तथा इसे राजनैतिक, कार्यपालिका के और अन्य हस्तक्षेपों से मुक्त करने के संबंध में तत्काल कार्यवाही हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वायत्त राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करने और राज्य पुलिस प्रमुख का सांविधिक कार्यकाल निर्धारित करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही शुरू करने की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ). राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस के अन्वेषण विंग को कानून और व्यवस्था से अलग करने की सिफारिश की है तथा स्वायतशासी राज्य सुरक्षा आयोग आदि गठित करने की भी सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है क्योंकि पुलिस राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। पुलिस में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त तथा अन्य उपायों के क्रियान्वयन के तौर तरीकों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार के साथ विचार विमर्श करता रहा है।

[हिन्दी]

सोयाबीन

152. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में सोया उद्योगों की सोयाबीन की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में सोयाबीन का वार्षिक अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ग) क्या आवश्यकता की पूर्ति के लिए सोयाबीन का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का विचार है ताकि सोयाबीन का आयात रोका जा सके?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश प्रति वर्ष सोयाबीन प्रसंस्करण की राज्यवार, संस्थापित क्षमता इस प्रकार है।

	राज्य	प्रति वर्ष क्षमता (मी.टन में)
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	7,59,000
2.	गुजरात	10,71,000
3.	हरियाणा	90,000
4.	कर्नाटक	1,53,000
5.	महाराष्ट्र	21,87,000
6.	मध्य प्रदेश	88,63,500
7.	पंजाब	2,10,000
8.	राजस्थान	5,25,000
9.	तमिलनाडु	90,000
10.	उत्तर प्रदेश	3,87,000
	योग	1,43,35,500

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में सोयाबीन का अनुमानित उत्पादन 49.9 लाख मी.टन है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान सोयाबीन का बड़े पैमाने पर आयात नहीं किया गया है।

(घ) सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के सभी प्रमुख तथा सक्षम सोयाबीन उत्पादक राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीजों के उत्पादन और वितरण, मिनिकिटों, राइजानियम कल्चर, जिपसम पाइराइट, उन्नत कृषि औजारों आदि के वितरण के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए किसानों के खेतों पर फ्रंटलाइन और सामान्य प्रदर्शन किए जाते हैं।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

153. **श्री ललित उरांव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1993 से 30 जून, 1996 तक पेड़ लगाने, वनरोपण और वन्यजीवन संरक्षण इत्यादि हेतु सरकार द्वारा किन-किन सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों को राज्यवार अनुदान दिया गया;

(ख) क्या सरकार का इन संगठनों की समीक्षा करने के उद्देश्य से उनके कार्यकरण का तत्स्थानिक निरीक्षण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) भारत सरकार द्वारा जिन स्वैच्छिक संगठनों को 1 जनवरी, 1993 से 30 जून, 1996 तक की अवधि में अनुदान सहायता दी गई हैं उनके नाम तथा प्रयोजन जिसके लिए यह अनुदान सहायता दी गई हैं का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

(ख) से (घ). कार्यान्वयन के दौरान पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन तथा मूल्यांकन स्वतंत्र व्यक्तियों तथा संगठनों एवम् राज्य वन विभागों के माध्यम से किए जाते हैं।

विवरण

भारत सरकार ने जिन स्वैच्छिक एजेंसियों को वृक्षारोपण, वनीकरण तथा वन्यजीव सुरक्षा आदि के लिए जनवरी 1, 1993 से 30 जून, 1996 तक अनुदान सहायता दी है उनके नामों को बताने वाला विवरण,

स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	प्रयोजन
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
एस.सी.एस.टी. एण्ड मायनोरिटी वैलफेयर सेवा संगम, आंध्र प्रदेश	वनीकरण
इंदिरा गांधी एनर्जी प्लान्टेशन डिवेलपमैंट सोसाइटी	वनीकरण
प्रियदर्शिनी सोशल फॉरेस्ट्री डिवेलपमैंट	वनीकरण
एक्शन फॉर कलेक्चि ट्राइबल इम्प्रूवमैंट एजुकेशन	वनीकरण
टि.ए.पी. ट्रायबल वैलफेयर यूनियन, हैदराबाद	वनीकरण
व्यावसायिक मारयू संघि का अभिरूद्दी संस्था, आंध्र प्रदेश	वनीकरण
रायलसीमा सोसल सर्विस सोसायटी, आ.प्र.	वनीकरण
वेंकेटेश्वर रूरल सर्विस सोसाइटी, आ.प्र.	वनीकरण
शिवा हरिजन महिला मण्डली, आ.प्र.	वनीकरण
ब्राइट इंटीग्रेटीड रूरल डिवेलेपमेंट सोसाइटी, आ.प्र.	वनीकरण
नेहरू महिला मंडली, आ.प्र.	वनीकरण
रायलसीमा वनस्थली संगम, आ.प्र.	वनीकरण
पुरना महिला मंडली, आ.प्र.	वनीकरण
श्री विवेकानन्द एजुकेशन सोसाइटी	वनीकरण
ग्रामोदय सेवक संघ	वनीकरण
कॉम्प्रेहैंसीव रूरल डिवेलपमैंट सोसाइटी	वनीकरण
मर्सी माइनोरिटी सोएजुकेशन सोसाइटी	वनीकरण
जुपिटर एजुकेशनल सोसाइटी	वनीकरण
गांधी महिला मंडली	वनीकरण
रूरल शोसल सर्विस सोसाइटी	वनीकरण
लक्ष्मीदेवी महिला मंडली	वनीकरण
चैतन्य इंटीग्रेटिड रूरल डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
इंटीग्रेटिड रूरल डिवे. सोसाइटी, आ.प्र.	वनीकरण
रमेश एण्ड कृष्णा संस्कृतिका संगम	वनीकरण
ग्राम अभ्युदय	वनीकरण
सेंटर फार रूरल इंटिग्रेटिड डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
गुंटूर रूरल एजुकेशन एण्ड डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
संगमेश्वरा एजुकेशनल सोसाइटी	वनीकरण
गांधी महिला मंडली	वनीकरण
रूरल सोशल सर्विस सोसाइटी	वनीकरण
सोसिओ-इकॉनामिक एजुकेशनल डिवे. सोसाइटी	वनीकरण

1	2
कृष्नानी ट्री ग्रोवर्स सोसाइटी	वनीकरण
सोशल एक्शन फार सोशल डिवलपमैंट	वनीकरण
वेंकटेश्वरा ट्री ग्रोवर्स को-आपरेटिव सोसाइटी	वनीकरण
ऋषि वैली स्कूल	वनीकरण
पिपल्स आर्गनाइजेशन फार रूरल पूअर	वनीकरण
इंदिरा इंटिग्रेटिड डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
सेंटर फार सोशल डिवेलेपमेंट	वनीकरण
पदमा सोशियो कलचरल एशोसिएशन	वनीकरण
"साधना"	वनीकरण
गुंटूर रूरल एजुकेशनल डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
सोसाइटी फार इंटीग्रेटिड रूरल डिवे. प्रोग्राम	वनीकरण
ट्रस्ट फार रूरल अपलीफ्टमैंट एण्ड एजुकेशन	वनीकरण
यूथ एक्शन फार रूरल डिवेलेपमैंट	वनीकरण
दक्कन डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
श्री दुर्गा एजुकेशनल सोसाइटी	वनीकरण
रूरल डिवेलपमैंट आर्गेनाइजेशन	वनीकरण
संजय गांधी मेमोरियल एनर्जी प्लान्टेशन सोसाइटी	वनीकरण
रूरल एजुकेशनल एण्ड एवेयरनेस डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
गुड समेरितान इवांमीलिकल एण्ड सोशल वेलफेयर एशोसिएशन	वनीकरण
चैतन्य रूरल डिवेलपमैंट एसोसिएशन	वनीकरण
ग्राम विकास केन्द्र	वनीकरण
अग्रारियान असिसटेंस एसोसिएशन	वनीकरण
आमलागोरा सेवा फाऊंडेशन	वनीकरण
रांची कंसोरटियम फार कम्युनिटी फारेस्ट्री	वनीकरण
सोसाइटी फार हिल्स रसोर्सिज मैनेजमैंट	वनीकरण
विकास भारती	वनीकरण
नव भारत जागृति केन्द्र	वनीकरण
ग्रामीण विकास परिषद	वनीकरण
सिंघभूम ग्राम उन्नयन समिति	वनीकरण
विकास भारती	वनीकरण
ग्राम विकास समिति	वनीकरण
नेचर कन्जरवेशन सोसाइटी	वनीकरण
धरती सोशल एण्ड रूरल डिवेलेपमैंट सोसाइटी	वनीकरण
"आदिति"	वनीकरण
बी.एन.कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी	वनीकरण
संथाल प्रगना ग्रामोद्योग समिति	वनीकरण
पुरनिया जिला समग्र विकास परिषद	वनीकरण

1	2
सर्वोदय सेवा संघ	वनीकरण
सोसाइटी फार हिल्स रिसोर्सिस मैनेजमैंट स्कूल	वनीकरण
डी.आर.डी.ए., लोहारडगा	वनीकरण
बिहार रिलीफ कमेटी	वनीकरण
संथाल प्रगना विकास और सेवा संस्थान	वनीकरण
बिहार ग्रामीण अरतोदिया विकास परिषद	वनीकरण
अखिल भारतीय करवारिया सेवा संघ	वनीकरण
ज्ञान सागर	वनीकरण
ग्रामीण विकास परिषद	वनीकरण
पीपुलस एक्शन इन डिवेलपमैंट	वनीकरण
सोसाइटी फार एक्शन विद रूरल पुअर	वनीकरण
ब्राइट इंटीग्रेटिड रूरल डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
नवजीवन सेवा संगम	वनीकरण
मदर इंडिया कम्युनिटी डिवे. एसोसिएशन	वनीकरण
रिसर्च इंटिग्रेटिड सोसाइटेशन डिवे. एक्शन	वनीकरण
वालेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फार इंटिग्रेटिड कम्युनिटी इमैंस्मैंपेशन	वनीकरण
सेवा भारती	वनीकरण
श्री सीता पामन्जनेया उद्यामवना समिति	वनीकरण
"दि. मृदा"	वनीकरण
एक्शन फार गिरिजन डिवेलेपमैंट	वनीकरण
यूथ फार एक्शन	वनीकरण
सोसाइटी फार ह्यूमन डिवे. एण्ड रूरल प्रोस्पैरिटी	वनीकरण
शांति ग्रामोदय संगम	वनीकरण
सोशल एक्शन फार इंटीग्रेटिड डिवेलपमैंट	वनीकरण
उदय भास्कार प्रजा सेवा समिति	वनीकरण
रूरल इंटीग्रेटिड एण्ड सोशल एजुकेशन सोसाइटी	वनीकरण
रूरल एजुकेशन फार डिवे.इको.इंवायरनमैंट मोटिवेशन	वनीकरण
सोसाइटी फार वुमन डिवे. एण्ड रूरल प्रोस्पैरिटी	वनीकरण
बिहार	
विकास परिषद	वनीकरण
बिहार ग्रामीण किसान विकास संघ	वनीकरण
डिवेलपमैंट रिसर्च कंसलटैंस	वनीकरण
मिथिला उदयमिता विकास समिति	वनीकरण
दिल्ली	
इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एण्ड कल्चरल एसोसिएशन	वनीकरण

1	2
इ.एम.ई.एडवेन्चर स्पोर्ट्स एसोसिएशन	वनीकरण
डेवलपमैंट अल्टरनेटिवस	वनीकरण
"कापार्ट"	वनीकरण
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपनियन	वनीकरण
रामजस स्कूल	वनीकरण
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	वनीकरण
रूथ कावेल फाउन्डेशन	वनीकरण
गुजरात	
दि वनवासी महिला गृह उद्योग उत्पादक संघ	वनीकरण
आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम	वनीकरण
इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एण्ड कल्चरल एसोसिएशन	वनीकरण
दि महिला गृह उद्योग उत्पादक सहकारी मंडली	वनीकरण
सर्वोदय पशु विकास सहकारी मंडली लिमि.	वनीकरण
सेल्फ एम्पालइड विमन एसोसिएशन	वनीकरण
आंगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम	वनीकरण
विक्रम साराभाई सेंटर फार डेवलपमैंट इंटरैक्शन	वनीकरण
श्री आदिवासी मजूर गरीगर और कामदार विकास मंडल	वनीकरण
इंस्टीटयूट फार स्टडीज एण्ड ट्रांस्फारेशन	वनीकरण
हरियाणा	
भारत यात्रा सेंटर, गुड़गॉव	वनीकरण
दीप युवा क्लब, रोहतक	वनीकरण
हरियाणा नव-युवक कला केन्द्र, रोहतक	वनीकरण
ग्रामीण विकास अनुसंधान केन्द्र, महेन्द्रगढ़	वनीकरण
आर्मी फाउंडेशन फार इंवायरमेंट कंजरवेशन, गुडगांव	वनीकरण
हिन्दुस्तान ग्रीनिंग एण्ड वेल्फेयर सोसाइटी, पानीपत	वनीकरण
पी.एच.डी., रूरल डेवेल्पमेंट फाउंडेशन, गुडगांव	वनीकरण
हिमाचल प्रदेश	
रूरल सेंटर फार ह्यूमन इंटरेस्टस	वनीकरण
महिला मंडली	वनीकरण
हिमालय वेस्टलैंड डिवेलपमैंट पाल्युशन कंट्रोल एसोसिएशन	वनीकरण
हितकर सोसाइटी फार रूरल डिवेलपमैंट	वनीकरण
जम्मू और कश्मीर	
शिव ग्रामोद्योग मंडल	वनीकरण
श्री माता वैष्णव देवी शराइन बोर्ड, जम्मू	वनीकरण
पर्यावरण एण्ड वेस्टलैंड डिवेलपमैंट कोआपरेशन सोसाइटी लिमि., जम्मू	वनीकरण

1	2
कर्नाटक	
बागेपल्ली रूरल एण्ड एग्रीकल्चरल डिवेलपमैंट सोसाइटी	वनीकरण
इंटीग्रेटेड रूरल डिवेलपमैंट सोसाइटी	वनीकरण
डिवेलपमैंट अल्टरनेटिप फार टूमकुर, टुमकुर	वनीकरण
मृदा चिंकोल, प्रोजेक्ट, गुलबरगा	वनीकरण
विकासना इंस्टिट्यूट फार रूरल डिवे. मंदिया	वनीकरण
श्री डी.देवराज उर्स ग्रामाविधि ट्रस्ट, मैसूर	वनीकरण
केरल	
सोशल वर्क रिसर्ज सेंटर, वायनद	वनीकरण
पीरमेड डिवे. सोसाइटी, इददुकी	वनीकरण
सोलिडैरिटी मूवमैंट आफ इंडिया, इददुकी	वनीकरण
मध्य प्रदेश	
मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास मंडल	वनीकरण
नैशनल सेंटर फार ह्यूमन सेटलमैंट एण्ड एंवायरनमैंट	वनीकरण
प्रयोग समाजसेवी संस्था	वनीकरण
प्रसाद सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं ग्राम विकास समिति	वनीकरण
महाराष्ट्र	
नैशनल इंस्टीटयूट फार रूरल इंटिग्रेटिड डिवे.	वनीकरण
ग्रामीण विकास मंडल, धुले	वनीकरण
प्रगीत एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर, थाने	वनीकरण
यवतमाल जिला सहकारी उत्पादक संघ, यवतमाल	वनीकरण
डॉ. बाबा साहिब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	वनीकरण
जीवन संस्थान, पुणे	वनीकरण
अमरावती विश्वविद्यालय, बुलडाना	वनीकरण
एग्रो फारेस्ट्री फेडरेशन, नासिक	वनीकरण
"सुविदे" फाउंडेशन, अकोला	वनीकरण
नवलभाऊ प्रतिष्ठान जलगांव	वनीकरण
आर्मी फाउंडेशन फार एंवायरनमेंट कंजरवेशन, अहमदनगर	वनीकरण
धन्वंतरी मेडिकल फाउंडेशन, पुणे	वनीकरण
सेंधिनिकेतन शिक्षण संस्थान, नान्देड़	वनीकरण
नैशनल इंस्टीटयूट आफ रूरल इंग्रेटिड डिवे., पुणे	वनीकरण
जल मल्हार कृषि विकास प्रतिष्ठान पारभनी, पारभनी	वनीकरण
जीवन ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट, पुणे	वनीकरण
फाउंडेशन फार एग्रो इकोलाजिकल सांइसेस उत्पादक, पुणे	वनीकरण
अरविंद स्मृति, थाणे	वनीकरण

1	2
मणिपुर	
आर्गानाइजेशन फार रिप्लेशमेंट फार झूम एण्ड शिफ्टिंग	वनीकरण
कलटीवेशन एण्ड ऐडवांसमेंट आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, सेनापति	वनीकरण
द्यूलॉन ज्वाइंट फार्मिंग एसोसिएशन, तामेंगलॉग	वनीकरण
दि रूरल इंडस्ट्रीज डिवे. एसोसिएशन, इंफाल	वनीकरण
रूरल सर्विस एजेंसी, सेनापति इंफाल	वनीकरण
साऊथ इस्टर्न रूरल डिवे. आर्गनाइजेशन, वांगगिंग	वनीकरण
मणिपुर रूरल इंटिग्रेटिड सोशल डिवे. काउंसिल, तमेंगलांग	वनीकरण
इंटिग्रेटिड ट्रायबल डिवे. सोसाइटी, तमेंगलांग	वनीकरण
वीकर सेक्शन डिवे. सोसाइटी, चंदेल	वनीकरण
दि. रूरल रिकांस्ट्रक्शन आर्गनाइजेशन, सदर हिल	वनीकरण
दि आइडियल मदर एसोसिएशन, इंफाल	वनीकरण
यूनाईटेड ट्राइबल डिवे. प्रोजेक्ट, चंदेल	वनीकरण
यूनाइटेड ट्राइबल डिवे. सोसाइटी, चुरचांदपुर	वनीकरण
जेलॉनेंगलांग बैपटिस्ट चर्चेल, तमेंगलॉग	वनीकरण
साऊथ ईस्टर्न रूरल डिवे. एजेंसी, इंफाल	वनीकरण
नटोक काउइ मल्टीप्रर्पज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मणिपुर	वनीकरण
नागालैंड	
इम्माल्युएल सोसाइटी लांगसा मोकोकचुंग, माकोकचुंग	वनीकरण
लिक्या वीमन सोसाइटी वोला	वनीकरण
लिक्या वीमन सोसाइटी, नागालैंड	वनीकरण
उड़ीसा	
अरूण इंस्टीटयूट आफ रूरल अफेयर्स	वनीकरण
विदयुत क्लब	वनीकरण
आल इंडिया हरिजन सेवक संघ	वनीकरण
ग्रामीण सेवा मंडल	वनीकरण
गोपीनाथ व्युबा संघ	वनीकरण
उड़ीसा सोशल रूरल टेकनॉलाजी इंस्टीटयूट	वनीकरण
कस्तूरीबाई महिला समिति	वनीकरण
गांधी इंस्टीटयूट आफ टेकनीकल एडवांसमेंट	वनीकरण
आदर्श सेवा संगठन	वनीकरण
अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद	वनीकरण
कटक जिला हरिजन आदिवासी शिवशंकर योजना	वनीकरण
इंस्टीटयूट फार सेल्फ एम्पलाइमेंट एण्ड रूरल डिवे.	वनीकरण

1	2
शिशु रावजा क्लब	वनीकरण
ग्राम अनायन समिति, पुरी	वनीकरण
आदर्श शिक्षा केन्द्र, पुरा	वनीकरण
ओम श्री श्री सिदनिया एटरान यूवक संघ ढेंकनाल	वनीकरण
पाली विकास केन्द्र ढेंकनाल	वनीकरण
यूथ सर्विस सेंटर, ऐंगुल	वनीकरण
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद,.बोलनगीर	वनीकरण
राजस्थान	
श्री नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड	वनीकरण
गायत्री शिक्षा सदन संस्थान	वनीकरण
विंदवांचल पर्यावरण अभियान समिति	वनीकरण
सेवांजली सोसाइटी	वनीकरण
विकास संस्थान	वनीकरण
वननाद संस्थान	वनीकरण
नवोदय वन वाटिका	वनीकरण
नवयुवक मंडल, चुरू	वनीकरण
भोरका चेरिटेबल ट्रस्ट, चुरू	वनीकरण
पर्यावरण सम.एवम् अनुसंधान दल, अजमेर	वनीकरण
राजस्थान मानव विकास समिति, चुरू	वनीकरण
नेहरू नवयुवक मण्डल, चुरू	वनीकरण
रूरल डिवे. एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, झुनझुनु	वनीकरण
ग्राम विकास नवयुवक मंडल, सवाई माधोपुर	वनीकरण
दि सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेंटर, अजमेर	वनीकरण
सिक्किम	
पर्यावरण संरक्षण समिति	वनीकरण
अम्बा देराली यूथ क्लब	वनीकरण
तमिलनाडु	
एसोसिएशन फार रूरल कम्युनिटी डिवे.	वनीकरण
सेंटर फार सोशल सर्विस एण्ड रिसर्च	वनीकरण
सेमपत्ति हिल्स इंटीएटरस फार इको-डिवे.	वनीकरण
दि एक्टीविटज फार सोशल आल्टरनेटिवस	वनीकरण
सोशल वेलफेयर आर्गनाईजेशन ट्रस्ट, पी.एम.टी.	वनीकरण
ह्यूमन एक्शन फार रूरल पुअर, मदुरई	वनीकरण
मद्रास लिट्रेसी एसोसिएशन, चेंगलपेट	वनीकरण

1	2
रूरल कम्युनिटी ट्रस्ट साउथ आरकोट	वनीकरण
गुडविल सोशल सेंटर, त्रिरूनेलवेली	वनीकरण
एक्शन ग्रुप फार रूरल आर्गनाइजेशन, कोटोबोम्मन	वनीकरण
अन्नाई इंदिरा साथिया समुगा नाला महालिर मन्दरम, पी.एम.टी.	वनीकरण
रूरल एजुकेशन एण्ड इकानोमिक डिवे. ऐसोसिएशन, रम्माद	वनीकरण
"प्रिपेयर" चेंगाट अन्ना	वनीकरण
उत्तर प्रदेश	
इंदिरा विकास नर्सरी	वनीकरण
सेंट्रल हिमालयन रूरल एक्शन ग्रुप	वनीकरण
"आरोही"	वनीकरण
पान हिमालयन ग्रासरूट डिवे. फाउंडेशन	वनीकरण
भूतपूर्व सैनिक पर्यावरण संरक्षण संस्थान	वनीकरण
नवयुवक विकास समिति	वनीकरण
बाल भारती विद्या मंदिर समिति	वनीकरण
ग्रामीण विकास समिति	वनीकरण
किसान वृक्षारोपण समिति	वनीकरण
संयुक्त ग्रामीण सेवा समिति	वनीकरण
गांधी ग्राम रूरल इंस्टीटयूट	वनीकरण
सेंट जोसफस एजुकेशनल ट्रस्ट	वनीकरण
विलेज रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डिवे. प्रोजेक्ट	वनीकरण
पलानी हिल्स कजर्वेशन कार्उसिल	वनीकरण
"ग्रामोदय"	वनीकरण
सेंट जोन्स एजुकेशनल सोसाइटी	वनीकरण
रूरल एजुकेशनल फार एक्शन एण्ड डिवे.	वनीकरण
सैंटर फार पीस एण्ड रूरल डिवे.	वनीकरण
सेस्टेनेबल एग्रो. एण्ड एनवायरनमैंट वालेन्ट्री एजेंसी	वनीकरण
इंटिग्रेटिड रूरल आर्गेनाइजेशन आफ सोशल सर्विस	वनीकरण
ट्राइबल डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
सोसाइटी फार कम्युनिटी आर्गनाइजेशन पीपुल एजुकेशन	वनीकरण
कम्युनिटी एक्शन फार फूड एण्ड रूरल डिवे.	वनीकरण
सेंटर फार रूरल एजुकेशन रिसर्च एण्ड डिवे. एसोसिएशन	वनीकरण
इंटीग्रेटिड रूरल कम्यु. डिवे. सोसाइटी	वनीकरण
कारूण्य ट्रस्ट सेंटर फार सोशल एक्शन	वनीकरण
कम्युनिटी एक्शन फार रूरल डिवे.	वनीकरण
यूथ सेंटर फार रिहैबिलन्टेशन एण्ड डिवे.	वनीकरण

1	2
सोशल रिसर्च एण्ड एजुकेशन सेंटर	वनीकरण
एक्शन ग्रुप फार रूरल आर्गनाइजेशन	वनीकरण
ग्रामधन भूदान डिवे. संघ, डिन्डीगुल	वनीकरण
दि इंस्टीटयूट आफ रूरल डिवे. मद्रास	वनीकरण
दि एक्टीविटिज फार सोशल अल्टरनेटिव, तिरूचिरापल्ली	वनीकरण
"अरोमित्र", साउथ आर्कोट	वनीकरण
श्री कंचन लाल सगुण सेवा संस्थान	वनीकरण
ग्यान वृक्षारोपण समिति	वनीकरण
टीप पर्यावरण जन समिति	
कुमायूं एडवेंचर एण्ड एनवायरनमेंट एण्ड फेलोशिप	वनीकरण
दयाल वृक्षारोपण समिति	वनीकरण
आल इंडिया ग्राम प्रधान संघ, अल्मोड़ा	वनीकरण
ग्रामीण विकास वृक्षारोपण समिति, आगरा	वनीकरण
द्रोणाचल ग्रामोद्योग एवं पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा	वनीकरण
ग्रामोदय सेवा आश्रम, शाहजहांपुर	वनीकरण
नेहरू सेवा आश्रम, शाहजहांपुर	वनीकरण
ग्रुपियस सोशल वेलफेयर सोसायटी, बिजनौर	वनीकरण
कृषक एवं समाज सेवी संस्थान, मुरादाबाद	वनीकरण
अखिल भारतीय विद्या परिषद, मथुरा	वनीकरण
जन मानस विकास संस्थान, शाहजहांपुर	वनीकरण
हिमालय इकोलॉजी एण्ड ट्रीटमेंट ऑफ नैचुरल, उत्तराखण्ड	वनीकरण
बांके बिहारी संस्कृति संस्थान, मथुरा	वनीकरण
रंधोल वृक्षारोपण समिति, मुजफ्फरनगर	वनीकरण
हरित क्रांति सेवा संस्था, बिजनौर	वनीकरण
सैंटर फार इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल एनवायरनमेंट पाराबंटी	वनीकरण
सेन्टर हिमालयन रूरल एक्शन ग्रुप नैनीताल	वनीकरण
स्वामी वोवाकरल प्राकृतिक एवं सामाजिक कल्याण संस्थान, जालान	वनीकरण
पश्चिम बंगाल	
पुरूलिया पल्ली सेवा संघ	वनीकरण
मान भूम जातिय पल्ली सेवा संघ	वनीकरण
मार्शल दाहर गोंटा पुरूलिया	वनीकरण
खैरबीनी ग्राम उन्नयन समिति	वनीकरण
स्कूल ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च	वनीकरण
विवेकानंद आदिवासी कल्याण समिति	वनीकरण
आम्लतोरा पल्ली सेवा संघ	वनीकरण

1	2
विवेकानंद लोक शिक्षा निकेतन	वनीकरण
चमत्गारा आदिवासी महिला समिति	वनीकरण
इंस्टीटयूट ऑफ ट्रेनिग और डिवेलपमेंट	वनीकरण
लिबरल एसोसिएशन फॉर मूवमेंट ऑफ पीपुल	वनीकरण
धुरानी नगर रूरल डिवलपमेंट सोसायटी	वनीकरण
खैरबनी ग्राम उन्नयन समिति	वनीकरण
जीमगोरिया सेवाव्रत	वनीकरण
रिजनल रिसर्च एण्ड स्टडी सैन्टर	वनीकरण
डी.ई.आर.ए.	वनीकरण
मानव कल्याण खादी ग्रामोद्योग समिति	वनीकरण
डा. अम्बेडकर सोसायटी फार सोशल इको-वेलफेयर एण्ड डिवलपमेंट	वनीकरण
स्कूल ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च	वनीकरण
धुरानी राय मेमोरियल सेल्फ इम्पलोयमेंट ट्रेनिंग स्कूल	वनीकरण
मिलन बीथी मेवा संघ	वनीकरण
पुरूलिया सोसायटी फॉर रूरल डिवलपमेंट	वनीकरण
मिदनापुर एफोरस्टेशन एण्ड इको-रेस्टोरेशन सोसायटी	वनीकरण
दी वेव ऑफ एन्वायसमेंट	वनीकरण
विक्रमनगर उदयन संघ	वनीकरण
मनभूम आनंद आश्रम नित्यानंद ट्रस्ट	वनीकरण
रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन ऐसासिएशन (रेचा)	वनीकरण
जलपायगुरी	वनीकरण
काऊंसिल फॉर एन्वायरनमैंट एण्ड अवेयरनेस डिवलपमेंट, बर्दवान सदर	वनीकरण
विलेज वेलफेयर सोसायटी हावड़ा	वनीकरण
श्री कृष्ण क्लब, मिदनापुर	वनीकरण
अमोरगरी युवां संघ हावड़ा	वनीकरण
वालितिकुरी विकास भवन, हावड़ा	वनीकरण
अगरागती, हावड़ा	वनीकरण
हंसला हरा पर्वती क्लब, पुरूलिया	वनीकरण
लोक सेवा परिषद मिदनापुर	वनीकरण
मलीवुवार समाज उन्नयन समिति हावड़ा	वनीकरण
अमर सेवा संघ, मिदनापुर	वनीकरण
कंचन जंघा ट्री प्लांटेशन को-आपरेटिव सोसाइटी लि., दार्जलिंग	वनीकरण
पुरूलिया शाभुज संघ, पुरूलिया	वनीकरण
विवेकानंद रूरल डिवेलपमैंट आर्गनाइजेशन, पुरूलिया	वनीकरण

[अनुवाद]

रसोई गैस उपभोक्ता

154. **श्री आर.बी. राई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में रसोई गैस उपभोक्ताओं की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी एजेंसियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत एल पी जी ग्राहकों की कुल संख्या लगभग 13.29 लाख थी।

(ख) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में 289 एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालन कर रही थी।

(ग) से (घ). संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरा के अनुसार एल पी जी विपणन योजना 1994-96 में पश्चिम बंगाल के लिए 90 नयी एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गयी है।

विवरण

स्थान	जिला
अंडाल यू.ए. (बहुला), दुर्गापुर, आसनसोल यू.ए. (4) बर्दवान (2)	-वर्दवान
कालना, मेनारी और गुसकरा	
निरगला, आरामबाग, सेरपोरे, माखला, पांडव	-हुगली
कलकत्ता (16)	-कलकत्ता
सिलीगुड़ी (2), दार्जिलिंग टाऊन	-दार्जिलिंग
सैन्यथा, बोलपुर, डुबरापुर, नालहटी	-बिरभाव
बीरनगर (2), नवादवीप, रानघाट, चाकदाहा, अंडापुर	-नादिया
बैरकपुर, बनगांव, कंचरापारा, बद्रिया, हावड़ा, गोबरदांगा,	-24 परगना-उत्तरी
टाकी, जैयंगरा, सुल्तानपुर, कन्यानगर, गोपालपुर, हतियारा,	
हावड़ा, उल्लूबेरिया, देवजूर, सारिंगा,	-हावड़ा
जलपाइगुड़ी, मैनागुड़ी, डबग्राम, भूपगुड़ी	-जलपाईगुड़ी
इंगलिश बाजार (3)	-मालदाह
लालगोला, दलियान, जयगंज, डेरहापुर, मुर्शिदाबाद, बेलडांगा	-मुर्शिदाबाद
बलूड़घाट	-पश्चिम दीनाजपुर
खड़गपुर (3) मिदिनापुर टाऊन, हल्दिया	-मिदिनापुर
रायगंज, कालिगंज	-उत्तरी दीनाजपुर
कूच बिहार	-कूच बिहार
पुरूलिया	-पुरूलिया
बांकुरूआ, सोनोखी	-बांकुरा
पंचकुरा पंचायत, गोरा	-मेदनीपुर
देनहाट	-बर्धमान
माजिलपुर	-24 परगना दक्षिणी

कृषि क्षेत्र में सुधार

155. **डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समग्र की बजाय आंशिक सुधारों से कृषि क्षेत्र पर विपरीत असर पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र में सुधार लाने में धीमी गति के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार इस प्रकार हैं: खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की सुविधा का उदारीकरण, कृषि जिंसों का निर्यात प्रवर्धन, वर्षासिंचित कृषि के विकास पर अधिक बल, तिलहन और दलहन के विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के तरीकों को अपनाना, फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए फसल प्रणाली अप्रोच को बढ़ावा देना, कृषि ऋणों तक आसान पहुंच, कृषि जिंसों को उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि। इन सुधारों से कृषि उत्पादकता और उत्पादन को सुधारने में मदद मिली है।

(ग) और (घ). कृषि नीति संकल्प के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों पर विचार किया जा रहा है।

गोवध

156. **श्री अमर पाल सिंह :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या पशुपालन और डेरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में (पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री) (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग). गोपशु-संरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य के विधान मंडलों को दिया गया है। तदनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों ने गोवध से संबंधित उपयुक्त नियमों को अधिनियमित किया है।

भारत पाक सीमा

157. **श्री हरिन पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा पाकिस्तान से संचालित भारत और अन्य देशों में सक्रिय मादक द्रव्यों के किसी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मादक द्रव्यों की तस्करी और पाकिस्तान के लोगों के भारत में अवैध प्रवेश को पूरी तरह रोकने के लिये भारत-पाकिस्तान सीमा को सील करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान देश में मादक द्रव्यों की तस्करी के कुल कितने मामलों का पता लगया गया है; और

(ङ) मादक द्रव्यों के तस्करों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

तीन व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस द्वारा 11.1.95 को पकड़ा गया, जब वे मारूती कार सं. एच. आर-23-2365 में यात्रा कर रहे थे। पूछताछ से पता चला कि अभियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नशीली दवाओं की आपूर्ति करने में लगे हुए थे। वे पाकिस्तान में अपने काउन्टरपार्ट से बम्बई के रास्ते नशीली दवाऐं प्राप्त किया करते थे और इसे मद्रास के रास्ते से श्रीलंका और यूरोप के देशों को भेजते थे।

(ग) नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, तस्करी, घुसपैठ इत्यादि को रोकने के लिए, भारत-पाक सीमा के सुभैध भागों में बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था की गयी है। प्रभावकारी निगरानी के लिए बलों को नाईटवीजन यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल, तट-रक्षक और राज्य पुलिस, तीनों कार्य कर रहे हैं।

(घ) स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 1994 और 1995 में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के क्रमशः 14657 और 12799 मामले दर्ज किए गए।

(ङ) नशीली दवाओं के अवैध व्यापार करने वालें के खिलाफ स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

क्रायोजेनिक राकेट इंजन कार्यक्रम

158. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28.5.96 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "क्रायो प्रोग्राम हिट बाई स्पाई स्केण्डल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस जासूसी काण्ड के कारण क्रायोजेनिक राकेट इंजन विकसित करने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रयासों में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्रायोजेनिक राकेट इंजन विकसित करने तथा जासूसी कांडों को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). इसरो के दो वरिष्ठ वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी, तथाकथित जासूसी कांड की छानबीन और इसके परिणामस्वरूप हुए प्रतिकूल प्रचार के कारण प्रारंभ में इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों तथा स्टाफ के मनोबल पर प्रभाव पड़ा था। लेकिन इससे क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी विकास सहित निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने में विलंब नहीं हुआ।

पिछले एक वर्ष के दौरान चार प्रमुख परियोजनाएं-भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-1सी (आई.आर.सी.-1सी), भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-2सी (इन्सैट-2सी), ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट-डी3 (पी.एस.एल.वी-डी3) और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-पी3 (आई.आर.एस.-पी3) को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस अवधि के दौरान भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) परियोजना ने उल्लेखनीय प्रगति की। स्वदेशी क्रायोजेनिक कार्यक्रम ने भी पर्याप्त प्रगति की। क्रायो प्रौद्योगिकी एक अत्यंत जटिल प्रौद्योगिकी है तथा अन्यत्र इसके विकास में 10 वर्षों से अधिक समय लगा है। इसरो ने इसे कम समयावधि में विकसित करने की चुनौती स्वीकार की है। विकासात्मक समस्याओं की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन इसरों में एक सशक्त टीम के होने, जिसे उद्योग की अच्छी सहायता और शैक्षिक संबंधों से समर्थन प्राप्त है, से इसरो को क्रायो प्रौद्योगिकी के विकास का विश्वास है।

मामले की छानबीन से यह प्रकट हुआ है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तदनुसार, इसरो के दोनों वैज्ञानिकों को सेवा में पुनः प्रतिष्ठित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

159. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 4.97 लाख गांवों में मार्च, 1995 तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शेष गांवों में भी विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के लिए सरकार ने कोई लक्ष्य तय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए क्या अवधि निर्धारित की गई है और कितने गांवों का विद्युतीकरण अभी भी किया जाना बाकी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1995 तक देश में 4,97,429 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ग) और (घ). ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित लक्ष्य, योजना आयोग द्वारा संसाधनों की समग्र उपलब्धता और राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए राज्य बिजली बोर्डों से परामर्श करके निर्धारित किए जाते हैं।

आपरेश गोल्डन बर्ड

160. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मिजोरम मणिपुर आदि में आतंकवाद से लड़ने के लिए "आपरेशन गोल्डन बर्ड" आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस आपरेशन के माध्यम से प्राप्त हो गई सफलता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री इंद्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). भारत-म्यांमार सीमा पर बंगलादेश से घुसपैठ कर रहे लगभग 200 विद्रोहियों/उग्रवादियों के एक सशस्त्र गिरोह के खिलाफ सेना ने मिजोरम में 1995 में एक अभियान चलाया था। इस गिरोह को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। म्यांमार की सेना ने भी म्यांमार के क्षेत्र के भीतर अभियान चलाए। इन आपरेशनों का परिणाम इस प्रकार रहा :-

(1) मारे गए उग्रवादी	58
(2) पकड़े गए उग्रवादी	43
(3) आत्म समर्पण करने वाले उग्रवादी	12
(4) बरामद हथियार	84
(5) बरामद गोला-बारूद	लगभग 11,000 चक्र

भारी संख्या में उग्रवादियों को घुसपैठ का प्रयास छोड़ देने के लिए विवश कर दिया जाए।

(ग) अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं-संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती में वृद्धि करना और आसूचना तंत्र को सुचारू बनाना; पड़ौसी देशों को यह सुनिश्चित करने के बारे में सुग्राही बनाना कि उग्रवादी/विद्रोही, भारत के खिलाफ लक्षित गतिविधियां चलाने के लिए उनके राज्य क्षेत्र से सामग्री, सहायता और सुविधाएं प्राप्त न कर पाएं, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन संबद्ध एसोसिएशनों/ग्रुपों को गैर कानूनी घोषित करना; समय-समय पर यथा संशोधित "सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958" के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना, और हिंसक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के साथ कड़ाई से निपटना, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना बशर्ते कि वे हिंसा का परित्याग कर दें और भारत के संविधान के अंतर्गत काम करने को तैयार हो जाएं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का उत्पादन

161. **श्री एस.डी.एम.आर. वाडियार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न-वार और वर्षवार खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है

(ख) वर्षवार और खाद्यान्नवार आज तक प्रत्येक राज्य में इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) देश में कृषि उत्पादन में आई स्थिरता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनाजवार/वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से V में दिये गये हैं।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई उपलब्धि के वर्षवार तथा अनाजवार ब्यौरे संलग्न विवरण VI से IX में दिये गये है।

(ग) देश में कृषि उत्पादन में वर्ष प्रति वर्ष सकारात्मक वृद्धि होती रही है, अतएव, कृषि उत्पादन में कोई स्थिरता नहीं आई है। लेकिन कृषि उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिये विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

विवरण-I

1992-93 के लिए राज्यवार तथा फसलवार उत्पादन के लक्ष्य

(लाख मी.टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	108.0	*	22.0	7.3	137.3
असम	31.0	1.2	0.2	0.5	32.9
बिहार	66.0	39.0	14.5	9.0	128.5
गुजरात	9.0	16.5	25.1	5.9	56.5
हरियाणा	19.0	65.0	8.1	6.5	98.6
हिमाचल प्रदेश	1.3	5.4	6.3	0.2	13.2
जम्मू व कश्मीर	6.5	3.0	5.6	0.3	15.4
कर्नाटक	26.0	1.0	40.1	5.8	72.9
केरल	11.0	*	*	0.2	11.2
मध्य प्रदेश	58.8	56.0	37.7	29.0	181.5
महाराष्ट्र	27.0	9.0	76.3	17.9	130.2
उड़ीसा	63.0	0.8	5.4	11.2	80.4

1	2	3	4	5	6
पंजाब	64.0	120.0	6.0	1.5	191.5
राजस्थान	1.5	41.4	35.2	16.2	94.3
तमिलनाडु	61.0	*	15.5	4.1	80.6
उत्तर प्रदेश	100.0	203.5	40.7	26.7	370.9
पश्चिम बंगाल	103.0	6.6	1.6	2.2	113.4
अन्य	16.4	1.6	2.2	0.5	20.7
अखिल भारत	772.5	570.0	342.5	145.0	1830.0

* अन्य में शामिल

विवरण–II

1993–94 के लिए राज्यवार तथा फसलवार उत्पादन के लक्ष्य

(लाख मी. टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	108.00	0.01	21.50	7.50	137.01
असम	32.00	1.25	0.20	0.80	34.25
बिहार	66.0	42.50	15.40	9.00	132.90
गुजरात	9.00	17.00	24.85	7.00	57.85
हरियाणा	19.00	65.00	8.45	7.00	99.45
हिमाचल प्रदेश	1.30	5.50	7.04	0.20	14.04
जम्मू व कश्मीर	6.50	3.20	4.74	0.30	14.74
कर्नाटक	27.00	1.00	43.25	6.40	77.65
केरल	11.00	–	0.04	0.30	11.34
मध्य प्रदेश	58.80	51.00	38.31	31.00	179.11
महाराष्ट्र	27.00	9.00	81.70	20.00	137.70
उड़ीसा	65.00	0.80	5.74	11.30	82.84
पंजाब	66.0	123.00	6.02	1.50	196.52
राजस्थान	1.45	43.00	38.78	16.50	99.73
तमिलनाडु	61.00	0.10	15.78	5.20	82.08
उत्तर प्रदेश	100.00	215.00	44.15	28.70	387.85
पश्चिम बंगाल	104.50	6.00	1.67	2.00	114.17
अन्य	16.45	1.64	2.38	0.30	20.77
अखिल भारत	780.00	585.00	360.00	155.00	1880.00

विवरण-III

1994-95 के लिए राज्यवार तथा फसलवार उत्पादन के लक्ष्य

(लाख मी. टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	108.00	0.01	21.85	7.50	137.36
अरुणाचल प्रदेश	1.50	0.10	0.65	0.05	2.30
असम	32.00	1.25	0.20	0.80	34.25
बिहार	66.00	42.50	15.65	9.00	133.15
गोवा	1.40	–	0.04	0.05	1.49
गुजरात	9.00	17.00	24.85	7.00	57.85
हरियाणा	19.00	65.00	8.50	7.00	99.50
हिमाचल प्रदेश	1.30	5.50	7.06	0.20	14.06
जम्मू व कश्मीर	6.50	3.20	4.74	0.30	14.74
कर्नाटक	28.00	1.00	43.73	6.40	79.13
केरल	11.00	–	0.04	0.30	11.34
मध्य प्रदेश	58.80	51.00	39.10	31.00	179.90
महाराष्ट्र	27.00	9.00	82.85	20.00	138.85
मणिपुर	3.38	0.10	0.20	0.12	3.80
मेघालय	1.30	0.06	0.25	0.03	1.64
मिजोरम	0.65	0.02	0.15	–	0.82
नागालैंड	1.60	0.01	0.20	0.03	1.84
उड़ीसा	65.00	0.80	5.89	11.30	82.99
पंजाब	68.00	123.00	6.13	1.50	198.63
राजस्थान	1.45	43.00	39.28	16.50	100.23
सिक्किम	0.25	0.20	8.68	0.10	1.23
तमिलनाडु	62.00	0.10	15.98	5.00	83.08
त्रिपुरा	5.00	0.05	–	0.04	5.09
उत्तर प्रदेश	100.00	215.00	45.10	28.70	388.80
पश्चिम बंगाल	105.50	6.00	1.67	2.00	115.17
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.30	–	–	0.01	0.31
दादरा और नागर हवेली	0.20	–	0.06	0.03	0.29
दमन और द्वीव	0.02	1.10	0.02	0.02	1.16
दिल्ली	0.05	–	0.10	–	0.15
पांडिचेरी	0.80	–	0.03	0.02	0.85
अखिल भारत	785.00	585.00	365.00	155.00	1890.00

विवरण-IV

1995-96 के लिए राज्यवार तथा फसलवार उत्पादन के लक्ष्य

(लाख मी. टन में)

	राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1.	आंध्र प्रदेश	108.00	0.01	21.85	7.50	137.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	0.10	0.65	0.05	2.30
3.	असम	33.00	1.50	0.20	0.80	35.50
4.	बिहार	66.00	44.00	15.65	9.00	134.65
5.	गोवा	1.40	–	0.04	0.05	1.49
6.	गुजरात	9.00	18.00	24.85	7.00	58.85
7.	हरियाणा	20.00	66.00	8.50	7.00	101.50
8.	हिमाचल प्रदेश	1.30	6.00	7.06	0.20	14.56
9.	जम्मू व कश्मीर	6.50	3.50	4.74	0.30	15.04
10.	कर्नाटक	29.00	1.00	44.43	6.40	80.83
11.	केरल	1.00	–	0.04	0.30	11.34
12.	मध्य प्रदेश	59.00	52.06	39.10	31.00	181.10
13.	महाराष्ट्र	27.00	9.00	82.1	20.00	138.10
14.	मणिपुर	3.40	0.10	0.20	0.12	3.82
15.	मेघालय	1.30	0.06	0.25	0.03	1.64
16.	मिजोरम	0.70	0.02	0.15	–	0.87
17.	नागालैंड	1.75	0.01	0.20	0.03	1.99
18.	उड़ीसा	66.00	1.00	5.89	11.30	84.19
19.	पंजाब	72.00	125.00	6.13	1.50	204.63
20.	राजस्थान	1.50	45.00	39.28	16.50	102.28
21.	सिक्किम	0.25	0.20	0.68	0.10	1.23
22.	तमिलनाडु	65.00	0.10	15.98	5.00	86.08
23.	त्रिपुरा	5.00	0.05	–	0.04	5.09
24.	उत्तर प्रदेश	101.00	220.25	45.10	28.70	395.05
25.	पश्चिम बंगाल	108.00	6.00	1.67	2.00	117.67
	अन्य	–	–	–	–	–
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.30	–	–	0.01	0.31
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
28.	दादरा और नगर हवेली	0.20	–	0.06	0.03	0.29
29.	दमन और द्वीव	0.05	–	0.02	–	0.07
30.	दिल्ली	0.05	1.10	0.10	0.02	1.27
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	0.80	–	0.03	0.02	0.85
	जोड़	800.00	600.00	365.00	155.00	1920.00

विवरण–V

1996–97 के लिए राज्यवार तथा फसलवार उत्पादन के लक्ष्य

(लाख मी. टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	110.00	0.01	14.10	7.50	131.61
अरुणाचल प्रदेश	2.60	0.10	0.30	0.05	3.05
असम	37.00	1.50	0.05	0.80	39.35
बिहार	85.00	44.00	2.00	9.00	140.00
गोवा	1.45	–	0.05	–	1.50
गुजरात	10.00	19.50	20.45	7.00	56.95
हरियाणा	25.00	73.50	9.90	7.00	115.40
हिमाचल प्रदेश	1.31	6.00	0.57	0.20	8.08
जम्मू व कश्मीर	6.50	3.50	0.33	0.30	10.63
कर्नाटक	32.00	1.70	44.60	6.40	84.70
केरल	11.50	–	0.05	0.30	11.85
मध्य प्रदेश	65.00	71.50	23.30	31.00	190.80
महाराष्ट्र	27.50	11.10	86.88	20.00	145.48
मणिपुर	4.00	0.10	–	0.12	4.22
मेघालय	1.40	0.06	0.03	0.03	1.52
मिजोरम	1.00	0.02	–	–	1.02
नागालैंड	1.90	0.01	0.10	0.03	2.04
उड़ीसा	70.00	1.00	1.60	11.30	83.90
पंजाब	77.00	135.50	1.70	1.50	215.70
राजस्थान	2.00	56.28	31.95	16.50	106.73
सिक्किम	0.25	0.20	0.11	0.10	0.66
तमिलनाडु	77.00	0.10	13.15	5.00	95.25
त्रिपुरा	5.00	0.07	–	0.04	5.11
उत्तर प्रदेश	100.00	225.70	28.20	28.70	382.60
पश्चिम बंगाल	125.00	7.45	0.40	2.00	134.85
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.32	–	–	0.01	0.33
दादरा और नागर हवेली	0.22	–	0.06	0.03	0.31
दिल्ली	0.03	1.10	0.06	0.02	1.21
दमन और द्वीव	0.60	–	0.03	–	0.63
पांडिचेरी	0.02	–	0.03	0.02	0.07
अखिल भारत	880.0	660.0	390.0	170.0*	2100.0

* वे 15 लाख शामिल हैं जिसके लिये राज्यवार विवरण नहीं किया गया है।

विवरण-VI

1992-93 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन

(लाख मी. टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	8792.2	7.6	2119.1	739.0	11657.9
अरुणाचल प्रदेश	116.9	6.4	65.8	5.3	194.4
असम	3299.7	78.7	17.5	51.1	3447.0
बिहार	3641.2	3449.5	1298.4	693.3	9082.4
गोवा	140.4	–	4.3	4.6	149.3
गुजरात	829.6	1360.2	2571.8	648.1	5409.7
हरियाणा	1869.0	7083.0	969.0	330.2	10251.2
हिमाचल प्रदेश	110.3	593.5	687.0	12.2	1403.0
जम्मू व कश्मीर	508.8	347.3	509.6	18.1	1383.8
कर्नाटक	3068.7	158.1	4709.2	562.6	8498.6
केरल	1084.8	–	5.6	20.0	1110.4
मध्य प्रदेश	5282.9	5242.6	3466.4	2898.2	16890.1
महाराष्ट्र	2363.8	797.6	9054.3	1829.1	14044.8
मणिपुर	269.3	–	8.1	–	277.4
मेघालय	114.0	6.2	22.6	2.4	145.2
मिजोरम	84.0	–	12.9	7.9	104.8
नागालैंड	176.0	0.3	44.9	7.5	228.7
उड़ीसा	5387.7	7.5	151.5	362.4	5909.1
पंजाब	7002.0	12369.0	561.1	74.6	20006.7
राजस्थान	174.8	5147.8	4698.6	1457.9	11479.1
सिक्किम	20.7	14.1	59.9	6.8	101.5
तमिलनाडु	6805.7	0.1	1209.5	342.7	8358.0
त्रिपुरा	438.1	9.1	1.7	6.5	455.4
उत्तर प्रदेश	9709.3	19834.3	4167.0	2526.9	36237.5
पश्चिम बंगाल	11445.4	587.3	157.6	198.6	12388.9
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	31.6	–	–	0.6	32.2
दादरा और नागर हवेली	25.9	0.5	5.3	3.4	35.1
पांडिचेरी	66.6	–	2.1	2.9	5.1
दिल्ली	3.9	109.4	9.6	0.9	124.3
दमन और द्वीव	4.4	–	0.5	0.7	71.6
अखिल भारत	72867.7	57210.1	36590.9	12813.8	179483.2

विवरण-VII

1993-94 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन

(लाख मी. टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	9562.0	5.9	2008.6	677.0	12253.5
अरुणाचल प्रदेश	144.0	8.5	74.2	5.3	232.0
असम	3361.1	100.8	16.1	57.0	3535.0
बिहार	6108.5	4356.7	1575.4	735.5	12776.1
गोवा	137.8	–	3.6	5.1	146.5
गुजरात	838.6	928.2	1473.1	538.1	3778.0
हरियाणा	2057.0	7231.0	497.0	469.6	10254.6
हिमाचल प्रदेश	101.9	412.6	706.2	8.6	1229.3
जम्मू व कश्मीर	507.0	352.1	576.7	19.2	1455.0
कर्नाटक	3182.8	192.0	4654.2	630.3	8659.3
केरल	1004.0	–	7.1	33.3	1044.4
मध्य प्रदेश	5963.1	6766.6	3132.9	3264.6	19127.2
महाराष्ट्र	2484.4	1055.9	7836.8	2205.3	13582.4
मणिपुर	348.8	–	7.8	–	356.6
मेघालय	117.8	6.6	22.5	2.5	149.4
मिजोरम	96.7	–	14.2	9.8	120.7
नागालैंड	180.0	1.0	37.0	10.0	228.0
उड़ीसा	6616.3	5.0	169.9	498.6	7289.8
पंजाब	7642.0	13377.0	477.3	80.7	21577.0
राजस्थान	143.1	3459.5	2381.1	1071.1	7054.8
सिक्किम	20.7	14.1	60.9	5.5	101.2
तमिलनाडु	6749.8	0.1	1231.2	276.4	8257.5
त्रिपुरा	439.2	7.8	1.6	6.5	509.1
उत्तर प्रदेश	102110.1	20822.4	3649.5	2516.0	37198.0
पश्चिम बंगाल	12110.9	632.1	187.0	170.6	13100.6
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	32.1	–	–	0.8	32.9
दादरा और नागर हवेली	21.9	0.5	5.5	2.7	30.6
पांडिचेरी	58.0	–	1.3	2.7	3.9
दिल्ली	2.9	103.9	8.3	1.0	115.0
दमन और द्वीव	1.8	–	–	1.0	62.0
अखिल भारत	80242.5	59840.3	30817	13303.8	184260.4

विवरण-VIII

1994-95 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन

(लाख मी. टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	9221.0	6.3	1786.0	636.5	11649.8
अरुणाचल प्रदेश	109.2	8.5	64.1	5.5	187.3
असम	3309.1	103.6	17.1	59.4	3489.2
बिहार	6168.4	4274.0	1599.3	810.5	12852.2
गोवा	137.8	–	3.6	5.1	146.5
गुजरात	942.1	1962.4	1823.9	518.5	5246.9
हरियाणा	2227.0	7303.0	970.0	493.6	10993.6
हिमाचल प्रदेश	112.2	412.6	672.6	10.3	1207.7
जम्मू व कश्मीर	507.0	352.1	576.7	19.2	1455.0
कर्नाटक	3193.1	171.8	4243.1	625.2	8233.2
केरल	962.7	–	7.0	33.0	1002.7
मध्य प्रदेश	5999.0	7164.7	2124.1	3572.0	18859.8
महाराष्ट्र	2397.5	1111.2	6320.2	1698.3	11527.2
मणिपुर	344.6	–	10.3	–	354.9
मेघालय	118.5	6.4	22.9	2.4	150.2
मिजोरम	100.2	–	14.7	9.9	124.8
नागालैंड	174.0	1.0	37.0	10.0	222.0
उड़ीसा	6353.2	5.6	320.1	563.6	7242.5
पंजाब	7703.0	13542.0	481.3	90.5	21816.8
राजस्थान	173.2	5612.8	3948.6	1965.6	11700.2
सिक्किम	20.7	14.1	60.9	4.4	100.1
तमिलनाडु	7685.7	–	1459.7	396.0	9541.4
त्रिपुरा	493.2	7.8	1.6	6.5	509.1
उत्तर प्रदेश	10123.8	22560.2	3605.9	2418.7	38708.6
पश्चिम बंगाल	12464.4	744.5	163.7	153.9	13526.5
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	32.1	–	–	0.8	32.9
दादरा और नागर हवेली	21.9	0.5	5.5	2.7	30.6
पांडिचेरी	58.6	–	1.1	2.6	3.9
दिल्ली	2.9	103.9	8.3	1.0	115.0
दमन और द्वीव	1.8	–	–	1.0	62.3
अखिल भारत	81156.1	65469.0	30349.3	14115.7	191092.9

विवरण–IX

1995–96 के लिये खाद्यान्नों का (सम्भावित) उत्पादन

(हजार मी. टन में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	9701	11	1722	804	12238
असम	3339	142	18	84	3583
बिहार	6720	4785	1601	811	13917
गुजरात	794	1380	1446	432	4052
हरियाणा	1984	7350	650	566	10550
हिमाचल प्रदेश	120	610	757	22	1509
जम्मू व कश्मीर	500	350	578	20	1448
कर्नाटक	3497	161	4924	769	9251
केरल	990	*	7	20	1017
मध्य प्रदेश	5705	6468	2726	3679	18578
महाराष्ट्र	2566	958	6513	1812	11849
उड़ीसा	6461	36	297	537	7331
पंजाब	6712	12724	425	92	20953
राजस्थान	118	5830	2610	1874	10432
तमिलनाडु	7353	*	1718	556	9627
उत्तर प्रदेश	10410	22200	4031	2633	39274
पश्चिम बंगाल	12369	850	173	205	13597
अन्य	1625	145	229	51	2050
अखिल भारत	80964	64000	30425	14967	191256

* अन्य में शामिल

उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या

162. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में इस प्रजाति की रक्षा करने तथा इसको संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) देश में चार वर्ष में एक बार अखिल भारतीय बाघ गणना की जाती है। जैसी कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट दी गई है पिछली दो गणनाओं के दौरान उत्तर प्रदेश में बाघों की आबादी निम्नानुसार थी :

1989	735
1993	465

बाघों की आबादी में कमी आने का मुख्य कारण हाल के वर्षों में बाघ की हड्डियों तथा शरीर के अन्य अंगों के अवैध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग पूरा करने के लिए इसके चोरी छिपे शिकार किया जाना है। जैवीय दबाव के कारण वासस्थलों में कमी आ जाने के कारण भी बाघों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. राज्य में वनस्पतिजात और प्राणिजात की सुरक्षा और परिरक्षण के लिए विभिन्न योजनागत स्कीमों के तहत राज्य सरकार को नियमित रूप से केन्द्रीय सहायता बंटित की जा रही है।
2. देश में बाघों की स्थिति के बारे में सूचना के संकलन और मिलान तथा बाघों के समुचित संरक्षण और प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक "बाघ संकट सैल" खोला गया है।
3. राज्य सरकार को सतर्कता को सुदृढ़ बनाने और गश्त तेज करने की सलाह दी गई है।
4. बाघों के चोरी-छिपे शिकार की अवैध गतिविधियों को रोकने तथा बाघों की हड्डियों तथा उनके शरीर के अन्य अंगों की तस्करी और अवैध व्यापार का सामना करने के संयुक्त रूप से प्रयास करने के बारे में चीन जनवादी गणतंत्र की सरकार के साथ एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
5. बाघों के चोरी-छिपे शिकार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने और रेंज देशों में बाघों और उनके वासस्थलों के संरक्षण के प्रयासों को समन्वित करने के लिए "विश्व बाघ मंच" की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए है।

"इस्को" का आधुनिकीकरण

163. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को आधुनिक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को शुरू सन्दर्भित किया गया है। अतः "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए की जाने वाली कोई भी स्कीम इस संबंध में बी.आई.एफ.आर. के आदेशों के अनुरूप ही बनानी होगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में विद्युत संकट

164. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में विद्युत की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में अभी विद्युत का कितना उत्पादन हो रहा है और इसकी वास्तविक मांग क्या है; और

(घ) दिल्ली में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या वैद्यानिक कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). दिल्ली में अप्रैल, 1996 से मई, 1996 की अवधि के लिए व्यस्ततम कालीन मांग और आपूर्ति सहित विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा निम्नलिखित है:

	ऊर्जा (मि.यू.)	व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)
	अप्रैल-मई, 96	अप्रैल-मई, 96
आवश्यकता	2355	2060
उपलब्धता	2294	1922
कमी	61	138
प्रतिशत	(2.6)	(6.7)

(घ) गर्मी के महीनों में बढ़ती हुई भारी मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली को केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। डेसू को परामर्श दिया गया है कि वे अपने विद्युत केन्द्रों में अधिकतम विद्युत उत्पादन करें, बिजली की चोरी रोकें, पारेषण एवं वितरण हानियां कम करें, बहेतर मांग प्रबंध करें और ऊर्जा संरक्षण उपायों को अनुपालन करें तथा उन्हें लागू करें।

[अनुवाद]

कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस पर रायल्टी

165. **श्री केशव महन्त** :

डा. अरूण कुमार शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी की दर निर्धारित करने के लिए क्या मापदंड हैं;

(ख) कच्चे तेल की रायल्टी की दर पिछली बार कब संशोधित की गई थी इसकी क्या दरें निर्धारित की गई थीं; और

(ग) रायल्टी की दर कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम की धारा 6(क) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 14 द्वारा

विनियमित होती है जोकि उपर्युक्त अधिनियम, 1948 की धारा 5 और 6 के अनुसरण में बनाए गए हैं। धारा 6(क) (4)(क) में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि केन्द्रीय सरकार किसी खनिज तेल के संबंध में इतनी रायल्टी निर्धारित नहीं करेगी कि यह तेल क्षेत्र अथवा तेल कूप स्थल पर, जैसी भी स्थिति हो, खनिज तेल के बिक्री मूल्य के 20% से अधिक हो। इस उपबन्ध में यह भी अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार किसी भी खनिज तेल की रायल्टी की दर तीन वर्ष की किसी भी अवधि के दौरान एक से अधिक बार नहीं बढ़ाएगी।

(ख) कच्चे तेल पर रायल्टी की दर 1.4.1990 से 31.3.1993 की अवधि के लिए फरवरी, 1993 में 48। रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई थी। 1.4.1993 से 31.3.1996 की अवधि के लिए कच्चे तेल पर रायल्टी हेतु 528 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से "खातागंत" रायल्टी की अंतिम दर की अधिसूचना और समायोजन और यथासमय क्रूड मूल्य को अंतिम रूप दिए जाने की शर्त पर किया गया था।

(ग) तीन वर्ष (1993-94 से 1995-96 तक) की अवधि के लिए, उत्पादन की वास्तविक भारित लागत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित आंकड़ों और अधिसूचित रायल्टी की अंतिम दर के आधार पर निकाली जाएगी तथा आवश्यक समायोजन पहले किए गए "खातागंत" भुगतानों के प्रति किए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल समन्वय समिति से पहले ही कह दिया गया है कि 1996-97 से 1998-99 की अवधि के लिए कच्चे तेल पर रायल्टी की "खातागंत" दर के निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाए।

कुटीर ज्योति कार्यक्रम

167. डॉ. कृपासिन्धु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अभी भी कुटीर ज्योति कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) अब तक देश में कितने गांवों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ज्योति कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को दिए गए अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कुटीर-ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों हेतु अनुदान-राशि का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा समग्र रूप में किया जाता है। क्षेत्र/गांव तथा वास्तविक लाभभोगियों की अभिज्ञात करने तथा कनैक्शन देने का कार्य राज्य सरकार/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किया जाता है। मार्च, 1996 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 21 लाख से अधिक कनैक्शन दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1993-96 के दौरान कुटीर-ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(अनंतिम)

क्र. सं.	रा.बि.बो/राज्य सरकार	दिया गया अनुदान (लाख) (रुपये) 1993-94	1994-95	1995-96
1.	एपीएसईबी	93.86	109.54	214.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.08	0.61	5.20
3.	एएसईबी	0.00	8.60	50.00
4.	बिहार एसईबी	71.80	26.18	71.52
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात एसईबी	25.36	12.68	20.00
7.	हरियाणा एसईबी	10.26	2.83	3.00
8.	एचपीएसईबी	1.08	1.08	10.03
9.	जम्मू और कश्मीर एसईबी	0.00	0.78	0.00
10.	कर्नाटक ईबी	488.96	97.48	490.08
11.	केरल एसईबी	10.36	0.13	9.26
12.	मध्य प्रदेश ईबी	201.42	262.08	394.12
13.	महाराष्ट्र एसईबी	52.50	36.71	237.76
14.	मणिपुर	0.28	0.21	0.14
15.	मेघालय ईबी	2.66	1.52	1.52
16.	मिजोरम	1.32	8.00	4.00
17.	नागालैंड	0.92	0.34	0.30
18.	उड़ीसा एसईबी	21.04	14.48	14.48
19.	पंजाब एसईबी	4.50	2.40	6.02
20.	राजस्थान एसईबी	76.55	7.12	12.44
21.	सिक्किम	10.24	9.80	26.50
22.	तमिलनाडु ईबी	88.36	85.00	480.00
23.	त्रिपुरा	2.52	3.08	1.60
24.	उत्तर प्रदेश एसईबी	0.00	20.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल एसईबी	46.08	3.79	25.17
26.	यूटीएस	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़	1213.15	714.44	2078.35

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

168. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय इलेक्ट्रो-मेकैनिकल और क्रास-बार टेलीफोन-एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सभी एक्सचेंजों ने 15 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है;

(ग) क्या उनके स्थान पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिनांक 30.6.96 की स्थिति के अनुसार 13 क्रॉस बार एक्सचेंजों सहित 52 इलैक्ट्रॉमैकेनिकल एक्सचेंज हैं।

(ख) 52 एक्सचेंजों में से केवल 7 एक्सचेंजों की 15 वर्ष से अधिक की मियाद पूरी हो चुकी है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान 32 एक्सचेंजों को बदलने की योजना बनाई गई है। शेष 20 एक्सचेंजों की उत्तरोत्तर रूप में बाद के वर्षों में बदलने की योजना है।

घुसपैठिए

169. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) गत एक वर्ष में आज तक सीमावर्ती जिलों में भारतीय क्षेत्र में चोरी छिपे प्रवेश करने पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में ऐसी वारदातों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के प्रयास में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) ऐसे कितने पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें जेलों में बंद रखा गया है परन्तु उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया गया है;

(च) क्या इनमें से कुछ लोगों को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया और उन्हें भारत में ही रहने की अनुमति दे दी गई है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) भारत-पाक सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाने के कार्य की प्रगति निम्न प्रकार से है:-

	पूरा कर लिया गया	पूरा किया जाना है
पंजाब	451 कि.मी.	-
राजस्थान	600 कि.मी.	435 कि.मी.
गुजरात	भू-भाग बाड़ लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है।	
जम्मू	-	130 कि.मी.

(ख) भारत-पाक सीमा पर, 1995 और 1996 के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा 4487 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) पकड़ने पर, इस प्रकार के व्यक्तियों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा, कानून के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के सुपुर्द किया जाता है। घुसपैठ को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था की गयी/की जा रही है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(3) सीमा चौकियों के मध्य दूरी को कम करने के लिए अतिरिक्त बटालियने स्वीकृत की गयी हैं और गश्त/नौकाओं में वृद्धि/गहन किया गया है।

(4) सीमा पर अधिक सतर्कता रखने के लिए दूरबीनें, धूप के चश्में, टिव्न टेलिस्कोप, पी.एन.बी. दूरबीनें और हैड हैल्ड सर्च-लाईट उपलब्ध करायी गयी है।

(5) नदी तटीय क्षेत्रों की गश्त के लिए नावें/मोटर-नावें उपलब्ध करायी गयी हैं।

(6) सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाया गया है।

(घ) भारत-पाक सीमा पर वर्ष 1995 और 1996 के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा कुल 255 पाकिस्तानी राष्ट्रिक पकड़े गए और राज्य पुलिस के सुपुर्द किए गए। राज्य पुलिस द्वारा इन मामलों में कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है।

(ङ) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैस आधारित उर्वरक संयंत्र

170. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर और अमुनला स्थित गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों की क्षमता दोगुनी करने के लिए कोई कार्यविधि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों की योजना के अनुसार अपनी क्षमता दोगुनी करने के लिए अतिरिक्त गैस का आबंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). सरकार ने मै. इफ्को के आंवला संयंत्र की क्षमता को दुगुना करने के लिये 30.9.1993 को एक परियोजना अनुमोदित की थी। परियोजना के लिय प्राकृतिक गैस की अपेक्षित मात्रा (1.75 एम.एम.एस.सी.एम.डी.) आबंटित कर दी गई है, जिसकी 1.1.1997 से शुरू किये जाने की आशा है।

मै. इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन लि. के जगदीशपुर (उ.प्र.) की क्षमता को दुगुना करने की परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिया गया है क्योंकि एचबीजे पाइपलाइन से अनुमानित गैस उपलब्धता पूर्णतः आबंटित है और अतिरिक्त गैस आबंटन पर विचार करना उपयुक्त नहीं है।

थेलेसीमिया रोगियों के लिए इंजेक्शन

171. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दवाओं विशेष रूप से थेलीसीमिया के रोगियों को दिए जाने वाले इंजेक्शन के मूल्यों में वृद्धि से भारी संख्या में ऐसे रोगी मौत का शिकार हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो थेलेसीमिया से पीड़ित निर्धन रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). थेलेसीमिया एक विकार है जिसका कारण हीमोग्लोबिन संक्रामक सिन्थेसिस दिया जाता है। उसका उपचार बार-बार रक्ताधान करके किया जाता है जिसके लिए लौह-अतिभार दूर करने के लिए "आयरन चेलंशन" की आवश्यकता होती है। अब तक इसका उपचार एक "चेलेटर" के रूप में आयातित "डेसफेरल इन्जेक्शनों" से किया जाता है। भारत सरकार ने "डेसफेरल इन्जेक्शन" और इन्फयूजन पम्प के आयात के लिए सीमा-शुल्क में छूट दी है। सरकार ने हाल ही में कड़ी चिकित्सीय निगरानी के अन्तर्गत एक "ओरल आयरन चेलेटर डेफ्टीपरोन" के विपणन करने की अनुमति भी दे दी है। यह खाने वाली औषधी कम खर्चीली है और रोगी पर इसका प्रभाव भी बेहतर होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो एक सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थान है, थेलेसीमिया के सही उपचार के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, बेल्लूर में एक उन्नत अनुसंधान केन्द्र की सहायता करती है। देश के थोड़े-से केन्द्रों में प्रभावित बच्चों के जन्म को रोकने के लिए गर्भावस्था के दौरान आनुवंशिकीय परामर्शी और प्रसवपूर्ण निदान उपलब्ध है।

दूरभाष सेवाएं

172. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों के दौरान इंदौर (मध्य प्रदेश) में दूरभाष सेवाओं की हालत बदतर हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। पिछले 4 वर्षों में, इन्दौर टेलीफोन्स को दोष दर (फाल्टरेट) प्रतिमाह 26.7 दोष, प्रति 100 टेलीफोन से घटकर प्रतिमाह 18.22 दोष, प्रति 100 टेलीफोन रह गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमि से बेदखल किए गए व्यक्ति

173. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी किसानों को मुआवजा दे दिया गया है जिनकी भूमि का भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इंद्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

कृषि विकास

174. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि के विकास की ओर अधिक ध्यान देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का एक विवरण संलग्न है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु योजनाओं को अंतिम रूप अभी नहीं दिया गया है।

विवरण

राज्यों में कार्यान्वित केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम
1	2
कृषि विस्तार	
1.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-I।
2.	कृषि विस्तार प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण
3.	राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा कृषक विनिमय कार्यक्रम।
4.	कृषि फिल्मों का उत्पादन।
5.	राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता पुरस्कार।
6.	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विस्तार।
7.	कृषि में महिलाएं।
8.	राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना।
कृषि अर्थ और सांख्यिकी	
9.	कृषि संगणना योजना।
10.	फलों, सब्जियों तथा गौण फसलों का फसल मूल्यांकन सर्वेक्षण।
11.	कृषि अर्थ अनुसंधान।
12.	प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिये वृहत योजना।
13.	कृषि सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाना तथा कृषि नीति निरूपण।
14.	अनुसंधान अध्ययनों के नियोजन मूल्यांकन का विकेन्द्रीकरण।
15.	खेती की लागत योजना के लिये केन्द्रीय विश्लेषणात्मक यूनिट को सुदृढ़ बनाना।
16.	फसल सांख्यिकी में सुधार।
17.	प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के अनुमानों को उचित समय पर सूचित करना।
18.	केरल, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में कृषि सांख्यिकी के एकत्रीकरण/रिपोर्टिंग के लिये एक एजेन्सी की स्थापना।
19.	पशुपालन संगणना के आयोजन में राज्यों की सहायता।
बीज	
20.	राष्ट्रीय बीज निगम को बीज प्रसंस्करण तथा भंण्डारण अवस्थापनात्मक सुविधाओं के लिये सहायता और निवेश।
21.	राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण केन्द्र।
22.	राष्ट्रीय बीज निगम/एस.एफ.सी.आई को बीजों पर परिवहन राजसहायता।
23.	केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड को सचिवालीय सहायता।
24.	बीज प्रभाग का सुदृढ़ीकरण।
25.	उन्नत चयनित फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन को सरल और कारगर बनाना।
26.	किस्मों के विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम।
27.	समेकित बीज विकास कार्यक्रम।
उर्वरक	
28.	जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना और प्रौद्योगिकी मिशन।
29.	केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं।
30.	कम्प्यूटर पर आंकड़ों का संसाधन।
31.	उर्वरकों का संतुलित और समेकित उपयोग।
32.	कम खपत उपयोग विकास की राष्ट्रीय परियोजना।
पौध संरक्षण	
33.	केन्द्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान।
34.	समेकित कृषि प्रबंध
35.	पौध संगरोध सुविधाओं का विस्तार।
36.	टिड्डी चेतावनी संगठन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।
37.	कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1986 तथा क्षेत्रीय कृमिनाशी दवा नियंत्रण प्रयोगशालाएं।
कृषि उपकरण और मशीनरी	
38.	असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान।
39.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रिकरण को बढ़ावा देना।
40.	कृषि उपकरणों के औद्योगिक डिजाइनों का उत्पादन।
41.	राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि इंजीनियरिंग विभाग का सुदृढ़ीकरण।
फसल कार्यक्रम	
42.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं मिनिकिट कार्यक्रम सहित
43.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज, मिनिकिट कार्यक्रम सहित
44.	कृषि उपयोग के लिए रिमोट सेंसिंग उपयोग मिशन।
45.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल, मिनिकिट कार्यक्रम सहित
46.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों का सतत् विकास
47.	गहन कपास विकास कार्यक्रम

1	2

तिलहन तथा दलहन प्रौद्योगिकी मिशन

(मुख्यालय की स्थापना सहित)

48. तिलहनों तथा दलहनों में कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास।
49. राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड।
50. संभावना वाले राज्यों में आयल पाम के विकास सहित आयल पाम की खेती।
51. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मक्का।
52. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।
53. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।

वर्षासिंचित खेती

54. पनधारा विकास परिषद।
55. वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम।

बागवानी

56. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड।
57. नारियल विकास बोर्ड का कार्यक्रम।
58. फल और सब्जियों, पुष्प कृषि, औषधीय तथा सुगन्धित पौधों का उत्पादन और सप्लाई।
59. सुपारी का विकास।
60. कोको का विकास।
61. कंद और मूल वाली फसलों का विकास।
62. पान की बेलों का विकास।
63. खुम्बी का विकास।
64. भारत में मधुमक्खी पालन का विकास।
65. फल तथा सब्जियों के संचालन और विपणन के लिए समेकित परियोजना।
66. मसालों के विकास के लिए समेकित कार्यक्रम।
67. भारत में काजू के विकास के लिए कार्यक्रम।
68. बागवानी में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना।

फसल बीमा

69. वृहत फसल बीमा योजनाएं

एस.एफ.ए.सी.

70. छोटे किसानों के व्यापार संघ की स्थापना।

एन.डी.एम.

71. प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध कार्यक्रम।

1	2

मृदा एवं जल संरक्षण

72. अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण।
73. मृदा सर्वेक्षण संगठन का सुदृढ़ीकरण।
74. राष्ट्रीय भूमि संसाधन आयोग।
75. अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र।
76. हजारीबाग में प्रशिक्षण केन्द्र के लिए डी.वी.सी. को अनुदान।
77. राज्य भूमि उपयोग बोर्डों का सुदृढ़ीकरण।
78. मृदा सर्वेक्षण के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग।
79. बिहार तथा उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त परियोजना के तहत भूमि विकास निगम तथा गण्डक क्षेत्र विकास एजेन्सी को अनुदान।
80. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण।
81. बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्र में समेकित पनधारा प्रबन्ध।
82. क्षारीय मृदाओं का सुधार।
83. झूम खेती का नियंत्रण।

मात्स्यिकी

84. समेकित मीन उद्योग।
85. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान।
86. प्रशिक्षण एवं मात्स्यिकी सुदृढ़ीकरण आदि।
87. बड़े पत्तनों पर मात्स्यिकी बंदरगाह सुविधाएं।
88. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी हेतु नमूना सर्वेक्षण
89. केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान।
90. अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन।
91. श्रिम्प तथा मछली पालन हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केन्द्रीय परियोजना यूनिट।
92. ताजे पानी में मछली पालन।
93. छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह सुविधाएं।
94. खारा पानी मत्स्य फार्मों का विकास।
95. मछुआरों का कल्याण।
96. तटीय समुद्री मात्स्यिकी का विकास।
97. समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन।

ऋण

98. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कृषि बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र।
99. ऋण आयोजना एवं मानिटरिंग।

1	2
100.	भूमि विकास बैंकों के डिबेंचरों में निवेश।
101.	अल्प विकसित राज्यों में ऋण सहकारी संस्थाएं।
102.	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि।
103.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं।
	सहकारिता
104.	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद।
105.	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित।
106.	अन्य राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ।
107.	बहु राज्यीय सहकारी समितियों का विकास तथा सहकारिता प्रभाग का सुदृढ़ीकरण।
108.	सहकारी भण्डारण परियोजना (एन.सी.डी.सी.-II तथा III एवं ई.ई. तथा सहकारी ग्रामीण वृद्धि केन्द्रों का विकास।
109.	तिलहन विकास तथा प्रसंस्करण विलायक तेल निष्कर्षण एवं सरसों बीज परियोजना (एन.सी.डी.सी.-III/आईडीए/इइसी द्वारा सहायता प्राप्त)
110.	चुन्निदा जिलों में समेकित सहकारिता विकास परियोजना।
111.	महिलाओं की सहकारी समितियों की सहायता।
112.	सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सहकारी विपणन प्रसंस्करण तथा भण्डारण कार्यक्रम के लिए सहायता।
113.	सहकारी शक्कर मिलें।
114.	उत्पादक सहकारी बुनाई मिलें।
115.	पिछड़े वर्गों की सहकारी समितियों की सहायता।
116.	आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए समुदाय तथा सहकारिता संबंधी व अध्ययन दल।
117.	कमजोर वर्गों के राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी परिसंघ की सहायता।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था

175. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में उच्च दर्जा हासिल किया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर मछुवारों को दी जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में राज्यवार मानकों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). केरल सरकार ने योजना आयोग को विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 11.78 करोड़ रु की अनुमानित लागत से केरल की सरकारी तटीय स्वास्थ्य संस्थाओं के सुधार के लिए एक परियोजना प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में मौजूदा स्वास्थ्य संस्थाओं की मरम्मत और रख-रखाव, जल-आपूर्ति और सफाई में सुधार, औषधियों की आपूर्ति, शिक्षा व संचार संबंधी कार्यकलापों का सुधार, सुधरी हुई सामुदायिक सहभागिता इत्यादि के माध्यम से प्रयोगशाला सुविधाओं का दर्जा बढ़ाना और जानपदिक रोग-विज्ञानीय निगरानी प्रणाली का निर्धारण किया गया है। योजना आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि आठवीं योजना को शेष अवधि के दौरान एक चयनित तटीय खंड में इन उपायों के कार्यान्वयन और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर नौवीं योजना के एक अंग के रूप में तटीय क्षेत्रों के सुधार के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाये।

हथियारों की अवैध खरीद-फरोख्त

176. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली की पूर्वी सीमा स्थित गांवों में हथियारों की अवैध खरीद-फरोख्त की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली की पूर्वी सीमा पर स्थित गांवों में हथियारों के अवैध व्यापार का कोई मामला, हाल में ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता है।

उर्वरक उद्योग द्वारा अर्जित लाभ

177. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विगत दो वर्षों में उर्वरक उद्योग द्वारा अर्जित लाभ में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की 2 रुग्ण कम्पनियों को छोड़कर अन्य आठ उर्वरक कम्पनियों का कर पश्चात लाभ 1993-94 में 598.03 करोड़ रुपए से बढ़कर 1995-96 में 656.46 करोड़ रुपए (अर्नतिम अनुमान) हो गया है।

यूरिया का आयात

178. **श्री ललित उरांव :**
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान 30 जून, 1996 तक किन-किन देशों से, कितनी मात्रा में और किस दर पर यूरिया का आयात किया गया है;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आये हैं जिनमें विदेशी कम्पनियों को यूरिया के आयात हेतु भुगतान कर दिया गया है परन्तु अभी तक यूरिया की आपूर्ति नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भुगतान की गई धनराशि की वसूली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) एक विवरण संलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग). जी, हां। मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) ने मैसर्स कर्सन दनीस्मालिक टरिज्म सेनाई तिकारेट लि., अंकारा (टर्की) के साथ 2.00 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति के सौदे पर हस्ताक्षर किए तथा 38 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया। 5.12.96 से 5 माह की अवधि के भीतर यूरिया की आपूर्ति की जानी थी। अभी तक कोई मात्रा प्राप्त नहीं हुई है। मैसर्स एन.एफ.एल., मैसर्स कर्सन लि. को पहले ही दी गई राशि की वसूली के लिए संविदा की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता कार्रवाई दायर करने की प्रक्रिया में है सी.बी.आई. और प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच कर रहे हैं तथा निधियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे लौटाया जा सके।

विवरण

(मात्रा लाख मी. टन में)

क्र.सं.	देश	1993-94			1994-95			1995-96			1996-97 (जून, 96 तक)		
		मात्रा	लागत भाड़ा मूल्य	भारित औसत प्रति टन (लागत भाड़ा) लागत (रु.)	मात्रा	लागत भाड़ा मूल्य	भारित औसत प्रति टन (लागत भाड़ा) लागत (रु.)	मात्रा	लागत भाड़ा मूल्य	भारित औसत प्रति टन (लागत भाड़ा) लागत (रु.)	मात्रा	लागत भाड़ा मूल्य	भारित औसत प्रति टन (लागत भाड़ा) लागत (रु.)
1.	बंगलादेश	0.69	26.97	3908.70	0.87	46.35	5327.58	1.35	103.00	7629.63	0.32	24.82	7756.25
2.	बुलगारिया	–	–	–	0.21	15.66	7457.14	0.73	54.64	7484.93	–	–	–
3.	सी आई एस	7.33	280.07	3820.87	11.29	634.47	5619.75	12.79	976.82	7637.37	–	–	–
4.	क्रोशिया	0.26	9.90	3807.69	–	–	–	0.46	33.28	7234.78	–	–	–
5.	जर्मनी	–	–	–	–	–	–	0.42	32.79	7807.14	–	–	–
6.	इण्डोनेशिया	0.45	18.36	4080.00	1.02	63.91	6265.69	1.36	102.82	7560.29	–	–	–
7.	कुवैत	5.10	188.23	3690.78	3.07	178.00	5798.04	2.64	200.23	7584.46	0.49	30.32	6187.75
8.	लीबिया	2.14	77.54	3623.36	2.00	110.01	5500.50	3.70	267.18	7221.08	0.55	38.67	7030.90
9.	कतार	4.74	172.54	3640.08	2.80	153.50	5482.14	2.37	172.76	7289.45	–	–	–
10.	रोमानिया	0.85	29.82	3508.23	0.99	48.90	4939.40	3.56	267.14	7503.93	–	–	–
11.	सा. अरेबिया	4.21	155.28	3688.36	4.23	236.25	5585.11	4.92	364.56	7409.75	0.23	18.08	7860.87
12.	यू.ए.ई.	2.06	71.72	3481.55	2.22	116.57	5250.90	2.43	179.58	7390.12	–	–	–
13.	यूगोस्लाविया	–	–	–	–	–	–	0.61	47.61	7804.92	–	–	–
14.	पाकिस्तान	–	–	–	–	–	–	0.48	37.71	7856.25	–	–	–

लघु पन-बिजली परियोजनाएं

179. **श्री आर.बी.राई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान दार्जिलिंग पहाड़ियों में लघुपन-बिजली परियोजनाएं लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं के नाम क्या हैं.

(ग) क्या उन परियोजनाओं में से किसी का निष्पादन कार्य शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). दार्जिलिंग पहाड़ी में लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से चार प्रस्ताव प्राप्त हुए। अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत तीन परियोजनाएं नामतः रौंगमुक एवं सैडारस (500 किवा.) मुगपु काली खोला (3000 किवा.) और मुगपु राम्भी खोला (2000 मेवा. अनुमोदित की गई है।

(ग) से (ङ). इन तीन परियोजनाओं का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। रौंगमुक एवं सैडारस परियोजना निष्पादन के अग्रिम चरण में है और इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान नियोग किए जाने की संभावना है। दो अन्य परियोजनाओं के लिए सिविल कार्य पहले ही आरंभ हो चुके हैं।

निजी विद्युत परियोजनाएं

180. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी** :
श्री विनय कटियार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) मार्च, 1996 तक सरकार ने कितनी निजी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी;

(ख) क्या देश में विद्युत की भारी कमी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में 25 हजार मे.वा. बिजली का उत्पादन करने हेतु कोई धारित विद्युत संयंत्र योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो निजी क्षेत्र में ताप विद्युत डीजल विद्युत, जल विद्युत, और परमाणु विद्युत से संबंधित ऐसे संयंत्रों की स्थापना करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.ए.वेणुगोपालाचारी) : (क) मार्च, 1996 के अंत तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सत्रह (17) निजी विद्युत परियाजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पेट्रोल बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

181. **श्री हरिन पाठक** :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री चंद्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वषो में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक तेल चयन बोर्ड के माध्यम से और विवेकाधीन कोटे से आबंटित पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस की एजेंसियों को राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उनमें अलग-अलग कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के लोग/विकलांग/शिक्षित बेरोजगार और सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध सैन्य बलों के भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान और अधिक पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस की एजेंसियों का आबंटन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उपरोक्त बिक्री केन्द्रों/एजेंसियों के आबंटन में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). तेल-चयन बोर्डों के माध्यम से और सरकार के विवेकाधीन शक्तियों के अन्तर्गत, 1.1.1993 से 31.3.1996 तक आबंटित खुदरा बिक्री डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का श्रेणीवार आबंटन निम्नानुसार है:

तेल चयन बोर्ड

		अनु.जाति	विकलांग	अनु.ज.जा.	रक्षा	स्वतंत्रता सेनानी	उत्कृष्ट खिलाड़ी	अन्य	योग
	खुदरा बिक्री केन्द्र	315	137	169	99	75	–	746	1541
	एल पी जी	167	102	83	71	52	1	471	947
विवेकाधीन	खुदरा बिक्री केन्द्र	–	179						
	एल पी जी	–	155						

(ग) और (घ). बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एल पी जी विपणन योजना 1994-96 और खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 में 1191 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 1040 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप शामिल की गई हैं।

(ङ) से (छ). तेल चयन बोर्डों के माध्यम से किए गए चयनों में अनियमितताओं की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। अनियमितताओं के प्रमाणित मामलों में नए चयनों का आदेश दिया जाता है।

नये राज्य

182. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विदर्भ के नौ जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग निरन्तर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन लक्ष्य

183. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस योजना के अंत तक अनुमानित कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ग) मार्च, 1996 के अंत तक देश में कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई;

(घ) देश में उक्त अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) मार्च, 1996 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). जी, हां, आठवीं योजना के लिए निर्धारित की गया क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 30537.7 मे.वा. है, जिसकी तुलना में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अद्यतन अनुमानों के अनुसार योजना अवधि के दौरान 17666.57 मे.वा. नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने हेतु परिकल्पना की गयी है।

(ग) वर्ष 1995-96 की अवधि समेंत आठवीं योजना के प्रथम चार वर्गों के दौरान देश में जोड़ी गई कुल अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता 14798.07 मे. वा. है।

(घ) और (ङ). विद्युत क्षेत्र में 8वीं योजना के लिए निर्धारित 79589.3 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में वर्ष 1994-95 तक का व्यय लगभग 46285.1 करोड़ रुपये है। वर्ष 1995-96 का परिव्यय 19637.44 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

भूमिगत (अंडरवर्ल्ड) अपराधी

184. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांव तिलसद, घाटमपुर, कानपुर, उत्तर में रिवाल्वर बनाने के अवैध कारखाने का पता चला है;

(ख) क्या भुमिगत (अंडरवर्ल्ड) अपराधियों के साथ उनके सम्पर्कों का पता लगाने हेतु कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हेतु क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

185. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उन पंचाटों को लागू नहीं कर रहे हैं जो कर्मचारियों और कामगारों के पक्ष में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी प्रणाली विकसित करने का है जिससे कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट समय पर और अविलम्ब लागू किए जा सकें?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर.बाला सुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). न्यायाधिकरण के आदेशों को यथाशीघ्र लागू करने के लिए मंत्रालय/विभाग जिम्मेवार हैं। आदेशों के कार्यन्वयन के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) सरकार के इस आशय के अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि अधिकरण के आदेशों को इसके आदेशों में निहित समय सीमा के भीतर अथवा जहां आदेशों में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, वहां आदेशों की प्राप्ति के छः मास के भीतर इनका अनुपालन किया जाए।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

186. श्री जय प्रकाश अगवाल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए कितने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हुई;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) दिल्ली सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों को इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कितने धन का उपयोग किया गया है और यह धन किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कार्यान्वित की जा रही गरीबी उन्मूलन स्कीम, शहरी माइक्रो उपक्रम (एस.यू.एम.ई.) की स्कीम है, जो नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) की एक घटक है। इस स्कीम के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

(ख) चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है।

(ग) शहरी माइक्रो उपक्रम स्कीम के तहत आठवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु आबंटन तथा व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना

8वीं योजना के दौरान शहरी माइक्रो उपक्रम के तहत वित्तीय निष्पादन

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93		1993-94	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5
राज्य				
आंध्र प्रदेश	259.34	121.63	446.67	328.69
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	2.91
असम	47.67	24.11	18.95	–
बिहार	100.75	157.62	–	76.21
गोवा	–	–	–	–
गुजरात	55.58	52.45	77.03	92.99
हरियाणा	35.33	107.51	59.25	51.57
हिमाचल प्रदेश	18.33	6.90	8.33	–
जम्मू और कश्मीर	23.33	41.48	23.33	17.59
कर्नाटक	193.67	24.30	134.45	108.31
केरल	99.17	82.92	120.67	231.73
मध्य प्रदेश	234.84	252.90	405.07	638.20
महाराष्ट्र	317.67	168.00	332.45	68.81
मणिपुर	10.00	27.76	11.33	38.53
मेघालय	6.50	9.51	–	1.61
मिजोरम	5.00	24.00	2.50	–
नागालैंड	–	–	–	–
उड़ीसा	66.50	78.48	114.34	27.05
पंजाब	67.83	97.46	117.25	92.84
राजस्थान	59.08	82.26	164.08	284.63
सिक्किम	10.33	1.67	6.88	20.30

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	285.33	465.17	514.93	338.20
त्रिपुरा	6.83	24.83	6.12	1.40
उत्तर प्रदेश	576.84	688.12	994.30	1170.72
पश्चिम बंगाल	254.50	101.27	149.50	109.59
संघ राज्य क्षेत्र				
अंडमान व निकोबार	–	–	1.85	3.95
चण्डीगढ़	–	1.59	–	0.86
दादरा और नागर हवेली	–	1.25	0.85	1.67
दमन और द्वीव	–	–	–	–
दिल्ली	24.00	5.95	24.00	25.79
लक्षद्वीप	–	–	–	–
पांडिचेरी	3.33	0.80	–	2.20
जोड़	2761.75	2649.94	3734.13	3736.35

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992–93		1993–94	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5
राज्य				
आंध्र प्रदेश	289.84	157.33	328.75	317.88
अरुणाचल प्रदेश	–	–	18.33	19.59
असम	38.33	122.96	38.34	33.85
बिहार	128.58	2.00	278.50	214.07
गोवा	2.08	8.36	3.33	8.22
गुजरात	70.92	44.83	131.92	50.04
हरियाणा	48.33	52.39	43.58	56.24
हिमाचल प्रदेश	10.00	–	20.00	29.18
जम्मू और कश्मीर	11.67	–	23.33	79.58
कर्नाटक	123.67	75.84	129.97	49 12
केरल	136.38	104.61	89.42	44.54
मध्य प्रदेश	323.17	274.93	285.90	708.37
महाराष्ट्र	154.67	183.91	412.08	207.97
मणिपुर	16.38	11.67	15.98	13.98
मेघालय	–	–	8.33	9.43
मिजोरम	6.15	35.52	6.00	25.34
नागालैंड	–	–	–	–
उड़ीसा	74.17	–	84.00	86.42
पंजाब	93.60	119.99	33.17	61.53
राजस्थान	151.00	152.70	146.67	212.84
सिक्किम	8.18	–	8.00	38.55
तमिलनाडु	350.84	72.32	344.92	155.21
त्रिपुरा	6.15	10.17	5.00	4.34
उत्तर प्रदेश	793.18	819.40	684.88	825.05
पश्चिम बंगाल	139.42	1170.00	328.17	597.04
संघ राज्य क्षेत्र				
अंडमान व निकोबार	4.12	3.00	3.35	–
चण्डीगढ़	2.55	4.20	–	1.88
दादरा व नागर हवेली	0.85	0.70	1.65	1.45
दमन व द्वीव	–	–	3.35	8.18
दिल्ली	24.00	1.51	24.00	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–
पांडिचेरी	3.33	4.54	3.33	3.99
जोड़	3011.55	2274.58	3504.25	3860.12

[अनुवाद]

असम समझौता

187. श्री केशव महंत :
डा. अरूण कुमार शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम समझौते के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) सीमा पर कंटीले तार लगाने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) अपेक्षित सूचना सहित एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). 31.5.1996 तक भारत–बंगलादेश सीमा पर 612.05 कि.मी. में काटेदार बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है मौजूदा कार्य मार्च, 1998 तक पूरा किया जाना है।

विवरण

भारत सरकार, असम असमझौता, 1985 को कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। इस संबंध में कई उपाय किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

विदेशियों का मामला

1. नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिक नियम, 1956, और विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया गया।
2. 1966-71 की धारा के विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए असम में विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के तहत ग्यारह न्यायाधिकरण कार्यरत हैं।
3. विशेष पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम करने की योजना के तहत 1280 अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए स्वीकृति भी प्रदान की गई थी।
4. अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के तहत असम में सोलह न्यायाधिकरण कार्यरत हैं।

सुरक्षा उपाय और आर्थिक विकास

5. श्रीमंत शंकरादेव कलाक्षेत्र, गुवाहाटी, को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। 8.65 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
6. गुवाहाटी में ज्योति चित्रबन (फिल्म) स्टूडियो को आधुनिक बनाया जा रहा है तथा उसका विस्तार किया जा रहा है।
7. राज्य की आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। नूमालीगढ़ स्थित तेल शोधन कारखाने का कार्य प्रगति पर है। कथालगुड़ी में गैस-आधारित विद्युत परियोजना का कार्य कार्यान्वयन अधीन है। जोगीघोपा में रेल एंव सड़क पुल के निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है। सिलघट में एक जूट मिल को पुनः चालू किया गया है।
8. दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक तेजपुर में और दूसरा सिलचर में, स्थापित किए गए हैं।
9. गुवाहाटी में एक आई.आई.टी स्थापित की गई है।

अन्य मामले

10. नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार अब केवल केन्द्र सरकार के पास हैं।
11. भारत-बंगलादेश सीमा पर 2784 कि.मी. सीमा सड़कों के निर्माण और 896 कि.मी. में बाड़ लगाने के स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 1633.43 कि.मी. सीमा सड़क तथा 612.05 कि. मी. में बाड़ लगाने का कार्य 31.5.1996 तक पूरा कर लिया गया है।
12. आन्दोलन के संबंध में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों की संवीक्षा की गई।
13. आन्दोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राशि भुगतान किया गया है।
14. नियुक्तियों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा उन अभ्यार्थियों के मामले में जो असम राज्य में 1.1.1980 से 15.8.1985 तक की अवधि में सामान्य तौर पर रहे हों, के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छह वर्ष तक की छूट देने के आदेश जारी किए गए थे।
15. आन्दोलन के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एन.एस. ए.) के अधीन निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया।

प्राकृतिक आपदायें

189. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं से शीघ्रताशीघ्र निपटने हेतु कोई स्थायी तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) क्या भारी वर्षा और चक्रवात से हाल ही में प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु उक्त तंत्र द्वारा कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। प्राकृतिक आपदाओं से कारगर ढंग से और तत्परता से निपटने के लिए देश में केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर स्थायी प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। प्राकृतिक आपदाएं आने पर समन्वय कार्रवाई का उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर राजस्व तथा राहत विभागों को है। केन्द्रीय स्तर पर, कृषि एवं सहकारिता विभाग राहत उपायों के समन्वय हेतु शीर्ष विभाग है। प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत मरम्मत तथा पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व राज्य/केन्द्र शासित प्रशासन का है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसरण में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों की आपदा राहत निधि में 1995-1996 से 1999-2000 के पांच वर्षों के लिए 6304.27 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। इस निधि में पचहत्तर प्रतिशत योगदान केन्द्र सरकार देती है। इसके अलावा अत्यंत गंभीर आपदा आने पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय आपदा राहत निधि है जिसमें 1995-1996 से 1999-2000 के पांच वर्षों के लिए 700 करोड़ रुपयें की धनराशि है।

(ग) जी, हां।

अधिवक्ताओं का व्यवहार

190. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून, 1996 के "दैनिक जागरण" में "वकील हिरासत में" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इसी तरह की घटना 23 मई, 1996 को तीस हजारी न्यायालय के कमरा नम्बर 322 में घटित हुई थी;

(घ) क्या वकीलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सिविल रिट याचिका 2302/96 की 3.6.96 को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने माना कि एक वकील द्वारा न्यायालय के समक्ष किया गया अशिष्ट व्यवहार और उक्तियां अदालत की अवमानना की श्रेणी में आती है। न्यायालय ने वकील को हिरासत में निरुद्ध कर दिया और उसे कारण बताने का निर्देश दिया कि अदालत की अवमानना के लिए उसे दण्डित क्यों न किया जाए। इस "कारण बताओं" (नोटिस) का जबाब दाखिल करने के लिए वकील को चार सप्ताह का समय दिया गया। अदालत ने आगे यह भी निर्देश दिया कि अदालत में उसकी उपस्थिति निश्चित बनाने के लिए उसे, 5000 रु. की राशि का निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर हिरासत से छोड़ दिया जाए। बाद में वकील/अवमाननाकर्ता ने उपेक्षित बाण्ड जमा कर दिया और उसी दिन अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

(ग) से (ङ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, 23.5.1996 को तीस हजारी अदालत के कमरा नं. 322 में ऐसी किसी घटना के घटने की सूचना नहीं है। तथापि, सिविल जज की अदालत में वादी के वकील द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ तिरस्कारात्मक एवं अश्लील भाषा का प्रयोग किए जाने का एक मामला जानकारी में आया है। माननीय सिविल जज द्वारा इस मामले में किसी कार्रवाई का प्रस्ताव नही किया गया परन्तु उन्होंने किसी अन्य अदालत में इस मामले के हस्तांतरण के लिए इस जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और मामला हस्तांतरित कर दिया गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण

191. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत राष्ट्रीय औसत स्तर की तुलना में कितना है; और

(ख) यदि हां, तो इस औसत और राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) अखिल भारतीय 86.49 प्रतिशत औसत के मुकाबले अप्रैल, 1996 के अंत तक उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का स्तर 78.82 प्रतिशत था।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के नए क्षेत्रों के विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया जा रहा है।

फ्लाई एश से निपटने की नीति

192. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौद्योगिकी सूचना विभाग तथा पूर्वानुमान और आकलन परिषद् ने देश के 75 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बताए जा रहे कोयले से प्रति वर्ष उत्सर्जित होने वाली 6 करोड़ टन से अधिक फ्लाई एश द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के तरीके की खोज कर ली है;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा फ्लाई एश के खतरे में निपटने का तरीका क्या है;

(ग) सामाजिक और आर्थिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें लागू करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) कब तक इस नीति को प्रयोग में लाया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). विज्ञान एवं प्रौधोगिकी मंत्रालय और प्रौद्योगिकी सूचना विभाग तथा पूर्वानुमान और आकलन परिषद् (टीआईएफएसी) आर्थिक और सामाजिक महत्व के अभिज्ञात प्रमुख क्षेत्रों नामतः उड़न राख कैरक्टराइजेशन, हाइड्रोलिक ढांचों, संचलन एवं परिवहन, कृषि संबंधी अध्ययनों एवं उपयोगिताओं, राख कुंड एवं बांध, मानत पुनर्वास हेतु राख-कुंडों के सुधार, मार्ग एवं तट बंधन, भूमिगत खानों की भराई तथा शीघ्र परियोजनाओं में उड़न राख के लाभकारी समुपयोजन हेतु "मिशन मोड़" में एक परियोजना प्रोद्योगिक परियोजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

(घ) उपरोक्त परियोजना को वर्ष 1994 के दौरान अनुमोदित कर दिया गया था तथा इसे चार वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

193. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु सरकार को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों को ये खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां आबंटित की गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि में कितने आवेदनों को अस्वीकार किया गया; और

(ङ) इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (ङ). सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के अधीन अनुकंपा आधार पर डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए नियमित रूप से काफी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1995 के आदेश के माध्यम से अनुकंपा आधार पर विवकाधीन कोटे के अन्तर्गत डीलरशिपों /डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देशों का अनुमोदन कर दिया है :-

(1) उस व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया हो परन्तु जिसका अभी तक उचित रूप से पुनर्वास न किया गया हो।

(2) किसी ऐसे परिवार का सदस्य, जो आतंकवादियों के आक्रमण, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार रहा हो।

(3) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(4) प्रतिरक्षा/अर्द्ध सैनिक/पुलिस कर्मी/अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी जो ड्यूटी के समय स्थायी रूप से अपंग हो गए हों।

(5) असामान्य परिस्थितियों में प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात विधवा, अभिभावक, संतान

(6) बेहद दुख-तकलीफ के विशिष्ट मामले, जो सरकार की राय में अत्यंत मार्मिक हैं और किसी समय पर मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(7) कठिन परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों, संगीतकारों, साहित्यकारों आदि जैसे विख्यात पेशेवर व्यक्ति और उच्च उपलब्धि प्राप्त महिलाएं।

(8) विवेकाधीन आबंटनों की संख्या सामान्य रूप से औसत वार्षिक विपणन योजना के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केंन्द्रों के आबंटन सामान्य रूप से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

किसी उम्मीदवार को विवेकाधीन आबंटन निम्नांकित सामान्य शर्तों के पूरा होने पर किया जाएगा :-

(1) वह भारत का/की नागरिक होना/होनी चाहिए।

(2) उसके अथवा उसके निम्न निकट संबंधियों (सौतेले संबंधियों सहित) के पास पहले से ही किसी तेल कंपनी के पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए।

(1) पति/पत्नी

(2) पिता/माता

(3) भाई

(4) पुत्र/पुत्रवधु

गत तीन वर्षों के दौरान 170 खुदरा बिक्री केन्द्र और 136 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के तहत आबंटित की गई थीं।

बम विस्फोट

194. **श्री सौम्य रंजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मई, 1996 को लाजपत नगर सेन्ट्रल मार्किट में हुये शक्तिशाली बम विस्फोट की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) इस बम विस्फोट में कितने लोग मारे गए/घायल हुए और संपत्ति का कितना नुकसान हुआ;

(घ) घायलों अथवा मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) राजधानी में भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा और आसूचना संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). मामले की जांच चल रही है। अभी तक आठ व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

(ग) चौदह व्यक्ति मारे गए थे जबकि अड़तीस व्यक्ति इस विस्फोट में घायल हो गए थे। चौबीस दुकानें/इमारतें और आठ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000/- रु. और प्रत्येक घायल को 500/-रु. की अनुग्रह राहत स्वीकृत की है।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं- प्रत्येक पुलिस जिले में एक आतंकवादी-विरोधी प्रकोष्ठ गठित करना, सुभेद्य/महत्वपूर्ण स्थलों पर सशस्त्र पिकेट तैनात करना, सघन सचल गश्त, भेदियों/प्रहरियों की व्यापकतर तैनाती, सार्वजनिक स्थानों पर कुख्यात आतंकवादियों के फोटों प्रदर्शित करना, अन्य एजेंसियों और राज्यों के साथ आसूचना एकत्र करने के लिए वृहत्तर समन्वय तथा जन सहयोग प्राप्त करना।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

195. श्री एस.डी.एम.आर.वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवों पंचवर्षीया योजना के अंत तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यवार, कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तदनुसार क्या उपलब्धि रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की वित्तपोषण स्कीमों के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गांवों के विद्युतीकरण हेतु, लक्ष्य योजना आयोग द्वारा वार्षिक रूप से तैयार किए जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान, आरईसी के 11,872 गांवों के लक्ष्य के तुलना में, इस अवधि के दौरान लगभग 13,291 गांव विद्युतीकृत किए गए है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना (31.3.90) के अंत तक आर.ई.सी. कार्यक्रमों के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्य वार संख्या :

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14907
2.	अरुणाचल प्रदेश	326
3.	असम	15497
4.	बिहार	30921
5.	गुजरात	7708
6.	हरियाणा	90
7.	हिमाचल प्रदेश	11072
8.	जम्मू और कश्मीर	4195
9.	कर्नाटक	8850
10.	केरल	151
11.	मध्य प्रदेश	45011
12.	महाराष्ट्र	13322
13.	मणिपुर	743
14.	मेघालय	1997
15.	मिजोरम	199
16.	नागालैंड	730
17.	उड़ीसा	20198
18.	पंजाब	3908
19.	राजस्थान	18991
20.	सिक्किम	241
21.	तमिलनाडु	807
22.	त्रिपुरा	2385
23.	उत्तर प्रदेश	40633
24.	पश्चिम बंगाल	20326
	कुल	263808

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

196. श्री अजीत कुमार पांजा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र द्वारा वास्तविक धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहने वाले राज्य तथा संघ-राज्यों क्षेत्रों की संख्या क्या है तथा उनके नाम क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए योजना आयोग द्वारा राज्यवार और वर्षवार किया गया निधियों का आबंटन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण पर प्रत्येक राज्य द्वारा खर्च की गई वास्तविक धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ). यद्यपि, राज्य सरकारों को ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई विस्तृत दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं, फिर भी उनके पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और उनकी स्वयं की आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण संस्था का करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस प्रयोजनार्थ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य सरकारों/रा.वि.बोर्डो/आरई सहकारी सोसायटियों को तकनीकी सम्बंध और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विवरण-I

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्यय

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपए में) 1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2200	3000	3000
2.	अरुणाचल प्रदेश	1350	1400	1100
3.	असम	1250	1300	6600
4.	बिहार	1000	600	1600
5.	गोवा	20	20	10
6.	गुजरात	2540	3200	3300
7.	हरियाणा	1950	2500	3000
8.	हिमाचल प्रदेश	350	650	1100
9.	जम्मू और कश्मीर	200	550	2112
10.	कर्नाटक	3400	6146	5625
11.	केरल	800	1200	2000
12.	मध्य प्रदेश	5400	5400	5700
13.	महाराष्ट्र	7600	11500	11658
14.	मणिपुर	1208	1060	1295
15.	मेघालय	550	600	524
16.	मिजोरम	900	720	700
17.	नागालैंड	100	100	100
18.	उड़ीसा	2400	1500	1500
19.	पंजाब	750	3000	2600
20.	राजस्थान	6500	9000	10420
21.	सिक्किम	200	250	150
22.	तमिलनाडु	1250	1150	1484
23.	त्रिपुरा	1550	1300	600
24.	उत्तर प्रदेश	7000	11300	16146
25.	पश्चिम बंगाल	1400	2050	3350
	कुल	51868	69496	84674

विवरण-II

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राज्यवार वास्तविक/प्रत्याशित खर्च

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक/प्रत्याशित खर्च (लाख रु. में) 1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1632.00	3000	रा.बि. बोर्डों द्वारा अपने लेखों को अंतिम रूप दिया जाना है
2.	अरुणाचल प्रदेश	709.00	1400	
3.	असम	350.85	3600	
4.	बिहार	1000.00	600	
5.	गोवा	20.00	20	
6.	गुजरात	2286.90	3200	
7.	हरियाणा	3466.00	2500	
8.	हिमाचल प्रदेश	824.26	1400	
9.	जम्मू और कश्मीर	577.68	550	
10.	कर्नाटक	2578.70	6646	
11.	केरल	1059.60	1200	
12.	मध्य प्रदेश	11479.00	16400	
13.	महाराष्ट्र	7298.00	11512	
14.	मणिपुर	922.93	1060	
15.	मेघालय	300.45	325	
16.	मिजोरम	720.00	720	

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	132.88	150	
18.	उड़ीसा	996.95	1300	
19.	पंजाब	3658.00	4500	
20.	राजस्थान	6500.00	9000	
21.	सिक्किम	372.22	2660	
22.	तमिलनाडु	2150.00	790	
23.	त्रिपुरा	823.49	13144	
24.	उत्तर प्रदेश	10136.00	2050	
25.	पश्चिम बंगाल	1544.00		
	कुल	61538.91	87717.00	

कश्मीरी उग्रवादियों की गिरफ्तारी

197. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र में अनेक उग्रवादी रह रहे हैं और और वहीं से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र से उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई अभियान चलाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त हुई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार सेवायें

198. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूरसंचार में सुधार किये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एम.टी.एन.एन., दिल्ली, में सेवाओं में सुधार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है :—

(1) बाह्य संयंत्र का उन्नयन।

(2) जंक्शन/प्राइमरी केबलों के लिए केबल डक्ट प्रणाली की शुरूआत।

(3) नेटवर्क में इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को चरणबद्ध रूप से बंद करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को लगाना।

(4) जंक्शन मीडिया में ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली की शुरूआत।

(5) दोष मरम्मत सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(6) ग्राहक सेवा केन्द्रों का पुनर्गठन।

(7) बिल बनाने संबंधी कार्य-प्रणाली को युक्तिसंगत और सुचारू बनाना।

वक्फ सम्पत्ति

199. **श्री प्रियरंजन दास मंशी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक सौहार्द सम्बन्धी 15-सूत्री कार्यक्रम और पश्चिम बंगाल के वक्फ सम्पत्ति के कुप्रबंधन की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जांच की मांग को पश्चिम बंगाल बोर्ड द्वारा प्रशासनिक जांच की गई है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पी.के. सेनगुप्ता की अध्यक्षता में कराई गई प्रशासनिक जांच पूरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हल्दिया रिफाइनरी का विस्तार

200. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हल्दिया क्षेत्र में स्थित आई.ओ.सी. रिफाइनरी के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना को स्वीकृति मिलने में कितना समय लगेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) (क) से (ग). 45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर हल्दिया रिफाइनरी की 1.0 एम एम टी पी ए क्षमता वाली क्रूड आसवन इकाई की स्थापना के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। दिसम्बर, 1996 तक इसके पूरे हो जाने का कार्यक्रम है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, आप वहां से नहीं बोल सकती हैं, आप सभा की सदस्य हैं और आप से अपेक्षा की जाती है कि आपको पता हो कि संसद क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रदर्शन करने का स्थान नहीं है। यह पवित्र स्थान है जहां मुद्दों पर वाद-विवाद, किया जाना होता है और उन पर चर्चा होनी होती है यह इस तरह से प्रदर्शन करने का स्थान नहीं है। मुझे बहुत खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर वापस बैठिए, ऐसा करने का यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01/2

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत अध्यादेश

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 22)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 19/96]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 23)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 20/96]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 24)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 21/96]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 25)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 22/96]

(5) राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 26)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 23/96]

(6) राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1996 को प्रख्यापित माध्यस्थम् और सुलह (तीसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 27)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 24/96]

(7) राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1996 को प्रख्यापित निक्षेपागार (तीसरा) अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 28)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 25/96]

(8) राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1996 को प्रख्यापित उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 29)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 26/96]

(9) राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1996 को प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 30)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 27/96]

अपराह्न 12.01 बजे

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 7(2) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 7(2) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए समिति

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्वि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनार्थ हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा उन पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य आनुपातिक

प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनार्थ हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा उन पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.03 म.प.

सत्र आरंभ होने से पूर्व पेट्रोलियम पदार्थों के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि करने के औचित्य के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में प्रस्तावों की अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन प्रस्तावों में स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा के लिए प्रस्ताव शामिल हैं। अब मैं विपक्ष के नेता को सभा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, शून्य काल की भी अनुमति दी जानी चाहिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है। अब शून्य काल शुरू हो गया है।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नित्तल्ला (कोट्टायम) : महोदय, हमने शून्य काल के लिए भी सूचनाएं दी है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह मालूम है। मैंने कहा है कि नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए मुझे कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें शून्य काल के लिए सूचनाएं और उसी मुद्दे पर स्थगन के लिए सूचनाएं भी शामिल हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं, जिसका संबंध इस सदन की गरिमा से है और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा से है। अभी ।।वीं लोकसभा का गठन हुआ है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, हेडकोनों पर साथ-साथ कोई अनुवाद नहीं आ रहा है और बहुत शोरगुल भी हो रहा है। कृपया आप उन्हें ऐसा न करने की सलाह दें।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब इसे ठीक किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, अभी ।।वीं लोकसभा का गठन हुआ है।...**(व्यवधान)** पहले अधिवेशन का पहला दिन है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : एक मिनट सर।... **(व्यवधान)** एक मिनट सर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज तो रेल नहीं चल सकती।

श्री राम विलास पासवान : मैं ममता बनर्जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस विषय को इन्होंने उठाया था अब उस पर चर्चा आरम्भ हो चुकी है, इसलिए अच्छा होगा कि अब आप अपनी सीट पर चले जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मंत्री महोदय,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही में व्यवधान न करें। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। हम सभा का मजाक नहीं उड़ा सकते।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अब चर्चा शुरू हो गयी है ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की गरिमा की चर्चा करना चाहता हूं। एक महिला सदस्य अगर यहां धरना दे रही हैं तो गरिमा का क्या उल्लेख किया जाए, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं ममता जी से तब अपील करूंगा अगर आप मुझे रोके नहीं।

अध्यक्ष जी, यह ।।वीं लोक सभा का पहला अधिवेशन है और आज पहला दिन है। यह लोक सभा आम चुनाव के गर्भ में से उत्पन्न हुई है। सत्ता परिवर्तन हुआ है, नयी सरकार है। जो पहले प्रतिपक्ष में थे वे अब सत्तापक्ष में हैं। जो कुछ दिन पहले सत्ता में थे वे कहां हैं यह अभी तक समझ में नहीं आ रहा है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, यह बजट सेशन है। इसमें रेल बजट पेश होगा, आम बजट पेश होगा। बजट संसदीय पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुने हुए प्रतिनिधियों की राय के बिना सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, शुल्क नहीं लगा सकती, खर्चा नहीं कर सकती। जब तक लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक टैक्स लगाने का अधिकार नहीं मिलेगा। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन-यह लोकतंत्र का बहुत पुराना और मान्य सिद्धांत है।

हमें राष्ट्रपति महोदय से सम्मन 25 जून को मिला। उन्होंने दोनों सदनों को आहूत किया। उसमें कहा गया है कि 10 जुलाई से बैठक आरम्भ होगी। सरकार ने 10 जुलाई तक का इंतजार नहीं किया, आज की बैठक तक का इंतजार नहीं किया। सरकार ने दो तारीख की रात को, लगभग आधी रात थी जब मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये गए हैं। एल.पी.जी. में 30 परसेंट की वृद्धि हो रही है, नाफ्ता में 10 फीसदी की वृद्धि हो रही है, डीजल पहले 30 परसेंट बढ़ा था उसको घटाकर 15 परसेंट कर दिया गया है मगर 15 परसेंट बढ़ा हुआ है। कैरोसीन वैक्स 30 परसेंट, एवीएशन फ्यूल 10 परसेंट बढ़ा है।

कुल मिलाकर 9 हजार 7 सौ करोड़ का बोझा एक सरकारी आदेश से इस देश की जनता के ऊपर डाल दिया गया । क्या यह सदन का मजाक नहीं है? क्या यह संसद के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर सरकार 10 तारीख तक रूकती, आज प्रस्ताव लेकर आती तो आसमान नहीं टूट जाता। हम आशा करते थे कि नयी सरकार है, नये ढंग से चलेगी, लेकिन चेहरे बदल गए, सत्ता का चरित्र नहीं बदला। व्यक्ति बदल गए, शैली नहीं बदली। किसने सलाह दी कि जब सेशन आहूत किया जा चुका है तो बोझा डाल दिया जाए। इतनी मात्रा में बोझ डाल दिया जाए, यह तो अलग विषय है। मैं एक मर्यादा का प्रश्न खड़ा कर रहा हूं और मैं नहीं समझता कि यहां बैठकर जो सदस्य इसका विरोध करते रहे हैं जिनमें इन्द्रजीत गुप्ता हैं, सोमनाथ चटर्जी हैं, रामूवालिया जी हैं वे उधर जाते ही इस तरह से बदल जाएंगे। इस तरह की वृद्धि के लिए पुरानी सरकार की निन्दा की जाती थी और सरकार निन्दा की अधिकारी भी थी, मगर आज सत्ता बदल गई। जो इधर बैठे थे, वे उधर चले गए, तो क्या सब बात ठीक हो गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं 1986 में करीब-करीब इसी मुद्दे पर मेरे मित्र मधु दंडवते जी ने काम-रोको प्रस्ताव पेश किया था और उसमें भाग लेते हुए सोमनाथ चटर्जी ने जो कहा था, उसको मैं उद्धृत कर रहा हूं :

[अनुवाद]

> "महोदय, जैसा कि इस सभा की गरिमा गिराई गई है और लोगों को मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का शिकार बनाया गया है, अतः इस सरकार की निन्दा करना हमारा कर्तव्य है। बजट सत्र की पूर्व संध्या पर ही इस देश की आम जनता पर कई प्रकार के कर लगा दिए गए हैं और यह गरिमामय संस्थान जिसकी आप अध्यक्षता कर रहे हैं, इस सरकार द्वारा एक बार फिर इसकी गरिमा को कम और बहुत कम किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार ने शासन करने और तर्कपूर्ण ढंग से सोचने

और यहां तक की विचारशील ढंग से बोलने की सभी सामर्थ्य खो दी है।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अच्छा लगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज आप इस वृद्धि का औचित्य कैसे सिद्ध करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने सुना नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सुन लीजिये जो मैं पहले बोल चुका हूं और उसके प्रकाश में अपनी बात कहिये। आज स्थिति बहुत खराब हो गई है। जहां तक सदन की मर्यादा का सवाल है, सरकार उधर से इधर चली जाये या कोई नई सरकार गठित हो जाये, उससे फर्क नहीं पड़ता। सदन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये। वृद्धि को इतनी शीघ्रता में लाने की क्या आवश्यकता थी? सरकार रूक क्यों नहीं सकती थी। देश के लोगों पर इतना भारी बोझा डाला गया। पारदर्शिता की बात होती है, लेकिन रात के अंधेरे में निर्णय हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : और वह भी रात के 12 बजे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सही बात है वह रात के 12 बजे का समय था। उस समय इन्द्रजीत गुप्त जी ने जो कुछ कहा था, मुझे वह भी पढ़ने दीजिए।

[अनुवाद]

"कई बातें जो मेरे सहभयोगियों ने पहले ही कही हैं मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता। प्रथम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की ओर से अभी तक इस बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया है कि संसद के अधिवेशन में न होते हुए भी इस प्रकार की चाल चलना आवश्यक था। आप कह सकते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हम इसे बहुत महत्वपूर्ण बात मानते हैं। सभा के समवेत होने के बाद आप ऐसा कर सकते थे आपके पास अत्यधिक बहुमत है। आप जो भी चाहे पारित कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं है कि संसद सत्र के ठीक पूर्व ऐसा करना क्यों आवश्यक था।"

[हिन्दी]

हमारे रामुवालिया जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने जो कुछ कहा था, उसको भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"प्रथम, मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि हालांकि उनका सभा में बहुमत हो सकता है, लेकिन फिर भी यह एक आम जिम्मेदारी है और उन्हें कम से कम विपक्ष या राज्यों से परामर्श करना चाहिए था....

[हिन्दी]

ऐडमिनिस्टर्ड प्राइसिज का स्टेट्स से भी सम्बन्ध है।

[अनुवाद]

"....भविष्य में मूल्यों में कोई वृद्धि करने से पूर्व क्या यह इसे संसद के बाहर घोषित किया जाएगा।

[हिन्दी]

मैं जानता हूं सरकार का इस पर जवाब आएगा, मगर मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं, उस पर मुझे सरकार के उत्तर की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं। आप इस सदन के अधिष्ठाता हैं। सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा के रक्षक हैं। यह मामला पहले भी कई बार उठा था। पीठासीन अधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि इस तरह की पुनरावृति नहीं होनी चाहिये। मैं समझता था कि सस्कार बदली है, एक नई सरकार आई है और जो प्रतिपक्ष में थे, वे आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, तब इस तरह की भूल नहीं होने देंगे। ठीक है, घाटा है और पैट्रोल के मामले में कितने घाटे का देश का सामना करना पड़ेगा, मैं इसकी चेतावनी देता रहा हूं, लेकिन क्या घाटे को पूरा करने का यही तरीका है। क्या सरकार कुछ दिनरूक नहीं सकती थी? दो तारीख की आधी रात का मुहूर्त किस ने निकाला? क्या सदन की गरिमा का सवाल सरकार के सामने आया?

अध्यक्ष महोदय, मेरी दो मांगें हैं-एक तो सरकार ने जो अनुचित कार्य किया है, उसके लिये आप सरकार की भर्त्सना करें और सरकार को कहें कि जो कुछ हुआ, वह नहीं होना चाहिये और आगे से नहीं होगा, यह आप सदन को आश्वासन दें।

और दूसरी बात यह कि अनुचित तरीके से जो भी बढ़ोत्तरी की गयी है, वह सब वापस होनी चाहिए। आप बजट में प्रस्ताव लेकर आईए, रैगुलर बजट में प्रस्ताव लेकर आईए, बहुमत आपके साथ है लेकिन इस तरह से एडमिनिस्टर्ड प्राईसेज बढ़ाकर आप देश के साथ और पार्लियामेंट के साथ छल नहीं कर सकते। मैं इतना ही मामला अभी उठा रहा हूं और अभी मैं उसके गुण-दोष में नहीं जा रहा हूं। काम रोको प्रस्ताव का एक अलग विषय है। मैं अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं प्रोपरायटी का सवाल उठा रहा हूं। इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आपका नोटिस नियम 193 के अधीन है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्होंने पहले ही बोलना शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यही मैं भी कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय,' मेरा अलग मोशन है जिसे मैंने आपको भेजा हुआ है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रोपरायटी का सवाल उठाऊंगा। यह अलग विषय है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर पार्टियों के हिसाब से चर्चा न हो। जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसके साथ तो सत्ता पक्ष जुड़ा हुआ है लेकिन जहां तक सदन की गरिमा का सवाल है, उस गरिमा के सवाल पर पार्टियों का विभाजन नहीं होना चाहिये।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ने औचित्य का मामला उठाया है। इस समय हम केवल औचित्य के प्रश्न पर ही चर्चा कर रहे हैं

[हिन्दी]

श्री जी.एम.बनातवाला (पूनानी) : प्रोपरायटी के ऊपर तो हमने भी नोटिस दिया है। जवाब आये तो पता चले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मंत्री महोदय के उत्तर देने से पहले यदि आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि औचित्य का प्रश्न मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न पर ही नहीं अपितु उर्वरक पर राजसहायता देने के प्रश्न पर भी उठता है। क्योंकि ये सारी बातें बजट को प्रभावित करती हैं। अतः, उन्हें इन दोनों मुद्दों पर उत्तर देना है। यह औचित्य का प्रश्न है और हम लोगों की आलोचना करते रहना नहीं चाहते हैं जैसाकि हम पूर्व में करते रहे हैं, जो देश पर हर समय, इतने लम्बे समय तक शासन कर रहे हैं। हम इससे बचना चाहते हैं। हम इस तरह का उत्तर सत्ता पक्ष से चाहते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, सरकार को औचित्य के प्रश्न पर उत्तर देने से पहले, सदस्यों को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए और मेरी सूचना आपके समक्ष है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम औचित्य के प्रश्न पर ही चर्चा कर रहे हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि नई सरकार ने भी प्रशासनिक नियंत्रित मूल्यों में बजट पूर्व वृद्धि के बारे में भी यह रवैया अपनाया है जो कि इससे पूर्व की सरकार अपनाया करती थी। इसकी उनसे आशा नहीं थी। जैसा कि विपक्ष के नेता ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकार लोक सभा की पवित्रता पर आक्रमण करने के लिए जिम्मेदार है और इसी प्रकार बजट की पवित्रता पर आक्रमण करने के लिए जिम्मेदार है, मैं उनसे इस बारे में पूरी तरह सहमत हूं। हम इस सभा में हमेशा इस सभा के विशेषाधिकारों और इस सभा की पवित्रता के बारे में प्रश्न उठाते रहे हैं। प्रथमतया, यदि इस तरह की घोषणाएं सभा के बाहर की जा रही हैं तो जैसा मैंने बताया, यह सभा की पवित्रता पर आक्रमण है। सभा को पहले ही बुलाया गया है, आमंत्रण पहले ही जारी किया जा चुका था और निश्चितरूप से कोई आसमान नहीं गिरा होता यदि सभा के समवेत होने तक प्रतीक्षा कर ली जाती। यही नहीं, यह बजट सत्र है। प्रशासनिक मूल्यों में इस तरह की अत्यधिक और अचानक वृद्धि से बजट सत्र अर्थहीन हो गया है। इससे बजट सत्र महत्वहीन बन गया है।

महोदय, यदि हम बजट-पूर्व वृद्धि के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकते हैं तो बजट बनाने का क्या अर्थ रह जाता है? यदि हमारे पास बजट है, यदि हमारे पास उचित संसदीय प्रक्रिया है तो सरकार को निश्चित रूप से इन घोषणाओं को बजट में शामिल करने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए थी ताकि बजट का पूरा प्रभाव मालूम हो सकता। जिस तरह से बजट की पवित्रता और महत्ता का उल्लंघन किया गया है, यह एक गहरी चिन्ता का विषय है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को आप गंभीरता से लें। मैं नहीं समझता कि इस बारे में सरकार से परामर्श लेने या सरकार का दृष्टिकोण सुनने की भी कोई आवश्यकता है। मामला बहुत स्पष्ट है और वह यह है कि इस सभा की पवित्रता और बजट की महत्ता को बनाए रखा जाना है। अतः, आपके माध्यम से सरकार की समुचित भर्त्सना की जानी चाहिए। आपकी भर्त्सना के पश्चात् सरकार के लिए इन वृद्धियों को वापस लेना और उचित समय पर बजट प्रस्तुत करना तार्किक हो जायेगा।

मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस समय अपने विचार व्यक्त करें। सरकार के स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार का स्पष्टीकरण घाव में नमक छिड़कने के समान ही साबित होगा। सरकार को समझना चाहिए कि यह लोकतंत्र है। हमारे पास संसदीय प्रक्रिया है और इस तरह की संसदीय प्रक्रिया की पवित्रता बनाई रखी जानी चाहिए। इस तरह से की गई अत्यधिक मूल्य वृद्धि के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, आप इस महान सभा के अध्यक्ष हैं और इसलिये मेरा मानना है कि आप इस सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। इसलिये, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

संसद के वर्तमान सत्र के आरम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व सरकार ने कीमतें अत्यधिक बढ़ा दी हैं जो कि उचित नहीं है। सभा का वर्तमान सत्र कोई साधारण सत्र नहीं है और इसमें आम कार्य का निष्पादन नहीं किया जाना है। इस सत्र में वित्तीय मामलों को निपटाना है अर्थात् बजट का अनुमोदन करना है। हमारी आर्थिक प्रणाली में बजट का अनुमोदन अत्यंत महत्वपूर्ण होता हैं कांग्रेस पिछले कई दशक से इस प्रकार के गलत तरीके अपना रही है...

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : आप उनमें सुधार क्यों नही कर देते हैं?...(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : कृपया स्वयं को सुधारिये। मैं इसलिये, सभा में इस ओर से खड़ा होकर मामले को उठाने का साहस कर रहा हूं। आप लोगों में साहस नहीं है। कृपया उत्तेजित मत होइये। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आप इस तरफ मत देखिये। कृपया मेरी तरफ देखिये।

श्री चित्त बसु : मैंने उनको और कई अन्य माननीय सदस्यों को देखा हैं उन्होंने कभी भी इस तरफ से ऐसे किसी मुद्दे को नहीं उठाया है। अगर वह चुप रहें तो अच्छा होगा।

सरकार को एक कार्यकारी आदेश के द्वारा कीमतों को इतना अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये था क्योंकि इससे देश के करोड़ों मेहनतकश लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इन तरीकों से सरकार 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व अर्जित करने जा रही है। इसका अर्थ यह है कि सरकार अप्रत्यक्ष तरीके से राजस्व प्राप्त करने जा रही है। इससे बजटीय प्रक्रिया प्रभावित होगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस अतिरिक्त राजस्व को किस प्रकार खर्च किया जायेगा। मुझे आशंका है कि इसको वित्तीय घाटे को कम करने के लिये खर्च किया जायेगा। सामान्य संसदीय प्रक्रिया में यह नहीं किया जा सकता है।

मेरे विचार से इसमें आपको भी अहम भूमिका निभानी है। आपकी सहायतार्थ मैं आपके पूर्ववर्ती अध्यक्ष द्वारा 9.6.1988 को दिये गए निर्णय को उद्धृत करना चाहता हूं। जब इस समय के विपक्ष के नेता ने औचित्य का प्रश्न उठाया था, जैसा कि आज विपक्ष के नेता ने उठाया है, तो तत्कालीन अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी और उसे उद्धृत कर रहा हूं :

> "इससे नियमों और संवैधानिक उपबंधों का अतिलंघन नहीं किया गया है, किन्तु इस वृद्धि की घोषणा सभा में करना अधिक उपयुक्त होता"।

महोदय, यह आपको विनिर्णय लेना है कि आप यहां क्या घोषणा करेंगे। परन्तु, मैं कहना चाहता हूं कि अतिरिक्त राजस्व वसूल करने का यह गलत तरीका है। इससे सभा की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। संसद सर्वोच्च है और देश की कोई भी सरकार संसद की सर्वोच्चता की अवहेलना नहीं कर सकती है।

जहां तक संयुक्त मोर्चे का संबंध है, मैं संयुक्त मोर्चे के नेताओं को, जो सरकार चला रहे हैं, पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चे ने, जिसका मेरा दल भी एक घटक है, वादा किया था... (व्यवधान) कि वह प्रशासन का वैकल्पिक प्रतिरूप प्रस्तुत करेगा। मेरा उनसे प्रश्न है कि "आपसे वैकल्पिक प्रतिरूप का वादा किया था परन्तु यह वैकल्पिक प्रतिरूप नहीं है। आप अन्यों द्वारा इस सभा में प्रयोग किये जाने वाले प्रतिरूप का ही इस समय अनुसरण कर रहे हैं।" महोदय, अभी भी समय है। हमको स्वयं को सुधारना चाहिये और देखना चाहिये कि हमारे देश की जनता को प्रशासन के वैकल्पिक प्रतिरूप को वास्तव में दिया जाए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करें।

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : महोदय, वह सरकार का विरोध कर रहे हैं। महोदय, यह किसकी सरकार है? वह अपनी सरकार के विरूद्ध ही औचित्य का प्रश्न उठा रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने पेट्रोलियम पदार्थों में इस अभूतपूर्व और अत्यधिक वृद्धि किय जाने पर अल्पकालिक चर्चा किये जाने हेतु नियम 193 के तहत सूचना दी है।

महोदय, विगत में अनेक अवसरों पर इस सभा में इस प्रकार का मुद्दा उठाया गया है कुछ चर्चा भी हुई है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब सभा के बाहर बजट सत्र के पूर्व इस प्रकार से कीमतें बढ़ाई गई हैं। जब कभी भी इस प्रकार से वृद्धि की गई है अध्यक्ष पीठ ने प्रतिकूल टिप्पणी की है। इसके बावजूद यह होता आ रहा है। इस बार यह उन लोगों ने किया है जो माननीय प्रधान मंत्री के नजदीक पहली बैंच पर बैठे हुए हैं और जो संसदीय औचित्य के उपदेशक हैं। महोदय, मैं इन अवसरों पर माननीय गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त और माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी, के विचारों को उद्धृत करना चाहता था, परन्तु विपक्ष के नेता ने पहले ही उनको उद्धृत कर दिया है। महोदय, यह न तो गैरकानूनी है और न ही असंवैधानिक, परन्तु जहां तक औचित्य का प्रश्न है, निस्संदेह यह गलत और अलोकतांत्रिक है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं इस महान सभा के ध्यान में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति की एक सिफारिश को लाना चाहता हूं। यह समिति के नौवें प्रतिवेदन के 36वें पृष्ठ पर दी हुई है। यह इस प्रकार है :

> "समिति यह महसूस करती है कि पूर्व में ही उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिये ताकि जल्दी-जल्दी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि न करनी पड़े। समिति तदनुसार सिफारिश करती है कि साधारणतया कीमतों में वृद्धि बजट में ही की जानी चाहिये।"

महोदय, यह पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश है जिसका मैं अध्यक्ष था। मुझे मालूम नहीं है कि क्या संबंधित मंत्री इन प्रतिवेदनों को पढ़ते हैं? मेरी आशंका है कि क्या संबंधित मंत्री भी अपने मंत्रालय से संबंधित प्रतिवेदनों को पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते हैं, परन्तु कुछ निस्संदेह नहीं पढ़ते हैं।

महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि संसदीय समितियों की सिफारिशों की तरफ उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा। मैं औचित्य से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पहले बोलना चाहता हूं। इससे लगभग 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया जायेगा, जो कई राज्य सरकारों के बजट से भी अधिक है।

अगर ऐसे निर्णय संसद के बाहर प्रशासन द्वारा लिये जा सकते हैं तो फिर राज्य विधान मण्डलों को रखने का क्या औचित्य है? इसके ऊपर मैं अपने बोलने के अधिकार को बाद के लिये सुरक्षित रखता हूं। हमने विरोध की सूचना दी है।

हमें कभी भी न्यूनतम निर्धारित मूल्य समझ में नहीं आए हैं और अगर इसका अर्थ यह है कि कोई भी इनको निर्धारित कर सकता है, चाहे उससे मंत्रिमण्डल भी अनभिज्ञ हो तो हमें घोर आश्चर्य होगा।

औचित्य का एक अन्य मुद्दा यह है कि टेलीविजन पर कुछ मंत्रीगण यह कह रहे हैं कि वे इस मूल्य-वृद्धि के खिलाफ हैं। वे माननीय सदस्य, जो सरकार को बाहर और भीतर से समर्थन दे रहे हैं वे भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिये, मैं जानना चाहता हूं कि कौन इस मूल्य वृद्धि का समर्थन कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है।

मैं एक अन्य मुद्दा यह उठाना चाहता हूं कि जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं वे भी इसका विरोध कर रहे हैं तथा जो मंत्रिमण्डल में हैं, वे भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो कौन वास्तव में इसका समर्थन कर रहा है? क्या प्रशासन इसका समर्थन कर रहा है? क्या कोई मंत्री इसका उत्तर देने के लिये तैयार है? हम जानना चाहते हैं कि बजट सत्र के पूर्व किसने वास्तव में कीमतें बढ़ाई हैं?

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आपने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि किये जाने के औचित्य के बारे में, प्रारंभिक मुद्दे के रूप में हमें बोलने की अनुमति दी है, इसके लिये सम्पूर्ण सभा आपकी आभारी है।

महोदय, जहाँ तक औचित्य के प्रश्न का संबंध है, मैं विपक्ष के नेता और सभा के अन्य माननीय सदस्यों से सहमत हूं। हम भी संयुक्त मोर्चे के घटक हैं, परन्तु हमने यह सोचा नहीं था कि इस प्रकार मूल्यों में वृद्धि की जायेगी।

महोदय, मैं, आपके माध्यम से, सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अगर संयुक्त मोर्चे के सहयोगियों से बिना विचार-विमर्श किए हुए यह वृद्धि की जानी थी, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आम आदमी की रोज-मर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और इसका सम्पूर्ण तंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मैं इस विषय पर बोलने के लिये अत्यधिक समय नहीं लूंगा, परन्तु यह बात स्पष्ट है कि विपक्ष और संयुक्त मोर्चे के अन्दर काफी आक्रोश है। मेरा विचार है कि अगर सरकार इस सब को गम्भीरता से लेती है, तो बेहतर होगा कि इस मूल्य वृद्धि को वापस ले लिया जाए। इसमें संदेह नहीं कि पूर्व में भी इस प्रकार के कृत्य किये गए हैं, परन्तु यह उचित प्रक्रिया नहीं है। अगर ऐसा ही किया जाना है, तो इस महान सभा में बजट को प्रस्तुत करने का क्या लाभ है? इसकी क्या आवश्यकता है? इसलिये, पेट्रोलियम पदार्थों से 8,000 करोड़ रुपये अथवा 9,000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का यह तरीका उचित नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार की मूल्य वृद्धि ठीक नहीं है।

महोदय, इसके अलावा हम इस मूल्य-वृद्धि के परिणामों और अन्य पहलुओं पर भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम बाद में आयेंगे।

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

महोदय, मैं, आपके माध्यम से, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह संयुक्त मोर्चे के सहयोगियों, विपक्षी दलों और सम्पूर्ण सभा के विचारों को ध्यान में रखते हुए इस मूल्य-वृद्धि को तत्काल वापस ले ताकि बजट-प्रस्तावों के साथ-साथ, जो सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले हैं, इस विषय पर भी चर्चा हो सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि हम सिर्फ औचित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसलिये, मैं इसके कारणों और प्रमात्रा में नहीं आ रहा हूं। इस पर बाद में चर्चा की जायेगी। इस संबंध में मेरे दल के सदस्य श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे। मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जहाँ तक तरीके का प्रश्न है मैंने जो कह दिया है, मैं उस पर अटल हूं। यह जवाब दिया जाता रहा है कि यह बजट का हिस्सा नहीं है यह निर्धारित मूल्य है कोई उत्पाद कर अथवा कर नहीं है। यह तर्क दिया जाता रहा है। निस्संदेह यह तकनीकी, कानूनी और सांविधानिक दृष्टि से ठीक है। हमने हमेशा महसूस किया है कि जब सात-आठ दिन में सभा की बैठक होने वाली हो, तो निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की घोषणा सभा में ही होनी चाहिये।

मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा सरकार में अपने सहयोगियों से एक निवेदन करना चाहता हूं। उनको पूर्व में की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहिये। आखिरकार, यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रत्येक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिये, इस मूल्य वृद्धि की घोषणा, जो सभी को प्रभावित करती है, सभा में की जानी चाहिये थी क्योंकि सभा की बैठक आहूत करने के आमंत्रण जारी हो चुके थे और लोगों के मन में यह धारणा न बनती कि इतना महत्वपूर्ण कदम जल्दी में उठाया गया है।

इस देश ने मध्यरात्रि की गतिविधियों में निपुणता ले ली है। कुछ लोग अंतराल में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग रात्रिक कार्यों में दक्षता हासिल कर रहे हैं। यह उनके कार्य करने का तरीका है। महोदय, मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। माननीय प्रधान मंत्री अथवा कोई भी माननीय मंत्री, जो बोलना चाहते हैं, उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिये कि यह आखिरी गलती है। गलती स्वीकार करनी चाहिये और स्पष्ट कर देना चाहिये कि भविष्य में वर्तमान सरकार इस देश में नए प्रकार की प्रशासन-व्यवस्था लायेगी और किसी भी पक्ष के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। हम सब जानते हैं कि वर्तमान सरकार का मूलमंत्र पारदर्शिता होनी चाहिये।

महोदय, हम अपनी तरफ से इसका निरनुमोदन करते हैं और अपना दुःख व्यक्त करते है तथा आशा करते हैं कि वर्तमान सरकार जिसने जनता की आशाओं को काफी बढ़ा दिया है, भविष्य में ऐसा पुनः नहीं करेगी। मैं जानता हूं गठजोड़ सरकार-की कुछ सीमाएँ हैं।

इस तरह के मामले पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। एक संचालन समिति है और उन्हें इस बारे में आपस में चर्चा कर लेनी चाहिए थी। इसलिए, मेरा यह कहना है कि यह बात उचित थी कि इसे आठ दिन के बाद किया जाना था जब सभा की बैठक आरम्भ होने वाली थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं, हमारे नेता श्री चटर्जी की बात को पूरा करने के लिए जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि इसे मध्यरात्रि से तथा तात्कालिक प्रभावी से लागू किया गया है जो कि न यहां है न वहां है। ऐसे सभी मामलों में इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विपक्ष दल का अनुयायी हो अथवा सत्तारूढ़ दल का जमाखोरी कर चीजें न बेच सके।

एक अन्य मुद्दा जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वह यह है कि यह मात्र औचित्य की ही बात नहीं है। मैंने वक्तव्य देखा है जिसमें यह कहा गया है कि यह बजट से अलग है। मैं उर्वरकों के लिए राज सहायता तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि दोनों की बात कर रहा हूं। ये दोनों चीजें बजट पर प्रभाव डालती हैं। हमें याद है कि पिछली सरकार द्वारा तेल पूल खाते से 4,000 करोड़ रु बजट में ले लिए गए थे। इसलिए जब हम कहते हैं कि 9,000 करोड़ रु की राशि एकत्रित की जाएगी तो हम जानते हैं कि यह बजट का स्त्रोत भी हो सकता है। समस्या यह है कि बजट बहुत बड़ा है और यदि इसे बजट के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया तो हम गुमराह हो जायेंगे।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं जिन्होंने उस ओर से बोला है मैं उनका नाम नहीं जानता जो यह कहते हैं कि यह भी महत्वपूर्ण है कि कीमतें कितनी बढ़ाई गई है। लेकिन यह प्रश्न कि क्या कीमतें बढ़नी चाहिए अथवा नहीं, यह एक पृथक प्रश्न है, जिस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगें।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : स्पीकर साहब, लीडर आफ दि आपोजीशन ने जो प्रोप्राइटी का क्वशचन उठाया है, मैं उसके साथ सहमत हूं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण आम जनता पर 10 हजार करोड़ रुपए का वजन पड़ा है। जनता पर जो बोझ इसके कारण पड़ा है, वह तो एक अलग बात है, मगर सरकार ने बजट सत्र से कुछ दिन पहले जो यह फैसला दिया है, यह हाउस के साथ मजाक है और हाउस की बहुत बड़ी बेइज्जती है। इस सरकार को ऐसा करने से रोकना आपकी जिम्मेदारी हैं

अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार ने आवत ली है यह अभी की नहीं है यह पहले से सीखी है। इसको रोकना चाहिए और लोगों को इंसाफ देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इतना काफी है। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। औचित्य यही है कि इससे पहले कि मैं निर्णय दूं मुझे सदस्यों की बात सुन लेनी चाहिए, अतः मैंने बात सुनी है।

श्री अन्नत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में विपक्षी दल के नेता के रूप में आपातकाल से पहले उसके बाद और उसके दौरान अनेक वर्ष कार्य किया है और कई बार केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने से पहले जब देश में निर्धारित कीमतों में वृद्धि की जाती थी तो उन्होंने कर्नाटक में विपक्ष के नेता होने के नाते उसी चीज का विरोध किया था। हम निराश हुए हैं। पूरा देश निराश हुआ है कि वही व्यक्ति जो अब माननीय प्रधानमंत्री बन गए है, बजट सत्र की महत्ता तथा संपूर्ण प्रक्रिया की परवाह किए बिना 10,000 करोड़ रु की राशि के बराबर पेट्रोलियम गैस और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सरकार की भर्त्सना की जाए और पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को रद्द कर दिया जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, औचित्य की दृष्टि से मेरा भी यही विचार है कि जो भी सरकार सत्ता में है, उसे बजट प्रस्तुत करने से पहले निर्धारित मूल्यों से वृद्धि नहीं करनी चाहिए। इस बात की मुझे खुशी है कि एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है और एक साझा सरकार सत्ता में आई है। अतः, इस साझा सरकार का कार्य है। एक-दूसरे से परामर्श करना। एक कार्य के बाद, अन्य सहयोगियों ने भी उस पर आपत्ति प्रकट की। काफी चर्चा हुई हैं यह बात बिल्कुल सही है और इससे पहले वाली बात गलत थी। यदि बाद वाला कार्य पहले कर लिया जाता तो संभवतः इस गलत कदम उठाने को रोका जा सकता था और बजट में संसाधनों तथा व्यय दोनों को कैसे पुनः नियोजित किया जाए, इस बात पर चर्चा की जा सकती थी अतः महोदय, उस दृष्टि से, भी मैं समझती हूं कि यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, बजट सेशन के पहले पैट्रोलियम प्राईसेज की बढ़ोत्तरी की प्रोप्रायटी पर बातचीत चल रही है। मैं ध्यानपूर्वक सब लोगों की बात सुन रहा था। एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। यहां पार्लियामेंट की प्रोप्रायटी व सरकार की फंक्शनिंग का सवाल उठा है। यह यूनाईटेड फ्रंट की सरकार है लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि यह किसकी सरकार है। श्री देवेगौड़ा को जिन लोगों ने प्रधान मंत्री के रूप में नेता चुना है, उसमें श्री सोमनाथ भी शामिल हैं। अब इन्द्रजीत गुप्त सरकार में हैं। उनकी पार्टी की सदस्य हैं श्रीमती गीता मुखर्जी। चितु बसु भी यूनाईटेड फ्रंट के सदस्य हैं। अब यहां यह भी सवाल उठ रहा है कि पार्लियामेंट के सैशन से पहले प्राइस राइज करने का प्रोप्रायटी का सवाल है। यूनाईटेड फ्रंट की सरकार की फंक्शनिंग की प्रोप्रायटी का सवाल भी उठ रहा है। उसके बारे में ये लोग आपस में कुछ बातचीत करें। आखिर यूनाईटेड फ्रंट की सरकार कैसे फंक्शनिंग कर रही है यह बात समझ में नहीं आ रही है। अभी कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य धरने पर चले गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बात बढ़ा रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : पहले आप हमारी बात सुन लीजिये। कुमारी ममता बनर्जी धरने पर बैठ गयी हैं। संतोष मोहन देव कोई बात कहें...**(व्यवधान)** कांग्रेस पार्टी का भी विचित्र हाल है।

[अनुवाद]

वे सत्ताधारी दल के विशेषाधिकार के साथ-साथ विपक्षी दल के सम्मान का लाभ भी उठाना चाहते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : हम मोर्चे में शामिल नहीं हैं। गलत बात कही जा रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भी प्रोप्रायटी का सवाल है? ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : ये सब यूनाईटेड फ्रंट की सरकार में शामिल हैं और यहां फ्लोर ऑफ द हाउस में इस सवाल को उठा रहे हैं। यूनाईटेड फ्रंट की सरकार को समर्थन दे रहे हैं और जाकर फ्लोर में बैठ गये हैं, बैल में बैठ गये हैं। यह भी प्रोप्रायटी का सवाल है। इसलिए इस पर जवाब दीजिये। इन चीजों पर इनको कुछ कहिये। ये सरकार चलाने के लिए आये हैं। कैसे सरकार चलाई जाती है, आंप इसके बारे में भी कोई ओरियेन्टेशन कोर्स शुरू कीजिये।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुश हूं कि विपक्ष के माननीय नेता ने औचित्य का प्रश्न उठाया है और आज देश की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में हम औचित्य के प्रश्न को पृथक रूप से नहीं देख सकते हैं क्योंकि जब वे प्रधानमंत्री थे, उस समय विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने से पहले ही उन्होंने एनरॉन परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। वह भी औचित्य का प्रश्न था और इसे भी उचित तरीके से निपटाया जाना चाजिए था। इसे अलग-अलग प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए और मेरा यह विचार है कि तभी आने वाले दिनों में इस तरह के प्रश्न सामने नहीं आयेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मुझे माननीय सदस्यों को आश्वासन देने दीजिए कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, उस पर अच्छी तरह विचार किया गया है। निश्चय ही, इसमें कोई विवाद नहीं है कि साधारणतः प्रशासनिक निर्णयों को जिनके परिणाम दूरगामी होते हैं, संसद सत्र आरम्भ होने वाला हो, तो नहीं लिया जाना चाहिए। मैं इसे स्वीकार करता हूं।...**(व्यवधान)** मुझे विश्वास है कि मेरे साथी भी इस बात पर जोर देंगे कि साधारणतः ऐसे निर्णयों को जिनका दूर-दूर तक लोगों पर प्रभाव पड़ता है, यदि संसद सत्र आरम्भ होने वाला हो, तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन कानून में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कोई विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न नहीं है, इसमें कोई अवज्ञा का प्रश्न नहीं है, इसमें कोई संविधान की अवमानना नहीं है और न ही कानून के उल्लंघन का प्रश्न है। यह औचित्य के प्रश्न को भी कम कर देता है।...**(व्यवधान)** मैं उत्तर दे रहा हू। इससे औचित्य के प्रश्न का महत्व भी कम हो गया है।

महोदय, एक सरकार जो कुछ समय के लिए सत्ता में आई-एक उपयुक्त समय के लिए या ऐसा कह लीजिए कि छः महीने या एक वर्ष के लिए सत्ता में आती है और बजट प्रस्तुत करती है, अपने वित्तीय विवरणों और नीतियों का अनुमोदन करवाती हैं; एक सरकार जिसे आर्थिक स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी हो, वही ऐसा निर्णय ले सकती है जिससे किसी की औचित्य की भावना को ठेस नहीं पहुंचती। जैसाकि मेरे मित्र श्री मनोरंजन भक्त ने कहा है कि सदन में एक सरकार थी और मुझे विश्वास है क्योंकि मैं जानता हूं कि कि जिस व्यक्ति ने वह निर्णय लिया वह एक माननीय व्यक्ति है, जिसने यह महसूस किया कि यदि एक अन्य राज्य सरकार को भारी वित्तीय बोझ से बचाना था, तो एक खास दिन, एक विशिष्ट समय में यह प्रशासनिक निर्णय लेना आवश्यक था। वह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। जिस आधार पर वह निर्णय लिया गया था, वह भी उपयुक्त था लेकिन किसी ने भी उस निर्णय के उद्देश्य के बारे में प्रश्न नहीं किया।...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह निर्णय भी बिना किसी बहुमत के लिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम : अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया उस पृष्ठभूमि को समझें जिस आधार पर यह निर्णय लिया गया था। मैं अपनी ओर से हुई कुछ गलतियों को मानता हूं। आज भी, विपक्ष के माननीय नेता जो एक अच्छे राजनीतिज्ञ और प्रशासक हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि पैट्रोलियम पदार्थों के निर्धारित मूल्यों का बजट से कोई संबंध है। यहां तक कि मेरे विचार में मेरे अच्छे मित्र श्री चित्त बसु और श्री सोमनाथ चटर्जी का भी यही विचार है कि इसका बजट से कुछ संबंध है। इसका बजट से कोई सबंध नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया श्री निर्मल कान्ति चटर्जी कहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : मैं उत्तर दे रहा हूं। इसका बजट से कुछ लेना-देना नहीं है। 'आपात पूल एकाउन्ट' का एक स्व-संतुलन खाता है जो तेल कम्पनियों द्वारा तैयार किया जाता है तथा पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह लाभ में भी चल सकता है और घाटे में भी चल सकता है। वर्ष 1993-94 में ऐसा समय था जब इस खाते में लाभ हुआ था।...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : एक मिनट।

श्री पी. चिदम्बरम : जसवन्त सिंह जी, मैं बाद में आपकी बात मानूंगा। मुझे यह बात पूरी कर लेने दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : ऐसे मामलों में अधिशेष की तथ्यात्मक जानकारी...**(व्यवधान)**। यदि आप मेरी बात माने, तो मैं एक बात कहूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम : कृपया मुझे यह वाक्य पूरा करने दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस वाक्य के बाद बोलूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस वाक्य को लम्बा कर दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, अधिशेष खाता, घाटा में चला गया है। जहां एक विशेष वर्ष में यह खाता अधिशेष में चला गया था, वहां वह हुआ, जिसका उल्लेख अभी श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने किया है। सार्वजनिक खाते से उधार लिया गया था।

श्री जसवन्त सिंह : यही बात है।

श्री पी. चिदम्बरम : इसीलिए मैंने कहा था कि यदि मैं वाक्य पूरा कर लूंगा, तो आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। आज मुद्दा यह है कि क्या हम उस खाते से बजट में कोई धनराशि ले जा रहे हैं अथवा बजट से कोई धन-राशि उस खाते में ले जा रहे हैं? दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं है। यह अपने आप में एक संतुलित खाता है। जब श्री जसवन्त सिंह जी ने कार्यभार संभाला तो यह 6,000 करोड़ रू. के घाटे में चल रहा था और जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला, तब यह घाटा 72,00 करोड़ रु. था और यह घाटा 31 मार्च, 1997 तक बढ़कर 11,700 करोड़ रु. हो जाता। ये सब बातें सामने आयेंगी जब मेरे विद्वान मित्र पैट्रोलियम मंत्री इस चर्चा के महत्व के बारे में बतायेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि जिस सरकार ने 1 जून को कार्यभार संभाला है और जिसने 12 जून को विश्वास मत प्राप्त किया है, उसे एक असाधारण स्थिति का सामना करना पड़ा है...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : वहीं हम जानना चाहते हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : हम इस असाधारण स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : वह सब इस संबंध के बारे में चर्चा करते समय बता दिया जाएगा। मैं औचित्य के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : हम इस असाधारण स्थिति के बारे में साफ-साफ जानना चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बम : उसका उल्लेख महत्व बताते हुए कर दिया जाएगा। इसका औचित्य से कोई संबंध नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना वाक्य पूरा कर लिया है।...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह औचित्य का हनन है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं अभी नहीं मान रहा हूं। ऐसी असाधारण स्थिति में हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णय लेना था कि तेल का आयात होता रहे और आपूर्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। बहुत सावधानी पूर्वक विचार-विमर्श के बाद वह निर्णय लिया गया था और सभी बिन्दुओं पर कैबिनेट में विचार विमर्श किया गया था।

महोदय, एक अन्य बात राज सहायता बढ़ाए जाने की घोषणा के बारे में थी। वह बजट से लिया जाता है, फिर भी किसी ने उस निर्णय की आलोचना नहीं की जबकि इसमें भी औचित्य नहीं था। प्रशासनिक निर्णय लिए जाते रहे हैं।

जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो सरकार कार्य करना बंद नहीं कर देती है; अब जबकि संसद का सत्र आरंभ होने में कुछ समय बाकी है, तो सरकार कार्य करना बंद नहीं कर सकती। साधारणतया मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अपने सरकारी कार्यों को इस तरह से योजनाबद्ध करना चाहिए कि संसद सत्र आरंभ होने से दस पन्द्रह दिन पहले ऐसे निर्णय न लिए जाएं। लेकिन हम यदि इस तरह का कोई निर्णय लेते हैं तो ऐसे प्रश्न अथवा आलोचनाओं पर आप इस सत्र के बाद या अगला सत्र शुरू होने से पहले ध्यान दे सकते हैं। हमें ये निर्णय लेने पड़े। यह एक नई सरकार थी और इसे एक असाधारण स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। अतः उस स्थिति से बचने के लिए इस सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से सविनय निवेदन तथा आग्रह करता हूं कि अब हमें वाद-विवाद की विशेषताओं पर चर्चा करनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि वाद-विवाद की विशेषताओं पर चर्चा के समय कुछ लोग कहेंगे कि हम गलती पर थे; कुछ कहेंगे कि हम ठीक थे। हमें अब वाद-विवाद की विशेषताओं पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस सरकार ने नेकनियती से निर्णय लिया, असाधारण परिस्थितियों के कारण ही इस सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा।...**(व्यवधान)** समीचीनता का कोई अभाव नहीं था।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप बार-बार असाधारण परिस्थिति की बात क्यों कह रहे हैं। आप किस असाधारण परिस्थिति की बात कर रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : वाद-विवाद की विशेषताओं या चर्चा के समय उसका पता चल जाएगा।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : यदि आप 31 मार्च, 1997 की स्थिति को लेते हैं तो 2 जुलाई 1996 तथा 18 जुलाई, 1996 के बीच आपका राजस्व घाटा कितना होगा।...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : इन सभी तथ्यों का पता चल जाएगा। श्री प्रमोद महाजन कृपा करके बैठ जाएं। मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं।...**(व्यवधान)** मुझे खेद है कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। ...**(व्यवधान)** इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप बात नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैं तो केवल आपसे मुख्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। ...**(व्यवधान)** मैं बात नहीं मान रहा हूं। वाद-विवाद के समय इसका पता चल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जोशी जी, वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : मैं बात नहीं मान रहा हूं। महोदय, हम औचित्य के प्रश्न पर बहस कर रहे हैं। औचित्य की कमी नहीं हैं। प्रशासनिक निर्णय उसी तरह विश्वास मत प्राप्त करने से पहले सरकार निर्णय लेती है या जैसे राज सहायता की घोषणा करने के निर्णय लिए जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा करने के निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने ही होंगे। इन निर्णयों को स्थगित नहीं किया जा सकता और जब निर्णय ले लिए जाते हैं, तो आप जिसे साधारण ढंग से महसूस करते हैं उसे हम सख्ती से महसूस करते हैं। लेकिन असाधारण परिस्थिति में ये निर्णय लेने ही पड़ते हैं। ...**(व्यवधान)**

महोदय, मेरा सुझाव है कि हमें चर्चा जारी रखनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : हम यह जानना चाहते हैं कि वह असाधारण परिस्थितियां कौन सी हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : इसका आपको चर्चा के दौरान पता चल जाएगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : औचित्य का एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह है...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : यह तो केवल एक सप्ताह का ही प्रश्न था। वह असाधारण प्ररिस्थिति कौन सी थी? हम यह जानना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : यदि आप बता नहीं सकते तो आपके कुछ साथी बता देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : इसका आपको वाद-विवाद के दौरान पता चल जाएगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : तब आप अड़चन क्यों डाल रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं औचित्य के प्रश्न के संबंध में व्यवधान डाल रहा हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपने तो औचित्य के प्रश्न को भी स्पष्ट नहीं किया है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप असाधारण परिस्थिति की बात कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : मैं तो केवल हस्तक्षेप कर सकता हूं। मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आप कृपया अपना विनिर्णय दीजिए।

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : महोदय, औचित्य में भावुकता भी शामिल है। जब यह सरकार डीजल के मूल्य में की गई 15 प्रतिशत वृद्धि को कम कर सकती थी तो जब सारी सभा लगभग सर्वसम्मत थी कि पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि ज्यादा थी अथवा बहुत ज्यादा थी तो उन्हें इसे वापस लेना चाहिए था। वे जनता की भावनाओं की कद्र क्यों नहीं करते? उन्हें सभी पदार्थों की मूल्य वृद्धि को वापस लेना चाहिएं...**(व्यवधान)**

अपरान्ह 12.57 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं समझता हूं कि आज हमने काफी चर्चा कर ली है। वस्तुतः इस मुद्दे पर सभा में पहले कई बार चर्चा हो चुकी है। यहां मेरे समक्ष कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं। 19 जून, 1980 को विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी ने प्रश्न उठाया था। 1980 में कई माननीय सदस्यों ने भी यह मुद्दा उठाया था। जिसका उन्होंने अपने वक्तव्य में जिक्र किया है। माननीय सदस्यों ने भी 16 फरवरी के वाद-विवाद का भी जिक्र किया है जबकि प्रो. मधु दंडवते ने यह मामला उठाया था। इस मुद्दे पर केवल इस सदन में ही नहीं अपितु राज्य सभा में भी उठाया गया था चूंकि हमारे पास विनिर्णय उपलब्ध हैं।

मैं तत्कालीन अध्यक्ष डा. बलराम जाखड़ द्वारा 1980 में दिए गए विनिर्णय को उद्धृत करूंगा, उन्होंने जो कहा था मैं वह उद्धृत करता हूं:

> "नियमों और संवैधानिक उपबंधों का अतिलंघन नहीं किया गया है किन्तु इस वृद्धि की घोषणा सभा में करना उपयुक्त होता"

मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष डा. बलराम जाखड़ ने यह विनिर्णय दिया था। वित्त मंत्री लगभग इस बात पर सहमत हैं, उन्होंने यह कहा कि साधारणतया ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा करने से हमें बचाना चाहिए और इस मुद्दे पर अच्छी तरह से विचार किया गया था। सरकार ने भी आज ऐसा ही कहा है। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय को मैं दोहराता हूं कि यद्यपि नियमों अथवा संवैधानिक उपबंधों का अतिलंघन नहीं किया गया है, मैं समझता हूं कि सरकार को औचित्य के प्रश्न तथा सदन में कई बार व्यक्त की गई भावनाओं के प्रश्न को ध्यान में रखना चाहिए। इस मुद्दे पर लगभग समूचा सदन एकमत है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो अथवा संसद की बैठक बुलाई गई हो तो सरकार को सामान्यतया नीतिगत निर्णय नहीं लेने चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को भविष्य में यह याद रखना चाहिए।

अब हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, कृपया एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिए। नियम 56 के अधीन मेरे पास कुछ नोटिस हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। यह बहुत गंभीर मामला है। हम सब इस पर सहमत हैं कि इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक चर्चा तथा वाद-विवाद हो। इस पर सब सहमत हैं। लेकिन प्रश्न है "कैसे" क्योंकि नियम 56 और नियम 184 और नियम 193 तथा नियम 197 के अधीन मुझे कई नोटिस मिले हैं। अतः यह निर्णय सभा को करना है कि इस पर चर्चा किस नियम के तहत हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इसका निर्णय आप ही करें।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अपना विनिर्णय दूं क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में से कोई सदस्य बोलना चाहेगा।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मध्यान्ह भोजन अवकाश के पश्चात् बोल सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, क्या अब आप यह निर्णय लेना नहीं चाहते कि क्या यह एक स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए अथवा नहीं?

अपरान्ह 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं क्या विनिर्णय दूं?

श्री जसवंत सिंह : जब तक हम अपने मुद्दे पर जिरह नहीं कर लें...

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने मुद्दे को बड़े प्रभावकारी ढंग से रखा है।

श्री जसवंत सिंह : अभी तक नहीं, महोदय...**(व्यवधान)** अभी तो मैंने बात शुरू ही नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अब निर्णय ले लेना चाहिए। श्री जसवंत सिंह जी, जैसा कि मैंने कहा था कि इस मुद्दे पर बार-बार चर्चा हुई है। मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर, हर आर औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, हर बार स्थगन प्रस्ताव रखा गया है। चूंकि प्रश्न के पहले भाग में हमने पूर्व विनिर्णय का अनुसरण किया है, मैं समझता हूं कि यह उचित है कि प्रश्न के दूसरे भाग पर भी विनिर्णय पूर्वादाहरणों के आधार पर ही ले लिया जाए। अतः हम अपरान्ह 4 बजे नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा करेंगे। अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपरान्ह 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपरान्ह 1.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपरान्ह दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपरान्ह 2.04 बजे

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात अपरान्ह 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन** हुए)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, माननीय सदस्य कुमारी ममता बनर्जी, मैं समझता हूं कि आप अपनी भावनाओं को विस्तृत रूप से व्यक्त कर चुकी हैं। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आपके अनुरोध को तब मानूंगी जब आप मुझे यह आश्वासन दें कि मूल्यों में कमी की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे। हम इन्हें शीघ्र समाप्त करेंगे। इसमें केवल दो मिनट लगेंगे।

(व्यवधान)

अपरान्ह 2.05 बजे

इस समय कुमारी ममता बनर्जी अपनी सीट पर वापस चली गई।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले इसे समाप्त करेंगे। हमें आठ मिनट में इसे पूरा कर लेना है।

अपरान्ह 2.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में चम्बल डाल परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाने की आवश्यकता

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बाह में पिनाहट पर वर्ष 1978 में चम्बल डाल परियोजना शुरू हो गई थी। उस समय इस योजना पर 10-12 करोड़ रुपए की स्कीम बनी थी। आज वह योजना बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गई है। करोड़ों एकड़ जमीन बिना सिंचित पड़ी है तथा साथ ही भंयकर पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है और जनता काफी परेशान है।

अतः मैं भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस चम्बल डाल परियोजना को अतिशीघ्र पूरा कराने के लिये उत्तर प्रदेश

सरकार को निर्देशित करें तथा साथ ही इस परियोजना पर आए धन की कमी को पूरा करें ताकि यह अधूरी परियोजना पूरी की जा सके।

अप रान्ह 2.12 बजे

[अनुवाद]

सत्र आरम्भ होने से पूर्व पेट्रोलियम पदार्थों के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि करने के औचित्य के प्रश्न के बारे में—जारी

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़): महोदय, मुझे समझ नहीं आता कि सामान्यतया कार्य कैसे चल रहा है। हमारे बीच एक समझौता हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : इसके तुरंत बाद हम इसे लेंगे।

जसवंत सिंह : इसके तुरंत पहले क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई बड़ा गंभीर मामला हमारे सामने है और इस पर समझौता भी हो चुका है तो हम पहले दैनिक कार्य को कैसे निपटा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :आप क्या चाहते हैं?

जसवंत सिंह : जो मैं कहना चाहता हूं कह सकता हूं। यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है कि आप क्या चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

जसवंत सिंह : यह ठीक है, का भी प्रश्न नहीं है। क्योंकि यह एक सदस्य को दी जाने वाली छूट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह छूट नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : मुझे आपकी इन बातों यथा "आप क्या चाहते हैं" और "ठीक है" पर आपत्ति है। अध्यक्षपीठ के नाते आप अवश्य ही मुझे बोलने से रोक सकते हैं। आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं लेकिन ऐसे ही मुझे आप "ठीक है" अथवा "आप क्या चाहते हैं" जैसे वाक्य नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मैं यहां एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मैंने संभवतः भाषा पर अधिकार के अभाव अथवा अज्ञान के कारण ये अभिव्यक्तियां प्रयोग की होंगी। इसके लिए मुझे खेद है।

जसवंत सिंह : ऐसी बात नहीं है, आपको तो अधिकार प्राप्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके लिए बहुत खेद है।

श्री जसवंत सिंह : आपके विनिर्णय देने से पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमने मूल्यवृद्धि के प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। आपने हमारे द्वारा मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करने के औचित्य का वर्जन करने से पहले ही स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति न देने का विनिर्णय दे डाला। आपने इतना तक नहीं सुना कि स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पूर्वोधारण नहीं है, कि बजट सत्र से पूर्व मूल्य वृद्धि के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गयी है। मैं फरवरी 1986 का उदाहरण देता हूं। मूल्य वृद्धि से संबंधित एक स्थगन प्रस्ताव से विपक्ष के नेता ने इस संबंध में उद्धरण दिए थे, कि माननीय सोमनाथ चटर्जी अथवा श्री इन्द्रजीत गुप्त, जो अब सत्ता पक्ष में हैं, ने क्या कहा था। स्थगन प्रस्ताव लाने का कारण यह है कि हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। निन्दा का तत्व उसमें होना होता है।...(व्यवधान)

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक बार विनिर्णय देने के पश्चात, आपके निर्णय पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता अतः, इस प्रश्न पर पुनः विचार नहीं हो सका।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, इस प्रश्न पर और आगे चर्चा, और पुनर्विचार नहीं होना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। महोदय, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि कांग्रेस नहीं जानती कि क्या करना चाहिए और यह मूल्य वृद्धि के इस प्रश्न पर हर तरह से शोर करती है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री जसवन्त सिंह : ठीक है। मैं आपके दल के अन्य सदस्यों का संदर्भ दे रहा हूं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें वास्तव में इस संबंध में क्या करना चाहिए।

श्री शरद पवार (बारामती) : हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या करना है।

श्री जसवन्त सिंह : इसी वजह से आप इतने भ्रमित हैं।

श्री संतोष मोहन देव : आप क्या कहना चाहते हैं? हम बेहतर जानते हैं और हमारा संसद में अधिक अनुभव है।

श्री जसवंत सिंह : यह अच्छी बात है।

श्री संतोष मोहन देव : केवल इसलिए कि आप अंग्रेजी जानते हैं, आप अध्यक्ष महोदय के साथ इस तरह का व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय के साथ ऐसा व्यवहार करने का यह कोई तरीका नहीं है। एक अच्छा संसद सदस्य इस तरह से व्यवहार नहीं करता।....(व्यवधान) आप अध्यक्ष महोदय के साथ इस तरह से नहीं बोल सकते। हमें इस पर आपत्ति है। आप इस तरह से नहीं बोल सकते और आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए। 'बोलिए, बोलिए' असंसदीय नहीं है। हो सकता है कि हम अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते हो। हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र से हैं। वे अच्छी अंग्रेजी जानते हैं क्योंकि वे राजस्थान से हैं।

श्री जसवंत सिंह : बिल्कुल नहीं।

श्री संतोष मोहन देव : इसके इस भाग को कार्यवाही वृतांत से अवश्य निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन का सेवक हूं। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करता हूं। और यदि मैंने जो कुछ कहा है उससे किसी माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे विचार से श्री जसवन्त सिंह की अध्यक्ष पीठ पर कोई आक्षेप लगाना चाहते थे। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। अब आप कृपया उन्हें बोलने दीजिए अब जबकि कोई और नहीं खड़ा है तो आप क्यों खड़े हैं? मैंने श्री जसवन्त सिंह को बोलने का अवसर प्रदान किया है।

श्री जसवंत सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया गया है? पहली बात यह है कि स्थगन प्रस्ताव सामान्यता तब लाया जाता है जब सरकार की निन्दा करनी हो। आपने स्वयं देखा है कि इस सभा का एक बड़ा भाग इस सरकार के गलत समय पर मूल्य वृद्धि करने के गलत-निर्णय की निन्दा करना चाहता है।

दूसरा पहलू यह है कि उसमें मंत्री स्तर पर अथवा प्रत्यक्षतः सरकार का उत्तर दायित्व होना चाहिए। सरकार का सीधा उत्तरदायित्व है। सरकार ने निर्णय किया है। वास्तव में, उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने यह निर्णय क्यों किया है। उनका कहना है कि यह एक असाधारण स्थिति है। सरकार यह स्पष्ट करने में असफल रही है कि असाधारण क्या था। ऐसा असाधारण क्या था कि आप 2 जुलाई से 10 जुलाई तक जबकि इस सभा की बैठक होने जा रही थी, प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। स्थगन प्रस्ताव की दूसरी अपेक्षा यह है कि यह एक निश्चित मामला होना चाहिए। यह एक निश्चित मामला है। मूल्य वृद्धि का प्रश्न है। यह बहुत निश्चित है। यह विशेष मामला है और हम इस मामले की निश्चिता पर सहमत हैं।

इसे तत्कालीन लोक महत्व का मामला माना जाना चाहिए। यह मानदण्ड कि यह तत्कालीन है, पूर्णतया पूरा होता है। यदि यह तत्कालीन नहीं होता तो सरकार इसे इतनी शीघ्रता से क्यों प्रस्तुत करती जैसा इसने वास्तव में किया है और 2 जुलाई को इस पर कार्यवाही की है जबकि सभा बुलायी गई है और जबकि संसद की बैठक केवल एक सप्ताह पश्चात हो रही है? यह लोकमहत्व का प्रश्न माना जाना चाहिए। यह लोक महत्व का प्रश्न है क्योंकि यदि 9700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लगाने का लोक महत्व का प्रश्न नहीं है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि सार्वजनिक महत्व का मामला क्या होता है। यह प्रश्न हाल ही का है। यह एक विशेष मामला है। यह प्रत्यक्ष मंत्रिमण्डलीय उत्तर दायित्व है। हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और इसलिए हमने अनुरोध किया है और हम स्थगन प्रस्ताव लाये हैं। मैं आपके समक्ष यही अनुरोध करना चाहता था, जो मैं पुनः कर रहा हूं, आपने जो निर्णय दिया है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल आपसे अनुरोध कर रहा हूं। कृपया हम जो कुछ कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए।

हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और यह सर्वाधिक कारगर संसदीय माध्यम से अर्थात स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से करना चाहते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं और यदि आप संसदीय पूर्व-उदाहरण के किसी पहलू का संदर्भ देना चाहते हैं, तो फरवरी, 1986 का वाद-विवाद है और यदि आप यह देखे कि इस संबंध में नियम क्या कहते हैं, तो आप कौल और शंकधर की पुस्तक के पृष्ठ 447 से आगे के पृष्ठ देख सकते हैं। उसमें कई मानदण्ड और पूर्व उदाहरण हैं।

एक स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है। मैं भी आपके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। चूंकि आपके पास इस सभा के सभी अधिकार के रूप हैं अतः मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं। कि कृपया हमारी चिन्ता के इस विषय पर विचार कीजिए। आखिरकार, एक स्तर पर, जो कुछ जिस ढंग से किया गया है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। वास्तव में, सदन की संप्रभुता, संसद की संप्रभुता, जिसके माध्यम से लोगों की संप्रभुता सुनिश्चित की जाती है, संसद की निगरानी रखने वाली भूमिका, विशेषकर वित्तीय मामलों में, पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के लिए हमारे अनुरोध पर आप विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : क्या 1980 का विनिर्णय स्थगन प्रस्ताव के संबंध में था? मेरे रिकार्ड में ऐसा नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : मेरे पास एक संदर्भ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने 1980 के विनिर्णय का संदर्भ दिया है।

श्री जसवन्त सिंह : आपने कहा है कि विनिर्णय के पहले भाग में आपने 1980 के निर्णय को अवैधानिक नहीं पाया और इसके दूसरे भाग में आपने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

अतः हम प्रथम भाग का दूसरे भाग से सामन्जस्य चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको विनिर्णय दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : तदन्तर, आपने उल्लेख किया है कि ऐसे मामले पर स्थगन प्रस्ताव—मैं केवल 21 फरवरी, 1986 के लोक सभा वाद-विवाद से उद्धृत दे रहा हूं।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह नियम 222 के अन्तर्गत उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न था। उस पर चर्चा भी हुई थी।

श्री जसवन्त सिंह : इसे विशेषाधिकार का मामला मान लिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के प्रश्न पर, मैंने निर्णय उद्धृत किया है जिसमें निम्नलिखित बताया गया है :—

> "हालांकि, नियमों और संवैधानिक उपबंधों को कम नहीं किया है; लेकिन इस वृद्धि की सभा में घोषणा करना अधिक उपयुक्त होता।"

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आगे निम्नलिखित बताया :

> "सदस्य जानते हैं कि नियमों के अन्तर्गत, उदाहरण के लिए नियम 184, 193 आदि जिन पर मामले पर अनुमति देने के लिए विचार किया जाना चाहिए के अन्तर्गत, मामलों को सूचनाओं के माध्यम से कैसे उठाया जाता है।"

फिर, वे अंतिम विनिर्णय पर आते हैं:

> "तदनुसार, मैंने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है।"

यह निर्णय का दूसरा भाग है। मैंने इसको उद्धृत किया है क्योंकि वह मुझे प्रस्तुत किया गया है। मैं गलत हो सकता हूं। मुझे यह याद नहीं है कि निकट भूतकाल में मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए गये थे। मैंने यही कहा था। यदि ऐसा कुछ है, तो निश्चय ही ....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : आप पुरानी रूलिंग का उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन कोई भी फैसला करते समय इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि देश में अभी चुनाव हुए थे। नयी लोक सभा बनी है नयी सरकार ने सत्ता ग्रहण की है उसके बाद दस हजार करोड़ रुपये का बोझ एक आदेश के द्वारा लोगों पर थोप दिया गया है। सारे देश की आंखें आज सदन की ओर लगी हैं, संसद की ओर लगी हैं। हमारा क्या दायित्व है? क्या हम सरकार की निन्दा न करें और सरकार को इसी तरह से सस्ता जाने दें? सारे देश में आंदोलन हो रहा है, बंद हो रहे हैं। लोग धरना दे रहे हैं, गाड़िया रोकी जा रही हैं। यह सदन जनता की भावनाओं का दर्पण बनेगा या नहीं बनेगा, या हम नियमों में खो जाएंगे? हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और इस बारे में फैसला दे दिया है। अगर हमें सुन लिया होता तो शायद यह फैसला नहीं होता। कम से कम कल तक जो बात हुई थी, उससे हमें विश्वास था कि कामरोको प्रस्ताव लिया जाएगा। लेकिन आपने अचानक बिना सुने हुए फैसला दे दिया। आपका फैसला सिर-माथे पर है, लेकिन हमें सरकार की निन्दा करने का आप कोई और रास्ता बताइए। आपके किसी आचरण से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सरकार को बचाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि बचाना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बचाने की पॉवर कहां है मेरे पास?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इस पर विचार करिए। अगर 184 के डिसकशन से सत्ता पक्ष का संतोष होता हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। 184 में अगर डिसकशन होता है तो हम अमेण्डमण्ट ला सकते हैं, हम उसमें संशोधन पेश कर सकते हैं कि जितनी भी वृद्धियां की गई हैं, सारी वृद्धियां वापस ले लेनी चाहिए।

हम इस तरह का एकोमोडेशन करने के लिए तैयार हैं मगर, अध्यक्ष महोदय, आप हमें ऐसी स्थिति में मत डालिये जिसमें हमारे सामने इसके सिवा कोई रास्ता न रहे कि हम ऐसे तरीके अपनायें जो तरीके हम अपनाना नहीं चाहते।

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट ऑफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के अंडर है, बताईये—

[अनुवाद]

किस नियम के अन्तर्गत?

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत : मैं नियम 60 के दूसरे परन्तुक के अंतर्गत पाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूं जिसमें लिखा है—"परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो"-हमारा स्थगन प्रस्ताव पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि को लेकर है। इस मामले पर न तो हमारी बात सदन में आई है, न मंत्री जी की तरफ से उसका कोई जवाब आया है लेकिन आपने रूलिंग दे दी, मैं समझता हूं कि यह गलत परम्परा होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी रूलिंग पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें। मैं नियम 60 के दूसरे परन्तुक को आपके सामने पूरा पढ़ देता हूं ताकि आप स्थिति से पूरी तरह अवगत हो जाएं-

> परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो वह अपनी सम्मति देने या इंकार करने से पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़कर सुना सकेगा और संबंधित मंत्री और/या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण सुन सकेगा और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय देगा।

अध्यक्ष महोदय, न तो हमें आपने सुना है, न मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब आया है, जिसका तात्पर्य यह है कि आप तथ्यों से अभी अवगत नहीं हुए हैं। जब आप तथ्यों से अवगत नहीं हुए तो आपको सुनने का अवसर देना चाहिए, शासन का जबाव आना चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय करना चाहिए—इस नियम के अंतर्गत मेरी ऐसी मान्यता बनी है।

इसलिये मैं आपसे रूलिंग पर पुनर्विचार के लिये प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, इसलिये हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, आपने 12 बजे से 1 बजे तक सदन में प्रत्येक सदस्य की बात सुनी। यदि मैंने सही समझा है, तो यह मामले की उपयुक्तता के संबंध में था और आपने भी अपने पूर्ववर्ती अध्यक्ष महोदयों के निर्णयों के आधार पर अपने निर्णय दिए

हैं। यदि आप इस पर पुनर्विचार करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है; लेकिन आपके द्वारा निर्णय दिए जाने के पश्चात्, ऐसा करके हम एक गलत पूर्व उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब आप विनिर्णय दे रहे थे तो आपने उसका ब्यौरा दिया था। और अब मेरे सम्मानीय मित्र श्री जसवन्त सिंह और श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने अनुरोध किया है। नियम 193 के अन्तर्गत भी आलोचना की जा सकती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आप इसकी आलोचना करेंगे। अन्यथा, क्या आप इस सरकार के कार्य विष्पादन की प्रशंसा करने जा रहे हैं? आप इसकी आलोचना भी करेंगे कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मेरा प्रश्न यह है, कि आपके द्वारा निर्णय दिए जाने के पश्चात्, यदि आप अब सभा में इसकी पुनरीक्षा करते हैं, तो आप एक गलत पूर्व उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आपके द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात्, ऐसा करना अत्यधिक वाद-विवाद को आमन्त्रित करना होगा और उसका कोई अन्त नहीं होगा। मेरी समस्या यह है। मेरे विचार से आपको अपने निर्णय पर अडिग रहना पड़ेगा और इसे नियम 193 के अन्तर्गत लेना चाहिए।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं अपने सम्मानीय मित्र श्री जसवन्त के उस तर्क का उल्लेख करना चाहता हूं कि वे स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकार की निन्दा करना चाहता हूं। यदि वे वास्तव में सरकार की निन्दा करना चाहते हैं, तो नियम 184 की तरह अन्य नियम है जो एक मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के विरूद्ध लाया जा सकता है। यहां मैं कौल और शकधर की पुस्तक संसद में व्यवहार और कार्य प्रणाली के पृष्ठ 445 से उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें बताया गया है:

> "यदि कोई स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, तो इससे सरकार के विरूद्ध निन्दा से अधिक सरकार की नीति का निरनुमोदन इंगित होता है।"

और माननीय सदस्य निन्दा करना चाहते हैं न कि निरनुमोदना मैं यह महसूस करता हूं कि यदि आप स्थगन प्रस्ताव के संबंध में नियम 56 लेते हैं तो यह केवल एक निरनुमोदन होगा जो आप नियम 193 के अन्तर्गत भी कर सकते हैं। वे ऐसा नियम 1993 के अन्तर्गत भी कर सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में, यहां तक कि अध्यक्ष महोदय, मावलंकर ने भी विनिर्णय दिया था। श्री मावलंकर ने 21 मार्च, 1950 को एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विनिर्णय दिया था जिसे मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता। यदि माननीय अध्यक्ष इसकी अनुमति दें तो मैं वैसा करूंगा क्योंकि वे स्वतन्त्रता के पश्चात् के दिनों में विधानसभाओं में विद्यमान प्रणाली और नियमों का संदर्भ दिया गया है। हमने नियम बनाये हैं, हमारे पास प्रश्न उठाने के कतिपय संचार माध्यम तथा अवसर हैं। उन्होंने अपनी बात इस तरह समाप्त की, क्या मैं उनको पढ़ सकता हूं? मैं केवल एक अंश उद्धृत करता हूं। इसमें बताया गया है:

> "विभिन्न अवसरों और सरकार के उत्तरदायी स्वरूप के साथ नये ढांचे में हम स्थगन प्रस्ताव को किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य वाद-विवाद के रूप में नहीं समझ सकते।"

अतः यदि कोई मामला उठाना है, तो स्थगन प्रस्ताव के बिना भी उठाया जा सकता है और नियम 197 अथवा नियम 193 के अन्तर्गत इसका प्रावधान है और माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही नियम 193 के अन्तर्गत इसके लिए सहमत हो गये हैं। इसलिए, मुझे यह कहने की अनुमति दी जा सकती है कि मेरे माननीय मित्र श्री जसवन्त सिंह द्वारा उठाये गये मामले में गलत मंशा है और इस तथ्य को देखते हुए कि श्री सैयद ने पहले ही यह बताया है कि एक बार अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय दिए जाने के पश्चात् निर्णय दिए जाने के पश्चात्, उसकी पुररीक्षा करना उचित नहीं है। यदि अध्यक्ष महोदय इसकी पुनरीक्षा करते हैं, तो इससे बहुत बुरा पूर्व उदाहरण प्रस्तुत होगा।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हमने इस अत्यधिक मूल्य वृद्धि का सरकारी तौर पर विरोध किया है।

जहां तक समय का प्रश्न है, आपने अपना निर्णय दे दिया है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि कोयला, इस्पात और डाक सेवाओं आदि अन्य मदों के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की गई है। मैं संचार मंत्री रहा हूं। यह गजट अधिसूचना जारी करके भी किया जाता है और वह सभा के समक्ष नहीं आता। लेकिन यदि सरकार प्रक्रिया का अनुसरण कर सकती है, तो आपने नहीं किया, मेरे विचार से वह आदर्श होगा।

अब यह सरकार मुश्किल से डेढ़ महीना पुरानी है। वे अभी अपने मंत्री बना पाये हैं और सदन के समक्ष आये हैं, और श्री वाजपेयी जी, शायद, को एक प्रश्न मिल गया है, क्योंकि उन्हें 13 दिन पश्चात् हटा दिया गया था। स्वाभाविक रूप से वे यह देखना चाहते हैं। कि उनकी भी डेढ़ माह पश्चात् निन्दा हो।

हम चूंकि सरकार बाहर से समर्थन कर रहे हैं, इस समय सरकार की आलोचना करके उसको किकर्तव्यविमूढ नहीं करना चाहते। लेकिन हम पूर्णतया उनके साथ हैं....**(व्यवधान)** हमें इसे समाप्त करना चाहिए। मैंने व्यवधान नहीं डाला है। यह बुरी आदत है। जब मैं बोल रहा हूं उस समय यदि आप मुझे बैठने के लिए कहें तो मैं बैठ जाऊंगा। यदि आप बोलना चाहते हैं, तो मैं बैठ जाऊंगा और आप बोलिए।

श्री राम नाईक : क्या आप मुझे संबोधित कर रहे हैं?

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, नहीं, हमने सरकारी तौर पर...

अध्यक्ष महोदय : कुछ मिनट पहले ही, माननीय सदस्य बुरी आदत के बारे में बोले थे।

श्री राम नाईक : इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूं। परन्तु अभी मैंने एक भी शब्द नहीं कहा और आप मेरी तरफ देख रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : यदि आप नहीं बोले हैं, तो मुझे खेद है। लेकिन अब आप बैठ जाएं।

श्री राम नाईक : अब मैं सभापति महोदय की अनुमति से बैठता हूं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री सन्तोष मोहन देव : हम भी पेट्रोल की कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि इसमें दुपहिया चालक, तिपहियाचालक और अन्य प्रभावित होते हैं। हम खाना पकाने की गैस के मूल्य में वृद्धि का भी विरोध करते हैं। आज सुबह हमने प्रधान मंत्री जी को मिलकर उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया परन्तु यह सब देखना आपको है। हम सभा में अपने विचार प्रकट करेंगे। हम ममता जी और अन्यों को सुनेंगे। आप हमारे विचारों से सहमत होंगे। हम कड़ी से कड़ी आलोचना सुनने को तैयार हैं और इस तरह आपस में मिलकर हम कुछ प्राप्त ही करेंगे। अतः, इस मामले में मैं आपके साथ चलने को हमेशा तैयार हूं। परन्तु इसे निन्दा प्रस्ताव के रूप में न लाएं। कल इस पर चर्चा हुई थी। श्री वाजपेयी ने कहा था कि "हम कोशिश करेंगे"। उन्होंने डेढ़-दो घंटे तक कोशिश कर ली है। अब, हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू करते हैं। हम सभी इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे और मैं भी श्री जसवन्त सिंह के विचारों से सहमत हूं। यद्यपि निन्दा प्रस्ताव नहीं है, फिर भी हमें आशा है कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और इस पर सकारात्मक रूख अपनायेगी। दलगत रवैये को त्याग कर हम किसी एक निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। वाजपेयी जी ने भी कहा है कि लगभग 9000 करोड़ रुपये का बोझ है। यह अधिक भी हो सकता है क्योंकि अनेक और चीजें सामने आ रही हैं। मैं वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को स्वीकार कर लें। हम चार बजे इस पर चर्चा शुरू करेंगे। इस चर्चा के लिए पर्याप्त समय रखा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो आप सभा का समय घण्टा-दो घण्टा बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारी तरफ से बोलने वाले बहुत हैं; उनकी तरफ से भी बहुत होने चाहिए। अतः, पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। महोदय, आपसे मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। पहली तो यह है कि इस सदन में लोक महत्व के विषयों पर चर्चा कराने के कई नियम है- 193, 184, कालिंग आटेंशन मोशन, स्थगन प्रस्ताव आदि इस प्रकार से अलग-अलग नियम चर्चा करने के लिए इसलिए बनाए गए हैं ताकि विषय की गम्भीरता के अनुसार सम्बन्धित विषय को उस नियम के अन्दर लेकर उस पर चर्चा कराई जा सके। उनमें डिग्री आफ अरजेंसी का भी फर्क है। अगर डिग्री आफ अरजेंसी का फर्क न हो, और चर्चा, केवल चर्चा कराने के लिए की जाए, तो केवल एक ही नियम बनाया जा सकता है।

यदि इन सारे नियमों की हम समीक्षा करें, तो 193 सबसे माइल्ड नियम है, जिसमें चर्चा अल्टीमेटली ड्राप आउट हो जाती है, चर्चा तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचती है जबकि 184 में यदि चर्चा हो रही है, तो जैसा अभी हमारे नेता ने कहा, हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसमें अपनी तरफ से बात और जोड़ी जा सकती है। स्थगन प्रस्ताव के अंदर एक एलीमेंट और शामिल है और वह है सरकार की प्रताड़ना। जहां आप सरकार को प्रताड़ित करना चाहते हैं वहां आप इसके अंदर चर्चा करें। इसके माध्यम से वोटिंग भी कराई जा सकती है। इस प्रकार सबसे पहले तो यह देखने का सवाल है कि क्या 193 में चर्चा करवाकर विषय को ड्राप आउट करवा दिया जाए या वाकई इसका इफैक्ट, इसकी अरजेंसी यह है कि इस चर्चा को किसी तार्किक परिणति तक ले जाया जाए, लीजिक कन्क्लूजन तक ले जाया जाए। यह चर्चा लीजिक कन्क्लूजन तक पहुंचे, विपक्ष और सत्ता पक्ष के सहयोगी दल भी जो महसूस कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे भी चाहते हैं कि सरकार की प्रताड़ना हो। इसलिए उसको स्थगन प्रस्ताव के रूप में आना चाहिए। अतः पहला तो मेरा आपसे निवेदन यह होगा कि कृपया 193 की जिद कर के इस विषय को आप ड्राप आउट न करिए और इस चर्चा को स्वीकार न करिए। यह इतना गम्भीर विषय बन गया है कि इस चर्चा को लीजिकल कन्क्लूजन तक ले जाना जरूरी हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा नम्र निवेदन यह है कि आपने प्रेसीडेंट की बात की है। जब प्रेसीडेंट कोट किया जाता है, तो सिमिलर सिचुएशन भी होनी चाहिए, क्योंकि हर स्पीकर, एक परिस्थिति-विशेष में निर्णय लेते है। इसमे केवल एक चीज की सिमिलैरिटी है कि प्रोप्राइटी यहां भी नहीं है, प्रोप्राइटी वहां भी नहीं थी और प्राइस-राइज था। बाकी स्थिति कोई सिमिलर नहीं है। यह 30 प्रतिशत हाइक पहली बार हुआ है। पहले भी प्राइस-राइज हुआ है लेकिन कभी पांच प्रतिशत, कभी सात प्रतिशत और कभी 10 प्रतिशत, लेकिन एक साथ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी पहली बार हुई है, जो उस समय नहीं थी।

तीसरी बात यह है कि एक नई सरकार, जो किसानों की भलाई का दम भरते हुए अघाती नहीं है, उसी सरकार ने पहला निशाना किसान को बनाया। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं नाफ्था, जो फर्टीलाइजर में यूज होता है, उस पर 30 प्रतिशत हाइक कर दिया। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस बार स्थितियां समान नहीं हैं अतः केवल प्रेसीडेंट कोट करके अपनी रूलिंग मत कीजिए। यहां परिस्थिति-विशेष है और निर्णय लेने वाले व्यक्ति अलग-अलग हैं। इसलिए केवल प्रेसीडेंट कोट करके इस पर आप 193 में चर्चा मत करवाइए।

मेरा नम्र निवेदन है कि जितनी भंयकर परिस्थिति इस प्राइस राइज से बनी है, उसमें अच्छा तो यह हो कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें या फिर जैसा हमारे नेता ने माना है स्थगन प्रस्ताव नहीं तो 184 में तो कम से कम चर्चा अवश्य करवाइए। यह बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की शक्ति असीमित है। आपके किसी नियमन को चुनौती देने का प्रश्न नहीं है, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने नियमन पर पुनः विचार करें।

पूर्व के अध्यक्ष ने यदि कोई नियमन दिया है, तो नियमन देते समय आप उसको ध्यान में रखते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में यह प्रासंगिक नहीं होगा कि इस विषय पर चर्चा, जिसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने भी और श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी कहा है, जिस सबको दोहराकर मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात सही है कि आज परिस्थिति-विशेष हैं इसमें 193 के अधीन चर्चा उपयुक्त नहीं है, पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये अगर आप अपने नियमन पर पुनर्विचार करेंगे तो यह कोई गलत परम्परा का सृजन नहीं होगा बल्कि इससे यह पता चलेगा कि आप इस मामले में सेंसेटिव हैं। हाउस का ओपीनियन सुनने के बाद लंच के लिए उठने से पहले आपने अपनी तरफ से कुछ कह दिया था। वह कहने का भी आपको अधिकार है लेकिन अगर आप पहले लोगों को सुन लेते तो शायद कोई भी नियमन आप देते तो उस पर लोग पुनर्विचार के लिए अपील नहीं करते। सरकार का भी विचार नहीं आया है। अब सरकार में सदन के नेता श्री राम विलास पासवान हैं। संसदीय कार्य मंत्री श्रीकान्त जेना हैं। हम आपके माध्यम से उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि अगर वह इस पक्ष में बैठे होते और ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती और संतोष मोहन देव वहां बैठे होते तो उस हालत में वे क्या करते? क्या 193 पर चर्चा को पर्याप्त मानते या काफी देर तक जिद करते? अपोजिशन पार्टी में जो कम्पीटिशन होता है तो संभवतः आपके नियमन के खिलाफ बहिर्गमन भी कर जाते। यह भी स्थिति आती क्योंकि विरोधी दल के नेता माईल्ड होकर कह रहे हैं कि अगर आप कार्य स्थगन नहीं कराना चाहते तो 184 तो लीजिये। वे तो इसको भी करते। उसमें माईलेज लेने के लिए तुरंत सदन के बाहर जाते। ऐसी स्थिति में उनके पूर्व के जो आचरण हैं और ऐसे अवसरों पर उनके जो पुराने विचार हैं, उनको हम भी क्वोट कर सकते हैं। एक स्थिति में श्री राम विलास पासवान का और दूसरी स्थिति में श्री श्रीकान्त जेना का लेकिन मैं सदन का समय बचा रहा हूं क्योंकि जो पुराने सदस्य हैं, वे सब इस बात से वाकिफ हैं। अंत में श्री संतोष मोहन देव हैं। कांग्रेस पार्टी की बात तो मेरी समझ में नहीं आती। कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य हमने अखबारों में पढ़ा है कि पेट्रोलियम प्राइसेज में बढ़ोतरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सदन को चलने नहीं देंगे। अब कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ गई है। हालांकि यह बाहर थी। हम प्रशंसा नहीं करेंगे। आपने अंत में अपील की। वह गुस्से में थी लेकिन सच पूछा जाये तो कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन जो इस प्रतिक्रिया थी, उसके अनुरूप आचरण सुश्री ममता बनर्जी का ही हुआ। बाकी तो संतोष मोहन देव जी का समझ में ही नहीं आ रहा। वे बोल देते हैं कि सरकार नई है। आज भी उस सरकार का चौथी बार एक्सपेंशन हुआ है। पता नहीं कितनी बार एक्सपेंशन हुआ है। जैसे सोमनाथ चटर्जी ने कह दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पता नहीं इस सरकार का कितने दिन का भविष्य है। यह सब स्थिति को देखते हुए यही अवसर है। क्या पता यह इस लोक सभा का अंतिम सत्र हो, यह कोई भी नहीं कह सकता। अध्यक्ष महोदय, आप अपनी एक परम्परा का सर्जन कीजिये और अपने नियमन पर पुनर्विचार करिये और कार्य सथगन का प्रस्ताव लिया जाये।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया।

मैंने आपके अनुरोध पर अपना धरना समाप्त किया। परन्तु मैंने प्रधानमंत्री जी को अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

महोदय, यह एक बहुत ही चिन्ता का विषय है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि यह मामला देश के लोगों से जुड़ा है, किसी राजनीतिक दल से नहीं । राष्ट्रीय हित में कभी-2 हमें दलगत हितों से ऊपर उठ कर काम करना होता है। घरेलू गैस की कीमतों में भी 30 से 31 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। राज्यों में भी, विशेषकर पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में आप यह पक्षपात साफ देख सकते हैं। गैस की कीमतें दिल्ली, मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता में अलग-अलग हैं। आप यह जानकर हैरान रह जायेंगे कि इस वृद्धि से किसान, निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग के लोग और छोटे उद्योगपतियों का एक बड़ा वर्ग इस अप्रत्याशित मूल्य-वृद्धि से प्रभावित होंगे।

महोदय, मुझे लगता है कि आप इस मामले में भली प्रकार निर्णय कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि इस मामले को यूं ही चर्चा करके छोड़ दिया गया, तो इससे लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी। मुख्य बात तो निर्णय है और इसलिए मैं इसे आप पर छोड़ती हूं। यदि आप नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति प्रदान करें, तो बेहतर होगा क्योंकि उन्हें घरेलू गैस, लघु उद्योगों से संबंधित पेट्रोलियम उत्पादों तथा किसानों द्वारा अपने पम्प-सेटों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल की कीमतें कम करनी होंगी। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस संबंध में कोई निर्णय लें। देश के लोगों की नजरें हम पर जमी हैं। आप इसे दलगत विषय के रूप में नहीं लें। राजनीतिक दृष्टि से निर्णय न करें। आप इस पर देश के हितों को सामने रख कर निर्णय करें। आप इस मामले में निर्णय लें ताकि सरकार सभा को यह आश्वासन दे सके कि वह आवश्यक वस्तुओं और अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य घटाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान के बिना लोग जी नहीं सकते।

उन्होंने अपनी कार्य-सूची में कहा है कि वह दलित लोगों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को तंग नहीं करेंगे। चालीस प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे बसते हैं और वे प्रभावित होंगे ही। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। मैंने उनका प्रैस वक्तव्य पढ़ा है और 'दी टेलिग्राफ' जिसमें उनका वक्तव्य छपा है, मेरे पास है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनके भी इस मामले में अपने विचार हैं। मैं समझती हूं कि सत्ता पक्ष में भी संयुक्त मोर्चे के सदस्य भी, इस मूल्य वृद्धि को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यदि वे ऐसा करते है तो वे देश के मतदाताओं का सामना नहीं कर सकेंगे।

महोदय, मैं आपका भी आभार मानती हूं। मैं आपसे स्थगन प्रस्ताव की अनुमति की अपील करती हूं। मैंने नियम 56 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। निर्णय आपको लेना है। नियम 56

के अन्तर्गत इसकी अनुमति आप पर निर्भर है। अन्यथा आप नियम 184 के अन्तर्गत भी अनुमति दे सकते हैं ताकि सरकार कीमतें घटा दें। मैं नहीं समझती कि सरकार अपना सिर झुका लेगी परन्तु सरकार को देश के लोगों के सम्मुख नतमस्तक होना ही पड़ता हैं बस इतना ही कहना है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न विचार के लिए यह है कि आप स्थगन प्रस्ताव पर या उसे नियम 184 के अन्तर्गत परिवर्तित करके सदन के समक्ष चर्चा करें। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो कुछ भी मूल्य वृद्धि की गई है, इस मूल्य-वृद्धि के बारे में इस सदन में बैठे हुए सरकार के सभी पक्षों में मतभेद हैं, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के पोलित ब्यूरो ने कुछ कहा, सी.पी.आई. ने कुछ कहा और आज कांग्रेस के लोग भी कुछ कह रहे हैं और फारवर्ड ब्लाक तथा आर.एस.पी भी कह रही है। केवल जनता दल के अलावा कोई भी घटक ऐसा नहीं है जिसने इस मूल्य-वृद्धि का विरोध नहीं किया हो। सबने इसका विरोध किया है। यह बहुत ही विचित्र बात है। राम विलास पासवान जी भी विरोध करते रहे। आज चुप बैठे हैं। यह अलग बात है और रेल मंत्री के रूप में उनकी कठिनाइयां कितनी बढ़ेंगी, यह मैं जानता हूं 300 करोड़ रुपए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उनकी संयुक्त समिति तक में विचार नहीं किया गया है। समाचार-पत्रों में जो खबरें छपती हैं, सभी घटकों में इसकी तीव्र आलोचना की गई हैं इसका अर्थ है कि केवल जनता दल को छोड़कर बाकी सारा देश इस मूल्यवृद्धि के विरोध में है। इसको कहां प्रकट करें। इसके लिए कौन सा फोरम लायें, कौन सा मंच लायें? क्या सड़कों पर जायें? क्या सरकार यह चाहती है कि इस मामले में सरकार से जनता का सीधा-साधा आमना-सामना हो? या प्रतिपक्ष की और जनता की आवाज को सुनकर सरकार अपने विवेक के आधार पर फिर इस मूल्यवृद्धि को घटाये और यदि नहीं घटाये तो क्या इसकी भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस के सदस्य श्री संतोष मोहन देव ने कहा कि हम उन्हें एम्पीरेस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जी ने एडजोर्न मोशन स्वयं रखा है। मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी के अन्दर भी इस मामले में बहुत तीव्र रोष है और आप इस रोष को प्रकट होने दीजिये। कुछ इसमें सेनस्योर हो रहा है तो हमारे मित्र ने कहा कि सेनयोर डिसफयूण्ड। हमने डिसपूल्स नहीं किया। सेनस्योर थोड़ा माइल्ड ही रखा। उसमें आपको क्या परेशानी है? चूंकि हम आपकी रूलिंग का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए प्रतिपक्ष ने बहुत ही सुन्दर सुझाव रखा है कि नियम 184 के अन्तर्गत इस पर आप चर्चा करायें और उस चर्चा के माध्यम से दोनों बातें सिद्ध होंगी। एक तो देश की जनता का जो विचार है, देश की जनता की जो भावनाएं हैं, संसद उसका प्रतिनिधित्व करें। इस संसद को इस दल को उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह लोक सभा है। यह सभा लोकप्रतिनिधित्व करती है और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप लोक भावनाओं का आदर करने के लिए, लोक इच्छा का समादर करने के लिए लोगों में जो रंग है उसको प्रकट करने के लिए सदन को अवसर दें और सरकार को भी अवसर दें कि वह अपनी भूल सुधार सके। नियम 193 के अन्तर्गत सरकार को अपनी भूल सुधारने का अवसर नहीं है लेकिन स्थगन प्रस्ताव में और 184 के अन्दर सरकार को भूल सुधारने का भी अवसर मिल सकता है। हम चाहते हैं कि वह अपनी भूल का सुधार करें और जो कुछ उन्होंने गलत काम किया है, गलत नीतियां रखी हैं, इम्प्रीस्ट तरीके से भी रखी हैं और जन-विरोधी नीतियां भी उन्होंने जो अपनाई हैं, उन सबका ठीक से समाधान हो सके। मेरा आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है। मैं आपकी रूलिंग का बहुत समादर करते हुए कहता हूं कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्थगन के प्रस्ताव के रूप में लें अन्यथा नियम 184 के अन्तर्गत परिवर्तित कर दें। श्री जसवंत सिंह जी का प्रस्ताव नियम 194 के लिए है, वह नियम के अन्तर्गत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप परिस्थिति को बिगड़ने से बचायें। मुझे इस बात की आशंका है कि यदि सदन में उस पर ठीक से चर्चा नहीं हुई तो इसका परिणाम देश के जन मानस पर बहुत गंभीर होगा। देश की जनता इसके लिए बहुत व्याकुल है, इस बारे में बहुत रोष है। जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, उससे पता लगता है कि यदि इसका समय पर निराकरण नहीं किया गया तो देश में जन-रोष की भारी लहर घूम जायेगी और फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप इसे नियम 184 के अन्तर्गत लें।

[अनुवाद]

श्री वी.के. गवी (बनासकांठा) : महोदय, मैं समझता हूं कि आज जो मुद्दा उठाया गया है, चर्चा उससे दूर हो गई है। आपने नियम 193 के अन्तर्गत विचार की जो अनुमति दी थी, वह 1980 के पिछले विनिर्णय पर आधारित थी।

स्पष्ट है कि यह मुद्दा पेट्रोलियम उत्पादों के आकलित मूल्यों में वृद्धि से संबंधित था। जो भी तर्क दिये गए, उन सब पर विचार किया गया और उन्हें समझा गया। जहां तक मुझे स्मरण है, माननीय इसी मुद्दे पर विपक्ष के माननीय नेता ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। अतः, यह कहना अनुचित होगा कि आपने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा हेतु विनिर्णय दिया था जो तथ्यों पर आधारित नहीं है और जो संबद्ध कारकों के मूल्यांकन पर आधारित नहीं है। नियम 193 के अन्तर्गत एक विस्तृत चर्चा की जा सकती थी जिसमें मूल्य-वृद्धि के सभी पहलुओं, समाज के विभिन्न वर्गों पर, अर्थव्यवस्था पर, किसानों पर और घरेलू उपयोग पर उसके प्रभाव पर चर्चा की जा सकती थी और अभी भी इस पर कोई रोक नहीं है। अतः यह कहना कि नियम 184 के अन्तर्गत इस पर चर्चा की जानी चाहिए, मात्र मामले को और जटिल बनाना है क्योंकि फिर संशोधन और विभाजन के प्रश्न उठेंगे। अतः, विपक्षी दल, इस कूटनीति के सहारे सर्वसम्मत राय को नष्ट करना चाहता है जिसे हम इस मूल्य-वृद्धि का विरोध करने हेतु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं कहूंगा कि कुछ टिप्पणियां जल्दबाजी में की गई थी और संबद्ध कारकों और तथ्यों को भली भांति सुनकर समझकर की जानी चाहिए थी। यह तर्क मान्य नहीं है।

अब सदन का और अधिक समय बर्बाद किए बिना हम नियम 193 के अन्तर्गत विस्तृत चर्चा शुरू कर सकते हैं और जैसा कि श्री सन्तोष मोहन देव ने कहा है, हम चर्चा को लम्बा भी कर सकते हैं, हम नियम 193 के अन्तर्गत पूरा वाद-विवाद कर सकते हैं और इस पर कोई रोक नहीं है। सरकार भी निश्चित रूप से इसका उत्तर देगी और सरकार इसके अनिवार्य कारण बताएगी कि यह क्यों किया गया और यदि इसमें संशोधन अथवा पुनर्विचार के लिए स्थान है, तो सरकार इस विषय में व्यावहारिक रूख अपनाएगी। हम कृषकों औद देश के अन्य समस्त वर्गों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों के विषय में अन्य विपक्षी दलों के समान पूर्णतया चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई चिन्ता नहीं है।

मुद्दा यही है। एक अत्यन्त सीमित विषय पर इस ढंग से चर्चा करना और फिर यह बहाना बनाना कि हमें मूल्य वृद्धि के बारे में कोई चिन्ता नहीं और सभा का एक विशिष्ट वर्ग ही अधिक चिंतित है, आडम्बर मात्र है। अतः मेरा निवेदन है कि हमें इसी समय नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ कर देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नोनी) : जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहलू तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपने मंच से पहले ऐलान कर दिया था कि 193 के तहत डिसकशन हो, लेकिन इस ऐलान के बावजूद आप नजरेसानी करने और रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि जो पेट्रोल और अन्य तमाम चीजों के दाम बढ़े हैं इसे हम 193 में डिसकस करें, एडजॉर्नमेंट मोशन के जरिए डिसकस करें या किसी और तरीके से डिसकस करें, हमें यह देखना है। यहां मैं लीडर आफ द अपोजिशन के जजबात से बिल्कुल एग्री करता हूं। हमें यह देखना है कि लोगों के जो ख्यालात हैं वह भरपूर अंदाज में इस ऐवान के सामने जाहिर हो। अब यह कैसे हो सकता है और किस रूल के तहत हो सकता है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि पेट्रोल वगैरह की जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं इससे यकीनन लोगों में नाराजगी हैं शिदत के साथ उनके अंदर एजिटेशन हैं लेकिन लोग चाहते क्या हैं? लोग यह नहीं चाहते कि यह हुकूमत ही खत्म हो जाए और चली जाए। लोग चाहते हैं कि ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इन्हें वापस लिया जाए या उसमें कटौती की जाए।

अगर आज एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये गौर किया जाएगा तो फिर लोगों से हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे। अगर एडजोर्नमेंट मोशन मंजूर होता है तो इसका मतलब तो यह है कि यह हुकूमत ही चली जाएगी। लेकिन यह अवाम की राय नहीं है। आवाम हुकूमत को मौका देना चाहता है कि वे आएं और काम करें हो, पेट्रोल की कीमत में जो वृद्धि हुई है उससे उसमें गुस्सा है। आवाम का मतलब यह है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो। इसीलिए इस वक्त एडजोर्नमेंट मोशन नहीं, क्योंकि यह आवाम की राय जाहिर नहीं करता। हमें कोई और मोशन देखना होगा। जैसा पहले भी मैंने कहा, अगर 193 के तहत हम इसे करते हैं तो हम सिर्फ बहस से किसी नतीजे पर नहीं पहूंचेंगे। इसलिए अवाम की राय यह है कि कीमतों में जो इजाफा हुआ है या तो उसे वापस ले लिया जाए या उसमें जबरदस्त कटौती की जाए। इसके साथ अवाम के जजबात पेश करने हैं, इसलिए मैं 184 के लिए आपसे दरख्वास्त करूंगा और 184 में मोशन इस तरीके का होना चाहिए कि यह जो कॉमन आदमी के साथ बे-इंसाफी हुई है, आम आदमी को जो निशाना बनाया गया है, यह जो कमरतोड़ इजाफा हुआ है इस इजाफे को या तो वापस ले लिया जाए या इसमें जबरदस्त कटौती की जाए। इस किस्म का अगर मुजाहरा होता है तभी ऐवान अवाम की राय को भी पेश करेगा और अवाम हुकूमत को मजबूर भी कर सकता है कि वह इस इजाफे को वापस लें इसमें जबदस्त कटौती करे। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर 184 के अंदर इसी अंदाज से बहस करने की इजाजत दी जाए।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : तेल की कीमत में वृद्धि का मामला सारे देश के 90 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर सारी पार्टियों द्वारा बहस होनी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी के जब जैना जी भी चाहते हैं कि बहस हो तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर हम लोग बिना बहस के चले जाएंगे तो सड़कों पर लोग निकलेंगे, दंगे-फसाद होंगे। बाद में तो वृद्धि कम करनी ही पड़ेगी और यह सरकार की मजबूरी होगी। यहां अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो बाहर जनता को कौन रोकेगा? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस पर बहस हो, एडजोर्नमेंट मोशन आए। अगर सरकार इस पर रिव्यू नहीं करती है तो बहस जरूर हो। आज मूल्य-वृद्धि के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग इस बात को कतई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता हमसे पूछेगी कि तुम किस लिए हो। हमारी लड़ाई तुमने हाउस में नहीं लड़ी। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर एडजोर्नमेंट मोशन ही स्वीकार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, यह गतिशील निर्वचन का दौर है। आपने सन् 1980 के विनिर्णय का जिक्र किया है। हम 1996 में पहँच गए हैं। उच्चतम न्यायालय भी अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करता हैं 1980 की तुलना में अब जन-अपेक्षाएं भी बदल गई हैं। अतः, जब उपेक्षाओं का स्तर बदल गया है, तो विनिर्णय भी इसे दृष्टि में रखकर दिया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा यह नियम का गतिशील निर्वचन है। विनिर्णय का प्रथम भाग विचारणीय है।

यदि हम इसे पढ़ें तो भविष्य के लिए सभा को दिया गया संदेश यह है कि यह सरकार के लिए अनुचित था कि वह सभा में प्रस्तुत किये बिना इस प्रकार की मूल्य-वृद्धि करे। यह अधिक उचित होता कि पहले संसद इस पर विचार कर लेती। सरकार ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने उस टिप्पणी को कोई सम्मान नहीं दिया अतः, इसे ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ऐसा करने में कोई हानि भी नहीं है। जब उच्चतम न्यायालय के ध्यान में कोई तथ्य लाए जाते हैं, तो वह उन पर फिर से विचार करता है। एक खण्डपीठ द्वारा पारित किए गए आदेश पर उसी खण्डपीठ द्वारा फिर से

विचार किया जाता है। अतः, जब नए मुद्दे ध्यान में लाए जा रहे हैं तो अपने विनिर्णय में परिवर्तन करने में बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है। मैं केवल यही सुझाव देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसल (बुलढाना) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का नया सदस्य हूं लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि कानून हमारे लिये है या हम कानून के लिये हैं। मुझ से पहले एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि अगर अध्यक्ष ने दिया हुआ निर्णय बदला तो प्रीसिडैंट गलत हो जायेगा। मेरा कहना है कि स्पीकर हाउस के लिये है या हाउस स्पीकर के लिये है। इस मामले के साथ जनता की और सदन की भावना जुड़ी है। इसको लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा सुबह से चालू है और निर्णय लेने जैसी बात है। सभी पार्टी सदस्यों ने इसमें भाग लिया। अगर आप केवल प्रिसिडेंट गलत होगा, यह बात में जाएंगे यहां चर्चा नहीं करायेंगे तो गलत होगा। मैं ऐसा सुझाव देना चाहता हूं कि नियम 184 के अधीन यहां चर्चा होनी चाहिए।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि देश के कितने लोग नियम 184, नियम 193 और एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में जानते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न, किसी जानकारी के मुद्दे पर नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री पी.कोदंडारमैया (चित्रदुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा स्थगन प्रस्ताव की ग्राहयता से संबंधित है। यदि अध्यक्ष महोदय अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, तो कोई हर्ज भी नहीं हैं। सदस्य भी आपसे यह आग्रह करते रहे हैं। परन्तु फिर प्रश्न यह उठता है कि जो निर्णय पहले दिया जा चुका है क्या उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। अब आपने मामले के तथ्यों को उजागर कर दिया है। सभा ने भी तथ्य दिए हैं और आपने भी 1980 के विनिर्णय को उद्धृत किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा प्रदत्त निर्णय को बदल सकता है, तो अध्यक्ष महोदय भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यदि कोई न्यायालय अपने निर्णय में कोई संशोधन करता है तो अध्यक्ष महोदय के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह अपना निर्णय बदलें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मुझे लगता है आपने अपना मत व्यक्त कर दिया है।

श्री पी.कोदंडारमैया : अब इस मामले से दो मुद्दे जुड़े हैं पहला है विपक्षी दल का विरोध इस बात के लिए कि सरकार को संसद सत्र के नजदीक होने पर मूल्य वृद्धि की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी अथवा क्या यह विरोध केवल मूल्य-वृद्धि के विषय में है या दोनों के प्रति है?

दोनों में से किसी भी स्थिति में, चाहे यह सरकार सत्ता में है अथवा कांग्रेस सत्ता में होती या फिर भाजपा सत्ता में होती, मूल्य वृद्धि अपरिहार्य थी। संभवतः विपक्ष अथवा सदन से बाहर हमारे मित्र मूल्य वृद्धि के बजाय वृद्धि की मात्रा को लेकर अधिक चिन्तित हैं। सौभाग्य से कांग्रेस पार्टी ने सरकार नहीं बनाई और आपने दोनों सदस्यों के बीच मत भेदों को देखा है। एक सदस्य चाहते थे कि प्रस्ताव को नियम 193 के अंतर्गत लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें। मैं समझता हूं कि आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री पी.कोदंडारमैया : अब मेरा कहना यह है कि अंततः आपके पास अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कोई आधार नहीं है। मामले पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि पूरे देश के अन्दर पैट्रोलियम पदार्थों के जो दाम बढ़े हैं, उनको लेकर बहुत गुस्सा और तकलीफ दोनों हैं। मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि दाम उतने ही बढ़ने चाहियें जनता उसको बर्दाश्त कर ले...**(व्यवधान)** मुझे अपनी बात कहने दीजिये। दाम इतने नहीं बढ़ने चाहिये कि पूरे देश में हाहाकांर मच जाए। दाम अधिक बढ़ने से पूरे देश में हाहाकार की स्थिति पैदा हुई है।

आदरणीय विरोधी दल के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है कि अगर काम रोको प्रस्ताव के जरिये इसपर विचार नहीं हो सकता है तो नियम 184 के अधीन इसपर विचार किया जाये।...**(व्यवधान)** अगर आप रूल्स आफ प्रोसीजर ऐंड कंडैक्ट आफ बिजनस पढ़ लेंगे तो समझ जायेंगे। आप कोई रास्ता निकालें जिससे सभी संतुष्ट हो जायें क्योंकि पूरा देश सदन की तरफ देख रहा है। विरोधी दल और सत्ता पक्ष का एक ही काम है राष्ट्र के हित में काम करना। मैं चाहूंगा कि नियम 184 के अधीन ही इस पर बहस करायी जाये। आदरणीय इन्द्रजीत गुप्त जी और मुलायम सिंह जी यहां मौजूद हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

मेरा सरकार से निवेदन है कि 25 प्रतिशत जो बढ़ोतरी की गयी है, उसको कैबिनेट में डिसकस करके थोड़ा कम करके अनाउंस किया जाये जिससे देश की जनता को राहत मिले। श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे व्यक्ति बैठे हुये हैं जो गत 37 वर्षों से सांसद रहे हैं और श्री मुलायम सिंह जी भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। इसलिये उनसे निवेदन करूंगा कि...

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : ये तो सी.एम. बनना चाहते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : तो इसमें आपको क्या एतराज है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें और जनमत को मद्देनजर रखते हुए सरकार कार्यवाही करें।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया एक मिनट रूकें। आज 3 बजे मेरी कार्य मंत्रणा समिति के साथ बैठक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने आज सुबह जो निर्णय दिया है उस पर पुनर्विचार करने का कोई आधार बनता है अथवा नहीं। मैं 45 मिनट के भीतर अथवा उससे भी जल्दी सदन में अपनी टिप्पणी करूंगा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की क्या कोई वजह है अथवा नहीं। इस दौरान, नियम 377 के अंतर्गत मामलों पर तथा कार्यसूची में शामिल किए गए अन्य विषयों पर चर्चा जारी रह सकती है। लेकिन इस मामले पर चर्चा ठीक 4 बजे शुरू की जाएगी। मैं पुनर्विचार मामले पर पुनः बात करूंगा। अब, श्री रामेश्वर पाटीदार

अपराह्न 3.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले—जारी

(दो) अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगौन) : अध्यक्ष महोदय, अमरनाथ यात्रा हिन्दू धर्म की परम महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक है, परन्तु आज जो भी अमरनाथ यात्रा करना चाहता है, वह डरी और सहमी यात्रा करता है। पग-पग पर उसे अपनी जान का खतरा बना रहता है। गत वर्ष भी आतंकवादियों की धमकी भरे माहौल में अमरनाथ की यात्रा हुई थी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जैसे हज यात्रियों को सुविधा एवं सहायता प्रदान की जाती है, उसी तरह की सुविधा अमरनाथ यात्रियों को भी प्रदान की जाए।

अपराह्न 3.02 बजे

(श्री पी.एम.सईद पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

(तीन) अहमदाबाद की रूग्ण कपड़ा मिल को राष्ट्रीय नवीकरण कोष में से पर्याप्त धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अहमदाबाद शहर में 15 बीमार बंद कपड़ा मिलें हैं। इन मिलों में काम करने वाले लगभग पचास हजार कामगार बेरोजगार हैं और उनके परिवार भूखों मर रहे हैं। वहां अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हुई इस हालत के कारण अहमदाबाद ने अनेक सामाजिक तनावों को झेला है जिसमें साम्प्रदायिक दंगे भी शामिल हैं। नौ राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय नवीकरण कोष में से पर्याप्त धनराशि जारी करे ताकि इन बेरोजगार कामगारों को कुछ राहत मिल सके।

(चार) हिमाचल प्रदेश को विद्युत पर दी जाने वाली रायल्टी की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त हुआ उस समय पंजाब से कटकर हरियाणा प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाये गये और जो वहां पर विद्युत का उत्पादन होता था उसका भी बंटवारा दोनों राज्यों के बीच में हुआ जिसमें हिमाचल प्रदेश को 7.19 रायल्टी देने का प्रावधान किया गया और उसमें से राज्य सरकार को जो इस वक्त रायल्टी दी जाती है, वह 2.19 है। इसके लिए जो आधार बनाया गया था उसमें वर्तमान रायल्टी पांच प्रतिशत कम है। न ही राज्य सरकारों ने हिमाचल को उसके बंटवारे अनुसार धन दिया और न ही भारत सरकार ने धन दिलाने के लिए राज्य सरकारों को आदेश जारी किया।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हिमाचल प्रदेश का 1400 करोड़ रुपया जो इन राज्यों में बकाया है उसे दिलाने की केन्द्र सरकार कार्यवाही करे ताकि हिमाचल प्रदेश के विकास के कामों में किसी तरह की रूकावट न आए।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा में मन्दिरा बांध के निर्माण के कारण जिन लोगों की भूमि से रेत निकाली गई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान जनजातीय लोगों की उन सैकड़ों एकड़ जमीन की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जिसे मन्दिरा बांध द्वारा रेत निकालने के लिए ले लिया गया है। मन्दिरा बांध का निर्माण राउरकेला इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति करने की दृष्टि से किया गया है। इस बांध के निर्माण के लिए तकरीबन बत्तीस जनजातीय गांव विस्थापित कर दिए गए थे। इस बांध के निर्माण के कारण, बांध के ऊपरी हिस्से में जनजातीय लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन में से रेत निकाली जा रही है।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह उन परिवारों को उचित मुआवजा दे जिनकी खेतीबाड़ी की जमीनों से रेत निकाली जा रही हैं। मैं सरकार से यह भी आग्रह करती हूं कि वह राउरकेला इस्पात संयंत्र

में ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवारों के कम से एक व्यक्ति को रोजगार भी प्रदान करे।

(छः) बिहार में नबीनगर ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति जी, बिहार राज्य में घोर विद्युत संकट है। जनता को सप्ताह में मात्र दो दिन बिजली की आपूर्ति होती है। जिससे किसानों की फसल नष्ट हो रही है, लघु उद्योग नष्ट हो रहे हैं। युवा वर्ग में स्वरोजगार के संसाधन समाप्त हो रहे हैं और राज्य का सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त है।

विद्युत समस्या के निदान हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नबीनगर में 1000 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना का प्रस्ताव है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में प्रस्तावित नबीनगर थर्मल पावर परियोजना को स्वीकृत करके शीघ्रताशीघ्र विद्युत आपूर्ति की समस्या हेतु उचित एवं कारगर कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

(सात) जलपाईगुड़ी अथवा सिलीगुड़ी में रसोई गैस भरने के संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुड़ी) : महोदय मैं सरकार का ध्यान मंडलीय मुख्यालय, जलपाई गुड़ी में रसाई गैस की बेहद कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मौजूदा डीलरों के पास तकरीबन 5000 रसोई गैस कनेक्शन के आवेदन-पत्र लंम्बित पड़े हैं। उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेन्डरों की अनियमित आपूर्ति क्षेत्र में दूसरा संकट उत्पन्न कर रही है जिसकी परिणति लोगों द्वारा चक्का जाम के रूप में होती है। क्षेत्र के लोग उस मुद्दे को लेकर काफी उद्वेलित हैं। यह संकट केवल जलपाई गुड़ी में ही नहीं है बल्कि यही स्थिति उत्तर बंगाल के समस्त जिलों में व्याप्त है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि या तो वह मौजूदा डीलरों का एल.पी.जी. कोटा बढ़ा दे या फिर क्षेत्र में और अधिक डीलरशिप को मंजूरी दे ताकि बकाया मांगों को पूरा किया जा सके और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से एलपीजी सिलेन्डरों की आपूर्ति करके तनाव को कम किया जा सके। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह जलपाई गुडी अथवा सिलीगुड़ी में शीघ्रातिशीघ्र एक रसोई गैस भराई संयंत्र की स्थापना करे ताकि उत्तर बंगाल के जिलों की मांग को पूरा किया जा सके।

(आठ) मद्रास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्यन (डिंडीगुल) : भारत का एक महत्वपूर्ण महानगर होने के कारण मद्रास के पास एक वृत्ताकारीय (सरकुलर) त्वरित रेल परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यातायात की भीड़भाड़ से बचा जा सके, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखा जा सके और प्रतिदिन यात्रा करने वालों तथा आम जनता को द्रुत परिवहन उपलब्ध कराया जा सके।

'मद्रास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (एम आर डी एस), जिसकी अभिकल्पना दक्षिण रेलवे के 'मद्रास एरिया ट्रांसपोर्ट स्टडी- द्वारा 1968-70 के दौरान की गई थी तथा जिसे योजना आयोग द्वारा 1983 में मंजूरी भी दे दी गई थी, अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। मद्रास बीच से लुज माइलपोर खण्ड के बीच परियोजना लागत 1987 में 168.21 करोड़ रु. प्राक्कलित की गई थी, जो 1996 में बढ़कर 252 करोड़ रु. हो गई इस परियोजना में 8.79 कि.मी. की दूरी का रेलमार्ग शामिल था। परियोजना केवल चेपक तक पूरी हो पाई है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। लुज से वेल्लाचेरी के बीच 10.32 कि.मी. दूरी का दूसरा चरण अभी शुछ किया जाना है। वेल्लाचेरी से विलिवक्कम के बीच तीसरे चरण और अंततः वेल्लाचेरी होते हुए विलिवक्कम से अवडी के बीच के चरण का कार्य दूसरे चरण का कार्य समाप्त होने के बाद शुरू किया गया है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उस प्रतिबद्धता के साथ परियोजना में तेजी लाने के लिए आगामी बजट में पर्याप्त निधियों का आबंटन करे जिससे कि कम से कम लुज तक की परियोजना को मार्च, 1977 तक पूरा किया जा सके और उसके फौरन बाद दूसरे तथा तीसरे चरण के कार्य को शुरू किया जा सके।

अपराह्न 3.09 बजे

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी.देवेगौड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कि यह सभा जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1996 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

महोदय, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 18 जुलाई, 1996 को समाप्त हो रही है तथा हम इसे थोड़े और समय के लिए बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि हम इस अवधि को छः महीने और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं फिर भी मैं इस महान सदन को यह बात सुस्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने वहां पर चुनाव यथासंभव शीघ्र कराने का निर्णय पहले ही ले लिया है। इस सिलसिले में, मैंने लगभग

सभी विपक्षी नेताओं से चर्चा की है और उन्होंने भी जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि थोड़े और समय के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है।

विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों में से एक मुद्दा मतदाता सूची में कतिपय दोषों के बारे में था। हमने प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए हैं कि उनका संक्षिप्त संशोधन एक महीने की छोटी अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए। कुछेक राजनैतिक दलों द्वारा व्यक्त की गई एक दूसरी आशंका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में थी। महोदय, मैं सेना और प्रशासन की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने संसदीय चुनाव के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का भरसक प्रयत्न किया। यदि मैं सेना तथा स्थानीय लोगों और चुनाव आयोग की प्रशंसा नहीं करता हूं, उन्हें धन्यवाद नहीं देता हूं तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहूंगा।

महोदय, वहां की मतदाता सूची में जो भी थोड़ी बहुत खामियां हैं, उन्हें संक्षिप्त संशोधन में ठीक कर दिया जाएगा। लगभग दो लाख फार्मों का वितरण किया गया और 12000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण के लिए अपने-अपने पतों को देते हुए फार्म भर कर वापस कर दिए हैं।

महोदय, हाल ही मैंने कश्मीर का दौरा किया है। वहां की सभी स्थानीय राजनैतिक दलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जितनी जल्दी हो सके वहां चुनाव कराए जाने चाहिए। संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि घाटी में लोग शांति चाहते हैं। वहां शांति केवल चुनाव करवाकर ही लाई जा सकती है।

महोदय, कुछ लोगों ने स्वायतता का मुद्दा उठाया है। हमने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी स्वायतता मुद्दे का जिक्र किया है। मैं पुनः इस सदन तथा उन अन्य राजनैतिक दलों को भी आश्वासन देना चाहूंगा जो मुझसे मेरे कश्मीर दौरे के दौरान ऊपर मेरे द्वारा कही गई बातों के सिलसिले में मिले थे। उस दिन मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक स्वयत्तता संबंधी मुद्दे का संबंध है, नई सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करना बेहतर होगा। महोदय, मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वे सभी इस बात पर राजी हो गए थे।

उस बारे में मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हालांकि हमने राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने और बढ़ाने की मांग की है फिर भी ज्यादा संभावनाएं इस बात की हैं कि चुनाव किसी समय सितम्बर में अथवा अक्तूबर के प्रथम सप्ताहांत के पूर्व ही करा लिए जाएंगे। तिथियों के बारे में अंतिम फैसला चुनाव आयोग द्वारा किया जाना है। मैंने इस महीने की 8 तारीख को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा में स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति शासन छः महीने और बढ़ाने का उद्देश्य यही है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि चुनाव यथा संभव शीघ्र करवाए जाएंगे। तिथियों के बारे में निर्णय चुनाव आयोग द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। मैं तिथियों की घोषणा नहीं कर सकता। मैं केवल यही आश्वासन दूंगा कि चुनाव जितना जल्दी हो सका, करवाए जाएंगे और यदि संभव हुआ तो सितम्बर में ही करवा लिए जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि वह संकल्प को अपना अनुमोदन प्रदान करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा जम्मू-कश्मीर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1996 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

माननीय सदस्यो सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया गया है। इस पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय दिया गया है।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए हालातों में मैं राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के बारे में बिना सोचे-समझे बहुत-सी ऐसी बातें कही गई हैं जिनका प्रभाव खतरनाक हो सकता है।

माननीय रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर गए उन्होंने कहा, "शीघ्र ही हम कश्मीर को अधिकाधिक स्वायतता देने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं।" माननीय गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि "यदि हम कश्मीर को रखना चाहते हैं—शब्दों पर गौर कीजिए, यदि हम कश्मीर को रखना चाहते हैं—हमें स्वायत्तता देनी होगी।" घुटने टेकने की प्रवृत्ति देखिए। रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं गृह मंत्री पूर्णतः भिन्न बात कहते हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भिन्न बात कह रहे हैं कि हम विधान मंडल से परामर्श करेंगे।

मुझे आशंका है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को मामले की पृष्ठभूमि का विस्तार से विवरण दिया गया है। क्या वह यह जानते हैं कि किन हालातों में तथा कथित स्वायत्तता दी गई थी। सर्वप्रथम, मेरे विचार में आपने जो कहा है 'अधिकतम स्वायत्तता' इसका क्या अभिप्राय है? मैं सत्ता पक्ष को चुनौती देता हूं कि वह मुझे इसके बारे में स्पष्ट करे।

प्रारंभ में ही, मैं उनको यह चुनौती देना चाहता हूं जिन्होंने संविधान से अधिकतम स्वायत्तता को उद्धृत किया है कि वे मुझे बताएं कि वे राज्य सरकार के विद्यमान क्षेत्राधिकार में और क्या जोड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एक मदं बताईए। मैं उन सभी अनुभवी मंत्रियों से पूछ रहा हूं कि वे मुझे एक भी बात बताएं जो वे जोड़ना चाहते हैं। आप यदि इस समय मुझे नहीं बता सकते, तो कृपया अपने अधिकारियों से परामर्श कीजिए कि ये बातें हैं जो हम विद्यमान स्थिति में जोड़ना चाहते हैं।

वास्तव में, जम्मू-कश्मीर की समस्या सत्ता का अभाव नहीं रहा हैं बल्कि सत्ता की अधिकता रही है। अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल

कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है तथा आम आदमी को अनुच्छेद 370 के कारण परेशानी उठानी पड़ी है। मैं यह केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं कह रहा हूं, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं हैं। मैं यह अपने जम्मू-कश्मीर के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मुझे छह वर्ष तक इस राज्य की सेवा का अवसर मिला था। अनुच्छेद 370 को निहित स्वार्थी लोगों द्वारा कश्मीर में नौकरशाहों राजनीतिज्ञों, व्यापार में कुछ अन्य विहित स्वार्थी लोगों के छोटे-छोटे समूहों के एक भ्रष्ट और कठोर अल्पतंत्र को सरंक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया गया है तथा इसमें कश्मीर के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचान है।

अब अधिकतम स्वायत्तता क्या है जिसके बारे में बोला जा रहा है? क्या आप इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं? दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संयुक्त जनमतसंग्रह के रूप में जल्दबाजी में एक उद्घोषणा की गई थी, इसके बारे में हम सब जानते हैं मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन तथ्य यह है कि 26 जनवरी, 1950 के बाद हमारे संविधान के अनुच्छेद । में जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र की बात की गई है तथा इसे भारत के संघ का एक अभिन्न अंग कहा गया है। उसके बाद केन्द्र और राज्य के बीच कार्य को लेकर कुछ समझौते किए ग ए।

राज्य और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कुछ विचार-विमर्श हुए तथा एक समझौता हुआ जिसे "डेली एग्रीमेंट' के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ऐसा कोई समझौता नहीं है। दो वक्तव्य दिए गए थे। एक तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा इसी सभा में दिया गया था और दूसरा ।1 अगस्त, 1952 को शेख अब्दुल्ला द्वारा राज्य संविधान सभा में दिया गया था। समझौता क्या था? कुछ ऐसी बातें थी जिनपर केन्द्र ने सहमति जताई थी तथा कुछ बातों पर राज्य द्वारा सहमति जताई गई थी उदाहरण के तौर पर, यह निर्णय लिया गया था कि महाराजाओं के वंशानुगत शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ इस बात पर भी सहमति हुई थी कि भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों को जम्मू-कश्मीर पर लागू किया जाएगा। अन्य उपबन्ध भी हैं, कार्य प्रणाली भी निर्धारित करनी थी; वित्तिय समरूपता लानी थी सीमा शुल्क को समाप्त करना तथा और बहुत सी बातें थी। मैं उन मामलों की सूची देने में सभा का समय नष्ट करना नहीं चाहता। लेकिन उसी समय श्री शेख अब्दुल्ला ने तथाकथित जनमत संग्रह के बारे में भारतीय उद्घोषणा का लाभ उठाते हुए ऐसे कार्य किए जो उनके पक्ष में थे, लेकिन वे कार्य नहीं किए जो उस समझौते के अंतर्गत किए जाने उपेक्षित थे।

पंडित जी की बहुत सी घोषणाओं से आप देख सकते हैं कि वे श्री शेख अब्दुल्ला के रवैये से नाराज थे। उस समय श्री शेख अब्दुल्ला ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वह अपनी मांगें उठाते रहे क्योंकि किसी प्रकार से उनको यह आभास हो गया था कि भारत ने जनमतसंग्रह के बारे में गलती की है तथा वह इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता है यदि जम्मू-कश्मीर में कुछ किया गया तो वे उसे खुश रखेंगे; इस प्रकार के समझौते करते गए। अतः, उस स्थिति के अंतर्गत कुछ काम रूक गए। और अन्ततः उस षडयंत्र के कारण शेख अब्दुल्ला को बरखास्त करना पड़ा जो हम सब जानते हैं। इस बात के लिखित दस्तावेज हैं कि कश्मीर में स्वतंत्र शेख सरकार बनाने के लिए वे अमरीका के साथ सांठ-गांठ कर रहे थे। आपने लॉयड एण्ड्रसन के कागजात देखे हैं वे 1952-53 में उस समय के रिकार्ड हैं। आपने अमरीका के पुस्तकालय में एडल्स एलीवन के दस्तावेज देख हैं। वे सब यह दर्शाते हैं कि वे सांठ-गांठ कर रहे थे। 30 जनवरी, 1948 तक का एक रिकार्ड श्री जेन आर्स्टन द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि श्री शेख अब्दुल्ला कै साथ चर्चा के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्वतंत्र कश्मीर के हक में हैं, वे इसके लिए कढ़े प्रयास कर रहे हैं, अतः उन्होंने हमेशा इस बात को अपने साथ रखा। इसी कारण उन्होंने भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों को लागू नहीं किया। जब उन्हें बरखास्त किया गया, हटाया गया, वहां विधान सभा थी, संविधान सभा थी। उन्होंने सभी संकल्प पारित किए तथा कुछ विस्तार किए गए। 1954 में हमारे संविधान ने अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा एक संविधानिक आदेश जारी किया गया जिसमें भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू करने की बात थी। वित्तिय संघटन 1954 में किया गया। जनगणना 1957 या 1958 में प्रारंभ की गई थी। अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार किया गया। लेखाकार और यहां लेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में विस्तार किया गया। निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया। लेकिन राज्य का कानून अभी भी जारी था। उन्हें इसमें भी कुछ करना था। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय से कुछ क्षेत्राधिकार दिए गए। सारांश यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बात पर सहमति प्रकट की गई थी। एक नियमित सांविधानिक आदेश पारित किया गया था। मैं बरीकी में नही जा रहा हूं। ये वास्तविकत्ता की धुरी है। आपको राज्य प्रशासन चलाना है।

आपको प्रशासनिक व्यवस्था कायम करनी है। आपको राज्य और केन्द्र के बीच कार्य के दबाव से संबंध रखने हैं। 1975 के समझौते के बारे में मैं बाद में बात करूंगा।

लेकिन आज मुद्दा यह है कि राज्य के पास सभी आरक्षित शाक्तियां हैं। इसके पास समवर्ती शक्ति है। उपर्युक्त जो जोड़ा गया है वह राज्य सरकार की पूर्ण सहमति से किया गया है वे वहां पर थे। अब प्रश्न उठता है कि वे कौन सी बातें है जिन पर हमें आपत्ति है? "1952 की स्थिति वापस लाओ" "1953 की स्थिति वापस लाओ" यह वक्तव्य कौन दे रहा है? यह सब गलत है। गलत बात कही जा रही है। 1953-53 से पहले क्या स्थिति थी? उदाहरण के तौर पर कोई वित्तीय समरूपता नहीं थी। क्या अब आप चाहेंगे•कि जम्मू और कश्मीर तथा भारत सरकार के बीच कोई वित्तीय समरूपता न हो? क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के संसाधन क्या हैं? भोजन के लिए सम्पूर्ण शत प्रतिशत धनराशि तथा गैर-योजना के लिए 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है अब, यदि कोई वित्तीय समरूपता नहीं होगी, यदि आप केवल रक्षा, संचार और विदेशी मामलों में पूर्व अवस्था में आ जाएंगे तो जम्मू और

कश्मीर के विकास हेतु कोई धन नहीं होगा। आपको सीधे सीधे 60 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती करनी होगी। क्या किसी ने इन कठिनाइयों के बारे में कोई बात की है, हम किसके बारे में बोल रहे हैं?

मेरे पास ये आंकड़े मेरे द्वारा लिखित अपने ही लेख से लिए गए हैं जिसमें दर्शाया गया है कि 1954 से जम्मू और कश्मीर को वित्तीय समरूपता का कितना लाभ मिला है। मैं विशेषकर श्री पासवानजी से चाहूंगा कि वे जम्मू और कश्मीर की तुलना में बिहार के आंकड़ों के बारे में सुनें। यह रिजर्व बैंक के अक्तूबर 1994 के बुलेटिन के अनुसार है। वर्ष 1993-94 के लिए बिहार के लिए प्रति व्यक्ति की तुलना 192 की तुलना में जम्मू और कश्मीर प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 229। थी। 229। के आंकड़ों की बिहार के 192, तमिलनाडु के 223, राजस्थान के 304 तथा उत्तर प्रदेश के 33। से तुलना कीजिए। जम्मू और कश्मीर के मामले में 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में है, 10 प्रतिशत ऋण के रूप में, जबकि जिन चार राज्यों का मैंने उल्लेख किया है उनके लिए यह 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण है। इसी प्रकार उसी वर्ष में जम्मू और कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति गैर-योजना अनुदान 699 है जबकि बिहार के लिए यह 64, तमिलनाडु के लिए 26, राजस्थान के लिए 73 और उत्तर प्रदेश के लिए 20 है। अब प्रश्न यह है कि इस सीमा तक वित्तीय समरूपता का लाभ वहां हुआ है। अब यदि आप पुरानी स्थिति जो कि 1952 की स्थिति कही जाती है, के बारे में बात करें, तो आप को वहीं रूकना होगा। यदि आज कोई कहता है "ठीक है" हम धन देना जारी रखेंगे; हमें इस समरूपता को जारी रखना होगा लेकिन शेष कानूनों के लिए उन्हें अपनी इच्छानुसार करने दो; तो क्या यह उचित होगा?

दूसरा प्रश्न है कल यदि उनके पास सिविल कानून हो जाए, यदि आपराधिक कानून उनके पास हो गए और यदि वे कहते है कि वे शारियत लागू करेंगे, कि उनके पास वही आपराधिक कानून होगा जो आज पाकिस्तान में लागू है, तो क्या भारतीय कर दाता या भारतीय संघ एक ऐसे राज्य का वित्त पोषण करना चाहेगा जहां धर्मतंत्र हो तथा जो हमारी निरपेक्षता, हमारे संविधान के उद्देश्यों हमारी प्रस्तावना के विरूद्ध हो, तब क्या आप उन्हें धन देते रहेंगे? क्या हमने इन असंगतियों का गहराई से चिन्तन किया है? यदि हमने ऐसा किया है तो हमें वित्तीय समरूपता लानी होगी, तब हमें सांविधानिक मानदंड और एकजुटता के सिद्धान्त अपनाने होंगे। इसलिए, इसमें समझ-बूझ की पूर्ण कमी है और क्या किया जा रहा है? मैंने सदैव यह कहा है कि यह केवल दिखावे की राजनीतिक संस्कृति है जिसने जम्मू और कश्मीर में सभी समस्याएं पैदा की है।

दिखावे की प्रवृति, गहराई में जाने की असमर्थता ने ही समस्या को जन्म दिया है। मैं आपको अनुच्छेद 356 के बारे में एक और उदाहरण दूंगा। लोग पूछते है कि अनुच्छेद 356 को वहां क्यों लागू किया गया है। ठीक है यदि वहां अनुच्छेद 356 न होता तो हम विदोहियों से नहीं निपट सकते थे। हमारे पास क्या विकल्प है? आज सभी शक्तियां उनके पास है तथा शक्तियां कैसे इस्तेमाल की जा रही हैं? मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा।

जिस समस्या से मैं निपट रहा था, वह यह थी कि कई समस्याएं इन सभी बढ़ोत्तरी के कारण, अधीन शक्तियों के कारण सत्ता की अधिकता के कारण पैदा हुई हैं। अब हमारे यहां दल-बदल विरोध कानून है। दल-बदल विरोधी कानून जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता था। यह तर्कसंगत है। इसे जम्मू और कश्मीर पर भी लागू किया जाना चाहिए था। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को एक साधारण पत्र भेज दिया जाता कि "कृपया अपनी मंजूरी दीजिए ताकि इसे लागू किया जाए। इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को कैसे नुकसान होता, यदि ऐसा कानून वहां लागू किया जाता है? अब वहां निहित स्वार्थी लोग रहते हैं" नहीं, नहीं, हम इसे लागू नहीं करेंगे। हम अपना कानून खुद बनाएंगे। क्या कानून बनाया गया? कानून यह बनाया गया कि पार्टी प्रमुख, न कि अध्यक्ष यह निर्णय लेगा कि कौन दल-बदलू है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका क्या प्रभाव पड़ा? कि जम्मू-कश्मीर में केवल पार्टी प्रमुख सर्वोपरि होगा। वही निर्णय लेगा कि कौन मंत्री होगा वही फैसला करेगा कि किसे टिकट मिलेगा, वही हर फैसला लेगा और यदि कोई उसके विरूद्ध कुछ कहता है या उससे भिन्न चलना चाहते हैं और यदि यह कहते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वहीं व्यक्ति प्रश्न करने वाले के भाग्य का निर्णय करेगा। अतः यह एक प्रकार की चुनावी तानाशाही हो गई। इसलिए अनुच्छेद 370 की आड़ में उन शक्तियों की आड़ में, निहित स्वार्थी लोगों द्वारा एक प्रकार की चुनावी तानाशाही स्थापित करने की बात थी। अल्पतंत्र की स्थापना की गई तथा उस अल्पतंत्र ने भारत के विरूद्ध आवाज उठाने के निहित स्वार्थों को जन्म दिया है क्योंकि वही एक रास्ता था जिससे वे सत्ता में बने रह सकते थे। उन्होंने वहां पर कोई ठोस कार्य नहीं किया तथा जब भी कोई ठोस कार्य वहां किया जाना था तो वे आसानी से कह देते थे कि लोगों के बीच निराशा है तथा वे आसानी से उनके विरूद्ध जा सकते थे। इससे व्यक्तित्व की पहचान तथा इनप्रदियत शक्तिमत का मामला उठेगा। वास्तविक प्रश्न क्या है? यदि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कुछ मामलों में बढ़ाया जाता है तो क्या आम आदमी को अच्छा कानून या बुरा कानून मिलेगा खराब न्याय या अच्छा न्याय मिलेगा? यदि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाता है, तो वह लेखा तथा लेखा परीक्षा का कार्य करेगा। इससे एक आम आदमी की इन प्रादियत शख्सियत पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब हम धन दे रहे हैं तो क्या इसकी लेखापरीक्षा नहीं की जानी चाहिए? इससे कौन प्रभावित होगा?

किसी ने भी इन प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मैं एक प्रश्न पूछता हूं। मुझे एक बात बताईए।

क्या आप चाहते हैं कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए या फिर आप चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं चाहते। केवल पर्यवेक्षण में भी क्या बुराई है? ऐसी क्या बात है जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं पर उन्होंने नहीं उठाया?

मैंने आपको इतिहास की याद दिलायी है। अब मैं 1975 के समझौते की बात करूंगा। बंग्लादेश की समस्या का समाधान होने के पश्चात शेख अब्दुल्ला वापस आना चाहते थे। इसके लिए एक समझौते पर चर्चा हुई थी और इस प्रकार 1975 का समझौता किया गया।

कृपया सुनिए कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने शेख अब्दुल्ला से क्या कहा था। उन्होंने कहा कि कार्यकाल को बढ़ाने की बात को वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि जो सेवायें बढ़ाई गई थीं, वो न्यायोचित थीं। जब शेख अब्दुल्ला ने कहा कि यह समझौता उनकी अनुपस्थिति में हुआ है तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि यह समझौता किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं बल्कि राज्य सरकार के साथ हुआ है। फिर भी यदि आपके पास कोई प्रस्ताव है तो उसे मेरे पास भेज दीजिए।

मैं माननीय गृहमंत्री से यह निवेदन करता हूं कि कृपया इस बात को ध्यान से सुनें कि शेख की ओर से मिर्जा अफजल बेग को और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की ओर से श्री पारथासारथी को यह काम सौंपा गया था। यदि इसमें ऐसी कोई भी बात हो जो कश्मीरी लोगों के हित में नहीं है तो हम इस पर पुनः ध्यान देने के लिए तैयार हैं परन्तु उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो कि न्यायोचित न हो। तब शेख साहब ने कुछ और समय की मांग की। उनको मुख्यमंत्री का पद मिला और वह कश्मीर वापस चले गये। मिर्जा अफजल बेग के नेतृत्व में एक दूसरी समिति, जिसे मंत्रिमंडल समिति कहा जाता था, का गठन किया गया था। समिति विचार-विमर्श करती रही। शेख साहब जब तक जीवित रहे तब तक सत्ता में बने रहे और उन आठ वर्षों में उन्होंने अमुक बात को जोड़ दिया जाए अथवा इसे निकाल दिया जाए। दो या तीन मंत्रिमंडल समितियों का गठन हुआ था परन्तु उनमें उल्लेखनीय बात कुछ भी नहीं थी। क्या किसी ने उसके बारे में बात की है?

मैं जब राज्य सभा का सदस्य था, तब मैंने संसद में स्वयं, राज्य सभा की कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने हेतु एक प्रश्न उठाया था। मैंने पूछा था कि कृपया मुझे कोई बताए कि तीन अथवा चार वर्ष पहले राज्य सरकार के पास जो शक्तियां निहित थीं, क्या उन शक्तियों में और शक्तियां जोड़ने हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पर उसका उत्तर 'नकारात्मक' रहा। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। मेरे पास उस प्रश्न की संख्या और उससे संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। शेख अब्दुल्ला के समय अथवा फारूख अब्दुल्ला के समय कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। वे क्या। किसकी बात कर रहे हैं? उनका कहना है कि भारत का, संघ का पतन हो रहा है। पतन होने का सवाल ही कहां उठता है? देश की ओर से वक्तव्यों की पुष्टि करते हुए दी जा रही इस प्रकार की गलत सूचना के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

जब माननीय रक्षा मंत्री जी कश्मीर जाते हैं तो वे कहते हैं कि हम अधिक से अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करेंगे। आप नहीं समझ सकते कि इस टिप्पणी से सेना का मनोबल कितना गिर गया है। जब वे लोग, केरल और तमिलनाडु के वे लोग, चाहे वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के हों अथवा सीमा सुरक्षा बल या सेना से संबंधित हों, जो शून्य से दस डिग्री कम तापमान में खाईयों में रहते हुए अनेक वर्षों से दुश्मनों से जूझ रहे हैं, जब उनको यह पता चलेगा कि आजादी को छोड़कर उन्हें सब कुछ मिलेगा तो निस्सन्देह वे लोग सवाल करेंगे। मुझसे ये सवाल पूछे गए हैं। हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इन सब कठिनाइयों/असुविधाओं का सामना कर रहे हैं? क्यों हम कई लोगों की जान गंवा रहे हैं? यदि इसी प्रकार का दृष्टिकोण होगा तो मुश्किल होगी। इस सन्दर्भ में, मैं यह भूल नहीं सकता कि पूर्व प्रधानमंत्री, श्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा जारी बयान से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बयान हो सकता है। जब चरार-ए-शरीफ को जला दिया गया था और हमारी सेना को आरम्भ से ही जिस ढंग से वे उचित समझते हैं उस ढंग से काम करने नहीं दिया गया और उनको चरार-ए-शरीफ से दो या तीन किलोमीटर दूर रहने के लिए कहा गया। उसके बाद चरार-ए-शरीफ जला दिया गया। उस समय भी मैंने टिप्पणी की थी कि चाहे आप मस्तगुल पर दोष लगाओ, पाकिस्तान पर दोष लगाओ यह ठीक है। पर आप भी इस दोष से बच नहीं सकते कि आपने चरार-ए-शरीफ को जलने दिया है। एक ने तो यह गलती जानबूझ करकी और आपने इसे अपनी लापरवाही से होने दिया। आप इससे बच नहीं सकते। इसमें सबसे अधिक दुःखदपूर्ण वो बयान है जिसे पूर्व प्रधान मंत्री ने 21 मई, 1995 को चरार-ए-शरीफ के जलने के बाद जारी किया था। उन्होंने बयान दिया था कि मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, आजादी को छोड़कर मैं किसी भी बात पर विचार कर सकता हूं। यह क्या है? इतनी प्रतिष्ठा गंवाने के पश्चात् महान भारतवर्ष ने उस मस्तगुल को भागते हुए देखा। जिसने हमारी सरेजमीं पर सम्मेलन भी किये थे और दूरदर्शन साक्षात्कार दिये थे तत्पश्चात् वह पाक अधिकृत कश्मीर चला गया और वहां उसका विजेता के समान स्वागत हुआ। उस समय भारत के प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि मुझे सुरंग के छोर पर प्रकाश दिखाई देता है। हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? मुद्दा यही है और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीर की आजादी को छोड़कर वह प्रत्येक चीज पर विचार करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब क्या है?

डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने पण्डितजी से एक प्रश्न पूछा था। उस समय उन्होंने कहा था, पण्डितजी, हमारे बीच जो मतभेद हैं उन्हें भूल जाओ ओर मुझे बताओ कि क्या आप कश्मीर के निवासियों को भारतीय पहले मानते हो अथवा कश्मीरी पहले मानते हो अथवा क्या आप उन्हें केवल कश्मीरी ही मानते हो न कि भारतीय? पण्डितजी ने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। आज मैं वही प्रश्न माननीय मंत्रियों से, सरकार से पूछता हूं। क्या आप कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं अथवा नहीं? क्या 'कश्मीर से कन्याकुमारी' खाली एक कहावत है अथवा वास्तविकता? हमें यह अवश्य समझना चाहिए। हमें अवश्य अपनी पहचान अपनी सभ्यता की पहचान तथा सांस्कृतिक पहचान बनानी चाहिये। हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप श्रेष्ठ

भारतीय संस्कृति, श्रेष्ठ भारतीय सभ्यता देखना चाहते हैं तो आप इसे कश्मीर की घाटियों में देखिये। कश्मीर तथा शेष भारत के बीच सम्बंध सन् 1947 से शुरू नहीं हुए हैं और वे 5000 वर्षों से भी अधिक हैं। यह मन तथा आत्मा का सम्बंध है और यह सन् 1947, 1965 तथा 1971 में हमारे नौजवानों के बलिदानों से बना है।

कश्मीर की रक्षा खातिर जो खून हमारे नौजवानों ने वहां बहाया था, उसे हम भूल चुके हैं और आज हम यह कह रहे हैं कि आजादी को छोड़कर हम प्रत्येक चीज पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

जो चीज दिल्ली के मुसलमानों के लिए अच्छी है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए अच्छी है। तो फिर वह जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए अच्छी क्यों नहीं है? उन पर वही कानून लागू क्यों नहीं किया जा सकता जो अन्य जगह के मुसलमानों पर लागू किया जाता है? इससे कश्मीर का आम आदमी कैसे प्रभावित होता है तथा शेष भारत में प्रत्येक व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है?

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : हिमाचल प्रदेश का क्या है?

श्री जगमोहन : मैं उसका भी जिक्र करूंगा। पहले प्रिय श्री राव ने 371क अथवा 371 छ के बारे में कहा था और मैं उसका भी जिक्र करूंगा। मैं यह पूछ रहा हूं कि सन् 1986 में इस सम्मानीय सभा ने एक कानून पारित किया था जिसमें यह वर्णित था कि धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग नहीं होने दिया जायेगा। इसे जम्मू और कश्मीर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगी अब जो मुद्दा उठता है वह धार्मिक स्थलों के दुरूपयोग का है। ज्यादातर धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग जम्मू और कश्मीर में हुआ है और आप वहां ऐसे कानूनों को लागू करना नहीं चाहते हैं और सभी तरह राजद्रोह पैदा करना चाहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 38 में क्या है? ये धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को हर तरह का संरक्षण प्रदान करते हैं। यही अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर-के मुसलमानों को संरक्षण दे सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारा उच्चतम न्यायालय व्याख्या तथा संरक्षण प्रदान करने में किसी अन्य से कहीं ज्यादा उदार रहा है। हम स्वयं अलगाववादी भावना पैदा कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 शुरू से ही अलगावादी रहा है क्योंकि इससे यह भावना पैदा है कि वे लोग कुछ अलग हैं। मैंने आपको बहुत से उदाहरण दिये हैं जिसमें इसे लोगों के कल्याण के लिए नहीं : अपितु गरीबों के शोषण के लिए तथा निर्मम और भ्रष्ट अल्पतंत्र बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। कश्मीर में यही मासला है।

हमारे मित्र ने मुझे याद दिलाया है कि जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीद पर किसी तरह की पाबंदी लगी हुई है। महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन पाबंदियों का आधार तर्क संगत हैं और वे न्यायालय की संवैधानिक जांच के अध्ययधीन हैं। यदि मुझे किसी ऐसी चीज से वंचित कर दिया जाता है जो गैर तर्कसंगत है तो मैं हमेशा न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकता हूं और कलेक्टर मुझे अनुमति देगा। उन कानूनों का आशय भूमि हस्तान्तरण के संरक्षण से है जबकि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 तथा अलग संविधान के कारण पूर्णतया पाबंदी है।

सभापति महोदय : आपने आधा घण्टा ले लिया है। आपकी पार्टी से एक वक्ता और भी हैं।

श्री जगमोहन : मुझे पांच से दस मिनट और लेने दीजिये चूंकि उन्होंने प्रश्न उठाया है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। दोनों प्रावधानों में जमीन आसमान का अन्तर है। उस दिन माननीय श्री राव ने अनुच्छेद 371क, 371छ के बारे में क्या कहा था? क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या वे कश्मीरियों को जनजातियां मानते हैं जिनके रीति रिवाजों को इस तरह के प्रावधान द्वारा संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है? क्या इन राज्यों के अलग संविधान तथा अलग ध्वज हैं? क्या नागालैंड का अलग संविधान है?

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या हिमाचल प्रदेश में कोई जायदाद खरीद सकता है?

श्री जगमोहन : कोई भी इसे अनुमति लेकर खरीद सकता है। प्रत्येक जगह भूमि हस्तान्तरण कानून हैं। बहरहाल, मैं यहां कतिपय राज्यों के कानूनों को संरक्षण देने के लिए नहीं हूं। केवल मेरी बात तो यह है कि दोनों के बीच जमीन आसमान का अन्तर है।

मेरे माननीय वरिष्ठ साथी श्री बरनाला जी यहां हैं। अब चूंकि आप याद दिला रहे हैं इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूं। सन् 1947 में दंगों के कारण बारह हजार सिख परिवार जम्मू और कश्मीर में आये थे। पाकिस्तान में उनकी सम्पति जला दी गई। उनके परिवारों को लूटा गया था। वे जम्मू और कश्मीर आये थे। वे वहीं बस गये क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। यह एक शरणार्थी समस्या थी। हालांकि सन् 1947 को बीते बहुत वर्ष हो गये हैं, फिर भी उन बारह हजार परिवारों, उनके बच्चों, उनके पोतों के पास जम्मू और कश्मीर की नागरिकता नहीं है। उनके बच्चे किसी भी व्यावसायिक कॉलिज में दाखिला नहीं ले सकते हैं। वे ग्रामीण सहकारी बैंकों से ऋण भी नहीं ले सकते हैं। वे राज्य चुनावों अथवा स्थानीय निकायों के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यह देश-फिलिस्तीनियों तथा दक्षिण अफ्रीका के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा है जबकि हमारे अपने देश में हमने उन हजारों हजार लोगों को नागरिकता अधिकार तथा मानव अधिकार से वंचित कर दिया है जो दंगों तथा जातीयता की मजबूरी के कारण यहां आये थे। यही है इन दोनों के बीच पक्षपातपूर्ण अन्तर। मैंने अपनी पुस्तक से एक दृष्टांत उद्धृत किया है और इसे मैं दोबारा उद्धृत कर सकता हूं। यदि जम्मू और कश्मीर की कोई लड़की-दिल्ली में किसी भारतीय से शादी करने का अपराध करती है तो उसे सम्पति के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। मैंने एक दृष्टांत उद्धृत किया है जिसमें जम्मू और कश्मीर की नागरिक लड़की ने एम.बी.बी.एस. करने के पश्चात् एम.डी. में प्रवेश लेना चाहा था लेकिन उसे इस आधार पर प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया कि उसने कोर्स के पश्चात् की अवधि में दिल्ली में अपने एक दोस्त से शादी कर ली थी। उस कॉलिज को भारतीय करदाता के धन से शत

प्रतिशत वित्त प्राप्त होता है। लेकिन अनुच्छेद 370 तथा अलग संविधान के कारण उसे प्रवेश नहीं दिया गया। हम ऐसे कानूनों के साथ जीवन यापन कर रहे हें जो पुराने पड़ गये हैं और जो पूर्णतः अनौचित्यपूर्ण हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सदा महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के बारे में बातें करते हैं। हम उन्हें संसद में 30 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन इन महिलाओं के अधिकारों का क्या होगा। सारा धन हम देते हैं। मेरा अनुरोध यह है कि अधिकतम स्वायत्तता के बारे में बात करने से पहले इस सारे विषय को गहराई से देखा जाये क्योंकि लोग इसका गलत अर्थ निकालेंगे। आप और 50 वर्षों के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आप न केवल जम्मू और कश्मीर में अव्यवस्था तथा गड़बड़ पैदा कर रहे हैं अपितु शेष देश में भी अव्यवस्था और गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। कल इसी प्रकार की मांग दूसरे लोग करने लगें तो आप उससे कैसे निपटेंगे? एक बार फिर मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख करता हूं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि "यदि आप ऐसा होने देना चाहते हैं तो आपको यह मंहगा पड़ेगा और आप उन लोगों के हाथों में खेल रहे होंगे जो यह कह रहे हैं कि भारत एक देश नहीं है अपितु राष्ट्र का एक समूह है।"

अपरान्ह 3.49 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

कृपया लोगों को गलत अर्थ मत लगाने दीजिये। मैं जम्मू और कश्मीर में अमरीका हित से निपट लेता लेकिन समय नहीं था जब हम संयुक्त राज्य में जाते हैं तो उन लोगों में घुल मिल जाते हैं। लेकिन भारत में यह जातीयता हो जाती है। यही सब कुछ है। हमारे यहां क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं और इसलिए हम विखंडित हो सकते हैं। कृपया भविष्य के लिए समस्याएं पैदा मत कीजिये। अनुच्छेद 370 के बारे में भी मैं सच्ची भावना से यह अनुरोध करूंगा कि आप अपनी पुरानी बात पर मत अड़े रहिये। सरदार पटेल ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया था। जब वी. शंकर ने सरदार पटेल से पूछा था कि वे अनुच्छेद 370 के प्रारूप पर विपरीत विचाराधारा के बावजूद सहमत क्यों हो रहे हैं तो पटेल ने यह जवाब दिया था कि पण्डित जी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था और वे इसका अनुपालन करेंगे। लेकिन पटेल ने कहा था किन तो अनुच्छेद 370 और नहीं शेख अबदुल्ला स्थायी हैं। जो स्थायी हैं वे हैं भारत के लोग और यदि भारत के लोगों में बाद में इसे बदलने का साहस नहीं है तो हम एक राष्ट्र कहलाने के पात्र नहीं हैं। यदि आप यह महसूस करते हैं कि अनुच्छेद 370 से अनिष्टकारी प्रभाव पड़ा है, और इसने अलगाववादी भावना पैदा की है, कश्मीर में विनाश हुआ है तथा आतंकवाद फैला है, बहुत सा खून बहा है तो इसे हटाने में मत हिचकिचाइये। हमारे पास भारतीय संविधान का अनुच्छेद-355 है जिसमें कहा गया है "यह भारतीय संसद का कर्तव्य है वह राज्यों की रक्षा करे" ओर विगत कई वर्षों, विशेषकर पिछले सात वर्षों के दौरान हमारा अनुभव यह रहा है कि आक्रमण हुए हैं। इसके कारण आन्तरिक विद्रोह हुए हैं। अनुच्छेद 355 एक प्रमुख अनुच्छेद है और कृपया इस आन्तरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। हम स्वयं यह कहते हैं कि पाकिस्तान एक अप्रत्यक्ष युद्ध कर रहा है। यदि यह अप्रत्यक्ष युद्ध है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुच्छेद 370 जिसके कारण यह हो रहा है, को ही समाप्त कर दिया जाये। क्या आप यह समझते हैं कि भारतीय संविधान पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है? यह पूरी तरह से निष्पक्ष है। यह जम्मू-कश्मीर को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यदि आप इस समस्या का हमेशा सदैव के लिए समाधान करना चाहते हैं, तो कृपया इसे समाप्त करने के लिए सहमत होइए और अधिकतम स्वायत्तता और अन्य तरह की स्वायत्तता की बातें करना बन्द कीजिए क्योंकि उससे हम तबाह हो जायेंगे। हमें यह बात समझनी चाहिए कि इस तरह की स्वायत्तता जिससे त्वरित विकास होता है, जिससे दक्षता आती है और स्वायत्तता का एक ऐसा घटक भी है जिससे तोड़-फोड़, आतंकवाद और पृथकतावाद आता है, के बीच अन्तर है। मैं पहली तरह की स्वायत्तता का पक्षधर हूं। सरकारिया आयोग ने एक सिफारिश की है, इसका अन्य सभी स्थानों पर अनुसरण कीजिए; जितना संभव हो उतना विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। लेकिन पृथक पहचान, पृथक मानसिकता उत्पन्न न कीजिए क्योंकि इससे तोड़फोड़ और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसका कोई अन्त नहीं है। एक घटना के पश्चात् दूसरी होगी। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि घाटी में इसका अन्त नहीं होगा। जम्मू के अभियान, लद्दाख के अभियान के बारे में क्या हुआ है? इतनी अधिक विभिन्नताएं हैं; इसमें लद्दाखी हैं, इसमें हिन्दु हैं और इसमें मुसलमान शामिल हैं। यहां तक कि जाति के संबंध में भी जम्मू एक नहीं है। आपके पास और भी अन्य आयेंगे, और आप उनका कभी समाधान नहीं कर पायेंगे, और यह आम व्यक्ति के हित में नहीं है। महोदय, प्रधानमंत्री के रूप में आपने स्वयं विकास पर बल दिया। हमें अपनी सारी शक्ति विकास पर केन्द्रित करनी चाहिए क्योंकि इससे आम व्यक्ति को इससे लाभ मिलेगा। आइए हम अज्ञानता ओर रोगों को दूर करें। हम अलग पहचानों के लिए अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। यह स्वायत्तता जिसका कोई अर्थ नहीं है, लोगों की कोई राहत नहीं प्रदान करेगी, बल्कि इससे दीर्घ काल और अल्पकाल में न केवल भारत में बल्कि उत्तर-पूर्व जैसे अन्य स्थानों में भी लोगों को अत्यधिक हानि करेगी। इसके अपने कुप्रभाव होंगे आपका बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ अधिक समय ले लिया है।

अपराह्न 3.54 बजे

सत्र आरम्भ होने से पूर्व पेट्रोलियम पदार्थों के प्रशासित मूल्यों मे वृद्धि करने के औचित्य के प्रश्न के बारे में—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। मेरे विचार से अब चार बजने वाले है। माननीय सदस्यों, सुबह मैंने सभा को सूचित किया था कि

पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर नियम 56, 184, 193 और 197 के अन्तर्गत अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्रारम्भ में, मैंने यह कहा था कि मैं इस संबंध में सभा से मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहूंगा कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए क्योंकि सभा में इस विषय में सर्वसम्मति है कि यह एक गम्भीर मामला है और हमें इस विषय पर पूरी चर्चा करनी चाहिए। मैंने शायद यह पाया कि सभा इस मुद्दे पर मेरा विनिर्णय चाहती है और यह कि मैंने सभा में विभिन्न दलों के विचारों को सुने बिना ही अपना विनिर्णय दिया था। मुझे उसके लिए खेद है। इसीलिए जब हम भोजनावकाश के पश्चात यहां उपस्थित हुए, तो मैंने यह सोचा कि मुझे इस मुद्दे पर सदस्यों की बात सुननी चाहिए। मैंने इस विषय पर सदस्यों की बात सुनी है। विभिन्न मत व्यक्त किए गये हैं और जब सुबह मैंने विनिर्णय दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने विनिर्णय सोच-विचार किए बिना, पूर्वोदाहरणों का अध्ययन किए बिना दिया था। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि मैंने विगत के पूर्व उदाहरणों का अध्ययन किया है और मेरा विनिर्णय विगत व्यवहार पर आधारित था। मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं जो इस बात से सहमत हैं कि यह एक अच्छा पूर्व उदाहरण नहीं होगा कि एक विशेष मुद्दे पर निर्णय देने के पश्चात अध्यक्ष महोदय उस विशेष विनिर्णय की समीक्षा करें। कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सभी का आभारी हूं। साथ ही, यह एक ऐसा मुद्दा है जो माननीय सदस्यों और भारत के लोगों के दिमागों को उद्वेलित कर रहा है और मुझे विश्वास है कि सरकार इस विषय को अत्यधिक गम्भीरता से लेगी। वह सदस्यों और भारत की जनता, जो इस विनिर्णय से प्रभावित हुए हैं, की भावनाओं का आदर करेगी। मैं सरकार से यह आशा करता हूं कि वह इस पर ध्यानपूर्वक विचार करे। विशेषकर माननीय सदस्यों की बात सुनने के पश्चात। लेकिन चूंकि मैंने सुबह एक विनिर्णय दिया था अतः मेरे विचार से उस विनिर्णय का पुनरिक्षा करना सही नहीं होगा। इसलिए हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : नहीं, हम जनता के प्रति जबाबदेह हैं। यह मूल्य वृद्धि क्यों की गई है? हम इस संबंध में चर्चा करवाना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह अध्यक्षपीठ के प्रति अनादर है। क्या यह चर्चा करने का ढंग है?

अपराह्न 3.58 बजे

इस समय, श्री हरिन पाठक और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभापटल के निकट आये और खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका सदन है, आप जो चाहे करें। लेकिन मैं यहां साय 6 बजे तक बैठा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं हाऊस को एडजर्न करने वाला नहीं हूं। मैं सांय छः वजे तक बैठा रहूंगा।

[अनुवाद]

मुझे **खेद** है, यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत हो गया। हर बात की एक सीमा होती है। आपके विनिर्णय को इस तरह से चुनौती दी जा रही है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम लोकतन्त्र के अभिरक्षक हैं; हम सदन के अभिरक्षक हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से बहुत हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप संसद को क्या समझते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भारत की संसद है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं? कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है। इससे मुझे बहुत दुःख होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आज हम लोकतन्त्र की रक्षा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप उनको अवसर नहीं दे रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा ।। जुलाई, 1996 को पूर्वाह्न ।। बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.40 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 11 जुलाई, 1996/20 आषाढ़, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।